योजना विभाग
PLANNING DEPARTMENT

हिमाचल प्रदेश की आर्थिक समीक्षा

1986

ECONOMIC REVIEW OF HIMACHAL PRADESH

अर्थ एवं संख्या निदेशालय, हिमाचल प्रदेश
DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS,
HIMACHAL PRADESH

हिमाचल प्रदेश की आर्थिक समीक्षा

1986

NIEPA DC
D03096

(आर्थिक स्थिति व विकास कार्यक्रम)

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Aministration
17-B, Sri Aurbindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. 3046
Date. 18/6/86

विषय सूची

	पृष्ठ
प्रस्तावना	iii
भाग I—वर्ष 1985-86 की प्रगति की समीक्षा	
1. सामान्य आर्थिक स्थिति	1
2. कृषि कार्यक्रम	
2.1 कृषि	4
2.2 उद्यान	6
2.3 लघु तथा मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण	7
2.4 भू-संरक्षण	8
2.5 पशुपालन	8
2.6 वन	10
2.7 मत्स्य पालन	11
2.8 भू-एकत्रीकरण	12
2.9 भूमि सुधार	12
3. सहकारिता एवं ग्रामीण एकीकृत विकास	
3.1 सहकारिता	13
3.2 ग्रामीण विकास	13
3.3 पंचायत	14
4. बहुद्देशीय परियोजनाएं तथा विद्युत	
4.1 बहुद्देशीय परियोजनायें तथा विद्युत	16
5. उद्योग तथा खनिज विकास	
5.1 उद्योग एवं खनिज विकास	17
6. परिवहन एवं संचार	
6.1 सड़कें तथा भवन निर्माण	19
6.2 पथपरिवहन	20
6.3 पर्यटन	20
7. सामाजिक सेवाएं	
7.1 शिक्षा	22
7.2 तकनीकी शिक्षा	22
7.3 युव सेवाएं एवं क्रीड़ाएं	23

	पृष्ठ
7.4 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	25
7.5 आयुर्वेद	26
7.6 होमियोपेथी	26
7.7 आयुर्विज्ञान महाविद्यालय	26
7.8 आवास	27
7.9 पेयजल योजना	28
7.10 पिछड़े वर्गों का कल्याण	28
7.11 समाज कल्याण	29
7.12 पोषाहार कार्यक्रम	29
7.13 रोजगार तथा श्रम कल्याण	30
7.14 नगर विकास तथा ग्राम नियोजन	31
7.15 भाषा एवं संस्कृति	31
7.16 पर्वतारोहण	32
7.17 विज्ञान और प्रौद्योगिकी	33
7.18 जनजाति तथा अनुसूचित जातियों का विकास	34
8. विविध	
8.1 आबकारी एवं कराधान	35
8.2 खाद्य एवं आपूर्ति	36
8.3 लोक सम्पर्क	38
8.4 स्थानीय निकाय	38
8.5 विवरणिका	38
8.6 सांख्यिकी	39
8.7 हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान	40
8.8 सार्वजनिक उपक्रम	41
भाग II--सांख्यिकीय सारणियां	89

प्रस्तावना

आर्थिक समीक्षा एक बजट प्रलेख है जो सरकार की उसके विभागों द्वारा की गयी आर्थिक गतिविधियों को विस्तार से प्रस्तुत करता है। इसमें वर्ष 1985–86 के दौरान प्रदेश की आर्थिक स्थिति के सभी पहलुओं के समावेश करने का यत्न किया गया है। 1985–86 सातवीं योजना का प्रथभ वर्ष होने के कारण, आधार वर्ष के रूप में इस का महत्व और भी बढ़ जाता है। भाग एक में समीक्षा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में की गयी है। दूसरे भाग में महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों की सांख्यिकीय तालिकाएं दी गयी हैं।

समय पर सूचना उपलब्ध करवाने के लिए मैं सभी विभागों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। इस समीक्षा के लिए इतनी विशाल तथा विस्तृत सामग्री के एकत्रीकरण, संकल और इसको संक्षेप में विश्लेषण का कार्य अर्थ एवं संख्या निदेशालय ने किया है। मैं निदेशालय द्वारा किये गये कड़े परिश्रम की प्रशंसा करता हूं।

सुरेन्द्र मोहन कंवर
आई.ए.एस.

वित्त आयुक्त एवं सचिव (वित्त एवं योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार

भाग I

वर्ष 1985-86 की प्रगति की समीक्षा

1. सामान्य आर्थिक स्थिति

1.1 शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद

वर्ष 1984-85 के अन्तर्गत स्थिर भावों (1970-71) पर बनाए गए राष्ट्रीय आय के अनुमानों के आधार पर देश की अर्थ व्यवस्था में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राष्ट्र की शुद्ध आय 1983-84 के 55,100 करोड़ की तुलना में 1984-85 में 57,014 करोड़ पहुंच गयी। जिसके फलस्वरूप छठी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत वास्तविक राष्ट्रीय आय में औसतन 5.3 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई। प्रचलित भावों पर राष्ट्रीय आय 1983-84 के 1,57,830 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़ कर 1984-85 में 1,73,207 करोड़ रुपये पहुंच गई और इस प्रकार अर्थ व्यवस्था में 9.7 प्रतिशत वृद्धि हुई।

यह सराहनीय है कि कृषि उत्पादन में 4 प्रतिशत गिरावट के पश्चात् भी देश की अर्थ व्यवस्था ने 1984-85 में 3.5 प्रतिशत वृद्धि दर को प्राप्त किया। 1984-85 में खाद्यान्न उत्पादन केवल 146.2 मिलियन टन हुआ जबकि 1983-84 में खाद्यान्न उत्पादन ने 152.4 मिलियन टन के स्तर पर पहुंच कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था।

इस वर्ष तिलहन तथा कपास का देश में क्रमश: 4.3 एवं 13.1 मिलियन टन का रिकार्ड उत्पादन हुआ। खनन के क्षेत्र में कच्चे तेल एवं कोयले के उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप 9.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विनिर्माण, गैस एवं विद्युत, जलपूर्ति आदि क्षेत्रों में भी गत वर्ष की अपेक्षा अधिक वृद्धि हुई।

प्रति व्यक्ति वास्तविक आय 1983-84 के 761 रुपए की तुलना में 1984-85 में 772 रुपए हो गई। प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय 1983-84 के 2,180 रुपए से बढ़ कर 1984-85 में 2,344 रुपए हो गई।

1.2 शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद

वर्ष 1984-85 में स्थिर भावों (1970-71) पर बनाए गए राज्य आय के अनुमानों के आधार पर राज्य की अर्थ व्यवस्था में 5 प्रतिशत की गिरावट आई। राज्य की शुद्ध आय 1983-84 के 318.08 करोड़ रुपए से घट कर 302.29 करोड़ रुपए रह गई जिसका कारण सूखा पड़ने से कृषि क्षेत्र का प्रभावित होना है। 1984-85 में खाद्यान्न उत्पादन में 6.5 प्रतिशत की कमी हुई। 1983-84 में यह उत्पादन 10.77 लाख टन था जोकि घटकर 1984-85 में 10.07 लाख टन रह गया। सूखे के कुप्रभाव से फल उत्पादन क्षेत्र भी अछूता न रहा और 1984-85 में फल उत्पादन में 29 प्रतिशत की गिरावट आई। कृषि एवं फल उत्पादन क्षेत्रों ने मिलकर राज्य आय को 9.3 प्रतिशत गिराया। कृषि क्षेत्र का राज्य आय में 48 प्रतिशत योगदान है।

छठी पंच वर्षीय योजना की अवधि में वर्ष 1984-85 एवं 1982–83 में क्रमश: 5 प्रतिशत एवं 5.1 प्रतिशत की गिरावट के उपरान्त भी राज्य अर्थ व्यवस्था ने 3.7 प्रतिशत औसतन वार्षिक वृद्धि दर को प्राप्त किया। प्रचलित भावों पर राज्य की आय 1983-84 के 1,010.04 करोड़ रुपए से बढ़ कर 1984-85 म 1,061.74 करोड़ रुपए हो गई। इस प्रकार 1984-85 में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2,316 रुपए है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आय 2,344 रुपए है।

प्रचलित वर्ष 1985-86 में प्रदेश की अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की अच्छी स्थिति होने के कारण 7–8 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है।

1.3 मूल्य स्थिति

मुद्रास्फीति की दर 4.9 प्रतिशत बनाए रखने के लिए वर्ष 1985 महत्वपूर्ण है। क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक जनवरी, 1985 के 340.1 से बढ़ कर जनवरी 1986 में 356.6 ही हुआ। यह दर पिछले वर्ष 5.4 प्रतिशत थी। मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए :—

(i) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना जिसमें अनाजों का पर्याप्त भण्डार भी सम्मिलित है,

(ii) खाने के तेल और चीनी जैसी घरेलू वस्तुओं को उपलब्ध कराना,

(iii) अधिक उत्पादन हेतु किसानों को प्रोत्साहनवर्धक मूल्य देना,

(iv) राजकोषीय अनुशासन का प्रवर्तन, तथा

(v) सरकारी खर्चों में कमी और शासकीय प्रणाली में अन्धाधुन्ध व्यय पर नियन्त्रण,

वर्ष 1983 से वर्ष 1986 तक के थोक मूल्य सूचकांक निम्न तालिका में दिखाए गए हैं :–

थोक मूल्य सूचकांक—समस्त भारत

(आधार 1970-71=100)

मास	1983	1984	1985	1986
जनवरी	290.6	322.3	340.1	356.6
फरवरी	292.7	323.2	339.2	
मार्च	295.3	322.9	342.5	
अप्रैल	300.3	323.6	347.8	
मई	307.4	327.4	350.6	
जून	309.3	334.5	355.9	
जुलाई	312.9	342.3	361.6	

मास	1983	1984	1985	1986
अगस्त	317.7	345.9	362.9	
सितम्बर	319.1	342.2	357.8	
अक्तूबर	318.9	342.6	359.2	
नवम्बर	319.3	340.6	356.9	
दिसम्बर	318.7	338.0	356.8	
औसत	308.5	334.0	352.6	

नोट:-अप्रैल, 1985 से आगे सूचकांक अस्थायी हैं।
स्रोत :-उद्योग मन्त्रालय, भारत सरकार।

हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1965=100) के अनुसार सूचकांक दिसम्बर, 1984 में 425 से बढ़कर दिसम्बर, 1985 में 457 हो गया जिससे 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

हिमाचल प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति पर विशेष नजर रखी जाती है। अर्थ एवं संख्या निदेशालय 13 आवश्यक वस्तुओं के संबंध में जिला मुख्यालयों के पाक्षिक परचून भाव एकत्र करता है। तहसील/उप-तहसील मुख्यालयों से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग भाव एकत्र करता है। जिला संख्या अधिकारी अपने जिले के लिए मासिक समीक्षा तैयार करता है। इस समीक्षा के आधार पर अर्थ एवं संख्या निदेशालय सारे प्रदेश के लिए मासिक समीक्षा तैयार करता है जो सरकार को भेजी जाती है।

1.4 रोजगार स्थिति

जून, 1985 के अंत में प्रदेश में कुल 2,63,234 (सार्वजनिक क्षेत्र 2,44,443 और निजी क्षेत्र 18,791) कर्मचारी थे जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 2,49,911 कर्मचारी कार्यरत थे। सार्वजनिक क्षेत्र की कुल रोजगार में से 71.7 प्रतिशत राज्य सरकार के 6.9 प्रतिशत केन्द्र सरकार के 5.5 प्रतिशत अर्ध सरकारी (केन्द्रीय), 14.7 प्रतिशत अर्ध-सरकारी (राज्य) तथा 1.2 प्रतिशत स्थानीय निकायों के प्रतिष्ठानों में लगे हुए थे।

पहली जनवरी, 1985 से 30 नवम्बर, 1985 तक की अवधि में 68,685 व्यक्तियों के नाम पंजीकृत किए गए तथा 6,449 लोगों को रोजगार दिए गए। विभिन्न रोजगार देने वालों में 10,147 रिक्त स्थान अधिसूचित किए। 30 नवम्बर, 1985 तक प्रदेश के सभी रोजगार कार्यालयों में 3.13 लाख प्रार्थी पंजीकृत थे।

राज्य सरकार ने 12 अनुसूचित रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारित की है। वर्ष 1985-86 में सरकार ने कागज तथा कागज से बनी वस्तुओं के कारखाने के कर्मचारियों को भी न्यूनतम मजदूरी एक्ट, 1948 में शामिल किया। चाय बागानों में कार्यरत मजदूरों के अतिरिक्त अकुशल मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी को 10 रुपए प्रति दिन से बढ़ाकर 12 रुपए प्रतिदिन कर दिया।

इसके अतिरिक्त विभिन्न श्रम कल्याण योजनाएं जैसे कर्मचारी राज्य बीमा योजना, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 औद्योगिक कर्मकारों को एकीकृत अनुदान प्राप्त मकान योजना, आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग, कर्मकारों के लिए शिक्षा योजना इत्यादि कार्यान्वित की गई।

1.5 विकास संबंधी उद्व्यय

सातवीं योजना के लिए योजना आयोग ने 1,050 करोड़ रुपए की उद्व्यय राशि स्वीकृत की है। राज्य सरकार अपने साधनों से 186.98 करोड़ रुपए जुटाएगी तथा 863.02 करोड़ रुपए की धनराशि केन्द्रीय सरकार से सहायता के रूप में मिलेगी। सातवीं योजना में विशेष महत्व आर्थिक व्यवस्था को दिया है जो कुल योजना उद्व्यय का 77.2 प्रतिशत है। सामाजिक सेवाओं के लिए 20.2 प्रतिशत तथा अन्य सेवाओं के लिए 2.6 प्रतिशत रखा गया है। आर्थिक व्यवस्था में कुछ मुख्य क्षेत्र जैसे विद्युत, सड़कें तथा भवन, वन तथा लघु एवं मध्यम सिंचाई इत्यादि है। सामाजिक सेवाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जल वितरण इत्यादि हैं।

वर्ष 1985-86 के लिए वित्त आयोग ने 177.00 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। स्वीकृत उद्व्यय से संशोधित उद्व्यय 177.60 करोड़ रुपए होने की सम्भावना है। वर्ष 1986-87 में वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत 205 करोड़ रुपए के उद्व्यय में 30.67 करोड़ रुपए न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के लिए तथा 7.03 करोड़ रुपए पिछड़े क्षेत्रों के लिए सम्मिलित हैं। यह 1985-86 वर्ष के उद्व्यय से 15.8 प्रतिशत अधिक है।

1.6 नया 20 सूत्रीय कार्यक्रम

नए 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त की हैं तथा योजना आयोग द्वारा वर्ष 1985-86 के प्रथम नौ महीनों की उपलब्धियों के आधार पर दूसरे सब राज्यों की तुलना में हिमाचल प्रदेश ने सर्व प्रथम स्थान प्राप्त करने का श्रेय पाया है। जनवरी, 1986 तक की संक्षिप्त उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:—

सूत्र नम्बर	मद	इकाई	वर्ष 1985-86 के लक्ष्य	जनवरी 1986 तक की उपलब्धियां	1986-87 के अनुमानित लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1	(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम				
	(i) पुराने मामले	नम्बर	23,000	10,583	20,000
	(ii) नए मामले	नम्बर	8,000	13,333	10,000
	(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार	लाख मैनडेज	13.00	10.44	11.00
	(ग) आर०एल०ई०जी०पी० के अन्तर्गत रोजगार	लाख मैनडेज	11.83	12.02	10.00

1	2	3	4	5	6
7	(क) अनुसूचित जाति सहाय परिवार	नम्बर	24,000	19,779	24,000
	(ख) अनुसूचित जनजाति सहाय परिवार	नम्बर	2,631	2,916	2,631
8	पेय जल उपलब्ध कराने वाले कठिन गांव	नम्बर	250	333	280
10	झुग्गी में रहने वाली जन संख्या को सुविधा प्रदान करना	नम्बर	5,000	4,364	5,000
11	(क) विद्युतिकृत गांव	नम्बर	425	451	460
	(ख) पम्प सैट लगाए गए	नम्बर	60	104	60
12	(क) पेड़ लगाए गए	करोड़	5.50	4.82	6.50
	(ख) बायोगैस यन्त्र लगाए गए	नम्बर	2,500	2,462	3,000
13	नसबन्दियां की गई	नम्बर	38,000	21,977	*38,000 (अस्थायी)
14	(क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएगें	नम्बर	15	12	16
	(ख) उपकेन्द्र खोले जाएगें	नम्बर	-	-	70
15	आई०सी०डी०एस० ब्लाक शुरू किए जाएगें	नम्बर	3	3	5
18	लघु उद्योग केन्द्र स्थायी रुप में पंजीकृत किए जाएगें	नम्बर	400	1,081	450

*भारत सरकार द्वारा सूचित किया जाएगा

2. कृषि कार्यक्रम

2.1 कृषि

कृषि हिमाचल प्रदेश के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है। अतः यह प्रदेश की अर्थ व्यवस्था के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इससे प्रदेश की लगभग 72.4 प्रतिशत कार्यरत जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध होता है। राज्य के कुल घरेलू उत्पादन में कृषि क्षेत्र का 45 प्रतिशत योगदान है। प्रदेश के कुल 55.7 लाख हैक्टयर भौगोलिक क्षेत्र में से 6.01 लाख हैक्टेयर क्षेत्र खेती के अन्तर्गत आता है। यह भूमि मुख्यतः लघु एवं सीमान्त किसानों के वर्गों द्वारा जोती जाती है। कृषि विभाग की यह निरन्तर नीति रही है कि न केवल खाद्यानों के विषयों में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाये बल्कि नकदी फसलों विशेषतयः बेमौसमी सब्जियों, सब्जी, आलू तथा अदरक आदि के सुधरे बीजों के उत्पादन द्वारा भी कृषकों की आर्थिक दशा में सुधार लाया जा सके जिसके लिये प्रदेश की कृषि संबंधी जलवायु अति उत्तम है। कृषि विभाग प्रदेश के कृषकों को उन्नत तकनीकी के प्रावधान के अतिरिक्त कृषकों को कृषि संबंधी उपकरणों (कृषि सामग्री) जैसे कि उन्नत बीज, उर्वरक, पौध संरक्षण दवाइयों तथा बीज एवं उर्वरक ड्रील और उन्नत कृषि औजारों की पर्याप्त तथा समयबद्ध आपूर्ति आदि का भी प्रबंध करता है।

माननीय प्रधान मंत्री के 20 सूत्रीय कार्यक्रम ने कृषि उत्पादन नीति को एक नई दिशा प्रदान की है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में शुष्क खेती, तिलहन और दालों के बीजो के विकास, बायोगैस संयत्र लगाना जो कि ऊर्जा स्रोत का एक विकल्प है की प्रोद्यौगिकी प्रणाली पर अधिक बल दिया जा रहा है। विभाग द्वारा लगातार प्रयत्नों के फलस्वरूप आज नकदी फसलें जैसे कि आलू, अदरक तथा सब्जियों इत्यादि के उत्पादन से प्रशंसनीय उपलब्धियां हुई है। 20–सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई सूत्रवार उपलब्धियों का वर्णन निम्नलिखित है।

सूत्र नः—1 सिंचाई स्रोतों का विकास तथा शुष्क खेती की उत्पादन सामग्री की आपूर्ति और इसकी तकनीकी जानकारी के प्रसार में वृद्धि लाना

हिमाचल प्रदेश मे लगभग 80 प्रतिशत खेती वर्षा पर निर्भर करती है वर्षा की बौछार प्रदेश में समान रूप से नहीं पड़ती हैं। ऐसी स्थितियों में फसलों के उत्पादन हेतु कृषि विभाग, शुष्क खेती की प्रणाली को कृषकों में लोकप्रिय कर रहा है। इस प्रणाली के अन्तर्गत कृषकों को भूमि में नमी बनाये रखने, फसलों की उचित किस्मों तथा उर्वरकों के उपयोग व खरपतवारों के विनाश और आपात के समय खेती इत्यादि के विषय में प्रशिक्षण दिया गया। विभिन्न स्थानों पर इस संदर्भ में शिविर लगाये गये। कृषकों को शुष्क खेती की जानकारी उपलब्ध करवाने व सघन विकास के लिये वर्ष 1985-86 में 54 माइक्रो वाटरशैड (सूक्ष्म पानी छप्पर) चुने गए। इन माईक्रो वाटर शैडज के द्वारा सघन शुष्क खेती के अन्तर्गत 6.56 हजार हैक्टयर क्षेत्र लाया गया। इसके अतिरिक्त 70.13 हजार हैक्टयर क्षेत्र कथित वाटरशडज के बाहर वाले क्षेत्रों में शुष्क खेती के अन्तर्गत लाया गया। लगभग 6,329 सुधरे कृषि यन्त्र तथा 250 बीज एवं उर्वरक ड्रील वितरित किये गये। इस वर्ष के अन्तिम त्रिमाही में 8,671 कृषि के सुधरे यन्त्रों का वितरण कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त 337 पानी के संग्रहणों तथा पानी के संग्रहित करने हेतु इनकी रचनाओं को (वाटर हारवैस्टिंग तथा स्टोरेज स्ट्रक्चर) पूर्ण किया गया। वर्ष 1986-87 में इस कार्यक्रम में और वृद्धि लाई जायेगी।

सूत्र न० 2:–दालों तथा तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि लाने हेतु विशेष पग उठाना

वर्ष 1985-86 में 85,250 हैक्टयर भूमि को दालों तथा 32,500 हैक्टयर भूमि को तिलहनी फसलों के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य था ताकि 25 हजार टन दालों का तथा 7 हजार टन तिलहनों का उत्पादन किया जा सके। आशा की जाती है कि ये लक्ष्य पूर्णतयः उपलब्ध हो जायेंगे। वर्ष 1986–87 में 25.50 हजार टन दालों तथा 7.20 हजार टन तिलहनों के उत्पादन का प्रस्ताव रखा गया है। उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये वर्ष 1985-86 में लगभग 582.05 मि. टन दालों तथा 132.40 मि. टन. तिलहनों के बीजों की कृषकों में वितरित किया गया। दालों तथा तिलहनों की उन्नत किस्मों को लोकप्रिय बनाने हेतु दालों एवं तिलहनों के लगभग 28.02 हजार मिनिकिटस किसानों में वितरित किये गये।

सूत्र न० 7:—अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों का विकास करना

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के आर्थिक विकास हेतु इन वर्गों के लिये अलग से योजनायें जैसे कि अनुसूचित जाति के लोगों की विशेष कम्पोनेंट (घटक) योजना तथा जनजाति क्षेत्र उपयोजना तैयार की गई। इन योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान पर कृषि उत्पादन सामग्री तथा उपकरण उपलब्ध कराने के साथ-साथ तकनीकी जानकारी भी दी गई।

सूत्र न० 12:—बायोगैस का विकास

इस कार्यक्रम ने अधिक महत्व ग्रहण कर लिया है। वर्ष 1985-86 में 2,500 बायोगैस संयंत्र लगाने के लक्ष्य की उपेक्षा, दिसम्बर 1985 तक 2,293 संयत्र लगाये जा चुके हैं। यह लक्ष्य पूर्णतयः उपलब्ध होने का अनुमान है। वर्ष 1986-87 में 3,000 बायोगैस संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है।

वर्ष 1985–86 में कार्यक्रम की उपलब्धियां तथा वर्ष 1986-87 के प्रस्तावित लक्ष्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :—

(क) **खाद्यान्न**:– राज्य को खाद्यानों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने को देखते हुये कृषि विभाग कृषकों को अति आधुनिक फार्म तकनीकी की जानकारी देने के साथ-साथ कृषकों को आवश्यक कृषि सामग्री जैसे बीज, उर्वरक तथा पौधसंरक्षण सामग्री इत्यादि की पर्याप्त एवं समवबद्ध आपूर्ति का भी प्रबन्ध करता है। वर्ष 1986-87 में 13.20 लाख टन अनाज पैदा करने का प्रस्ताव है जबकि वर्ष 1985–86 की अनुमानित उपलब्धि 12.97 लाख टन है।

(i) **अधिक उपजाऊ फसलों की किस्म का कार्यक्रम** :– कृषि क्षेत्र में तकनीकी उन्नति को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग अधिक से अधिक क्षेत्र को अनाजों की अधिक उपज देने वाली तथा सुधारी हुई किस्मों विशेषकर मक्की, धान तथा गेहूं के अन्तर्गत लाकर उत्पादन बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयास कर रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 के लिये प्रस्तावित लक्ष्य निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

फसल का नाम	ईकाई	उपलब्धियां		
		1984-85	1985-86 (संभावित)	1986-87 के लक्ष्य
1. मक्की	'000 हैक्ट०	88.00	89.75	89.00
2. धान	,,	90.00	90.25	90.50
3. गेहूं	,,	310.00	315.00	320.00

(ii) **उर्वरक** :—रासायनिक खाद कृषि उत्पादन को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाती है, विशेषकर जब उसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों के साथ प्रयोग में लाया जाता है। उर्वरक के प्रयोग में महात्वपूर्ण वृद्धि हुई है जो निम्न तालिका में स्पष्ट है :—

(पौष्टिक रूप में खपत)

मद	इकाई	उपभोग		दिसम्बर 1985 तक उपलब्धियां	1986-87 के लिए लक्ष्य
		1984-85	1985-86 लक्ष्य		
नाइट्रोजन (एन)	'000टन	16.33	17.20	13.01	17.50
फासफोरस (पी$_2$ ओ$_5$)	,,	3.20	2.80	2.51	3.00
पोटाशियम (के$_2$ ओ)	,,	2.22	2.00	1.65	2.50
योग		21.75	22.00	17.17	23.00

उर्वरक के प्रयोग के अतिरिक्त, हरी खाद को प्रयोग करने पर भी जोर दिया जा रहा है। वर्ष 1986–87 में क्रमशः 37 लाख टन तथा 42 हजार टन हरी खाद एवं शहरी कम्पोस्ट के उत्पादन की सम्भावना है।

(iii) **पौध संरक्षण** :—वर्ष 1986-87 के दौरान 4.05 लाख हैक्टेयर क्षेत्र विभिन्न पौध संरक्षण के तरीकों के अन्तर्गत लाने का प्रावधान है जबकि वर्ष 1985-86 में यह क्षेत्र 3.98 लाख हैक्टेयर था।

(iv) **मिट्टी की जांच** :—वर्ष 1986-87 में 62,000 मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण किए जाने का प्रस्ताव है जबकि वर्ष 1985-86 की सम्भावित उपलब्धि 60,000 है।

(v) **बहुफसलीय खेती** :—वर्ष 1985-86 की लगभग 42 हजार हैक्टेयर क्षेत्र बहुफसलीय खेती के अन्तर्गत लाए जाने की सम्भावित उपलब्धि हुई जबकि वर्ष 1986-87 में लगभग 44 हजार हैक्टेयर क्षेत्र लाने का प्रस्ताव है।

(ख) **वाणिज्य फसलें**

(i) **आलू** :—आलू हमारे प्रदेश की महत्वपूर्ण नकदी फसल है जिस पर विशेषतः जिला शिमला, लाहौल-स्पिति तथा किन्नौर जिले के पूह मण्डल के किसानों की आर्थिक स्थिति काफी हद तक निर्भर करती है। उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाने के लिए तथा ग्राहकों को उन्नत किस्म का बीज उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से "हिमाचल बीज आलू नियन्त्रण आदेश" अच्छी किस्म, ग्रेडिंग, ठीक बीज का होना और वजन, इत्यादि को नियन्त्रित करने के लिए लागू किया गया। किसानों को समयानुसार तकनीकी जानकारी के अलावा प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया गया।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिसम्बर, 1985 तक अधिसूचित एकत्रीकरण केन्द्रों पर प्रमाणित तथा सही आलू के बीजों पर 100 रुपए तथा 75 रुपए की दर से अनुदान देने की घोषणा की। खरीफ 1985 के दौरान बीज प्रमाण अभिकरण ने 95.71 हजार क्विंटल आलू के बीज प्रमाणित किए। नवम्बर, 1985 तक उपभोक्ता प्रान्तों को 32.37 हजार टन आलू का बीज तथा 9.66 हजार टन सब्जी के आलू का निर्यात किया। वर्ष 1986-87 में 1.25 लाख टन आलू के उत्पादन का प्रस्ताव है।

(ii) **सब्जियां** :—प्रदेश का विशेष जलवायु यहां पर बेमौसमी सब्जियां उगाने में सहायक है। इन सब्जियों को उगाने के लिए किसानों को आवश्यक आदान तथा तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 1985–86 की सब्जियों की 2.80 लाख टन की सम्भावित उपलब्धियों की अपेक्षा वर्ष 1986-87 में 3.00 लाख टन सब्जियां उगाने का प्रस्ताव है।

(iii) **अदरक** :—वर्ष 1985–86 में 20.00 हजार टन हरा अदरक के उत्पादन की सम्भावित उपलब्धि की अपेक्षा वर्ष 1986-87 में 20.50 हजार टन हरा अदरक के उत्पादन की योजना है।

(ग) **कृषि विपणन**

किसानों को उन की फसल का उचित दाम दिलाने हेतु हिमाचल प्रदेश कृषि उत्पादन विपणन एक्ट 1969 (1970 का एक्ट) इस दौरान लागू रहा। पूरे प्रदेश को इस अधिनियम के अधीन लाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(घ) अन्य कार्यक्रम

वर्ष 1985-86 के दौरान सेवा योजनाएं जैसे कृषि सूचना, कृषि आंकड़े, बीज की जांच तथा प्रमाणीकरण, कृषक प्रशिक्षण केन्द्र और कृषि इंजिनियरिंग कक्ष इत्यादि किसानों को लाभदायक सेवाएं प्रदान करती रही।

(ङ) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

(i) **गेहूं में से छोटे तथा जंगली घासपात जैसे फलेरिस का नियन्त्रण:**—इस योजना का उद्देश्य गेहूं में छोटे तथा जंगली घासपात जैसे फलेरिस का नियन्त्रण करना है। इसके अन्तर्गत 25 प्रतिशत अनुदान किसानों के प्रत्येक वर्ग को और 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के कृषकों को दिया जाता है।

(ii) **सामयिक प्रतिवेदन योजना (फसलों के क्षेत्र व उत्पादन के अनुमान के लिए:**—इस योजना के अन्तर्गत 20 प्रतिशत चुने हुए गांव में अग्रिम गिरदावरी तथा फसलों की कटाई के परीक्षण किए जाते हैं।

(iii) **फसलों के आंकड़ों में सुधार:**—इस योजना का उद्देश्य फसल के आंकड़ों में सुधार लाना है जिससे सही आंकड़े उपलब्ध हो सकें। इस योजना के अन्तर्गत प्रतिदर्श गांवों में गिरदावरी किए हुए फसली क्षेत्र का मौके पर निरीक्षण किया जाता है और इस की तुलना पटवारी की जमाबन्दी से की जाती है। इस का निरीक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्था तथा राज्य कृषि सांख्यिकी अधिकारी द्वारा किया जा रहा है।

(iv) **राष्ट्रीय तिलहन बीज विकास प्रोजेक्ट:**—इस योजना के अन्तर्गत किसानों को प्रदर्शन द्वारा तिलहनों के बीजों की खेती के लिए सुधरी हुई कृषि विधियों को अपनाने का सुझाव व फसलों को कीड़े-मकौड़ों व रोगों से बचाने के लिए उपाय बताए जाते हैं। खरीफ तेल के बीज के 4,996 छोटी थैलियां तथा रबी तेल के बीज के 4,400 छोटी थैलियां किसानों को वितरित किए गए।

(v) **दालों का विकास:**—इस योजना के अन्तर्गत खरीफ के दौरान 9,226 छोटी थैलियां दालों के बीज तथा 9,400 छोटी थैलियां रबी दालों के बीज किसानों में वितरित किए गए।

(vi) **कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु छोटे व सीमान्त किसानों को अधिक सहायता देने की परियोजना:**—इस योजना का उद्देश्य छोटे तथा सीमान्त किसानों को तकनीकी जानकारी देकर कृषि उत्पादन को बढ़ावा है। इस योजना के अन्तर्गत 28,022 तेल के बीज व दालों को छोटी थैलियां बांटी गई।

(च) भू-संरक्षण कार्यक्रम

प्रदेश में अधिक वर्षा व ढलवां खेती के कारण मिट्टी के कटाव की विकट समस्या को सुलझाने के लिए विभिन्न भू-संरक्षण उपाय कृषि विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। इन उपायों के लिए कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान और 50 प्रतिशत ऋण दिया जाता है। वर्ष 1985-86 की 865 हैक्टेयर क्षेत्र (राज्य क्षेत्र) भू-संरक्षण उपायों के अन्तर्गत लाने की सम्भावित उपलब्धि की अपेक्षा वर्ष 1986-87 में 875 हैक्टेयर क्षेत्र लाने का प्रस्ताव है। राज्य क्षेत्र के अतिरिक्त वर्ष 1986-87 में केन्द्रीय क्षेत्र में भू-संरक्षण उपायों के अन्तर्गत लाने के लिए 1,174 हैक्टेयर क्षेत्र की प्रस्तावना है।

(छ) कृषि वित्त

हिमाचल प्रदेश में कृषि विभाग की विभिन्न ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न संस्थाएं हैं। हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक राज्य के कृषकों को छोटे व दीर्घ कालीन ऋण, फसलों के विपणन नकदी ऋण इत्यादि के लिए दिए जा रहे हैं। यह बैंक ग्रामीण एकीकरण विकास कार्यक्रम और अन्य आर्थिक कार्यक्रमों के लिए भी ऋण देता है। वर्ष 1984-85 में लघु दीर्घ कालीन ऋण क्रमश: 41.06 लाख रु. तथा 113.38 लाख रुपए कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, मौसमी कृषि कार्यक्रम और कृषि व इससे सम्बन्धित निवेश साख प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह राज्य सरकार को दीर्घ कालीन ऋण भी प्रदान करता है। वर्ष 1984-85 में बैंक द्वारा 400 लाख रु. वित्त प्रदान किया गया। वर्ष 1985-86 में बैंक द्वारा 440 लाख रुपए वित्त प्रदान करने का प्रावधान था। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, प्रदेश में कृषि विकास के लिए कृषकों को वित्त प्रदान करता है जैसे कि ट्यूब वैलों का निर्माण, भूमि का सुधार, गोदाम निर्माण, भूमि क्रय, ट्रैक्टर क्रय तथा और कई वस्तुएं जैसे कि शहद की मक्खियां पालना, मछली पालना, रेशम के कीड़े पालना, डेयरी विकास इत्यादि।

वर्ष 1986-87 के लिए योजना:—वर्ष 1985-86 में चलाई जा रही बहुत सी योजनाएं वर्ष 1986-87 में भी जारी रहेंगी। इसके साथ 1986-87 के लक्ष्य उपरोक्त स्कीमों में दर्शाए गए हैं।

2.2 उद्यान

हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में उद्यान का विशेष महत्व है। यह मुख्य राष्ट्रीय उद्देश्य जैसे कि अधिक अन्न, उत्पादकता और रोजगार के अवसर प्रदान करके उपलब्ध भूमि का प्रयोग, जल-वायु व हरियाली तथा पर्यावरण की सुरक्षा प्रदान करता है। राज्य सरकार तथा प्रदेश के लोगों द्वारा अधिक परिश्रम के कारण प्रदेश ने देश के उद्यान के क्षेत्र में विशेष स्थान प्राप्त किया है।

वर्ष 1985-86 में उद्यान के क्षेत्र में हुई मुख्य उपलब्धियों का विवरण निम्नलिखित है:—

1. फलों के अन्तर्गत क्षेत्र:—वर्ष 1985-86 में 7,000 हैक्टेयर क्षेत्र को नई पौधारोपण के अन्तर्गत रखा गया था। इसमें से 5,770 हैक्टेयर क्षेत्र दिसम्बर, 1985 तक पौधों के अन्तर्गत लाया जा चुका है तथा शेष लक्ष्य 1985-86 में शीतकालीन ऋतु में पूरा होने की सम्भावना है। वर्ष 1985-86 के 17.50 लाख फलों के पौधों के लक्ष्य की तुलना में 25 लाख से अधिक फलों के पौधे बांटे जाएंगे।

2. फल उत्पादन:—वर्ष 1985-86 में फलों के लगने तथा फलों की बढ़ोतरी के समय सूखे के अधिक लम्बे समय तक होने के कारण सभी प्रकार के फलों का उत्पादन आपेक्षित उत्पादन से 51 प्रतिशत कम होने की सम्भावना है। वर्ष 1985-86 में सभी प्रकार के फलों का कुल उत्पादन 2.30 लाख टन होने की सम्भावना है।

3. **जंगली फलों के पेड़ों को उत्तम किस्मों में सुधार करना** :—इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 के 10.00 लाख फलों के टॉप वर्किंग की तुलना में दिसम्बर, 1985 तक 0.01 लाख पेड़ों पर टॉप वर्किंग की गई। इस लक्ष्य के पूरा होने की सम्भावना है क्योंकि बसन्त के मौसम में टॉप वर्किंग का अधिक कार्य किया जाता है।

4. **पौध संरक्षण** :—दिसम्बर, 1985 के अन्त तक पौध संरक्षण कार्यों के अन्तर्गत 42,000 हैक्टेयर क्षेत्र को लाया गया तथा वर्ष 1985-86 में 78,000 हैक्टेयर क्षेत्र को पौध संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जाएगा। पौध संरक्षण के क्षेत्र में अधिक प्रयत्नों के कारण सेबों की स्कैब बीमारी को लगातार दूसरे वर्ष भी नियन्त्रण में लाया गया। सेब को स्कैब रोग नियन्त्रण करने हेतु 80,000 हैक्टेयर की तुलना में दिसम्बर, 1985 तक 16,000 हैक्टेयर क्षेत्र लाया गया। वर्ष 1985-86 के अन्त तक लक्ष्य पूरा होने की सम्भावना है।

5. **उद्यान उद्योग में विविधता लाना** :—अन्य विशेष फलों की फसलों जैसे जैतून, अंजीर, पिस्ता, सारदा, मैलन, केसर, हौप्स, खुम्ब तथा फलों इत्यादि के लिए विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस दिशा में भारी सफलता यह है कि जैतून तथा अन्य फल फसलों के विकास के लिए कुल्लू, मण्डी तथा चम्बा जिलों के लिए 2.44 करोड़ रुपए का "इन्डो-इटालियन प्रोजैक्ट" शुरू कर दिया है। लाहौल क्षेत्र में हौप्स की काश्त के लिए 7 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को हौप्स की काशत के अन्तर्गत लाया गया तथा वर्ष 1985 में इस उत्पादन का 26.00 टन (हरी) होगा। खुम्ब काश्त के एकीकृत विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 992 टन रासायनिक खाद तथा 3,371 स्पान की बोतलें बागवानों में वितरित की गई तथा दिसम्बर, 1985 तक 88 टन खुम्ब का उत्पादन हुआ।

6. **फलों का विपणन एवं विधायन** :—उद्यान विपणन एवं विधायन निगम के अन्तर्गत 6 पैकिंग तथा 4 ग्रेडिंग गृह ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में 5 शीत भण्डार, एक विधायन संयन्त्र, एक ट्रांजिट वेयर हाऊस तथा 2 आरा मशीनें तथा शिमला जिले में रोहड़ू तथा थानाधार क्षेत्रों में दो रोपवेज स्थापित की जा रही है। इस परियोजना के ढांचे के अन्तर्गत 59,000 टन फलों की पैकिंग, ग्रेडिंग, भण्डारण तथा विधायन की क्षमता है। इसके अतिरिक्त निगम का एक फल विधायन केन्द्र जरोल, बम्बई तथा दिल्ली में एक-एक शीत भण्डार, परवाणु तथा किरतपुर में पारगमन गोदाम, आजादपुर सब्जी मण्डी, दिल्ली की दुकानें, सोलन में मशरूम कम्पलैक्स, सब्जी मण्डी शिमला में शौपिंग/कम्पलैक्स तथा विश्व व्यापार केन्द्र, बम्बई में स्थित है। निगम ने किन्नौर जिले के रिकांग पीओ में एक ग्रेडिंग गृह का निर्माण किया तथा भरमौर में एक ग्रेडिंग गृह तथा एक रोपवेज स्थापित किए जा रहे हैं। वर्ष 1985-86 में एच. पी. एम. सी. ने 10.81 लाख पेटियों का विपणन, 11,000 पेटियों का भण्डार तथा 10,222 क्विंटल सेबों की बोरियों को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में शीत भण्डारों में रखा। वर्ष 1984-85 के 1,222 टन की तुलना में वर्ष 1985-86 में 8,301 टन फलों के विधायन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। निगम ने वर्ष 1984-85 के केवल 0.15 लाख के मुकाबले में वर्ष 1985-86 में 1.11 लाख सी. एफ. बी. कार्टन बेचे। पिछले वर्ष के 43 लाख रुपए की तुलना में मार्च, 1986 तक शीत भण्डारों से 50 लाख रुपए से अधिक आय होने की आशा है। अक्तूबर, 1985 तक 95 लाख रुपए तक की विधायन की गई सामग्री बेची गई तथा वर्ष 1985-86 के अन्त तक 200 लाख रुपए आय होने की आशा है।

उद्यान विभाग द्वारा बागवानों को वैज्ञानिक ढंग से पैकिंग तथा ग्रेडिंग से सम्बन्धित शिक्षा देने हेतु फलों की 1.68 लाख टन पेटियों की पैकिंग व ग्रेडिंग दिसम्बर, 1985 तक प्रदर्शन द्वारा कराई जा चुकी है। दिसम्बर, 1985 तक 205 टन फलों का विधायन विभाग द्वारा चलाए जा रहे फल विधायन केन्द्रों में किया गया। इसमें सामुदायिक विधायन सेवा द्वारा किया गया 30 टन फलों का विधायन भी सम्मिलित है।

7. **समाज के कमजोर वर्गों के लिए उद्यान विकास** :—समाज के कमजोर वर्गों जैसे लघु तथा सीमान्त किसानों, अनुसूचित जाति तथा जन जाति के किसानों तथा पिछड़े क्षेत्र के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने नए 20-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्यान के विकास की योजना बनाई है। विशेष अनुदान योजनाएं भी शुरू की गई तथा वर्ष 1985-86 के लिए 34.13 लाख रुपए रखे गए हैं।

8. **प्राकृतिक विपत्तियों के लिए सहायता** :—सूखे से प्रभावित बागवानों को 13.12 लाख फलों के पेड़ 75 प्रतिशत अनुदान पर बागवानों को सूखे पौधों को दुबारा लगाने के लिए दी। 36.47 लाख रुपए की सहायता देने के लिए व्यय किए गए।

वर्ष 1986-87 के लिए योजना :—वर्तमान योजनाओं के अतिरिक्त वर्ष 1986-87 में अनुसन्धान व शिक्षा, पौध संरक्षण परियोजनाएं, उत्तम फल पौध पौषण कार्यक्रम, शुष्क तथा वर्षा पर निर्भर उद्यान योजनाएं, उद्यान विस्तार/विकास कार्यक्रम, उद्यान खेत तथा पौधशाला कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उद्यान में अनुसन्धान तथा शिक्षा को अधिकतर कारगर बनाने के लिए सोलन में कार्यरत उद्यान कम्पलैक्स को 1985-86 से उद्यान विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया गया। वर्ष 1986-87 में 5 केन्द्रीय प्रदत्त योजनाएं जैसे (1) सेबों के स्कैब रोग पर नियन्त्रण, (2) अच्छे सेब उत्पादन के लिए अच्छी तकनीक, (3) लघु तथा सीमान्त किसानों को फल उत्पादन में वृद्धि के लिए सहायता, (4) सेब उत्पादन का तुड़ान के पूर्व अनुमान के लिए समन्वित तथा अनुसंधान परियोजनाएं, (5) फसल अनुमान सर्वेक्षण लागू करने का प्रस्ताव है।

2.3 लघु तथा मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण

हिमाचल प्रदेश में कृषि भूमि का एक बहुत बड़ा भाग असिंचित है। अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि सिंचाई की प्रयाप्त सुविधाएं दी जाएं। कुल 55.7 लाख हैक्टेयर भोगौलिक क्षेत्रफल में से राज्य में 5.72 लाख हैक्टेयर निवल क्षेत्र बोया गया जिसमें से लगभग 1.40 लाख हैक्टेयर सिंचित है।

लघु सिंचाई :—वर्ष 1985-86 के दौरान 565.0 लाख रुपए की राशि 1,320 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई हेतु प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त 1,000 हैक्टेयर भूमि में लघु सिंचाई का लक्ष्य है।

मध्यम सिंचाई :-- वर्ष 1985-86 के दौरान 164.0 लाख रुपए मध्यम/वृहद सिंचाई के अन्तर्गत प्रदान किए गए थे । वल्ह घाटी में मध्यम सिंचाई परियोजना 2,410 हैक्टेयर भूमि के कृषि क्षेत्र सहित निर्माण के अन्तिम चरण पर है । वर्ष 1985-86 में 200 हैक्टेयर भूमि को मध्यम सिंचाई के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है ।

मुख्य सिंचाई परियोजनाएं :-- शाह नहर पहली मुख्य सिंचाई परियोजना है तथा इससे 15,287 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी । विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अभी बन रही है ।

पहाड़ी भूमि तथा जल विकास परियोजना :-- संयुक्त राज्य अमेरिका सहायता परियोजना का कार्यान्वियन प्रदेश में 86.9 करोड़ रुपए की लागत से आरम्भ किया गया है । इस योजना के अधीन पहाड़ी क्षेत्र तथा जल विकास परियोजनाओं को सहायता मिलेगी । यह परियोजना 24,700 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई की क्षमता पदा करेगी तथा 38,700 हैक्टेयर संचय क्षेत्र का विकास किया जाएगा । वर्ष 1985-86 में 25 सिंचाई 33 कृषि तथा 3 आर. डी. डी. योजनाएं क्रमशः 495.94 लाख रुपए, 57.71 लाख रुपए तथा 1.25 लाख रुपए के प्रावधान से अनुमोदित हो चुकी है ।

जल वितरण क्षेत्र :-- सिंचाई सम्भावनाओं के उपयोग को बढ़ाने के लिए जल वितरण कार्यक्रम लागू किया गया । यह कार्यक्रम मुख्य/मध्यम सिंचाई सी. सी. ए. मात्र तक ही सीमित था । मध्यम सिंचाई परियोजना गिरी के लिए संचय क्षेत्र विकास परियोजना सिरमौर जिले में भारत सरकार द्वारा 4.40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । वर्ष 1985-86 में इस परियोजना के लिए 29 लाख रुपए का प्रावधान है ।

बाढ़ नियन्त्रण :-- वर्ष 1985-86 में तट-बन्धन तथा भूमि की सुरक्षा के लिए 73 लाख रुपए का प्रावधान था ।

2.4 भू-संरक्षण

भूमि कटाव उपाय नदी घाटी परियोजनाओं के महत्वपूर्ण होने की दृष्टि से भी आवश्यक हैं क्योंकि (1) सिंचाई/विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के जलाशयों के जीवन वृद्धि (2) लघु सिंचाई जलाशयों के प्रभावशाली कार्य तथा (3) बाढ़ों को कम करने में इनका अपना महत्व है । निम्नलिखित भू-संरक्षण योजनाएं प्रदेश में राज्य तथा केन्द्रीय दोनों क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही हैं ।

राज्य क्षेत्र

1. रक्षक वनारोपण भू-संरक्षण एवं प्रदर्शन :-- इस योजना के अन्तर्गत 640 हैक्टेयर नई भूमि पर मिट्टी की रक्षा के लिए वनारोपण तथा प्रदर्शन, भवन निर्माण तथा रख-रखाव और अन्य कई कार्यों को गैर-जनजातीय क्षेत्रों में करने का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त इस वर्ष के दौरान जनजातीय क्षेत्र में इस योजना के अन्तर्गत 200 हैक्टेयर नई भूमि समुपचार करने का प्रावधान है ।

2. भू-संरक्षण प्रशिक्षण :-- इस योजना का उद्देश्य राज्य में भू-संरक्षण चलाने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना है । वर्ष 1984-85 में 18 डिप्टी रेंजर तथा 37 वनरक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया तथा एक लैक्चर हाल भी बनाया गया ।

केन्द्रीय क्षेत्र

भू-संरक्षण के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत तीन योजनाएं कार्य कर रही हैं, जिनमें (1) सतलुज तथा व्यास नदी घाटी परियोजनाओं के लिए जल ग्रहण क्षेत्रों में भू तथा जल संरक्षण (2) हिमालय क्षेत्र में एकीकृत भू-जल तथा वन संरक्षण योजना (3) सिंध-गंगा नदी क्षेत्र (पवर तथा टोंस) (गिरी बाटा जलग्रह सहित) के तट पर बाढ़ आने वाले स्थानों पर एकीकृत पानी घरों का प्रबन्ध है । इन योजनाओं के अन्तर्गत दिसम्बर, 1985 तक 6,951 हैक्टेयर भूमि वनारोपण कार्यों के अधीन लाई गई । पानी के लिए ढांचे बनाये गये, 123 भूजा रोध, रोधी बांध प्रतिधारण दिवारें बनाई गई, तथा 6,06,800 बीज उगाए गए ।

2.5 पशुपालन

हिमाचल प्रदेश में जहां कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय है वहां पशु पालन विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । विकास कार्यक्रम में (1) पशु स्वास्थ्य और रोग नियन्त्रण, (2) गोजातीय पशु का विकास, (3) भेड़ प्रजनन एवं ऊन का विकास, (4) कुक्कुट विकास, (5) पशु आहार तथा चारा विकास, (6) दुग्ध विकास का वितरण योजना और (7) पशु चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा सम्मिलित है । उपरोक्त सभी क्षेत्रों में वर्ष 1984-85 की सम्भावित उपलब्धियों का विवरण निम्नलिखित है :--

1. पशु स्वास्थ्य रोग नियन्त्रण :-- इस समय राज्य में 197 पशु चिकित्सालय, 393 औषधालय तथा 95 बाह्य-औषधालय कार्य कर रहे हैं । इन सभी संस्थाओं द्वारा पशु चिकित्सा तथा छूत के रोगों की रोकथाम के लिए विभिन्न कार्य किये गये । इसके अतिरिक्त प्रदेश में 14 चलते फिरते औषधालय भी कार्य कर रहे हैं जो कि महामारी को फैलने से रोकने के अतिरिक्त तुरन्त पशु चिकित्सा सुविधा पहुंचाते हैं । प्रदेश में 6 कलीनिक प्रयोगशालायें भी कार्य कर रही हैं जिनमें 4 जिला स्तर पर कार्यरत हैं । ऐसी प्रयोगशालायें पशुओं के विभिन्न रोग लक्षणों की तुरन्त जांच करती है । एक एपिडी मिआलोजिकल यूनिट भी मुंह तथा खुर के रोगों के नियन्त्रण तथा जांच के लिए राज्य मुख्यालय में कार्यरत है ।

वर्ष 1985-86 में पशु महामारी रिंडरपैस्ट जो छूत का रोग है की रोकथाम के लिए 4 चौकियां, पंडोगा तथा मांदली, जिला ऊना, स्वारघाट, जिला बिलासपुर तथा मलवां, जिला कांगड़ा में कार्यरत हैं । इन चौकियों द्वारा वर्ष 1985-86 में 35 हजार आने जाने वाले पशुओं को टीके लगाने का अनुमान है । वर्ष 1985-86 में पशु चिकित्सा

सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न केन्द्रों द्वारा निम्नलिखित उपलब्धियां होने की सम्भावना है :—

क्रम संख्या	मद	('000) संभाव्य उपलब्धियां 1985-86
1	छूत के रोगों से ग्रस्त पशुओं की चिकित्सा (अन्तरग तथा वाह्य रोगी)	23.50
2	अछूत के रोगों से ग्रस्त पशुओं की चिकित्सा (अन्तरग तथा वाह्य रोगी)	990.00
3	उन रोग ग्रस्त पशुओं को दवाई दी गई जो कि चिकित्सालय/औषधालय आदि में नहीं ले जाये गये	40.00
4	चिकित्सालयों/औषधालयों में लगाये गये टीके	30.00
5	चिकित्सालयों/औषधालयों आदि में वधियाकरण	75.00
6	परिभ्रमण में दी गई चिकित्सा सुविधा	
	(क) छूत	25.50
	(ख) अछूत	400.00
7	परिभ्रमण में वधियाकरण	90.00
8	परिभ्रमण में लगाये गये टीके	570.00

2. गोजातीय विकास :—दो भिन्न जातियों के नद मादा के प्रजनन के लिए जर्सी को सब नस्लों में उपयुक्त माना गया है, इसलिये पहाड़ी गायों को जर्सी से प्रजनन पर विशेष बल दिया जा रहा है। कुछ स्थानों पर होलस्टीन फिजियन नस्ल का भी प्रजनन किया गया है। भैंस की वर्तमान नस्ल सुधारने तथा प्रजनन सुविधाएं प्रदान करने के लिए कृत्रिम गर्भाधान सिरमौर जिले के माजरा, कोटगढ़, जिला शिमला तथा ऊना ग्राम सम्वर्धन ब्लॉक और जिला ऊना, कांगड़ा बिलासपुर, हमीरपुर तथा मण्डी के चिकित्सालयों में किया गया। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 88 सांड चिकित्सालयों/केन्द्रों में गायों तथा भैंसों की प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा ग्राम सम्वर्धन योजना तथा सघन गोजातीय पशु विकास योजना के अन्तर्गत भी उपलब्ध है। गोजातीय विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए प्रदेश में निम्नलिखित योजनाएं कार्यरत है :—

(क) **ग्राम सम्वर्धन योजना** :—इस योजना के अन्तर्गत 7 ग्राम सम्वर्धन ब्लॉक तथा 52 ग्राम सम्वर्धन केन्द्रों द्वारा कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यह योजना शिमला, सोलन, सिरमौर, हमीरपुर तथा ऊना जिलों में कार्यरत हैं।

(ख) **पहाड़ी पशु विकास कार्यक्रम** :—यह कार्यक्रम शिमला, सोलन, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू तथा चम्बा जिलों में चलाया जा रहा है तथा 37 केन्द्र/उपकेन्द्र इस योजना के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं। इन केन्द्रों/उपकेन्द्रों में जर्सी/होलस्टीन फिजियन/रैड सिंध्जर्सी नस्लों को कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रयोग किया गया।

(ग) **सघन गोजातीय विकास परियोजना** :—यह परियोजना शिमला तथा सोलन जिलों में 22 सघन गोजातीय विकास केन्द्रों (16 केन्द्र शिमला तथा 6 केन्द्र सोलन) तथा वनाहट्टी में सीमन बैंक में चलाई जा रही है।

(घ) **चिकित्सालयों/औषधालयों तथा सांड केन्द्रों द्वारा प्रजनन सुविधाएं** :—प्रदेश में दो विभिन्न जाति के प्रजनन को अधिक बढ़ावा देने के लिए 309 चिकित्सालयों तथा औषधालयों द्वारा कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में जहां वीर्य पहुंचाना सम्भव नहीं है वहां 32 गाय सांड तथा 43 भैंस सांड केन्द्रों द्वारा प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

(ङ) **कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र** :—उन क्षेत्रों में जहां चिकित्सालयों तथा औषधालयों की सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं, प्रदेश में वर्ष 1985-86 में 51 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों द्वारा प्रजनन की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

विजातीय बछड़ियों के पालन पोषण को लागत में सहायता करने के लिए सरकार ने प्रदेश में एक अनुदान योजना लागू की है इस योजना के अन्तर्गत लघु व सीमांत किसानों को बछड़ियों के लिए सन्तुलित आहार के रूप में अनुदान दिया जा रहा है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 में निम्नलिखित उपलब्धियां होने की सम्भावना है :—

क्रम संख्या	मद	वर्ष 1985-86 की संभावय उपलब्धियां	
		गाय	भैंस
1	कृत्रिम गर्भाधान	1,36,000	14,500
2	प्राकृतिक गर्भाधान	2,500	6,000
3	कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न बच्चे	47,000	4,300
4	प्राकृतिक गर्भाधान से उत्पन्न बच्चे	1,200	3,000

प्रदेश में शुद्ध व अच्छी नस्ल के सांडों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 5 गोजातीय पशु प्रजनन फार्म कमान्द (मण्डी) भंगरोटू (मण्डी), कोठीपुरा (बिलासपुर), पालमपुर (कांगड़ा) तथा बागथन (सिरमौर) में कार्यरत हैं। इन सभी पशु प्रजनन फार्म तथा अन्य फार्मों में 30 सितम्बर, 1985 तक पशुओं की कुल संख्या 571 थी। ये फार्म विदेशी नस्ल व पशुओं के प्रबन्ध की समस्याओं के अध्ययन में भी सहायता करते हैं। एक वीर्य कोष जिसमें एक गहरी जमी हुई प्रयोगशाला तथा दो तरल नाईट्रोजन संयंत्र भंगरोटू में स्थापित किया गया था, यह बैंक वीर्य कोषं वंशावली सांडों का जमा हुआ वीर्य मण्डी, कुल्लू तथा बिलासपुर जिलों में विभिन्न चिकित्सालयों/औषधालयों तथा कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों और सरकारी फार्मों को भेजता है। एक और वीर्य कोष जिसमें एक जमी हुई वीर्य सीमन प्रयोगशाला तथा दो तरल नाईट्रोजन संयन्त्र कांगड़ा जिला के पालमपुर में स्थापित किए गए तथा यह वीर्य कोष के विभिन्न कृत्रिम गर्भाधान कन्द्रों को जमा हुआ वीर्य भेजता है। एक तरल नत्रजन संयन्त्र ज्यूरी में भी चालू है। इन कार्यक्रमों को लागू करने से प्रदेश में वर्ष 1985-86 में 425 हजार टन दूध उत्पादन की सम्भावना है। सघन गोजातीय विकास परियोजना के अन्तर्गत एक प्रतिदर्श सवक्षण जिसका उद्देश्य दूध तथा दूध से बनी वस्तुओं क मूल्यों म गिरावट लाना था पूर्ण किया गया तथा रिपोर्ट प्रकाशित की गई।

3. **भेड़ प्रजनन तथा ऊन विकास** :—भेड़ पालन जो कि ऊन मांस, खालें तथा प्राकृतिक खाद का प्रमुख स्रोत है, प्रदेश के लोगों की आय का एक महत्वपूर्ण सहायक/स्रोत भी है। भेड़ों तथा ऊन में सुधार लाने के लिए सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म ज्यूरी, (शिमला) चम्बा, नगवाई (मण्डी), ताल (हमीरपुर), कड़छम, (किन्नौर) तथा भेड़ व ऊन केन्द्र चुड़ी (चम्बा) किसानों को उन्नत भेड़ें वितरित करते हैं। 30 सितम्बर, 1985 तक इन फार्मों में भेड़ों की कुल संख्या 2,290 थी। वर्ष 1985-86 में लगभग 500 उन्नत किस्म की भेड़ें किसानों में वितरित करने की सम्भावना है। भेड़ों की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए तथा सोवियत मैरीनों और अमेरिकन रैम्बुल की ख्याति को देखते हुए सरकार ने वर्तमान सरकारी फार्मों पर शुद्ध प्रजनन का कार्य आरम्भ कर दिया है। चार भेड़ प्रसारण केन्द्र जिला कांगड़ा, मण्डी, कुल्लू तथा शिमला में प्रारम्भ किए जा रहे हैं।

भेड़ों क विकास के लिए विशेष पशु विकास परियोजना के अन्तर्गत जो कि जिला सिरमौर में चलाई जा रही है, छोटे व सीमान्त किसानों और कृषि मजदूरों को दरों पर तथा इस फार्म के लिए ऋण भी प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सघन भेड़ विकास कार्यक्रम जो कि चम्बा जिले की भरमौर तहसील में लागू है के अन्तर्गत भेड़ पालकों को उन्नत किस्म की भड़ें दी जाती हैं तथा उन्हें डिपींग तथा ड्रेंचिंग सुविधाएं दी जाती हैं और भेड़ों के लिए चारागाहों का विकास किया जाता है। बड़े पैमाने पर भेड़ों के लिए दवाई पिलाने तथा प्रगतिशील भेड़ पालकों को प्रशिक्षण देने का कायक्रम भी चलाया गया। वर्ष 1985-86 में ऊन उत्पादन की सम्भावना 13.00 लाख किलोग्राम है।

4. **कुक्कट विकास** :—सुधरी किस्म के कुक्कुट पक्षी वितरित करने तथा अण्डों से बच्चे निकालने के लिए प्रदेश में 14 कुक्कुट फार्म/ केन्द्र कार्यरत हैं। वर्ष 1985-86 में निम्नलिखित उपलब्धियां होने की सम्भावना है :—

क्रम संख्या	मद	वर्ष 1985-86 की संभावित उपलब्धियां
1	सरकारी फार्मों पर अंडे देने वाली मुर्गियों की औसत संख्या	3,900
2	अण्डों का उत्पादन	7,75,000
3	चुजों का उत्पादन	1,80,000
4	चुजे निकालने के लि ए रखे गए अण्डे	2,40,000
5	खाने के लिए अण्डों का विक्रय	5,00,000
6	चुजे निकालने के लिए अण्डों का विक्रय	2,000
7	प्रजनन के लिए पक्षियों का विक्रय	98,000
8	खाने के लिए पक्षियों का विक्रय	60,000

वर्ष 1985-86 के दौरान विशेष पशुधन (कुक्कुट) उत्पादन कायक्रम जो कि शिमला, बिलासपुर तथा ऊना जिलों में केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से लघु एवं सीमान्त किसानों के लाभ के लिए 175 कुक्कुट इकाईयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1985-86 में सघन कुक्कुट विकास कार्यक्रम भी ऊना जिले में चलाया जा रहा है।

5. **पशु आहार तथा चारा विकास** :—उच्च वंश पशुओं का उत्पादन तथा संरक्षण, पौष्टिक पशु आहार तथा उन्नत चरागाहों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। प्रदेश में चरागाहों तथा घासनियों के विकास तथा उन्नति के लिए सरकार अपने कार्यक्रमों को राज्य में पशु आहार के साधनों की उन्नति की तरफ केन्द्रित कर रही है। फलारस, दयुबरोसा तथा राई घास जो हिमाचल प्रदेश की जलवायु के बहुत अनुकूल है के बीज प्रचलन के यत्न किये जा रहे हैं। इसका अधिक उत्पादन करने के लिए इसे सरकारी फार्मों तथा प्लांट ब्रीडरों को बांटा जा रहा है।

6. **गव्यशालय विकास तथा दुग्ध वितरण योजना** :—दुग्ध उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलवाने तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर शुद्ध दूध उपलब्ध करवाने के लिए कांगड़ा, चम्बा, कुल्लू तथा नालथपाझाखडी में 4 दुग्ध वितरण योजनाएं विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं। प्रदेश में 1984-85 में 404.13 हजार टन दूध पैदा हुआ था।

7. **पशु चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा** :—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभाग ने 89 प्रत्याशी औषधियोजक का कोर्स करने के लिए चम्बा तथा सुन्दरनगर भेजे हैं। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नियमित रूप से पशु पालकों को भी गव्य व्यवसाय, कुक्कुट पालन, भेड पालन तथा अन्य पशुपालन क्रियाओं में प्रशिक्षित किया जाता है।

8. **अनुसूचित जातियों के लिए विशेष उप-योजना** :—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों को लोगों कोसुधरी हुई किस्म के पशु दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें अन्य सुविधाएं जैसे 6 मास के लिए पशु आहार तथा पशु और कुक्कुट शैड को बनाने के लिए 50 प्रतिशत सहायता तथा बीमा इत्यादि के लिए अनुदान दिया जाता है। 2,480 परिवारों को वर्ष 1985-86 में लाभान्वित किए जाने की सम्भावना है।

9. **अनुसूचित जनजातीय उप-योजना** :—अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए किन्नौर, लाहौल-स्पिति, पांगी तथा भरमौर, जिला चम्बा में विशेष सहायता प्रोग्राम चला रखा है।

वर्ष 1986-87 के लिए योजना :—वे सभी योजनाएं जो पहले से कार्यरत हैं उन्हें वर्ष 1986-87 में भी चालू रखने का प्रस्ताव है। इन योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश में पशु चिकित्सा की बढ़ी हुई आवश्यकता को पूर्ण रूप से और प्रभावशाली ढंग से पूरा करने के उद्देश्य से 25 औषधालय खोलने तथा 10 पशु औषधालय को चिकित्सालयों में परिवर्तित करने की योजना है।

2.6 वन

हिमाचल प्रदेश में 21,324 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन हैं जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 38.3 प्रतिशत है। इसमें वनों का वास्तविक क्षेत्रफल बहुत कम है। इन वनों में विभिन्न उद्योगों जैसे कि अखबारी कागज, रेओन ग्रेड पल्प, आर्ट पेपर, गत्ता तथा कपड़ा उद्योग से सम्बन्धित उपकरण इत्यादि के साधनों का भण्डार है। इसके

अतिरिक्त आयुर्वेदिक औषधियां बनाने के लिए जड़ी बूटियां भारी मात्रा में प्राप्त की जा सकती हैं । इसके अतिरिक्त वन भू-संरक्षण तथा नदियों में पानी ठीक तरह प्रवाहित होने से मदद करते है, जिससे बहुउद्देशीय विद्युत परियोजनाओं को संरक्षण मिल सके ।

प्रदेश में वनोत्पाद के समुपयोजन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है और इसे हिमाचल प्रदेश वन निगम को सौंप दिया गया है। समस्त भारत में हिमाचल प्रदेश में शन्कु जाति की इमारती लकड़ी का सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र होने के कारण इसके विकास हेतु दीर्घकालीन विनियोग को सतत् बढ़ाया जा रहा है ताकि राष्ट्र की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सकें ।

गत वर्ष में शुरु की गई योजनाएं इस वर्ष के दौरान भी चल रही है । वनों के विकास के लिए कुछ मुख्य योजनाएं निम्नलिखित हैं :—

1. वन रोपण

(क) **वन उत्पाद** :—3,169 हैक्टेयर भूमि पर शीघ्र बढ़ने वाली प्रजातियों के रोपण का प्रस्ताव है तथा 3,163 हैक्टेयर भूमि पर महत्वपूर्ण इमारती लकड़ी की जातियों को संहत खण्डों में सघन रोपण करने का प्रस्ताव है ।

(ख) **चरागाह विकास** :—इस योजना का उद्देश्य बेहतर चारा प्रजातियों दोनों देशीय तथा विदेशीय के परिचय द्वारा चारे की मात्रा तथा गुणों में वृद्धि तथा परिभ्रमण चरान अभ्यासों की लोकप्रियता करना है । इस वर्ष के दौरान 1,043 हैक्टेयर भूमि की इस उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाने की आशा है ।

(ग) **सामाजिक वन योजनाएं**

(i) **राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी परियोजना (अबरैला)** :—वर्ष 1985-86 में विश्व बैंक संगठन की सहायता से 57 करोड़ रुपए के उद्व्यय से सामाजिक वानिकी परियोजना शुरु की गई । यह पंच-वर्षीय परियोजना सातवीं पंचवर्षीय योजना के अनुरूप चलाई जा रही है । प्रचलित वर्ष में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है । योजना का उद्देश्य जलाने की लकड़ी, फौडर तथा छोटी इमारती लकड़ी के उत्पादन को बढ़ाना है ताकि लोगों की आम जरूरतों को पूरा किया जा सके । वन रोपण का कार्य नीजी बेकार भूमि तथा सरकारी वनों/बेकार भूमि पर किया जाएगा । प्रचलित वर्ष में 16,450 हैक्टेयर भूमि में वन रोपण का कार्य इस परियोजना के अन्तर्गत किया जाएगा जिसमें 1 करोड़ पौधे सार्वजनिक वितरण द्वारा लगाए जाएंगे ।

(ii) **केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण ईंधन रोपण योजनाएं** :—इस योजना का उद्देश्य सरकारी व्यर्थ भूमि गांव की सार्वजनिक भूमि तथा सड़कों के किनारे इत्यादि पर ईंधन प्रदान करने वाले पौधो का रोपण करना है । जो 50:50 के अनुपात से अधिकतम 1,000 रु. केन्द्रीय भाग के रूप में दिया जाएगा । यह योजना 5 जिलों, कांगड़ा, हमीरपुर, मण्डी, सोलन तथा शिमला में चलाई गई है । इस योजना के अन्तर्गत 3,970 हैक्टेयर में पौधे लगाएं जांएगे ।

(iii) **केन्द्र द्वारा प्रायोजित लघु तथा सीमान्त किसान योजनाएं** :—इस योजना का उद्देश्य लघु तथा सीमान्त किसानों को पौधे राज्य तथा केन्द्र के 50:50 के अनुपात से रोपण के लिए दिए जाते है । इस योजना के अन्तर्गत 34.50 लाख पौधों के रोपण का लक्ष्य लघु तथा सीमान्त किसानों द्वारा देने का लक्ष्य है ।

(घ) **केन्द्र द्वारा प्रायोजित चिलगोजा पाइन का पुनः प्रजनन**:—

चिलगोजा के जंगल, जिसके बीजों का खाने के रूप में बहुत महत्व है, जिला किन्नौर के शुष्क क्षेत्रों तथा कुछ जंगल पांगी क्षेत्र में 2,060 हैक्टेयर क्षेत्र में पाए जाते है । इन क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों को इन बीजों को एकत्र करने का अधिकार है, जो इनकी आय का मुख्य साधन है । यह योजना इस वर्ष चल रही है तथा वर्ष 1986-87 में भी चलाई जाएगी ।

2. **धौलाधार में प्रक्षेत्र वानिकी परियोजना** :—यह परियोजना छठी पंचवर्षीय योजना की है तथा धौलाधार क्षेत्र के विनवा जलग्रह में जर्मनी लोक तंत्रात्मक गणराज्य की सहायता से चलाई जा रही है । यह एकीकृत परियोजना वन रोपण, पशुपालन, लकड़ी बचाने वाले संयन्त्र इत्यादि की है । इस परियोजना के अन्तर्गत, वनों के अन्तर्गत 10 प्रतिशत क्षेत्रफल को बढ़ाने का प्रस्ताव है । यह परियोजना कार्यान्वियन के दूसरे चरण पर है । प्रथम चरण अभिविन्यास स्तर पर था तथा दूसरा चरण कार्यान्वियन स्तर पर है ।

3. **वन्य प्राणी तथा प्राकृतिक संरक्षण** :—हिमाचल प्रदेश विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाओं, पशु तथा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है । इस योजना का उद्देश्य आखेट शरण्यों तथा शूटिंग खण्डों में सुधार करना है ताकि लुप्त हो रही प्रजातियों को बचाया जा सके ।

4. **वन सांख्यिकी एवं मूल्यांकन शाखा** :—विश्वसनीय आंकड़े संकलन करने हेतु विभाग में सांख्यिकीय तथा मूल्यांकन शाखा की स्थापना की गई थी जो इस वर्ष भी कार्य कर रही है ।

5. **वन सुरक्षा** :—वनों को वन अग्नि, अवैध गिरान तथा अतिक्रमण आदि खतरों का सामना करना पड़ता है । इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त स्थानों पर चैक पोस्टस की स्थापना, अग्नि शमन उपकरणों का परिचयन तथा दूरभाष यन्त्रों की स्थापना की जानी चाहिए । यह योजना इस वर्ष भी कार्य कर रही है ।

अन्य कार्यक्रमों के साथ विभाग सड़कों, भवनों जिनमें लेबर हट सम्मिलित हैं का निर्माण, लोगों को वनों के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लाभों उनके उचित प्रबन्ध एवं आरक्षण हेतु जानकारी देने के कार्यक्रम चलाए हैं ।

2.7 मत्स्य पालन :—

मत्स्य विकास के लिए दो मुख्य जलाशय गोविन्द सागर तथा पौंग 40 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए है और नदियों की लम्बाई लगभग 3,000 किलोमीटर है । इसके अतिरिक्त 150 हैक्टेयर में ग्रामीण तालाबों के लिए उपलब्ध हैं ।

प्रदेश में मत्स्य पालन का बहुमुखी विकास के दृष्टिगत सातवीं पंचवर्षीय योजना में 9 स्कीमें सम्मिलित की गई हैं। इस वर्ष की मुख्य उपलब्धियां निम्नलिखित है :—

क्रमांक	मद	इकाई	वर्ष 1985-86 के लिये निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धियां वास्तविक नवम्बर 1985	उपलब्धियां मार्च 1986 तक की सम्भावित
1	मिरर कार्प के बच्चों का उत्पादन	दस लाख	7.00	6.79	6.79
2	ट्राउट के अण्डों का उत्पादन	लाख	8.00	0.56	8.00
3	मछेरो का पंजीकरण	संख्या	9,000	8,941	9,000
4	मत्स्य उत्पादन	टन	3,400	2,066	3,400

जलाशयों से मत्स्य विदोहन तथा विपणन पूर्ण रूप से सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत किया जा रहा है। गोविन्द सागर जलाशय में 9 प्राथमिक मछुआ सहकारी समितियां तथा पौंग डैम जलाशय में भी 9 ऐसी समितियां स्थापित की गई है। इन जलाशयों से मत्स्य समुपयोजना एवं विपणन कार्य भी इन्हीं समितियों द्वारा किया जा रहा है। इन समितियों का मछेरा सदस्य मछली पकड़ने के लिए 50 रुपये प्रति वर्ष, प्रति गिलनैट शुल्क देता है। यह समितियां अपने मछली विक्रय के सकल मूल्य का 15 प्रतिशत भाग प्रतिवर्ष शुल्क के रूप में जमा करती है।

1986–87 के लिये योजना

वर्ष 1986-87 में विभागीय फार्मों पर एक करोड़ मत्स्य क्षुद्रमीन के उत्पादन अथवा खरीदने तथा ट्राउट के 8 लाख अण्डे उत्पादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान मछली फार्मों के जल क्षेत्र में वृद्धि जारी रहेगी। कार्प और ट्राऊट फार्मों के प्रबन्ध को सुदृढ़ किए जाने का भी प्रस्ताव है। राष्ट्रीय मत्स्य बीज कार्यक्रम के अन्तर्गत एक 10 हैक्टेयर मत्स्य बीज फार्म की स्थापना का कार्य जारी रहेगा। मत्स्य पालन विकास एजैन्सी केन्द्रीय प्रयोजित योजना के अन्तर्गत ऊना में पहले ही स्थापित की जा चुकी है। इस एजैन्सी के अन्तर्गत एक 5 हैक्टेयर मत्स्य बीज फार्म स्थापित करने का कार्य भी जारी रहेगा। कृषि उद्योग म लगे लोगों को मत्स्य पालन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बहते पानी में मछली उत्पादन की तकनीकी पर आधारित प्रचलित प्रणाली के अनुरूप मत्स्य पालन करने हेतु मत्स्य विकास एजेन्सी स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। यह एजेन्सी इस उद्योग में इच्छुक मत्स्य पालकों की जलाशय बनाने के लिए अनुदान तथा मत्स्य बीज और खुराक जैसी आवश्यक सामग्री प्रदान करेगी। एक माहिगिर मत्स्य फार्म (जिला मण्डी) पर स्थापना कार्य जारी रहेगा। प्रदेश की प्राकृतिक परिस्थितियों में केज कल्चर के आर्थिक पहलुओं के अध्ययन के लिए एक योजना के कार्यान्वयन का भी प्रस्ताव है। केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाई गई माहिगिर व्यक्तिगत बीमा योजना भी लागू रहेगी। विभागीय फार्मों पर 50 मत्स्य पालकों का प्रशिक्षण के अतिरिक्त 2 विभागीय तथा 2 वजीफा प्राप्त प्रत्याशियों को बैरकपुर तथा आगरा में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा। जनजातीय घटक योजना के अन्तर्गत 290 मछेरों तथा मत्स्य पालकों को लाभान्वित करने का प्रस्ताव है। जन जातीय उपयोजना के अन्तर्गत जन जातीय क्षेत्रों में मछली पालन उद्योग की क्षमता का सर्वेक्षण कार्य जारी रहेगा। जिला किन्नौर में स्थित ट्राऊट फार्म सांगला में 1.2 लाख ट्राऊट अण्डों के उत्पादन करने का भी प्रस्ताव है।

2.8 भू-एकत्रीकरण

भू-एकत्रीकरण कार्य को प्रगति पर लाने के लिए नये 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

पुराने सर्वेक्षण के अनुसार 49 लाख एकड़ भूमि भू-एकत्रीकरण के योग्य है। जिसमें से लगभग 14 लाख एकड़ रकबा 31-3-1985 तक एकत्रित किया जा चुका था। भू-एकत्रीकरण कार्य कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन और मण्डी जिलों में हो रहा है। वर्ष 1985-86 के दौरान 80,750 एकड़ भूमि को एकत्रित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था; जिसमें से 31-1-1986 तक 59,978 एकड़ भूमि एकत्रित हो चुकी है। प्रस्तावित लक्ष्य वर्ष 1986-87 के लिये 84,500 एकड़ निर्धारित किया गया है। वर्ष 1985-86 में विभिन्न श्रेणियों के 26 नये पद सृजित किए गये।

2.9 भूमि सुधार

हिमाचल प्रदेश में 30 अप्रैल, 1981 तक 20,455 भूमिहीन और 70,029 अन्य पात्र व्यक्तियों की पहचान की गई। इनमें से 20,363 भूमिहीनों और 67,392 अन्य पात्र व्यक्तियों को अब तक भूमि दी गई। भूमिहीन व्यक्तियों की पहचान के लिए 31-3-83 तक की नई तारीख निश्चित की गई। इस तारीख तक 1,836 भूमिहीन लोग तथा 1,098 बेघर लोगों की पहचान की गई। इनमें से दिसम्बर, 1985 तक 220 भूमिहीनों तथा 135 बेघर लोगों को भूमि दी गई। इस कार्य के लिए कोई भी लक्ष्य निश्चित नहीं किए गए क्योंकि कुछ जिलों में भूमि बांटने योग्य नहीं है। जहां पर उचित भूमि उपलब्ध है वहां पर उचित व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तथा जहां उचित व्यक्ति उपलब्ध है वहां उचित भूमि उपलब्ध नहीं है।

सभी 86,952 भोगाधिकारी किसान अपनी भूमि के स्वामी हो चुके हैं। 4,22,145 गैर-भोगाधिकारी किसानों से जिन में से सितम्बर, 1985 तक 3,81,072 को पहले ही कानून के अन्तगत स्वामित्व के अधिकार दिए गए है। शेष 41,073 ऐसे किसान हैं जिन के पास सुरक्षित वर्ग जैसे अल्पवयस्क, विधवाएं, रक्षा कमचारी, अपंग व्यक्ति इत्यादि के अन्तर्गत भूमि अधिकार प्राप्त है। स्वामित्व के अधिकार प्रदान करने का कार्य चल रहा है।

प्रदेश के सभी किसानों को चरण-बद्ध तरीके से किसान पास बुक देने का प्रावधान है। वर्ष 1985-86 के 2,13,750 किसान पास बुकों के लक्ष्य को तुलना में सितम्बर, 1985 तक 49,917 किसान पास बुकों पूरी की गई तथा किसानों को बांटी गई। इन पास बुकों का वैधानिक महत्व है और इनमें अपनी जोत क सम्बन्ध म किसानों के अधिकार तथा दायित्व की नवीनतम सूचना दो होती है।

3. सहकारिता एवं ग्रामीण एकीकृत विकास

3.1 सहकारिता

प्रदेश में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कमजोर वर्ग को उधार की सुविधाएं प्रदान करती है। वर्ष 1984-85 में प्राथमिक, औद्योगिक, बुनकर व अन्य गैर कृषि सहकारी सभाओं का पंजीयन हुआ है, जिस कारण सभी प्रकार की सहकारी सभाओं की संख्या 3,407 से 3,453 तक पहुंच गई थी। इनमें से प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी सभाओं की संख्या जो 30-6-84 को 2,109 थी बढ़कर 30-6-85 को 2,113 हो गई। राज्य में सहकारिता के क्षेत्र में हुई प्रगति का स्तर निम्नलिखित आंकड़ों से आंका जा सकता है :–

क्रम सं.	मद	इकाई	1983-84	1984-85
1	समस्त प्रकार की समितियां	संख्या	3,407	3,453
2	सदस्यता	रु. लाखों में	8.06	8.32
3	अंश पूंजी	रु. लाखों में	2,034.10	2,169.76
4	जमा पूंजी	रु. लाखों में	8,050.99	9,325.59
5	कुल अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण वितरण (कृषि और गैर कृषि ऋण)	रु. लाखों में	1,449.05	1,740.35
6	दीर्घकालीन ऋण दिये गये	रु. लाखों में	92.38	109.95
7	कृषि उपज का विपणन मूल्य	रु. लाखों में	502.17	795.71
8	उपभोक्ता व वस्तुओं का फुटकर विवरण	रु. लाखों में	3,259.71	3,939.27
9	कृषि उर्वरकों का फुटकर वितरण	रु. लाखों में	642.06	696.09
10	ग्रामीण जनसंख्या का समावेश	प्रतिशत	85	87

सहकारी समितियों के मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :–

1. **सहकारी ऋण :**—दीर्घकालीन ऋण, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय भूमि विकास बैंक परिसीमित तथा प्राथमिक भूमि विकास बैंक परिसीमित धर्मशाला द्वारा प्रदान किये जा रहे हैं। ये बैंक किसानों को विभिन्न कृषि उद्देश्यों के लिये दीर्घ कालीन ऋण देते हैं।

2. **विपणन :**—प्रदेश में विपणन का चार स्तरीय प्रबन्ध हैं। नगदी फसलें जैसे बीज का आलू, चाय, अदरक तथा सेब इत्यादि की पैदावार बड़ी-बड़ी मण्डियों में भेजी जा सकती है।

3. **उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण :**—प्रदेश के विशेषकर दूर दराज क्षेत्रों में आम लोगों के उपभोग की आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिये प्राथमिक सहकारी समितियां ही समुचित संस्थायें हैं।

4. **उपकरणों की आपूर्ति :**—सहकारी समितियां किसानों की कृषि उपकरण जैसे उर्वरक, उन्नत बीज आदि की आपूर्ति करती है।

वर्ष 1986-87 के लिये योजना :—वर्ष 1985-86 में चल रही योजनायें अधिक तीव्रता से कार्यान्वित की जायेंगी जिससे सहकारिता के लिये निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

3.2 ग्रामीण विकास

हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किये हैं :–

1. **सामुदायिक विकास :**—गांव वालों के सहयोग और सांझेदारी से एकीकृत विकास करना इस कार्यक्रम के अन्तर्निहित उद्देश्य है। वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान 67.50 लाख रुपये का प्रावधान था जिसमें से अक्तूबर 1985 के अन्त तक 47.45 लाख रुपये खर्च किये जा चुके थे। वर्ष 1985-86 के दौरान निम्न कार्य किए गए :–

शिक्षा :—प्राईमरी स्कूलों, भवनों आदि का निर्माण/मुरम्मत करना।

सामाजिक शिक्षा :– सांस्कृतिक कार्यक्रमों और ग्रामीण खेलकूद का आयोजन करना।

संचार :—कच्ची सड़कों तथा खच्चर मार्गों का निर्माण करना।

मिश्रित कार्यक्रम :—महिला मण्डलों तथा युवक मण्डलों को उन्नत करना तथा सुदढ करना, महिला कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण देना, महिला मण्डलों को उत्साहवर्धक पुरस्कार देना, और गैर सरकारी लोगों के सम्मेलन का आयोजना करना इत्यादि।

आवास :—क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए आवास तथा कार्यालयों के लिए मकानों का प्रबन्ध करना इत्यादि।

उपरोक्त के अतिरिक्त धुआं रहित चुल्हों और ग्रामीण शौचालयों के निर्माण की योजनाएं चलाई जा रही हैं। नवम्बर, 1985 तक प्रदेश में 8,013 धुआं रहित चुल्हों का निर्माण और 338 व्यक्ति प्रशिक्षित किए गये। इसी प्रकार वर्ष 1985-86 में 300 ग्रामीण शौचालयों का भी निर्माण किया गया।

2. **जल पूर्ति योजनाएं :**—वर्ष 1985-86 के दौरान 120 गांव जिनमें 6,000 व्यक्ति रहते हैं के लिए पीने योग्य पानी पहुंचाने के लिए 20.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया।

3. **व्यवहारिक पौषाहार कार्यक्रम :**—वर्ष 1985-86 के दौरान इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए 9.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया।

4. केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम

(क) **ग्रामीण एकीकरण विकास कार्यक्रम :**—यह कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में केन्द्र के साथ 50:50 भाग के आधार पर चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को जो निर्धनता की रेखा के नीचे हैं को ऊपर लाने तथा उनके लिए अतिरिक्त रोजगार के साधन जुटाना है। वर्ष 1985-86 के दौरान 31,000 निर्धन ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए 155.50 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया और 31,000 निर्धन परिवारों में से 23,000 परिवारों को वर्ष 1980-81 व 1981-82 के दौरान ग्रामीण एकीकरण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरी आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी। जनवरी, 1986 तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 10,583 पुराने परिवार तथा 13,333 नये परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी थी।

इसके अतिरिक्त "स्वंय रोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण" भी इस कार्यक्रम का अंग है। नवम्बर, 1985 तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1,649 युवकों को प्रशिक्षण दिया गया था।

(ख) **स्पिति और पूह विकास खण्डों में मरुस्थल विकास परियोजनाएं :**—यह कार्यक्रम 1979-80 से लाहौल-स्पिति जिले के स्पिति उप मण्डल और किन्नौर जिले के पूह उप-मण्डल में 1982 से 50:50 भाग के आधार पर केन्द्रीय कार्यक्रम के रूप में चलाया जा रहा है। अब वर्ष 1985-86 से यह कार्यक्रम पूर्णतयः केन्द्र सरकार द्वारा चलाया जायेगा।

(ग) **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम:**—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण युवकों को बेकारी के मौसम में रोजगार दिया जाता है और सामुदायिक सम्पत्ति बनाई जाती है। वर्ष 1985-86 में जनवरी 1986 तक 10.44 लाख श्रम दिवस अर्जित किए गये। सितम्बर, 1985 तक 541.70 मी. टन. अनाज का उपयोग किया गया तथा 249 परिसम्पत्तियां बनाई गई।

(घ) **ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम :**—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण भूमिहीन व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है, जिससे भूमिहीन परिवार के एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन तक अवश्य रोजगार दिया जा सके और साथ में परिसम्पत्तियां बनाई जा सके। 31 मार्च, 1985 तक, 38 सिंचाई योजनाएं, 112.60 कि. मी. सड़कें बनाई गयीं, 550.03 हैक्टेयर भूमि को वृक्षारोपण के अधीन लाया गया तथा 9.60 हैक्टेयर भूमि पर वनों की नर्सरी लगाई गई। इसके अलावा, वर्ष 1984-85 में 18.16 लाख श्रम दिवस अर्जित किए गये।

इस वर्ष के दौरान जनवरी, 1986 तक 12.02 लाख श्रम दिवस अर्जित किए गये हैं, 269.24 मी. टन. अनाज का उपयोग किया गया, सितम्बर, 1985 तक 21.17 कि. मी सड़कें तथा 5.20 कि. मी. नालियां बनाई गई। इसके अतिरिक्त, 7.80 हैक्टेयर भूमि पर वनों की नर्सरी लगाई गई, 757.95 हैक्टेयर भूमि को वृक्षारोपण के अधीन लाया गया तथा 27 सिंचाई योजनाएं पूरी की जा चुकी हैं।

5. **क्षेत्र विकास के लिए सामाजिक अनुदान :**—जिला मण्डी के तीन खण्डों में यूनिसफ की सहायता से उपलब्ध आर्थिक उपकरण के अलावा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम परिवारों को सामाजिक उपकरण सुलभ कराना इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत माताओं तथा बच्चों के पौष्टिक स्तर को बढ़ाना व स्त्रियों में साक्षरता बढ़ाना है।

6. **बेघर लोगों के लिए दो कमरों की आवास योजना :**—इस विभाग द्वारा प्रदेश में बेघर लोगों के लिए दो कमरों वाली 83 आवास योजनाएं चलाई जा रही है। राजस्व विभाग के प्रारम्भिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश में 1,224 बेघर लोग हैं जिन को आवास की सुविधा दी जानी है।

7. **डवाकरा :**—ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों के विकास के लिए दूसरी योजना यूनिसफ की सहायता से वर्ष 1983-84 से चलाई जा रही है। अब तक इस में विकास खण्ड बैजनाथ, नगरोटा-बगवां, परागपुर, नगरोटा सूरियां तथा नूरपुर इस योजना में लिए जा चुके हैं। इस योजना के अन्तर्गत शालों की बुनाई, कताई, बांस तथा बाण कार्यक्रम किये जा रहे हैं।

वर्ष 1986-87 के लिए योजना :—उपरोक्त विकास कार्यक्रम वर्ष 1986-87 में भी जारी रहेंगे।

3.3 **पंचायत**

पंचायतें यद्यपि लोगों की आर्थिक क्रियाओं से सीधे तौर पर सम्बद्ध नहीं हैं तथापि इन लोकतान्त्रिक संस्थाओं का लोगों की अर्थ व्यवस्था पर अप्रत्यक्ष प्रभाव तथा इसमें भाग लेना बहुत महत्व रखता है। योजना आयोग के मतानुसार पंचायती राज संस्थाओं ने एक नया परिणाम उपलब्ध किया है और सीधे प्रशासन से बहुत महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन का परिचय दिया है। इस देश में जो कि प्रजातान्त्रिक प्रणाली से सम्बद्ध है, इन लोक तान्त्रिक संस्थाओं का सुदृढ़ किया जाना अनिवार्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में मानव तथा भौतिक साधनों का भरपूर उपयोग तभी फलप्रद हो सकता है यदि पंचायती राज संस्थाओं को योजनाओं के बनाने तथा क्रियान्वयन की प्रक्रिया में पूर्ण तथा सक्रिय रूप से सम्बद्ध किया जाए।

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली को, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 को संशोधित करके जो 15-11-1970 से लागू किया गया है, एक नया रूप दिया गया है। इसके अनुसार त्रि-सूत्रीय पंचायत प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें गांव स्तर पर पंचायत, विकास खण्ड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद होगी। इस समय प्रदेश में 2,597 ग्राम पंचायतें, 69 पंचायत समितियां तथा 12 जिला परिषद हैं। ग्राम पंचायतों के निर्वाचन अब सम्पन्न हो चुके हैं तथा पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव निकट भविष्य में करवाए जाएंगे।

वर्ष 1985-86 के अन्तर्गत निम्न योजनायें कार्य करती रहीं :—

1. पंचायती राज संस्थाओं को गृह कर के बदले मैंचिग अनुदान;
2. लाभप्रद सम्पत्ति के सृजन हेतु ऋण जैसे बगीचा, दुकानें स्टाल तथा किराया हेतु रिहायशी आवास निर्माण,
3. पंचायत निर्माण/मुरम्मत हेतु अनुदान,
4. पंचायत पुस्तकालयों के लिए सहायता,
5. पंचायत प्रतियोगिता हेतु नकद पुरस्कार,
6. समिति/जिला परिषद भवन निर्माण हेतु अनुदान तथा
7. पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा तथा बैजनाथ के लिए भवन निर्माण।

1986-87 की योजना :—

वर्ष 1985-86 में कार्यान्वित योजनायें वर्ष 1986-87 के दौरान भी कार्य करती रहेंगी।

4. बहुद्देशीय परियोजनाएं तथा विद्युत

4.1 बहुद्देशीय परियोजनाएं तथा विद्युत

प्रदेश राज्य परिषद ऐसी अनेक जल विद्युत परियोजनाओं की छानबीन तथा कार्यन्वयन का प्रयत्न कर रहा है जो कि आर्थिक दृष्टि से व्यवहार में लाई जा सकें। इसके साथ-साथ ग्रामीण विद्युतीकरण तथा औद्योगिकरण की गति को तीव्र करने के लिए सारे प्रदेश में वितरण प्रणाली का विकास किया जा रहा है।

विद्युत उत्पादन की क्षमता का अनुमान लगाने के लिए प्रारम्भिक जल विज्ञान, तल रूप तथा भौमकीय अन्वेषण के अनुसार हिमाचल प्रदेश की पांच नदी क्षेत्रों से जल-विद्युत उत्पादन की क्षमता 12,700 मैगावाट आंकी गई है। इस क्षमता में से 3,291.77 मैगावाट क्षमता का उत्पादन पहले ही किया जा चुका है परन्तु परिषद के अधीन इस में से केवल 132.77 मैगावाट उत्पादन क्षमता है।

इस समय निम्नलिखित तीन परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं :—

परियोजना का नाम	उत्पादन क्षमता (मैगावाट)	पूर्ण होने का संभावित वर्ष
1 संजय विद्युत परियोजना	120	1987–88
2 आन्ध्रा जल विद्युत परियोजना	16.95	1986–87
3 रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना	2	1986–87

इसके अतिरिक्त तीन नई परियोजनाओं का प्रारम्भिक कार्य जैसे कि गज (10.5 मैगावाट), बनेर (6 मैगावाट) और थिरोट (3 मैगावाट) भी आरम्भ किया गया।

वर्ष 1985-86 की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नलिखित थीं :—

मद	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धियां (1/86 तक)	अनुमानित उपलब्धियां (2/86 और 3/86)
1. विद्युत उत्पादन	मिलियन यूनिट	540	533.22 (अस्थायी)	40
2. विद्युतीकरण ग्राम	संख्या	425	451	पूर्ण हो चुकी हैं।
3. पम्पों का उर्जायन	संख्या	70	104	
4. हरिजनों के घरों का विद्युतीकरण	संख्या	2,500	2,545	

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रेषण तथा वितरण प्रणाली योजनाओं में वर्ष 1985-86 में निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त करने की योजना है :—

1. 220/33 के० वी०, 25 एम० वी० ए० सब-स्टेशन जैसूर चालू हो चुका है और 220/132 के० वी०, 50 एम० वी० ए० सब स्टेशन जैसूर का निर्माण भी शीघ्र ही चालू हो जाएगा।
2. 132/33 के. वी., 15 एम. वी. ए. सब स्टेशन गिरी नगर को 32.5 एम. वी. ए. की क्षमता का बनाना
3. 66 के. वी. बरोटीवाला–नालागढ़ लाईन सब-स्टेशन नालागढ़ का निर्माण।
4. 66 के. वी. भाखड़ा–मैहतपुर लाईन (रक्कड़) सब-स्टेशन रक्कड का निर्माण 29 जनवरी, 1986 को चालू हो चुका है।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित 220/132 के. वी. प्रेषण लाईनों में भी कार्य प्रगति पर है :—

1. भावा से पंचकुला (आई. एस. टी. एल.),
2. खोदरी से माजरी,
3. जैसूर से बादरी (डलहौजी),
4. सोलन से शिमला।

ग्रामीण विद्युतीकरण :—वर्ष 1985-86 के दौरान जनवरी, 1986 तक 451 गांवों का विद्युतीकरण किया गया जिस से प्रदेश में कुल विद्युतीकृत गांवों की संख्या 15,065 (89.05 प्रतिशत) हो गई।

1986–87 के लिए योजना :

वर्ष 1986-87 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य रखे गये हैं :—

मद	इकाई	1986–87 के लक्ष्य
1. विद्युतीकरण ग्राम	संख्या	550
2. पम्पों का उर्जायन	संख्या	70

प्रेषण तथा वितरण प्रणाली के अन्तर्गत निम्नलिखित नई योजनाएं रखी गई :—

1. 132 के. वी. लाईन देहरा से हमीरपुर तक
2. 132 के. वी. लाईन हमीरपुर से कांगड़ा तक सब स्टेशन देहरा सहित
3. 132 के. वी. लाईन गिरी से पांवटा तक और 132/33/11 के. वी. सब-स्टेशन पांवटा सहित
4. 40/36/4 एम. वी. ए., 220/132/11 के. वी. ट्रांसफॉर्मर, देहरा व देहरा–शिमला लाईन के लिए एस०/यार्ड
5. 66/11 के. वी. सब स्टेशन–शौघी और गड़खल (कसौली)
6. बरोटीवाला सब-स्टेशन का विकास।

5. उद्योग एवं खनिज विकास

5.1 उद्योग एवं खनिज विकास

हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास का प्रारम्भ कुछ ही समय पूर्व हुआ है। प्रदेश के शान्त वातावरण तथा राजनैतिक स्थिरता के फलस्वरूप प्रदेश के भीतर तथा बाहर से उद्यमी इस प्रदेश में अपनी औद्योगिक इकाईयां स्थापित करने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। इस समय प्रदेश में 70 मध्यम एवं बड़े पैमाने की ईकाइयां कार्यरत हैं जिन से लगभग 10,200 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं तथा इन में 200 करोड़ रुपए की पूंजी का निवेश किया गया है। लघु पैमाने के उद्योगों क क्षेत्र में 14,754 लघु इकाइयां कार्यरत हैं जिस मे लगभग 57,369 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हैं।

वष 1985-86 के दौरान उद्योग विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य किये गए :—

1. **औद्योगिक अनुमोदन एवं समीक्षा अधिकरण (आई पारा) :—** इस अधिकरण का मुख्य कार्य उद्यमियों को उन की परियोजनाओं का कार्यान्वियन कराने के लिये विभिन्न संस्थानों/ऐजेंसियां जो इन से सम्बन्धित हों उन में सविनम्य स्थापित करना है। मध्यम एवं बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए, औद्योगिक अनुमोदन एवं समीक्षा अधिकरण की स्वीकृति अनिवार्य है। 1 अप्रैल, 1985 से 30 नवम्बर, 1985 की आवधि के दौरान आई-पारा ने 52 मध्यम एवं बड़े पैमाने की परियोजनाओं का अनुमोदन किया।

2. **जिला उद्योग केन्द्र :—**कुटीर तथा लघु उद्योगों को उन्नत करने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की गई है। 1 अप्रैल, 1985 से 31 अक्तूबर, 1985 तक इन केन्द्रों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का ब्योरा निम्नलिखित है :—

1.	परिचित किए गए कारीगरों की संख्या	2,056
2.	परिचित किए गए उद्यमियों की संख्या	1,660
3.	अस्थाई रूप से पंजीकृत लघु इकाईयों की संख्या	1,120
4.	स्थाई रूप से पंजीकृत लघु इकाईयों की संख्या	787
5.	इकाइयां स्थापित की गई :-	
	(1) सिडो	450
	(2) नोन सिडो	289
	(3) कारीगर	207
6.	रोजगार अवसर का सृजन :-	
	(1) सिडो	1,670
	(2) नोन सिडो	780
	(3) कारीगर	1,330

3. **औद्योगिक क्षेत्रों का विकास :—**उद्यमियों को साधन सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने हेतु परवाणु, बरोटीवाला, बद्दी, पांवटा, मेहतपुर, शमशी, नगरोटा बगवां, बिलासपुर, रिकांग पिओ, संसारपुर टैरस तथा इलैक्ट्रोनिक कम्पलैक्स, सोलन में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया गया है। इसके अतिरिक्त चम्बा, हमीरपुर, मण्डी, अम्ब, शोघी, राजा का बाग और केलांग क्षेत्रों में भी औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है।

4. **कला एवं प्रदर्शनी :—**राज्य में विभिन्न इकाइयों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की विक्री को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रदर्शनियों तथा मेलों में भाग लेता है। वर्ष 1985-86 के दौरान उद्योग विभाग ने अन्तराष्ट्रीय व्यापार मेला, नई दिल्ली, कांग्रेस शताब्दी प्रदर्शनी मद्रास, कांग्रेस शताब्दी प्रदर्शनी, बम्बई में भाग लिया। उद्योग विभाग ने राज्य स्तर पर आयोजित मेलों जैसे मिंजर मेला चम्बा, दशहरा मेला कुल्लू तथा लवी मेला रामपुर बुशहर में भी भाग लिया है।

5. **उद्यमी विकास कार्यक्रम :—**उद्योग विभाग संस्थान प्रशिक्षण, संयन्त्र प्रशिक्षण और बाहरी सर्वेक्षण के एक मास 15 दिन की अवधि के उद्यमी विकास पाठ्यक्रम का अयोजन करता है। इसके अतिरिक्त अल्पावधि के पाठ्यक्रम जिनकी अवधि 15 दिन प्रति पाठ्यक्रम होती है, योग्य उद्यमियों को सम्वेष्ट सूचना देने तथा औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने के लिए आपेक्षित आवश्यकताओं तथा कार्य पद्धतियों से अवगत कराने के लिए आयोजित किये जाते हैं। 1 अप्रैल, 1985 से जनवरी 1986 तक 5 ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और 107 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया।

6. **रेशम उद्योग का विकास :—**रेशम उद्योग राज्य का एक महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है जिस के द्वारा किसानों को अतिरिक्त रोजगार प्राप्त होता है और वह रेशम के कीड़ों को पालने और कुक्कुट को बेचने से अपनी आय में वृद्धि करते हैं। 1 अप्रैल, 1985 से 30 नवम्बर, 1985 तक 95,000 मलबरी पौधों तथा 1,480 औंस रेशम के बीजों का वितरण किया गया। 52,677 ककून का उत्पादन किया गया जिस का मूल्य 13.17 लाख रुपए है।

7. **औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन/छूट :—** 1 अप्रल, 1985 से 30 नवम्बर, 1985 तक 4.16 करोड़ रुपए की धन राशि का केन्द्रीय पूंजी निवेश सहायता के रूप में आवंटन किया गया तथा राज्य छूट योजना के अन्तर्गत 2.90 लाख रुपए की धन राशि का वितरण और 8.65 लाख रुपये की राशि का आवंटन ब्याज दर छूट योजना के अन्तर्गत किया गया।

8. **सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश** :—उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में आने वाले विभिन्न निगमों तथा बोर्डों में निवेश के लिए वर्ष 1985-86 में निम्नलिखित प्रावधान था :—

(लाख रुपये)

निगम का नाम	1985-86 में बजट प्रावधान	31-12-85 तक भुगतान
1. हिमाचल प्रदेश खनिज तथा औद्योगिक विकास निगम	60.00	68.00
2. हिमाचल प्रदेश वित्त निगम	40.00	40.00
3. नाहन फाउंडरी	15.00	25.00
4. हिमाचल प्रदेश लघु उद्योग एवं निर्यात निगम	4.00	1.00
5. हिमाचल प्रदेश हस्त शिल्प एवं हथकरघा निगम	7.00	7.00

9. **चाय उद्योग का विकास** :—चाय का उत्पादन मण्डी और कांगड़ा जिलों में 1,000 से 1,500 मीटर की समुद्र तल से ऊंचाई पर किया जाता है। इस समय 3,212 हैक्टेयर क्षेत्र चाय उत्पादन के अन्तर्गत है और 1,385 चाय सम्पदाएं प्रदेश में कार्यरत हैं। अप्रैल से दिसम्बर, 1985 के दौरान चाय के विकास हेतु निम्नलिखित छूटें प्रदान की गई हैं :—

1. विशेष घटक अनुसूचित जाति योजना के अन्तर्गत व्यय	2.05 लाख रु.
2. ब्याज, अनुग्रह	1.30 लाख रु.

10. **खनिज विकास** :—वर्ष 1985-86 के दौरान भू-गर्भ शाखा ने निम्नलिखित कार्य किये :—

(क) **चूना**

बरोह शिन्द (चम्बा) :—इस क्षेत्र का विस्तृत चूने सम्बन्धी सर्वेक्षण जारी रहा और 69 डाईमण्ड कोर नमूने और 330 डी. टी. एच. नमूने रसायनिक विश्लेषण हेतु एकत्रित किये गए। बरोह शिन्द तथा टिकरू क्षेत्रों म चून के भण्डार को जानने हेतु दो ड्रिलिंग मशीन भी लगाई गई हैं।

अर्की (सोलन) :—जिला सोलन के अर्की क्षेत्र में चूने की खोज का विस्तृत सर्वेक्षण जारी है तथा 0.355 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का आवरण किया गया और 73 चैनल नमूने रसायन विश्लेषण हेतु एकत्रित किये गए।

सोग-खंगढ़, फाजों (सोलन) :—सोग-खंगढ़-फाजों, तहसील अर्की, जिला सोलन में चूने का सर्वेक्षण जारी रहा तथा 0.11 वर्ग कि. मी. क्षेत्र का आवरण किया गया।

अलसिंडी (मण्डी) :—झनखुनु नगालथा अलसिडी, जिला मण्डी में चूने के व्यापक सर्वेक्षण जारी रहे तथा 0.11 वर्ग कि. मी. क्षेत्र का चित्रण किया गया। 217 डी. टी. एच. नमूने, 30 डायमंड कोर नमूने, 10 ट्रैंच नमूने और 100 मी. ट्रैंच रसायनिक विश्लेषण हेतु एकत्रित किए गए।

रोपा-बनैस किरण (मण्डी) :—सील मुलक मैदान विकास खण्ड किरण भोजपुर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी में चूने का विस्तृत सर्वेक्षण जारी रहा। 0.11 वर्ग कि. मी. क्षेत्र चित्रित किया गया तथा 89 चिप नमूनें रसायनिक विश्लेषण हेतु एकत्रित किए गए।

कामरु-तीलोरधार शीला (सिरमौर) :—जिला सिरमौर की चूने की खानों का गहन अध्ययन किया गया तथा पट्टा-क्षेत्रों में कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किये गए हैं। एक आर्थिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण भी जिला सिरमौर के कामरू क्षेत्र में किया गया जिस से पता लगता है कि चूने के दोहन से गांवों के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए हैं।

(ख) **जिप्सम**

लाहौल-स्पिति :—लाहौल-स्पिति जिले में जिप्सम के व्यापक सर्वेक्षण किये गए तथा 10 वर्ग कि. मी. क्षेत्र का चित्रण किया गया।

(ग) **गर्मपानी के स्त्रोत**

तत्तापानी (मण्डी) :—जिला मण्डी के तत्तापानी क्षेत्र में गर्म पानी के स्रोतों का सर्वेक्षण व चित्रण किया गया।

6. परिवहन एवं संचार

6.1 सड़कें तथा भवन निर्माण

हिमाचल प्रदेश का आर्थिक व सामाजिक विकास मुख्यतः कुशल संचार प्रणाली पर निर्भर करता है। सड़कें इस प्रदेश वासियों के लिए जीवन रेखायें हैं, क्योंकि यातायात के साधन जुटाने के लिए रेलवे व जल मार्ग बहुत कम हैं। प्रदेश की विकास योजनाओं में सड़क निर्माण को काफी अधिक महत्व दिया गया है। मार्च, 1985 के अन्त तक 14,663 किलोमीटर, वाहन चलने योग्य सड़कें थीं जिन का घनत्व 26.33 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर था, और मार्च, 1986 के अन्त तक 14,990 किलोमीटर, वाहन चलाने योग्य सड़कें हो जाएगी जिनका घनत्व 26.92 कि.मी. प्रति 100 वर्ग किलो मी. हो जाएगा।

I. सड़कें

वर्ष 1985-86 में "सड़कों एवं पुलों के निर्माण" शीर्षक के अन्तर्गत 25 करोड़ रुपये का प्रावधान स्वीकृत है। वर्ष 1985-86 के लक्ष्यों की प्राप्ति वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूर्ण हो जायेगी। वर्ष 1985-86 के लक्ष्य तथा दिसम्बर, 1985 तक उपलब्धियां निम्न-लिखित हैं :—

क्रम संख्या	मद	इकाई	लक्ष्य 1985-86	उपलब्धियां 31-12-85 तक
1	वाहन चलने योग्य (एक लेन)	किलोमीटर	260	272
2	जीप चलने योग्य	यथोपरि	30	20
3	जल निकास	यथोपरि	260	180
4	पक्की तथा विरालित	यथोपरि	125	122
5	पुल	संख्या	30	10

(i) **राष्ट्रीय उच्च मार्ग :**—वर्ष 1985-86 के लिए हिमाचल प्रदेश में पड़ने वाले राष्ट्रीय उच्च मार्गों के निर्माण तथा सुधार के लिए 450.00 लाख रुपये की धनराशि अनुमोदित की है, तथा 102.83 लाख रुपये उन की मुरम्मत एवं अनुरक्षण के लिए दिए हैं।

(ii) **अन्तर्राज्यीय तथा आर्थिक महत्व की सड़कें :**—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाल घाट–राजबन–रोहड़ू–सूंगरी–नारकण्डा सड़क का कार्य प्रगति पर है। भारत सरकार के परिवहन मन्त्रालय द्वारा वर्ष 1985-86 के लिए 25 लाख रुपए अनुमोदित किये हैं।

(iii) **सामाजिक महत्व की सड़कें :**—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मकेरियाँ–तलवाडा–नूरपुर सड़क के निर्माण हेतु वर्ष 1985-86 में भारत सरकार के परिवहन मन्त्रालय द्वारा 190.00 लाख रुपए की धनराशि अनुमोदित की गई है।

(iv) **सड़कों के किनारे पौध रोपण :**—पर्यावरण को आकर्षक बनाने हेतु सरकार सड़कों के किनारे पौध रोपण के लिए जोर दे रही है। वर्ष 1985-86 के पौध रोपण का लक्ष्य 51,000 पौधे था और लक्ष्य से अधिक प्राप्ति हो जायेगी।

(v) **खच्चर मार्ग का निर्माण :**—प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में यातायात की सुविधा पहुंचाने हेतु वाहन योग्य संरेखण पर खच्चर मार्गों के निर्माण का प्रावधान है, ताकि पैसा होने पर इनको वाहन योग्य बनाया जा सके।

(vi) **नंगल तलवाड़ा रेल लाईन का निर्माण :**—हिमाचल प्रदेश सरकार अधिगृहित भूमि का मूल्य, मिट्टी के कार्य का व्यय तथा लकड़ी के सलीपरों पर अनुदान के लिए सहमत हो गई है। महतपुर तक की भूमि अधिगृहित की जा चुकी है तथा इसे उत्तरी रेलवे के सुपुर्द कर दिया गया है। महतपुर से आगे की भूमि का अधिग्रहण प्रगति पर है। वर्ष 1985-86 में 100.00 लाख रुपए का प्रावधान है।

(vii) **ग्रामीण भूमिहीन रोजगार प्रत्याभूति कार्यक्रम :**—इस कार्यक्रम में 20-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार 350.00 लाख रुपये के प्रावधान से एक परियोजना कम से कम आवश्यक कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पर्क सड़कों के निर्माण के लिए अनुमोदित की है। इस में से वर्ष 1985-86 के लिए 100.84 लाख रुपए रखे गए हैं। विभाग द्वारा 6.06 लाख मैनडेज के लक्ष्य की तुलना में 6.27 लाख मैनडेज में 40 किलोमीटर सड़क बनाई गई है।

II. भवन निर्माण :—

हिमाचल प्रदेश सरकार ने भवन निर्माण के लिए 300.00 लाख रुपए का प्रावधान किया है। वर्ष 1985-86 में दिसम्बर, 1985 तक 19 भवनों का निर्माण हो चुका है है जब कि लक्ष्य 28 भवनों का था।

आवासीय (लोक निर्माण) :—वर्ष 1985-86 में 100.00 लाख रुपये आवासीय भवनों के निर्माण के लिए प्रदान किये है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 में 95 भवन निर्माण के लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर, 1985 तक 13 भवनों का निर्माण हो चुका है।

वर्ष 1986-87 के लिये योजना :—वर्ष 1986-87 के लिए निम्न-लिखित कार्यक्रम बनाया गया है :—

सड़कें तथा पुल	कि.मी.	
(क) वाहन चलने योग्य सड़कें (एक लेन)	300	
2. जीप चलने योग्य	25	
3. जल निकास	250	
4. पक्की तथा विरालित	200	
5. पुल	30	(संख्या)
6. ग्राम जो सड़कों से जुड़ने है	100	(संख्या)
(ख) केबलवेज	35	

भवन (लो.नि.) :—वर्ष 1986-87 में 150 गैर-आवासीय भवनों के निर्माण की योजना है।

आवासीय (लो.नि.) :—वर्ष 1986-87 में 110 आवासीय मकानों के निर्माण की योजना है।

6.2 पथ परिवहन

हिमाचल पथ परिवहन निगम हिमाचल प्रदेश के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। परिवहन के अन्य स्रोत जैसे नभ, स्थल तथा जल परिवहन नहीं के बराबर होने के कारण पथ परिवहन का महत्व और बढ़ जाता है। परिवहन सेवा को समन्वित, आयोजित, पर्याप्त, कार्यकुशल तथा कार्यसाधक बनाने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई। निगम प्रदेश के सभी भागों में बस सेवाएं चला रहा है तथा पड़ोसी राज्यों/केन्द्रीय शासित प्रदेशों के साथ मिलकर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है।

इस समय लगभग 82 प्रतिशत यात्री परिवहन को राष्ट्रीयकृत किया जिसमें 1,200 बसें 1,050 मार्गों पर, जिनमें 239 अन्तर्राज्जीय मार्ग भी सम्मिलित है, चला रहा है। ये बसें 2 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा लगभग 1.60 लाख यात्रियों को प्रतिदिन बसों में यात्रा कराती हैं। इन बसों में 37 रात्रि बस सेवाएं तथा 28 डिलक्स तथा सेमी डीलक्स बसें, जिनमें वीडियों लगे हैं, सम्मिलित है।

इस समय प्रदेश में 20 क्षेत्र तथा उप क्षेत्र कार्यरत हैं। तारादेवी तथा मण्डी में मुरम्मत तथा रख-रखाव के लिए दो मण्डलीय कर्मशालाएं हैं। तारादेवी में एक टिकट डिनामिनेशनल प्रोकोष्ठ व परमाणु में बस बॉडिज रिकन्डीशनिंग यूनिट स्थापित किया गया है। इन क्षेत्रों की गतिविधियों को नियन्त्रण में रखने के लिए तीन मण्डलीय कार्यालय कार्य कर रहे है। 22 विधान सभा क्षेत्रों में मुद्रिका बस सेवाएं भी उपलब्ध करवाई गई हैं तथा अन्य क्षेत्रों में भी धीरे-धीरे इस सुविधा को प्रदान करने का प्रस्ताव है। पार्सल बुकिंग तथा देने की सुविधाएं भी 30 स्थानों में लोगों की सुविधा के लिए शुरू की है। केन्द्र तथा प्रदेश के कर्मचारियों, छात्रों इत्यादि को मुफ्त यात्रा या किराए की दरों में विशेष छूट दी जाती है। प्रदेश में स्वतन्त्रता सेनानियों, अपंग तथा अन्धे व्यक्तियों, एम० पी०, एम० एल० ए० तथा उनके सेवकों व सम्वाददाताओं को निशुल्क बसों में यात्रा करने की सुविधा प्रदान की गई हैं।

वर्ष 1985–86 में की गई उपलब्धियों का विवरण निम्नलिखित है :–

1. **परिचालन क्षेत्र/उपक्षेत्र तथा कर्मशालाएं :**—वर्ष 1985-86 में एक नया क्षेत्र देहरा में खोला गया तथा उपक्षेत्र रामपुर का दर्जा बढ़ा कर क्षेत्र स्तर पर लाया गया। इसके अतिरिक्त जसूर में एक आधुनिक कर्मशाला निर्माणाधीन है जहां पर आधुनिक संयत्रों द्वारा बसों की मुरम्मत, टायरों की रिट्रिडिंग, टिकट छापने तथा बसों की बाडियां बनाई जाएंगी तथा अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

2. **परिवहन बेड़ा :**—वर्ष 1984–85 के अन्त तक 1,238 बसें थी। प्रचलित वर्ष में यदि धन उपलब्ध हुआ तो 203 नई बसें खरीदने का प्रावधान है।

3. **बसों द्वारा तय किए गए मार्ग :**—प्रचलित वर्ष में लोगों को परिवहन की अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए 30 अतिरिक्त मार्गों पर 85 बस सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव है। वर्ष 1984-85 के अन्त तक 950 मार्गों पर 1,190 बस सेवाएं चलाई जा रही थी।

4. **बसों द्वारा तय की गई दूरी :**—वर्ष 1985-86 में बसों द्वारा तय की जाने वाली दूरी का लक्ष्य 781 लाख किलोमीटर रखा गया है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 44 लाख किलोमीटर अधिक होगा। लगभग 615 लाख यात्रियों के बसों में सफर करने की सम्भावना है जबकि 1984-85 में 585 लाख यात्रियों ने बस सेवाओं का प्रयोग किया था। बसों की अच्छी मुरम्मत तथा रख-रखाव के कारण बसों की ब्रेकडाऊन प्रति 10,000 किलोमीटर 0.66 से घट कर 0.64 रह जाने की सम्भावना है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह संख्या 1.10 है। इसी प्रकार दुर्घटनाओं की संख्या 1984-85 के प्रति 1 लाख किलोमीटर पर 0.30 से घट कर वर्ष 1985-86 में 0.25 हो जाने की सम्भावना है। राष्ट्रीय स्तर पर राज्य पथ परिवहन उपक्रमों की संख्या 0.82 है।

5. **आय-व्यय के परिणाम :**—वर्ष 1984-85 मे निगम की 2,774.18 लाख रुपए की आय हुई तथा 3,298.31 लाख रुपये व्यय किए जाने के परिणामस्वरूप 524.13 लाख रुपये की हानि हुई। वर्ष 1985-86 में निगम को 3,745 लाख रुपए के व्यय की तुलना में 3,174 लाख रुपये आय होने की सम्भावना है। लगभग 571 लाख रुपए की अनुमानित हानि होने के मुख्य कारण मोटर वाहन के प्रयोगों में लाए जाने वाले सामान के मूल्यों जिनमें डीजल, तरल द्रव्य, टायर व ट्यूबे, फुटकर वस्तुएं तथा कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्तों का भुगतान इत्यादि सम्मिलित है, वृद्धि होना है।

1986–87 के लिए योजना :—वर्ष 1986-87 में निगम द्वारा नई बसों तथा बसों की मुरम्मत के लिए आधुनिक यन्त्रों को खरीदने का प्रस्ताव है। निगम द्वारा आधुनिक बस अड्डों, आरक्षण कार्यालयों तथा गाडियां खड़ी करने के लिए शैडों का, जिन स्थानों पर यह उपलब्ध नहीं है, का निर्माण करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त प्रशासकीय तथा आवास भवनों का निर्माण भी किया जाएगा। इसके साथ-साथ जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में अच्छी बस सेवाएं चलाने के लिए जनजातीय क्षेत्रों/मार्गों से पुरानी बसे बदलने का भी प्रस्ताव है।

6.3 पर्यटन

हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के लिए अत्याधिक संभावना हैं। भोजन तथा निवास की सुविधाओं के अतिरिक्त, प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अनगिनित स्थान हैं, जैसे कि पिकनिक स्थान, धार्मिक स्थान, झीलें, प्राकृतिक झरने, स्किंग, ट्रेकिंग, और शिवर क्षेत्र इत्यादि।

वर्ष 1985-86 के दौरान मनाली में 68 लाख रुपए की लागत से निर्मित प्रतिष्ठित हाऊस क्लब का उद्घाटन कर के लोगों के लिए खोल दिया गया है। ऊपरी धर्मशाला में कैफेटेरिया का कार्य भी पूर्ण किया गया और आगामी पर्यटक मौसम में सेवा के लिए चालू कर दिया जायेगा। नूरपुर में कैफेटेरिया और कांगड़ा में शौचालय का कार्य पूर्ण होने वाला है जबकि नैनादेवी, संकटमोचन (शिमला) रामपुर बुशैहर और बैजनाथ में कैफेटेरिया का निर्माण कार्य वर्ष 1985-86 में किया गया है। रेणुका झील के विकास के लिए तथा सिरमौर जिले के सुकेति में फौजिल पार्क में कैफेटेरिया व यात्री सूचना केन्द्र के निर्माण का अनुमोदन कर लिया गया है तथा निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ कर लिया जयेगा। डलहौजी में सुभाष बावली को पिकनिक स्थान बनाने हेतु योजना और अनुमान सरकार के अनुमोदनार्थ भेज दिये गये हैं।

शिमला के होटल होली डे होम में अधिक भीड़ के कारण यह आवश्यक समझा गया कि स्वागत क्षेत्र, डाईनिंग रूम और रसोईघर इत्यादि को विस्तृत किया जाए। इस के अतिरिक्त, लिफ्ट, बिलियर्ड रूम, दुकानें और बैंक इत्यादि की सुविधाएं दर्शकों को दी जाने की भी योजना है। पर्यटन विकास निगम द्वारा वर्ष 1985-86 में इस उद्देश्य के लिए 5 लाख रुपये खर्च करने की योजना है।

धर्मशाला में अतिरिक्त आवास की आवश्यकता पूर्ति हेतु पर्यटन विकास निगम द्वारा 5 लौग-हट्स 5 लाख रुपये की लागत से बनाये जाने की योजना है। वर्ष 1985-86 में भरमौर में पर्यटक सराय का निर्माण कार्य प्रगति पर रहा। प्रसंगत वर्ष में ललनेटी में पर्यटक सराय के निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है। केलांग और रिवालसर में पर्यटकों को आवास सुविधा प्रदान करने हेतु भूमि ग्रहण करने के लिए आवश्यक पग उठाये गये। पिछड़े क्षेत्रों के लिए ट्रेकिंग उपकरण जैसे कि तम्बू, स्की उपकरण, स्लिपिंग बैगज, गर्म जुराब इत्यादि 2 लाख रुपये के मूल्य के खरीदे गए।

भारतीय विकास समिति मध्यम वर्ग के पर्यटकों के लिए नैनादेवी दियोटसिद्ध (हमीरपुर) और संकटमोचन (शिमला) में धर्मशालाओं के निर्माण के लिए सिद्धान्त रूप से सहमत हो गई है। इन स्थानों पर भूमि का चयन कर लिया गया है और भूमि का समिति को स्थानान्तरण के लिए सम्बन्धित मन्दिरों की कमेटियों से वार्तालाप चल रहा है।

5 लाख रुपये की लागत से उन पर्यटक कम्पलैक्सों में, जहां पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए आवास सुविधा नहीं है, स्टाफ क्वाटरज बनाये जा रहे हैं। अधिक संख्या में दर्शकों को आकर्षित करने के लिए प्रमुख समाचार पत्रों और मैगजिनों में विज्ञापन दे कर प्रदेश में पर्यटक स्थान और पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाओं के लिए लगातार प्रचार किया जा रहा है। प्रदेश के अन्दर तथा बाहिर स्थित पर्यटक सूचना केन्द्रों के माध्यम से 6 फोल्डरज पर्यटकों में बांटने के लिए प्रकाशित किये गए। वर्ष 1985-86 में विभाग ने मद्रास तथा बम्बई की प्रदर्शनियों में भी भाग लिया। प्रसंगत वर्ष के दौरान उच्चकोटि के पर्यटक साहित्य बनाने का कार्य भी प्रारम्भ किया गया।

भरमौर, रोहड़ू और बानकुफर में हेलीपेड के निर्माण और विकास के लिए नागरिक विमानन विभाग ने लोक निर्माण विभाग द्वारा योजना और अनुमान बनाये हैं। लोक निर्माण विभाग तथा जिला अधिकारियों के साथ जिलों में हेलीपेड के निर्माण के लिए स्थान चुनने के कार्य को भी शुरू किया गया। प्रसंगत वर्ष में जुब्बड़हट्टी में हवाई अड्डे के निर्माण का कार्य भी प्रगति पर रहा।

कुफरी में 1984 में खाद्य शिल्प संस्था का गठन किया गया और इसके लिए भवन निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है। 38 छात्रों की प्रथम टोली ने घर की देख-रेख व होटल आगमन के एक साल की अवधि के पाठ्यक्रम को पूर्ण किया। वर्ष 1985-86 में 44 प्रशिक्षणार्थियों की दूसरी टोली को प्रशिक्षण दिया गया। इस के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश से 21 उम्मीदवार जिन्होंने खाद्य शिल्प संस्थाओं बम्बई, दिल्ली और चंडीगढ़ में प्रशिक्षण लिया है को छात्रवृत्ति दी गई। जिस से होटल उद्योग को प्रशिक्षित व्यक्ति मिल पाये।

वर्ष 1985-86 में हिमाचल प्रदेश के पर्यटन विकास निगम के यातायात कक्ष में पैकेज प्रवास का प्रबन्ध किया गया। निगम के पास 45 डिलक्स बसें, वातानुकूल बसें और कारें हैं जो कि न केवल प्रदेश में अपितु प्रदेश से बाहिर जैसे चंडीगढ़ और दिल्ली में पर्यटकों के यातायात की अच्छी सुविधा प्रदान करने के लिए कार्यरत हैं।

वर्ष 1986-87 के लिए योजना :—वर्ष 1986-87 के दौरान कुफरी में खाद्य शिल्प संस्था को और अधिक अच्छा बनाया जायेगा और रेणुका झील का विकास और सुकेती में फौजिल पार्क के कैफेटेरिया व पर्यटक सूचना केन्द्र के कार्य को पूर्ण किया जायेगा। शिमला में होटल होली डे होम के विस्तार के निर्माण कार्य को हि. प्र. पर्यटन विकास निगम द्वारा पूर्ण करने की योजना है। पिकनिक स्थान जसे कि शिमला में गलेन, अजीत सिंह स्मारक तथा डलहौजी में सुभाष बावली के विकास कार्य को वर्ष 1986-87 के दौरान पूरा किया जाएगा। निजी उद्यमियों को होटलों व कैफेटेरिया के निर्माण योग्य रिपोर्ट बनाने के लिए अनुदान दिया जायेगा। 5,000 रुपये का अनुदान होटल के प्रबन्ध में प्रत्येक प्रशिक्षित व्यक्ति को फर्नीचर तथा क्रोकरी इत्यादि खरीदने के लिए, और विभाग द्वारा खोके को सज्जित करने के लिए दिया जायेगा। विज्ञापन तथा आकर्षक पर्यटक साहित्य द्वारा और प्रर्दशनियों में भाग ले कर प्रचार किया जायेगा। खाद्य शिल्प संस्था कुफरी में प्रशिक्षण पा रहे उम्मीदवारों को छात्रवृत्ति दी जायेगी। प्रदेश में धार्मिक स्थानों पर बाथरूम, शौचालय इत्यादि की नागरिक सुविधाएं प्रदान करने की योजना है। पिछड़े क्षेत्रों में भरमौर में आवास सुविधा का निर्माण और ललनेटी में पर्यटक-इन को पूर्ण किया जायेगा। रिकांग पियो, केलांग और हडसर (चम्बा) में आवास सुविधा प्रदान करने की योजना है। हिमाचल प्रदेश निगम द्वारा वर्तमान डीलक्स और वातानकूल बसों और कारों की संख्या और अधिक करने की योजना है।

7. सामाजिक सेवाएं

7.1 शिक्षा

वर्ष 1985-86 में शिक्षा के क्षेत्र में की गई उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :—

1. प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा

(क) **प्राथमिक स्कूल** :—वर्ष 1985-86 में 110 नए प्राथमिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव था जिसमें से दिसम्बर, 1985 तक 31 स्कूल खोले जा चुके हैं। प्रस्तावित स्कूलों के खोलने से राजकीय प्राथमिक स्कूलों की कुल संख्या 6,838 हो जाएगी। शिक्षा प्रशासन में सुधार हेतु वर्ष 1985-86 में 3 शिक्षा खण्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) **माध्यमिक स्कूल** :—वर्ष 1985-86 में 63 माध्यमिक स्कूल खोलने की सम्भावना है जिनमें से दिसम्बर, 1985 तक 21 स्कूल खोले जा चुके हैं। इन सभी माध्यमिक स्कूलों के खोलने से 1985-86 के अन्त तक माध्यमिक स्कूलों की कुल संख्या 1,760 हो जाएगी।

(ग) **विकलांग बच्चों की सामूहिक शिक्षा** :—इस योजना के अन्तर्गत शिमला में विकलांग बच्चों (बहरे, दिमागी तौर पर कमजोर तथा शारीरिक रूप से विकलांग) को सामूहिक रूप से शिक्षा देने के लिए 3 केन्द्र कार्यरत हैं।

2. **उच्चस्तरीय शिक्षा** :—वर्ष 1985-86 में 32 उच्चस्तरीय स्कूलों को खोलने का प्रस्ताव है जिनमें से 29 स्कूल खोले जा चुके हैं। इन प्रस्तावित स्कूलों के खोलने से राज्य में उच्चस्तरीय स्कूलों की संख्या 789 हो जाएगी।

वर्ष 1986-87 से 10+2 शिक्षा प्रणाली चरण रूप से शुरू करने के लिए शिक्षा विभाग म संयुक्त निदेशक की अध्यक्षता में एक शाखा कायम की गई है जोकि प्रदेश में 1986-87 से 10+2 शिक्षा प्रणाली को सुचारू रूप से कार्यान्वित करेगी।

3. **विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा**:—हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विकास के लिए 10.00 लाख रुपए की राशि अनुदान सहायता का वर्ष 1985-86 के लिए प्रावधान है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकाघाट में एक महाविद्यालय खोले जाने के अतिरिक्त चम्बा में सांध्य कक्षाएं भी शुरू की गई है।

4. **प्रौढ़ शिक्षा** :—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में 1,700 वयस्क शिक्षा केन्द्र स्वीकृत हैं। वर्ष 1985-86 में दिसम्बर, 1985 तक 40,736 वयस्क इन केन्द्रों में पंजीकृत थे।

5. **प्रशिक्षण कार्यक्रम**:—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शिमला में मानवीय मान पर अभिविन्यास तथा संगोष्ठियों का 7 अगस्त से 10 अगस्त 1985 तक तथा 7 अक्तूबर, 1985 से 12 अक्तूबर, 1985 तक आयोजन किया गया जिनमें 200 जे. बी. टी. शिक्षकों तथा 114 बी. पी. इ. ओज ने भाग लिया। प्रचलित वर्ष में 4 शिक्षकों को अंग्रेजी में पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के लिए हैदराबाद भेजा गया। 24 अध्यापकों को सोलन में उर्दू प्रशिक्षण के लिए 15 शिक्षकों को मैसर में तेलगू तथा तामिल प्रशिक्षण के लिए तथा 16 अध्यापकों को क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र चण्डीगढ़ में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। बी. एड प्रशिक्षण कक्षाएं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, एस. सी. इ. आर. टी. सोलन तथा महाविद्यालय, धर्मशाला में शुरू की गई जिनमें 160 विद्यार्थी प्रशिक्षण पा रहे हैं। इस समय राज्य के 6 संस्थानों में 2 वर्ष के जी. बी. टी. के नियमति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा एक वर्ष के सघन पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

6. **छात्रवृत्तियां** :—योजना तथा गैर-योजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 में 145.83 लाख रुपए की राशि छात्रवृत्तियों के लिए रखी गई है।

7. **नामांकन का स्तर**: —वर्ष 1985-86 में निम्नलिखित नामांकन स्तर प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के लक्ष्य प्राप्ति की सम्भावना है :—

विद्यार्थी	नामांकन प्रतिशत		
	प्राथमिक (आयु सीमा 6-11 वर्ष)	माध्यमिक (आयु सीमा 11-13 वर्ष)	उच्चस्तरीय (आयु सीमा 14-17 वर्ष)
छात्र	107	89	48
छात्राएं	87	59	23
योग	97	75	35

वर्ष 1986-87 के लिए योजना:—वर्ष 1986-87 में मुख्य कार्यक्रमों जिनमें 150 नए प्राथमिक स्कूल, 60 माध्यमिक स्कूल, 5 उच्चस्तरीय स्कूल, 2 महाविद्यालय तथा एक महाविद्यालय में सांध्य कक्षाएं सम्मिलित हैं शुरू करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त राज्य में 10+2 प्रणाली भी शुरू करने का प्रस्ताव है। 69 शिक्षा खण्ड (जो विकास खण्डों के सामान्तर होंगे) सृजित करने का प्रस्ताव है।

7.2 तकनीकी शिक्षा

इस विभाग में 4 बहुतकनीकी संस्थान, एक लघु तकनीकी स्कूल; 14 औद्योगिक प्रशिक्षण, 4 ग्रामीण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान; 13 कन्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा एक औद्योगिक स्कूल

कार्यरत है। इसके अतिरिक्त इस विभाग के अधीन अपंगों के लिए व्यवसाय पुनर्वास केन्द्र काम कर रहा है। बहुतकनीकी संस्थाओं में तीन वर्षीय इंजीनियरिंग के सिविल, मकैनिकल इलैक्टरीकल, आटोमोबाइल तथा वास्तुकला इंजीनियरिंग के इलैक्टरानिकस एवं कम्युनिकेशन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जाता है। लघु तकनीकी स्कूल कांगडा म छात्रों को उसकी साधारण पढाई के अतिरिक्त बढ़ईगिरी, यन्त्र सम्बन्धी टरनिंग, फिटिंग, वैलडिंग, लोहे के औजार, ढलाई तथा रंगाई इत्यादि में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। लघु तकनीकी स्कूल कांगड़ा में दो वर्षीय कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड हरियाणा द्वारा मैट्रिक के समकक्ष डिप्लोमा/सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में इंजीनियरिंग तथा नान्-इंजीनियरिंग ट्रैडों म (एक/दो वर्षीय कोर्स) प्रशिक्षण दिया जाता है तथा सफल प्रशिक्षणार्थियों को एन. सी. वी. टी. द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है।

इसी प्रकार ग्रामीण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवम् कन्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भी एक तथा दो वर्षीय कोर्सो म इंजीनयरिंग तथा नॉन-इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण दिया जाता है तथा यह संस्थान भी एन. सी. वी. टी. के साथ अस्थाई तौर पर संबंधित है।

सत्र 1985-86 के अन्तर्गत विभिन्न संस्थानों के स्वीकृत प्रवेश क्षमता निम्न प्रकार से हैं :—

1. राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, सुन्दर नगर	95 छात्र
2. राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, हमीरपुर	65 छात्र
3. राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, रोहड़	15 छात्र
4. राजकीय महिला बहुतकनीकी संस्थान कंडाघाट (महिला)	15 छात्राएं
5. राजकीय लघु तकनीकी, कांगड़ा	60 छात्र

(बहुतकनीकी संस्थानों एवं लघु तकनीकी स्कूल के प्राचार्य संस्था छोड़ जाने वाले उपरोक्त छात्रों की क्षति पूर्ति हेतु क्रमशः 10 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत अतिरिक्त छात्र दाखिल कर सकते हैं।)

6. सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं (14)	1,947 छात्र
7. सभी (4) ग्रामीण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं एंव औद्योगिक स्कूल	230 छात्र

(उपरोक्त प्रशिक्षण संस्थाओं मे संस्था छोड़ जाने वाले क्षतिपूर्ति हेतु साढ़े बारह प्रतिशत प्रवेश क्षमता के हिसाब से अति रिक्त प्रावधान जोड़ कर दर्शाया गया है)

8. सभी कन्या औद्योगिक संस्थाएं	448 छात्राएं

(इन संस्थाओं में संस्था छोड़ जाने वाली छात्राओं की क्षतिपूर्ति हेतु प्रवेश क्षमता में 25 प्रतिशत से अतिरिक्त छात्राएं दाखिल की जायेंगी)

वर्ष 1986-87 के लिए योजना :—वर्ष 1986-87 के अन्तर्गत पहले से जारी योजनाएं जारी रहेंगी। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालेज हमीरपुर के लिये भूमि ग्रहण की जाएगी। लघु तकनीकी स्कूल कांगड़ा में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या बढ़ाने की योजना है। राजकीय बहुतकनीकी सुन्दरनगर म उपयुक्त तकनीकी अपनाई जाएगी। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं और ग्रामीण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को उच्चतर किया जाएगा और अन्य नए पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे। चम्बा जिला के पांगी तथा भरमौर जनजातीय क्षेत्रों में छात्रों के लिये अतिरिक्त संस्थान उपलब्ध करवाएं जायेंगे।

7.3 युवा सेवाएं एवं क्रीड़ाएं

हिमाचल प्रदेश में युवा सेवाएं एवं क्रीडा विभाग जुलाई, 1982 में स्थापित किया गया। इस विभाग के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं।

(i) गैर-छात्र युवाओं को आत्म अभिव्यक्ति, आत्म-विकास एवं साँस्कृतिक उत्थान के अवसर प्रदान करना,

(ii) काम तथा पारिवारिक जीवन यापन के लिए युवकों को तैयार करना ताकि वे सामाजिक एवं नागरीय उत्तरदायित्व को निभा सक,

(iii) युवाओं म भ्रातृभाव, देश प्रेम एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करना ताकि वे समुदाय एवं राष्ट्रीय विकास तथा योजना के कार्यों में भाग ले सकें।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए युवा सेवाएं एवं क्रीडा विभाग ने वर्ष 1985-86 के दौरान निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित किया :—

1. **हिमाचल प्रदेश राज्य युवा बोर्ड को सहाय अनुदान :**—राज्य युवा बोर्ड, युवक/महिला मण्डलों को विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों को चलाने के लिए वित्तीय सहायता देता है। इस वर्ष 120 ऐसे क्लब इस कार्यक्रम के अधीन लाए गए। वर्ष 1985-86 के बजट अनुमानों में हिमाचल प्रदेश राज्य युवा बोर्ड को 3.50 लाख रुपए देने का प्रस्ताव है।

2. **गैर-छात्र युवा उत्सव :**—सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रतियोगिताओं में युवाओं को और अधिक अवसर प्रदान करने हेतु विकास खण्ड जिला तथा राज्य स्तर पर ये उत्सव आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 1985-86 में इस कार्यक्रम के लिए 1.20 लाख रुपए रखे गए हैं। नवम्बर, 1985 तक 1.08 लाख रुपए व्यय किए जा चुके हैं तथा दिसम्बर, 1985 से मार्च, 1986 तक शेष 0.12 लाख रुपए की राशि व्यय करने की सम्भावना है।

3. **पारम्परिक पोशाकें :**—वर्ष 1985-86 में पारम्परिक पोशाकों को खरीदने के लिए 0.50 लाख रुपए का प्रावधान है तथा मार्च, 1986 तक पूरा व्यय होने की संभावना है।

4. **अन्तर्राज्यीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम :—**इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 15 से 35 वर्ष की आयु के गैर-छात्र युवाओं को औद्योगिक, ऐतिहासिक और प्रगतिशील महत्व के स्थानों को देखने के लिए भेजा गया। वर्ष 1985-86 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1.00 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे।

5. **कार्य-कैम्प :—**वर्ष 1985-86 में कार्य-कैम्पों के आयोजनों के लिए 1.00 लाख रुपए का प्रावधान है जिसमें युवाओं को क्रीड़ा मैदानों, वनीकरण कार्यक्रमों, ग्रामीण सड़कों की मुरम्मत तथा सफाई इत्यादि के कार्यों में अन्तर्ग्रस्त किया जाता है।

6. **युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कैम्प :—**इन कैम्पों में हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के कुछ विशेषज्ञ कृषि तथा बागवानी गतिविधियों के बारे में भाषण देते हैं। वर्ष 1985-86 में इस कार्यक्रम के लिए 1.00 लाख रुपए दिए गए हैं। जिनमें से नवम्बर, 1985 तक 0.77 लाख रुपए व्यय किए गए हैं।

7. **शिमला में युवा केन्द्र व क्रीड़ा तथा सांस्कृतिक कम्पलैक्स का निर्माण :—**इस कम्पलैक्स के निर्माण का कार्य विभिन्न चरणों में किया जा रहा है। वर्ष 1985-86 में इस कार्य के लिए 40.00 लाख रुपए रखे गए है तथा 31 मार्च, 1986 तक व्यय होनेकी सम्भावना है।

8. **टूरिसम :—**इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी युवाओं को स्वयं रोजगार का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह कार्यक्रम ट्राइसम के आधार पर शुरू किया गया। प्रचलित वर्ष में इस कार्य के लिए 1.00 लाख रुपए रखे गए हैं तथा मार्च, 1986 तक इस राशि के व्यय होने की सम्भावना है।

9. **जिला युवा केन्द्रों का निर्माण :—**वर्ष 1985-86 में युवा केन्द्रों के निर्माण के लिए 3.02 लाख रुपए रखे गए हैं तथा इस राशि की 31-3-1986 तक व्यय होने की सम्भावना है।

10. **प्रचार :—**विभाग द्वारा चलाए जाने वाली विभिन्न युवा गतिविधियों के प्रचार के लिए वर्ष 1985-86 में 0.75 लाख रुपए रखे गए हैं।

11. **कैम्पों के लिए उपकरणों का क्रय :—**वर्ष 1985-86 में कैम्पों के उपकरणों के क्रय के लिए 1.00 लाख रुपए रखे गए हैं।

12. **हिमाचल प्रदेश क्रीड़ा परिषद् के लिए सहाय अनुदान :—** हिमाचल प्रदेश क्रीड़ा परिषद् प्रदेश में अपने महत्वपूर्ण कार्यक्रमों द्वारा क्रीड़ा गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कुशल सेवा प्रदान कर रहा है। क्रीड़ा परिषद् हिमाचल प्रदेश में विभिन्न क्रीड़ा संघों को सहाय अनुदान देती है। ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए वर्ष 1985-86 में 7.50 लाख रुपए रखे गए हैं।

13. **कोचिंग कैम्पों का आयोजन :—** वर्ष 1985-86 में कोचिंग कैम्प आयोजित करने के लिए 1.00 लाख रुपए रखे गए हैं।

14. **एन.आई.एस. पटियाला के प्रशिक्षणार्थियों को वजीफा :—** वर्ष 1985-86 में हिमाचल के 10 ऐसे प्रशिक्षणार्थियों को जो एन. आई. एस. पटियाला में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, को 100 रु. प्रति प्रशिक्षणार्थी वजीफा देने हेतु 0.10 लाख रुपए का प्रावधान है।

15. **गैर छात्रों को क्रीड़ा वजीफा :—**वर्ष 1985-86 में पहली बार वजीफे के लिए 0.20 लाख रुपए रखे गए हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 22 गैर-छात्र युवाओं को 75 रुपए प्रतिमास की दर से वजीफे दिए जा रहे हैं।

16. **दौड़ो और दौडाओ स्वास्थ्य एवम् आनन्द बढ़ाओ (रन रन रन फॉर हैल्थ एण्ड फन) :—**वर्ष 1985-86 में स्वास्थ्य चेतना तथा क्रीडाओं से सचेत रहने के लिए छात्रों तथा गैर-छात्रों के लिए उक्त अभियान चलाया गया है तथा उसके लिए 0.20 लाख रुपए का प्रावधान हैं।

17. **सेवा कार्यरत कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम :—**इस कार्य के लिए 0.20 लाख रुपए रखे गए हैं तथा इस राशि के प्रचलित वर्ष में क्रीड़ा पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों पर व्यय होने की सम्भावना है। इस योजना द्वारा सेवारत कर्मचारियों को खेलों के बारे नवीनतम जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है।

18. **स्वचालित प्रशिक्षण कैम्पों में उपस्थित होने के लिए अनुदान :—** वर्ष 1985-86 में स्वचालित प्रशिक्षण कैम्पों में उपस्थित होने के लिए 0.20 लाख रुपए की राशि अनुदान देने के लिए रखी गई है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत लाभदायक सिद्ध हो रही है

19. **ग्रामीण क्रीड़ा केन्द्रों की स्थापना :—**वर्ष 1985-86 में इन केन्द्रों के रख-रखाव पर 0.60 लाख रुपए व्यय किए जाएगे।

20. **'जिला स्टेडिया' तथा 'यूटीलिटी स्टेडिया' का निर्माण :—** प्रचलित वर्ष में जिला स्टेडिया तथा यूटीलिटी स्टेडिया के निर्माण के लए क्रमश: 9.85 लाख रुपए तथा 7.15 लाख रुपए रखे गए हैं।

21. **विभिन्न योजनाएं :—**वर्ष 1985-86 में छोटी योजनाओं जैसे क्रीड़ा मैदानों का निर्माण, क्रीड़ा उपकरणों का क्रय, राष्ट्रीय सेवा योजना, अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष इत्यादि के लिए 19.03 लाख रुपए का प्रावधान है।

1986-87 के लिए योजना :—वर्ष 1986-87 में पिछले वर्ष की सभी योजनाओं को चलाने का प्रावधान है। अगले वर्ष कुछ नई योजनाएं शुरू करने का भी प्रस्ताव है। विभाग को सही ढंग से चलाने के लिए निदेशालय में एक नया सैक्शन बनाने का प्रावधान है। पूर्व स्थापित ढांचे को और अधिक विकसित तथा दृढ़ किया जायेगा।

7.4 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

इस विभाग द्वारा पर्यावरण की सफाई में सुधार, छूत की बीमारियों की रोकथाम, स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार कल्याण तथा मातृ एवम् शिशु स्वास्थ्य सेवा जैसी अमूल्य सेवाएं 40 असैनिक चिकित्सालयों, 11 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 17 ग्रामीण चिकित्सालयों (उथानित प्रा. स्वा. के.) 87 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 30 सहाय स्वास्थ्य केन्द्रों, 214 औषधालयों तथा 1,299 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही हैं। राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण गतिविधियों का ब्यौरा इस प्रकार हैं:—

1. **ग्रामीण स्वास्थ्य योजना :**—इस योजना के अन्तर्गत राज्य में 4,420 स्वास्थ्य मार्गदर्शी लोगों को प्राथमिक चिकित्सा सुविधा प्रदान कर रहे हैं। वे मलेरिया निरीक्षण, परिवार कल्याण, प्रतिरक्षण जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण गतिवितियों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं ।

2. **राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम :**—यह कार्य क्रम राज्य में किन्नौर तथा लाहौल स्पिति जिलों को छोड़कर समस्त जिलों में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस समय प्रदेश में 4,116 बुखार इलाज डिपो, 6,068 औषधी वितरण केन्द्र तथा 93 मलेरिया उपचारालय कार्य कर रहे हैं। वर्ष 1985 में (माह अक्तूबर तक) 6,39,703 रक्त स्लाईडें एकत्र की गई। 5,62,238 स्लाइडों की जांच की गई और उनमें से 32,368 अनुकूल पाई गई है।

3. **राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम :**—कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम प्रदेश में 6 कुष्ठ चिकित्सालयों, 76 परिणाह (सीमा) क्लीनिक, 15 सर्वेक्षण तथा शिक्षा उपचार केन्द्रों द्वारा जिनमें 187 रोगियों को अन्तरंग चिकित्सा प्रदान की क्षमता है कार्यान्वित किया जा रहा है। इन संस्थाओं के अतिरिक्त इन्दिरा गांधी मैडिकल कालेज शिमला से सम्बन्धित एक 20 बिस्तरों वाला अस्थायी वार्ड तथा एक पूर्ण निर्माण योग्य शल्य इकाई कार्यरत है। दो स्वयं सेवी संस्थाएं जो स्पाटू तथा पालमपुर में स्थित हैं इस बीमारी के रोकथाम में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

वर्ष 1985-86 में (नवम्बर 1985 तक) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 184 नए रोगियों का पता लगाया गया जबकि लक्ष्य 1,060 का था और 300 लक्ष्य के अन्तर्गत 159 मामले समाप्त किए गए।

4. **एस.टी.डी. नियन्त्रण कार्यक्रम :**—राज्य में एस. टी. डी. के उपचार के लिए 72 एस.टी.डी. संस्थाएं हैं इनमें से अधिकतर संस्थाएं ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में स्थित हैं। लगातार एस. टी. डी. नियन्त्रण काय के परिणामस्वरूप सिरोपाजिटिविटि दर जो वर्ष 1952 में 37.4 प्रतिशत थी वर्ष 1985 में (नवम्बर तक) घटकर 1.07 प्रतिशत रह गई। माह नवम्बर, 1985 तक 64,304 ब्लड एस.टी.एस. मामलों की जांच की गई जिनमें से 690 अनुकूल पाए गए।

5. **राष्ट्रीय क्षय रोग नियन्त्रण कार्यक्रम :**—राष्ट्रीय क्षय रोग नियन्त्रण कार्यक्रम में 2 क्षयरोग चिकित्सालय, 11 जिला क्षय रोग क्लीनिक, 6 क्षयरोग उपक्लीनिक तथा एक सर्वेक्षण एवं अधिवास उपचार केन्द्र जिनमें 713 बिस्तरों का प्रावधान है, के माध्यम से चलाया जा रहा है। वर्ष 1985-86 में नवम्बर, 85 तक 9,058 नये रोगियों का पता लगाया गया जबकि लक्ष्य 14,000 का था।

6. **बी.सी.जी. कार्यक्रम :**—बी. सी. जी. के टीके लगाने का कार्य क्षय रोग से बचाव की एक प्रभावशाली विधि है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1985–86 में 1,00,000 टीके लगाने का लक्ष्य है और माह नवम्बर, 85 तक 65,395 टीके लगाए गए।

7. **राष्ट्रीय अन्धेपन से बचाने का कार्यक्रम :**—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दो चालेष्णु इकाइयां राज्य को सौंपी गई हैं और इनको धर्मशाला तथा बिलासपुर में रखा गया है। वर्ष 1985-86 के 8,000 के लक्ष्य की तुलना में नवम्बर, 1985 तक 3,368 मोतिया बिन्द के आप्रेशन किए गये।

8. **परिवार कल्याण कार्यक्रम :**—परिवार कल्याण कार्यक्रम जिस का मुख्य उद्देश्य लोगों को छोटे परिवार को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। राज्य में स्वेच्छा के आधार पर चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 के लक्ष्य तथा माह दिसम्बर, 85 तक उपलब्धियों का विवरण इस प्रकार है:—

मद	लक्ष्य	उपलब्धियाँ
बन्ध्यकरण	38,000	15,485
लूप निवेश	21,000	16,315
गर्भ अवरोध प्रयोगकर्ता	23,000	29,626
ओरल गोलियां प्रयोगकर्ता	9,000	4,074

9. **मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं :**—यह कार्यक्रम जिसका मुख्य उद्देश्य सम्भावित माताओं तथा बच्चों के स्वास्थय में सुधार लाना हैं परिवार कल्याण कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग हैं। वर्ष 1985-86 के लिए लक्ष्य तथा माह नवम्बर, 1985 तक उपलब्धियां इस प्रकार हैं:—36,580 माताओं को टी. टी. (लक्ष्य का 37 प्रतिशत), 57,556 बच्चों (58 प्रतिशत) को डी. पी. टी., 81,462 (81 प्रतिशत) को डी. टी., 42,718 (43 प्रतिशत) को पोलियो, 40,375 (40 प्रतिशत) को टाईफाइड और 65,395 (65 प्रतिशत) को बी. सी. जी. के टीके लगाए गये। आहार सम्बन्धी कमजोरी से छुटकारा पाने के लिए 1,64,037 माताओं (लक्ष्य का 164 प्रतिशत) और 1,32,694 बच्चों (133 प्रतिशत) का उपचार किया गया।

10. **स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम :**— यह कार्यक्रम सभी एलापैथिक संस्थाओं के माध्यम से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कूल के बच्चों का चिकित्सा परीक्षण और रोगग्रस्त बच्चों का उपचार

किया जाता है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत डी. टी. टाइफाइड तथा टी. टी. के टीके लगाए जाते हैं। वर्ष 1985 में माह अगस्त तक 75,555 बच्चों का निरीक्षण किया और उन में से 32,463 रोगग्रस्त पाए गए ।

11. **दवाइयां :**—वर्ष 1985-86 में दवाइयां खरीदने के लिए आयुर्विज्ञान कालेज को छोड़कर 2.59 करोड़ रुपये का प्रावधान है ।

वर्ष 1986-87 के लिए योजना :— विभिन्न राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य तथा अन्य कार्यक्रमों को जारी रखने के साथ-साथ चिकित्सालयों, स्वास्थ्य केन्द्रों तथा औषधालयों को और सुदृढ़ बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 70 उपकेन्द्र स्थापित किए जाएंगे ।

7.5 आयुर्वेद

वर्ष 1985 के दौरान आयुर्वेद विभाग में पांच चिकित्सालय, 430 औषधालय तथा 10 बिस्तरों वाले 6 कक्ष जिला सिविल अस्पतालों के साथ कार्यरत रहे जिनमें 456 अन्तरंग तथा आपात-कालीन रोगियों के लिए बिस्तरों की व्यवस्था है।

उपरोक्त के अतिरिक्त दो आयुर्वेदिक फार्मेसियां, एक जिला सिरमौर के माजरा नामक स्थान पर तथा दूसरी जिला मण्डी के जोगिन्द्र नगर नामक स्थान पर औषधि उत्पादन तथा बहिवर्ती संस्थानों को दवाइयां भेजने के प्रबन्ध में कार्यरत है । भारतीय चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान के लिए एक अनुसंधान संस्थान जिला मण्डी में जोगिन्द्र नगर नामक स्थान में कार्यरत हैं । इस विभाग के अनुसंधान संस्थान एवं आयुर्वेदिक फार्मेसी शाखा के कार्य को ठीक दिशा में लाने हेतु निदेशक आयुर्वेदा (तकनीकी) के पद का सृजन किया गया है और निदेशक की नियुक्ति कर दी गई है । आयुर्वेद में शिक्षा हेतु जिला कांगड़ा में पपरोला नामक स्थान पर वर्ष 1978 से एक राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चल रहा है जिसमें प्रति वर्ष 20 छात्रों को बी. ए. एम. एस. के पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है। इस विद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में 266 विद्यार्थी हैं । महाविद्यालय में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एक पुस्तक अधिकोष की स्थापना भी की गई हैं और इसके लिए 60 हजार रुपये की पाठ्य पुस्तकें खरीदी गई हैं। इस वर्ष के दौरान महाविद्यालय के अन्तरंग अस्पताल ने भी ठीक प्रकार से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है।

इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय आयुर्वेद चिकित्सालय, शिमला तथा राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, पपरोला में पंचकर्म चिकित्सा प्रारम्भ करने की योजना है । इस प्रकार की चिकित्सा देश के इस भाग में उपलब्ध नहीं है और इस चिकित्सा के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित कराया जा रहा है ।

तिब्बती चिकित्सा प्रणाली के अन्तर्गत मनाली में भोट चिकित्सा पद्धति के अनुसार भी चिकित्सा प्रदान की जा रही है । आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति के व्यवसायों को पंजीकरण के लिए एक बोर्ड भी कार्यरत है ।

आयुर्वेद विभाग राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों से भी सम्बन्धित है जैसे राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम इत्यादि । सामान्य स्वास्थ्य विभाग के कई उपकेन्द्र आयुर्वेद औषधालयों में स्थित हैं जहां प्रसूतावस्था तथा बाल स्वास्थ्य की देखभाल व चिकित्सा प्रदान की जा रही है । राजकीय औषधालयों में कार्यरत चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी परिवार कल्याण कार्यक्रमों में सक्रिय भाग लेते हैं तथा पात्र दम्पत्तियों को नियोजित परिवार के लिए प्रेरणा देने, परिवार कल्याण शिविरों का आयोजन करने, आदि में लगे हैं।

7.6 होम्योपैथी

हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को सही रूप से चलाने के लिए वर्ष 1981 के दौरान हिमाचल प्रदेश होम्योपथिक प्रैक्टिशनर्ज एक्ट 1979 (1980 का एक्ट नं. 3) के प्रावधान के अनुसार प्रथम होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की कौंउसिल चालू की हैं ।

7.7 आयुर्विज्ञान महाविद्यालय

वर्ष 1985-86 के दौरान हिमाचल प्रदेश आयुर्विज्ञान महा-विद्यालय में 65 विद्यार्थियों की क्षमता रही । यह विद्यालय हिमाचल प्रदेश विश्व-विद्यालय से सम्बद्ध हैं। अध्ययन तथा प्रशिक्षण के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश राजकीय इन्दिरा गांधी अस्पताल तथा कमला नेहरू अस्पताल इससे सम्बद्ध हैं । प्रदेश में इस महाविद्यालय के खुलने से औषधी, शल्य क्रिया, स्त्री रोग व प्रसूती तन्त्र विज्ञान, एवं रति रोग विज्ञान, दन्त चिकित्सा, आंख-नाक गला, चिकित्सा विकृशा-विज्ञान, जीव भौतिक, इत्यादि में आम जनता को विशिष्ट सेवाएं सुलभ हैं । 31 दिसम्बर, 1985 तक की उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :—

1. **विद्यार्थी :**— इस वर्ष के दौरान 65 विद्यार्थियों ने एम.बी.बी. एस. की परीक्षा पास की तथा 324 विद्यार्थी महाविद्यालय में नामांकित हैं इसके अतिरिक्त 65 विद्यार्थी इन्टरशिप तथा 53 विद्यार्थी हाऊस जौब प्रशिक्षण पा रहे हैं ।

2. **स्नातकोत्तर उपाधि तथा पत्रोपाधि पाठ्यक्रम :**— चौदह विभागों में उपाधि पाठ्यक्रम तथा 8 विभागों में पत्रोपाधि पाठ्यक्रम आरम्भ किये गए हैं जिसमें कि 20 उपाधि तथा 18 पत्रोपाधि विद्यार्थियों की क्षमता है। उपाधि और पत्रोपाधि पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 14 है। इस वर्ष 16 छात्र स्नातकोत्तर उपाधि तथा 12 छात्र पत्रोपाधि पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं।

3. **अन्य प्रशिक्षण :**—इस महाविद्यालय में प्रदेश में अस्पतालों तथा औषधालयों की जरूरतें पूरी करने के लिए परिचारिकाओं, क्ष—रश्मि चित्रकों तथा चाक्षु सहायकों तथा प्रयोगशाला तकनीकियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इस समय 15 रश्मिचित्रकों, 43 चाक्षु सहायक व 29 प्रयोगशाला तकनीकियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं।

4. विशेष सेवाएं :—इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय उन महाविद्यालयों में से एक है जिन के पास फाईबर औपटिक ऐंडोसकोपी उपकरण हैं, संवृत्त हृदय शल्य चिकित्सा की जाती है तथा परिवार कल्याण योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए लैपरोसकोपिक उपकरण अपनाया गया है ।

5. आपातकालीन सेवाएं :— रोगियों की भलाई के लिए हर समय अपघात तथा "कार्डियक केयर यूनिट" सेवाएं प्रदान की जाती हैं । प्रयोग शाला तथा रक्तकोष सेवाएं भी हर समय उपलब्ध होती हैं ।

6. विश्व स्वास्थ्य संगठन/राष्ट्र मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम:—इस संस्थान के अधिकारियों को विश्व स्वास्थ्य संगठन/राष्ट्रमण्डल कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण दिया जाता है । ऐसे प्रशिक्षण अध्ययन रोगियों की देखरेख को सुधारने में लाभदायक सिद्ध हुए हैं ।

7. शिविर :— महाविद्यालय ने केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोजित योजना अन्धेपन पर नियन्त्रण पाने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत सुन्दरनगर तथा करसोग-(जिला मण्डी), गोंदपुर (जिला ऊना), तथा नालागढ़ (जिला सोलन) में आंखों के उपचार के शिविरों का आयोजन किया जिनमें 14,914 रोगियों का परीक्षण किया गया, 676 आंखों के तथा 225 अन्य आप्रेशन किए गए ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त निवारक तथा सामाजिक आयुर्विज्ञान विभाग ने दूर दराज क्षेत्रों में विभिन्न छोटे एवम् बड़े शिविर आयोजित किए जिनमें 7,523 रोगियों तथा 2,133 स्कूल के बच्चों का परीक्षण किया ।

8. पोस्टमार्टम कार्यक्रम :—आयुर्विज्ञान महाविद्यालय केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता प्राप्त पोस्टपार्टम कार्यक्रम में भी भाग ले रहा है । वर्ष 1985–86 के दौरान 955 बड़े व 2,933 छोटे ओ. बी. जी. आप्रेशन, 151 बड़े व 1,128 छोटे आप्रेशन तथा 671 टयूबैकटोमी आप्रेशन किए गए ।

9. निर्माण कार्यक्रम :—आयुर्विज्ञान महाविद्यालय तथा इससे सम्बन्धित अस्पताल के विभिन्न भवनों का निर्माण जारी है। कोबालट यूनिट भी जनसाधारण को 1986-87 के दौरान उपलब्ध हो जाएगा।

वर्ष 1986–87 के लिए योजना :— वर्ष 1986-87 के दौरान निम्नलिखित कार्य क्रम के कार्यन्वयन का प्रस्ताव है :—

1. एम. बी. बी. एस. के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में 65 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा । स्नातकोत्तर प्रशिक्षण तथा पाठ्यक्रम विभिन्न विशेषताओं में भी चालू रहेंगे।

2. केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित "अन्धेपन पर नियन्त्रण पाने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम" भी शुरू रहेगा ।

3. मुख्य भवन निमाण के अतिरिक्त निम्नलिखित निर्माण कार्य भी शुरू किए जाएंगे :—

(क) 10 बिस्तरों वाला पोस्टपार्टम वार्ड का निर्माण

(ख) नए विशेष तथा शिशु वार्ड का निर्माण

(ग) प्रशासकीय/बहिरंग रोगी खण्ड का निर्माण

(घ) अन्य आवश्यक निर्माण कार्य भी किए जाएंगे ताकि कुछ विभागों के आवास के लिए जो कमियां महसूस की जा रही हैं पूरी की जा सकें ।

7.8 आवास

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड का गठन सन 1972 में प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मकान बनाने, रिहायशी प्लाट विकसित करने तथा विभिन्न आवास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लक्ष्य से किया गया था । वर्ष 1985–86 में बोर्ड ने विभिन्न योजनाओं को निम्न तरीके से कार्यान्वियन किया :—

1. सामाजिक आवास योजना :— हि. प्र. आवास बोर्ड ने शिमला, सोलन, परवाणु, नाहन, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मण्डी, पालमपुर, तथा धर्मशाला में सामाजिक आवास क्लोनियां स्थापित की हैं। इन में वर्ष 1984–85 तक 1,401 मकान तथा 931 प्लाट का निर्माण हो चुका था । वर्ष 1985–86 में 226 इकाइयों के पूर्ण किए जाने की आशा है।

2. स्वतः वित्तदायी योजनाएं :— इस योजना के अन्तर्गत आवास बोर्ड शिमला तथा परवाणु में मकान/फ्लैट बना रहा है । वर्ष 1984–85 तक ऐसी 330 इकाइयां पूर्ण हो चुकी थीं । वर्ष 1985–86 के दौरान 120 इकाइयां पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

3. किराया आवास योजना :—हि. प्र. आवास बोर्ड इस योजना के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के लिए मकान निर्माण हेतु दो योजनाएं चला रहा है। वर्ष 1984–85 तक पुलिस किराया आवास योजना के अन्तर्गत शिमला, सोलन, परवाणु, नाहन, बिलासपुर, कुल्लू, हमीरपुर, पालमपुर, धर्मशाला स्कोह (धर्म शाला) तथा चम्बा में 228 ईकाइयों का निर्माण हो चुका है । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1985–86 में 45 इकाइयों को पूर्ण करने का लक्ष्य है । सरकारी किराया आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1984–85 तक शिमला, सोलन, नाहन, ऊना, मण्डी, हमीरपुर तथा धर्म शाला में 308 इकाइयों का कार्य पूर्ण हो चुका था । वर्ष 1985–86 के लिए 16 इकाइयां पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

4. प्रयोगात्मक आवास योजनाएं :—आवास बोर्ड भारतीय सरकार के "राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन" की प्रयोगात्मक आवास योजना के अन्तर्गत परवाणु में 48 एल. आई. जी. फ्लैटों का निर्माण कर रहा है । वर्ष 1984–85 के अन्त तक 24 फलैटों का कार्य पूर्ण हो चुका था तथा बाकी के 24 फ्लैटों के निर्माण का कार्य वर्ष 1985–86 के दौरान पूरा हो चुका है ।

5. डिपोजिट कार्य :—आवास बोर्ड विभिन्न संस्थाओं के लिए निर्माण कार्य कर रहा है । होटल होलीडे होम, शिमला, होटल शिवालिक, परवाणु, शिमला तथा हमीरपुर में बचत भवनों के महत्वपूर्ण निर्माण कार्य आवास बोर्ड ने पूर्ण किए हैं । वर्ष 1985–86 में बचत भवन, ऊना तथा हि. प्र. लोक प्रशासन संस्थान और केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थाओं के कई दूसरे निर्माण के कार्य चालू है ।

6. परवाणु में औद्योगिक प्लाटों का निर्माण :— आवास बोर्ड परवाणु में 234 औद्योगिक प्लाटों का निर्माण कर चुका है तथा ये प्लाट राज्य सरकार के उद्योग विभाग द्वारा विभिन्न उद्योगपतियों को उद्योग स्थापित करने हेतु आबंटित किये गये हैं।

7. वाणिज्यिक योजनाएं :— वर्ष 1985–86 के दौरान आवास बोर्ड वाणिज्यिक योजनाओं के अन्तर्गत भट्टाकुफर (शिमला) में वर्कशाप–कम–शापिंग कम्पलैक्स, जिला शिमला में ढली में नियमित मण्डी तथा मण्डी में संयुक्त आफिस कम्पलैक्स का निर्माण कार्य आरम्भ करने जा रहा है।

आवास बोर्ड द्वारा किए गए सर्वेक्षण के दौरान जनसाधारण की मांग को देखते हुए (संजोली) शिमला, सोलन, नाहन, ऊना हमीरपुर, बिलासपुर, मण्डी तथा धर्मशाला में वर्तमान कलोनियां का विस्तार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, सुन्दरनगर तथा कांगड़ा में नई क्लोनियां निर्माण करने का भी प्रस्ताव है।

7.9 पेय जल योजना

मार्च, 1985 तक प्रदेश के 16,916 ग्रामों में से ग्रामीण क्षेत्रों में 26.23 लाख की जनसंख्या (1971 जनगणना) के 12,743 ग्रामों को इस योजना के अन्तर्गत लाया गया। इनमें से 8,319 ग्रामों में पेयजल की भारी समस्या है तथा 4,424 ग्रामों में सुगमता से पहुँचाया गया। वर्ष 1984-85 में 770.57 लाख रुपए राज्य क्षेत्र तथा यूरोपीयन आर्थिक समुदाय के कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदान किए गए। 629 लाख रुपए की सहायता भारत सरकार द्वारा ए. आर.पी. के अन्तर्गत भी की गई। दयोठ सिद्ध ग्राम समूह की पेयजल योजना जिसमें रायल डच सरकार की वित्तीय सहायता है के लिए 75 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। जनवरी, 1986 तक 405 ग्रामों को पेयजल सुविधा प्रदान की गई थी।

शहरी पेयजल योजना :—वर्ष 1985–86 में 95 लाख रुपए की राशि विभिन्न पेय जल योजनाओं पर व्यय की जाने की आशा है

मल प्रवाह पद्धति :—वर्ष 1985–86 में 40 लाख रूपए की राशि मल प्रवाह योजनाओं में प्रदान की गई जिसमें 16 योजनाएं निर्माणाधीन हैं।

7.10 पिछड़े वर्गों का कल्याण

कल्याण विभाग–समाज के कमजोर वर्गों एवं पिछड़ी जातियों जिनमें अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन जातियां तथा पिछड़ वर्ग, स्त्रियां और शिशु भी सम्मिलित हैं के कल्याण-कार्य की देखरेख करता है। इन लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने तथा सामाजिक उत्थान के लिए निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत विकास कार्य किए जा रहे हैं :—

1. पिछड़े वर्गो का कल्याण,
2. समाज कल्याण;
3. विशेष पोषाहार कार्य क्रम, तथा
4. आई. सी. डी. एस. परियोजना।

पिछड़े वर्गों का कल्याण :—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां तथा तकनीकी छात्रवृत्तियां उनके सामान्य तथा तकनीकी शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए दी जाती है। पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियों के अन्तर्गत प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर कक्षाओं के छात्रों को क्रमश: 8 रुपए 12 रुपए तथा 15 रुपए प्रति छात्र प्रति मास छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च/उच्चतर कक्षाओं के अनुसूचित जातियों/जन जातियों के छात्रों को पुस्तक तथा स्लेट इत्यादि खरीदने के लिए क्रमश: 30 रुपए, 50 रुपए और 80 रुपए प्रति छात्र प्रति वर्ष अनुदान के रूप में दिए जाते हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण पाने वाले छात्रों को 100 रुपए प्रति मास शिक्षार्थि प्रति तकनीकी छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। जो छात्र विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से विभिन्न व्यवसायों में उत्तीर्ण होते हैं तथा जो अन्य औद्योगिक केन्द्रों से प्रशिक्षण पाते हैं उन्हें औजार तथा उपकरण खरीदने के लिए 300 रुपए तक की सहायता दी जाती है।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के रहन सहन की स्थिति सुधारने के लिए सरकार अधिक वर्षीले क्षेत्रों में 5,000 रुपए प्रति परिवार आवास अनुदान के रूप में तथा घरों के निर्माण के लिए प्रति परिवार 4,000 रुपए तक देती है। इस से आधी धनराशि मुरम्मत के लिए दी जाती है। इसके अतिरिक्त सरकार अन्तर्जातीय विवाहों, को प्रोत्साहन करने के लिए पुरस्कार देती है। ऐसे विवाहों को बढ़ावा देने के लिए पारितोषिक की राशि 3,000 रुपए से बढ़ा कर 5,000 रुपए प्रति दम्पत्ति कर दी है।

प्रदेश में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए अनुसूचित जाति विकास निगम की स्थापना की गई हैं। निगम बैंकों की सहायता से विभिन्न कार्य क्रम चलाता है।

वर्ष 1986–87 के लिए योजना :— वर्ष 1985–86 में चलाए जा रहे सभी कार्यक्रम वर्ष 1986–87 में भी चलाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त वर्ष 1986–87 में निम्नलिखित दो नई योजनाएं चलाने का प्रावधान है :—

1. अनुसूचित जाति परिवार जो क्रूरता के शिकार हों उन्हें सहायता देना,
2. आशुलिपि तथा टंकण में प्रवीणता—इस योजना के अन्तर्गत विभाग अपने विभिन्न क्षेतिय कार्यालयों में अनुसूचित जन जाति के 10 प्रशिक्षाणार्थियों को टंकण तथा आशुलिपि में प्रवीण करने का प्रस्ताव है। इनको 200 रुपए प्रति मास की दर से एक वर्ष तक या जब तक उन्हें उचित नियुक्ति प्राप्त न हो छात्रवृत्ति दी जाएगी।

वर्ष 1986–87 में 25 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने के लिए 0.50 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान है।

7.11 समाज तथा स्त्री कल्याण

समाज कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों जैसे निराश्रित, निर्बल, शारीरिक एंव मानसिक रूप से अपंग लोगों का कल्याण करना है। उनकी सामाजिक अन्याय से सुरक्षा करने तथा सभी प्रकार के शोषकों से बचाने के लिए सरकार ने बाल वालिका आश्रम, निराश्रित गृह, सामुदायिक केन्द्र खोल रखे है। वर्ष 1985–86 के कार्यक्रमों की प्रगति का ब्योरा निम्नलिखित है :—

1. **वृद्धावस्था पेंशन :—** सरकार राज्य में 49,249 व्यक्तियों को 50 रुपए प्रति मास की दर से वृद्धावस्था पैन्शन दे रही है। 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित को जिन्हें पालने वाला कोई भी नहीं, पेंन्शन दी जाती है। अपंग व्यक्तियों के लिए आयु की ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। पेंन्शन सरकारी खर्च पर मनिआर्डर द्वारा त्रैमासिक भेजी जाती है।

2. **विधवाओं के लिए पेंशन :—** वृद्धावस्था पेंन्शन की तरह सरकार विधवाओं को भी पेंन्शन देती है। इस योजना के अन्तर्गत 14,265 विधवाओं को पेन्शन दी गई हैं। विधवाओं के लिए आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

3. **कार्यरत महिलाओं के लिए आवास :—** नगरों में कार्यरत महिलाओं को आवास की सुविधा सुलभ कराने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने 11 कार्यरत महिला आवास गृहों के निर्माण की स्वीकृति दी है जो स्वंय सेवी संगठनों तथा स्थानीय निकायों द्वारा निर्मित किए जाएंगे। निर्माण का 75 प्रतिशत खर्च केन्द्र अनुदान के रूप में देगा तथा शेष 25 प्रतिशत राज्य सरकार स्वंय सेवी संगठनों तथा स्थानीय निकायों के स्थान पर उपलब्ध करायेगी। वर्ष 1986–87 में एक नए आवास गृह के निर्माण का प्रस्ताव है।

4. **स्टेट होम :—**निराश्रित स्त्रियों और लावारिस लड़कियों के लिए सरकार पांच स्टेट होम चम्बा, कांगड़ा, मण्डी, शिमला तथा कल्पा में चला रही है। इन गृहों में रहने वालों को निशुल्क आवास तथा प्रवास की सुविधा प्रदान करने के अतिरिक्त कटाई, सिलाई तथा कढ़ाई में प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि ऐसे आवास को छोड़ने के उपरान्त वे अपनी रोजी रोटी कमा सके। ऐसी स्त्रियों के पुनर्वास के लिए 1,000 रुपए प्रति स्त्री तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। ऐसे सदनों में रहने वाली महिलाओं के पुनर्वास को सुगम बनाने हेतु प्रशिक्षण में फेर बदल लाया जा रहा है। ठीक महिलाओं के मामलों में 2,500 रुपए तक वैवाहिक अनुदान भी दिया जाता है।

5. **बाल बालिका आश्रम :—**निराश्रित बच्चों तथा अनाथों के लिए सरकार ने कल्पा, सराहन, सुनी, मशोबरा, टूटीकण्डी (शिमला), सुन्दरनगर, सुजानपुर, कुल्लू, भरमौर और परागपुर में बाल/बालिका आश्रम खोले है। इन आश्रमों में रहने वालों को निशुल्क आवास तथा प्रवास के अतिरिक्त मैट्रिक तक शिक्षा दी जाती है।

6. **बच्चों के गृह/विशेष स्कूल :—** निराश्रित तथा उपेक्षित बच्चों के लिए हिमाचल प्रदेश चिलडरन एक्ट, 1979 की धाराओं के अन्तर्गत सुन्दरनगर में एक औबजरवेशन होम-कम चिलडरन होम की स्थापना की गई है। इन बच्चों को निशुल्क आवास तथा प्रवास की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त ऊना जिले में हरोली में एक विशेष स्कूल खोला गया है जिसमें 16 वर्ष तक के अपराधी लड़कों तथा 18 वर्ष तक की अपराधी लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है। यह स्कूल इसलिए स्थापित किया गया ताकि अपराधी बच्चे जेलों के बड़े अपराधियों के साथ न मिल जाए। इस समय बच्चों के लिए केवल एक न्यायालय ऊना में कार्यरत है परन्तु वर्ष 1986–87 में ऐसे और न्यायालय स्थापित करने की संभावना हैं।

7. **आई. सी. डी. एस. कार्यालय :—**वर्ष 1983-84 तक प्रदेश में 12 आई. सी. डी. एस. परियोजनाएं कार्यरत थी। वर्ष 1985-86 में ऐसी 3 और परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। ये परियोजनाएं बच्चों तथा गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए पौषाहार तथा स्वास्थ्य की देखभाल के लिए स्थापित की गई हैं।

उपरोक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त, वर्ष 1985-86 में प्रदेश में 23 विभागीय सामुदायिक केंन्द्र कार्य कर रहे हैं। कुछ योजनाएं स्वंय सेवी संस्थाओं द्वारा सहाय अनुदान से चलाई जा रही है।

वर्ष 1986–87 के लिए योजना :— वर्ष 1985-86 में चलाए जा रहे सभी कार्यक्रमों के अतिरिक्त वर्ष 1986-87 में निम्नलिखित 2 नए कार्य चलाने का प्रस्ताव है :—

1. **फोस्टर केयर सर्विस :—** वर्ष 1986-87 में शारीरिक, मानसिक तथा भावमय देखभाल और विकास के लिये विकास तथा निराश्रित अनाथ तथा असम्बन्धित बच्चों को सामान्य परिवार जैसी स्थिति बनाने के लिए फोस्टर केयर सर्विस योजना चलाने का प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत 16 वर्ष तक के बच्चों को सामान्य परिवारों के साथ मिलाया जाएगा जो उन्हें अपने बच्चों की तरह पाल सकें।

2. **विकलांगों के लिए प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र :—**वर्ष 1986-87 में विकंलागों को कुर्सियों की बुनाई, मोमबत्तियां बनाने तथा सिलाई इत्यादि में प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र की स्थापना करने की योजना है।

7.12 पौषाहार कार्यक्रम

सामाजिक तथा स्त्री कल्याण विभाग द्वारा चलाए गए विशेष पौषाहार कार्यक्रम का उद्देश्य 6 वर्ष तक की आयु वर्ष के बच्चों, गर्भवती स्त्रियों तथा दूध पिलाने वाली माताओं को अनुपूरक पौष्टिक आहार प्रदान करना है। वर्ष 1986-87 के लिए इस योजना के अन्तर्गत 133.75 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है, जिससे प्रदेश के 1,683 केन्द्रों से 67,055 बच्चों और 12,965 गर्भवती स्त्रियों तथा दूध पिलाने वाली माताओं को लाभ पहुंचेगा। पौष्टिक आहार की प्रति इकाई लागत 1-10-85 से 25 पैसे से बढ़ा कर 50 पैसे प्रति दिन प्रति बच्चा तथा 50 पैसे से बढ़ा कर 80 पैसे प्रति दिन प्रति माता कर दी गई है।

इसके अतिरिक्त ग्रामीण एकीकरण विकास विभाग भी व्यवहारिक पौषाहार कार्यक्रम चला रहा है। यह कार्यक्रम मूलतः शैक्षणिक है, जिस का उद्देश्य ग्रामीण लोगों के खानपान की आदत में परिवर्तन लाना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्यतः कुक्कुट इकाइयां स्थापित करना, घर आंगन में सब्जी उगाना तथा कमजोर वर्ग के बच्चों तथा गर्भवर्ती स्त्रियों और दूध पिलाने वाली माताओं को पौष्टिक आहार कराना सम्मिलित हैं।

7.13 रोजगार तथा श्रम कल्याण

श्रम तथा रोजगार विभाग वर्तमान श्रम शक्ति तथा इसमें हुई बढ़ौतरी का लेखा रखता है। जन शक्ति की मांग व पूर्ति, रोजगार संस्थाओं, व्यावसायिक मार्गदर्शन तथा रोजगार संबंधी सूचना के माध्यम से व्यवस्थित की जाती है। इस विभाग का दूसरा मुख्य कार्य श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करना है जो विभाग श्रम कल्याण के विभिन्न कानूनों के प्रभावशाली ढंग से अमल में लाकर सुनिश्चित करता है। विभाग की कार्य प्रणाली का ब्योरा नीचे दिया गया है :—

क. जन शक्ति तथा रोजगार योजनाएं

इस योजना के अधीन श्रमिकों को निम्न प्रकार से सहायता की जाती है (1) विभिन्न योग्यताओं तथा अनुभव के अनुसार रोजगार चाहने वालों को उपयुक्त रोजगार प्राप्त करवाना, (2) फालतू तथा निकाले गए कर्मचारियों तथा श्रमिकों को वैकल्पिक रोजगार दिलाना, (3) मालिकों को उपयुक्त श्रमिक भेजना (4) रोजगार संबंधी अवसरों तथा प्रशिक्षण संबंधी सूचनाएं एकत्र करना तथा (5) युवक और रोजगार चाहने वालों को नए रोजगार की आवश्यकता के अनुसार अपने व्यवसाय को बदलना आदि। प्रदेश में रोजगार संबंधित सहायता/सूचना प्रदान करने के लिये रोजगार सहायता/सूचना केन्द्र प्रदेश के कई प्रशासनिक इकाईयों तथा महत्वीय संस्थानों में स्थापित किए गए हैं।

रोजगार स्थिति :— अक्तूबर 1985 तक प्रदेश में रोजगार की सामान्य स्थिति की यदि पिछले वर्ष से तुलना की जाए तो यह प्रकट होता है कि चालू पंजीका में 28.8 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई जबकि प्रदेश के रोजगार कार्यालयों द्वारा विभिन्न रिक्तियों के अन्तर्गत सम्प्रेषण 15.95 प्रतिशत घटा। रोजगार चाहने वालों की संख्या में वृद्धि का मुख्य कारण नई नवीकरण पद्धित है। सम्प्रेषण घटने का मुख्य कारण हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार नहीं करवाना है। पंजीकरण तथा अधिसूचित व्यक्तियों में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ जबकि रोजगार प्राप्त करने वालों की संख्या में 19.21 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

एक जनवरी, 1985 से 30 नवम्बर, 1985 तक की अवधि में 68,685 प्राथियों को पंजीकृत किया गया तथा 6,449 प्राथियों को रोजगार प्रदान करवाया गया। 10,147 रिक्तियों को अधिसूचित किया गया। 30 नवम्बर, 1985 तक सभी रोजगार कार्यालयों में 3,12,916 प्रत्याशी चालू रजिस्टर में थे।

इस अवधि में 543 पद जो भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित थे अधिसूचित किये गए तथा 531 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त 2 आश्रितों को भी गैर आरक्षित पदों पर लगाया गया। 30-11-1985 तक 16,588 भूतपूर्व सैनिक चालू रजिस्टर पर थे।

30-11-1985 को 2,286 शारीरिक रूप से अपंग चालू रजिस्टर पर थे, 422 शारीरिक रूप से अपंग पंजीकृत थे 38 को नौकरियां दी गई और 13 को 1-1-1985 से 30-11-1985 की अवधि में प्रशिक्षण हेतु, बी. आर. टी. सी. सुन्दरनगर में प्रवेश करवाया गया। इसके अतिरिक्त रोजगार बाजार सूचना एकत्रित की जाती रही तथा उपभोक्ताओं को दी जाती रही। व्यावसायिक मार्गदर्शन तथा रोजगार मन्त्रणा सेवा द्वारा रोजगार मार्गदर्शक सूचनाएं भी दी जाती रही।

ख. श्रम कल्याण योजनाएं

श्रम संगठन श्रम कल्याण योजनाओं को सुचारू रूप से कार्यान्वित करवाने को सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए श्रम संगठन श्रमिकों को प्रबन्ध में भाग लेने की योजना के अन्तर्गत श्रमिकों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देता है। इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में बहुत सी श्रम कल्याण योजनाएं संचलित रही, जिनमें से कुछ एक का ब्यौरा निम्न है :—

1. **कर्मचारी राज्य बीमा योजना :—** कर्मचारी बीमा योजना अधिनियम, 1948 कर्मचारियों को बीमारियों के भय, प्रसूति अपंगता और मृत्यु आदि से होने वाले खतरों से सुरक्षित करता है। खानों और रेलवे शैड्स को छोड़कर पूरे वर्ष चलने वाले कारखानों, जिनमें 20 या अधिक लोग काम करते हों और शक्ति का प्रयोग करते हों। ऐसे श्रमिक जिनका मासिक वेतन 1,600 रुपए से अधिक न हो इस अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं। यह योजना मूलतः कर्मचारियों तथा मालिकों के अंशदान से चलाई जाती है तथा कुल व्यय का 1/8 भाग सरकार देती है।

यह योजना सोलन, परवाणु तथा महतपुर में चालू है। इस समय लगभग 7,100 कर्मचारी इस योजना के अधीन है तथा इस योजना को दूसरे क्षेत्रों तथा कारखानों में भी लागू करने का प्रयास किया जा रहा है।

2. **कर्मचारी भविष्य-निधि एक्ट, 1952 :—** यह योजना उन सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है जो उन कारखानों, प्रतिष्ठानों में काम करते हैं, जिनकों लगे हुए 3 वर्ष पूरे हो गए हैं तथा 50 व इस से अधिक व्यक्ति काम पर हैं अथवा जिनकी स्थापना हुए 5 वर्ष हो गए हैं और 20 से 49 व्यक्ति काम पर हैं। इस समय हिमाचल प्रदेश में इस ऐक्ट के अधीन लगभग 38,458 कर्मचारी आ चुके हैं।

3. **औद्योगिक कर्मकारों तथा आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए एकीकृत सहाय आवास योजना :—** इस योजना का वर्तमान नाम भूतपूर्व संचालित दो योजनाओं, औद्योगिक श्रमिकों के लिए आवास योजना, 1952 तथा कमजोर वर्ग आवास योजना, 1962 को

मिलाकर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार राज्य सरकारों को धन उपलब्ध करवाती है तथा राज्य सरकारें अनुमोदित संस्थाओं को आवास संबंधी सुविधाएं प्रदान करने हेतु धन देती है।

4. श्रमिक शिक्षा योजना :– इस केन्द्रीय संचालित योजना का उद्देश्य श्रमिकों को उन परिस्थितियों को सही जानकारी देना है जिन में वे कार्य करते हैं और उन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए तैयार करना है जो कार्य की विषमता से उत्पन्न होती है। श्रमिकों को यह भी प्रशिक्षण दिया जाता है कि उनको श्रमिकों के अधिक से अधिक लाभ के लिये अपने संघों द्वारा क्या आचरण अपनाना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए श्रमिकों के शिविर परवाणु, महैतपुर, सोलन, हमीरपुर तथा प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों जैसे किन्नौर, तथा तहसील रोहड़ू में चिटगांव आदि स्थानों में लगाए गए।

5. फैक्टरी रोजगार :– फैक्टरी अधिनियम, 1948 उन्हीं संस्थानों से लागू होता है जिनमें 20 या अधिक कर्मकार बिना शक्ति के प्रयोग से या जहां पर 10 या अधिक कर्मकार शक्ति के प्रयोग सहित कार्य कर रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य कर्मकारों के हितों की रक्षा करना, जिनमें उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण, व्यस्कों के कार्य करने के घण्टे आदि हैं।

6. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का लागू करना :-हिमाचल प्रदेश सरकार ने 12 अनुसूचित न्युक्तियों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है। चाय रोपण के जिसमें मजदूरी दर 8 रुपए 40 पैसे प्रतिदिन है के अतिरिक्त सभी 12 अधिसूचित नियुक्तियों में अकुशल कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी 10 रुपए प्रति दिन निर्धारित की गई है। जन-जातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में वर्तमान दरों पर क्रमशः 25 प्रतिशत तथा $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत बढ़ौतरी कृषि, सड़क तथा भवन निर्माण तथा मुरम्मत, पत्थर तोड़न तथा पत्थर की बजरी बनाने, तथा वन तथा इमारती लकड़ी के कार्यों में लगे श्रमिकों को स्वीकार की गई है। इसके अतिरिक्त सुरंगों में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी में भी 20 प्रतिशत को वृद्धि की है। संशोधित दरें 16-8-1984 से लागू हुई है। जबकि अधिसूचना मई, 1985 में जारी हुई थी। वर्ष 1985-86 में सरकार ने न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अन्तर्गत "कागज तथा कागज उत्पत्ति के" व्यवसाय को भी जोड़ा है। कृषि श्रमिकों न्यूनतम वेतन के भुगतान के लिए सभी तहसीलदारों तथा जिला रोजगार अधिकारियों को न्यूनतम वेतन, अधिनियम 1948 के अन्तर्गत निरीक्षक घोषित किया गया जो कि श्रम संगठन के कार्यों के अतिरिक्त है। विभाग इस बात का भी ध्यान रखता है कि सरकार द्वारा निश्चित मजदूरी फैक्टरी कर्मकारों को नियमित रूप से मिलती रहे और मालिकों द्वारा कोई फजूल कटौती न की जाए। विभाग यह भी ध्यान रखता है कि श्रमिकों को ठीक चिकित्सा सुविधांए प्राप्त हो तथा दुर्घटना के समय उन्हें उचित राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाए। 12 सतर्क समितियां जिला स्तरों पर तथा 37 उपमण्डल स्तर में बन्धुआ मजदूरों की शिनाखत तथा उनके पुर्नवास स्थापित की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य तथा जिला स्तर पर छानबीन समिति का गठन भी किया गया है जो कि शिनाख्त हुए बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए योजनाओं की सिफारिश करती है।

ग. सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में रोजगार :– जून, 1985 के अन्त तक प्रदेश में 2,63,234 (2,44,443 सार्वजनिक क्षेत्र, 18,791 निजी क्षेत्र) कर्मचारियों की तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि में 2,49.911 (2,33,358 सार्वजनिक क्षेत्र, 16,553 निजी क्षेत्र) कर्मचारी कार्यरत थे। सार्वजनिक क्षेत्र में राज्य सरकार के कार्यान्लियों में 71.67 प्रतिशत, केन्द्रीय सरकार के कार्यालियों में 6.86 प्रतिशत, अर्ध सरकारी कार्यालियों, (केन्द्रीय) में 5.58 प्रतिशत, अर्ध सरकारी कार्यालियों (राज्य) में 14.68 प्रतिशत तथा स्थानीय निकायों में 1.22 प्रतिशत कर्मचारी कार्यरत थे।

वर्ष 1986–87 के लिए योजना :– वर्ष 1986-87 में श्रम कल्याण अधिनियम के अन्तर्गत श्रम कल्याण निधि जो विभिन्न कल्याण योजनाओं को धन देगी के गठन का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त 2 श्रम क्षेत्रीय कार्यालियों की स्थापना के अतिरिक्त श्रम नियमों को कारगर ढंग से लागू करने का भी प्रस्ताव है। रोजगार के क्षेत्र में विभाग द्वारा रोजगार की ओर सुविधाएं प्रदान करने/सुधार करने के उद्देश्य से उप-रोजगार कार्यालियों को सुदृढ़ करना व एक व्यावसायिक मार्गदर्शन इकाई की स्थापना करना।

7.14 नगर विकास तथा ग्राम नियोजन

वर्ष 1985-86 के दौरान 12 कस्बे परवाणु, बरोटीवाला, नालागढ़, पौंटा साहिब, नाहन, सराहन, धर्मशाला, पालमपुर, महैतपुर, ऊना, चम्बा और डलहौजी का विकास सरकार के द्वारा अनुमोदनार्थ किया गया था। कुल्लू, मनाली, मण्डी, हमीरपुर, बरोटीवाला, नालागढ़, परवाणु और रिकोंग पिओ कस्बों की विकास योजना की तैयारी का काम प्रगति पर है।

शिमला, मण्डी और हमीरपुर की परिसर योजना की तैयारी प्रगति पर है। पुर्ननिरिक्षण आन्तरिक विकास योजना, शिमला, एक व्यापक विकास योजना है।

इस वर्ष के दौरान पांच हजार, झुगियों में रहने वालो के सुधार का लक्ष्य तय हुआ है (1) शिमला (2) थियोग (3) कोटखाई (4) जुब्बल (5) कांगड़ा (6) भुन्तर (7) अपर सुलतान पुर कुल्लू (8) बिलासपुर (9) सुजानपुर और देहरा गोपीपुर कस्बों का काम प्रगति पर है।

एक परियोजना रिपोर्ट 122 करोड़ रु. की शिमला, मण्डी, कुल्लू-मनाली और धर्मशाला के शहरी विकास के लिए (विश्व बैंक की सहायता से) तैयार हो चुकी है।

7.15 भाषा एवं संस्कृति

भाषा एंव संस्कृति विभाग सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण तथा भाषा एंव संस्कृति के उत्थान में संलग्न है।

हर वर्ष की तरह, 1985-86 के दौरान भी हिन्दी, पहाड़ी, संस्कृत तथा उर्दू दिवस बनाए गए। जिला स्तर पर कालीदास जयंती मनाने के अतिरिक्त अखिल भारतीय लेखक तथा कवि सम्मेलन भी आयोजित

किया गया । हिन्दी भाषा को सरकारी भाषा अपनाने हेतु एक शासकीय भाषा कमेटी बनाई गई । लोक गीतों, लोक गाथाओं, मुहावरों तथा लोकोक्तियों से संबंधित 4,361 पृष्ठों का संकलन किया गया । वर्ष 1985-86 के दौरान "प्रशासनिक शब्द संग्रह" "काव्य धारा भाग-लोकोक्ति संग्रह", "परमार स्मारिका," "कुल्लू दशहरा स्मारिका" तथा "हिमाचल प्रदेश के स्वतन्त्रता सेनानी" (जिसमें कि 1,964 सेनानियों का परिचय छाया चित्रों सहित दिया गया है) नामक पुस्तकों का प्रकाशन हुआ । इसके अतिरिक्त हिन्दी पत्रिका द्विमासिक "विपाशा" तथा त्रैमासिक उर्दू पत्रिका "फिक्रो-फन" भी प्रकाशित हुई ।

इसके अतिरिक्त कला के उत्थान के लिए छायाचित्र, चित्रकला तथा लघुचित्र-कला प्रदर्शनियां, बच्चों व विद्यार्थियों के लिए "आन द स्पाट" चित्रकला प्रदर्शनी आयोजित की गई । हिमाचल प्रदेश के सांस्कृतिक दलों ने भारत-पैरिस उत्सव, व्यापार मेला, दिल्ली, आयोध्या तथा उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला में भाग लिया । प्रदेश के सांस्कृतिक दल ने "फूल वालों की सैर" में प्रथम स्थान प्राप्त किया । इसके अतिरिक्त प्रथम नाटक उत्सव जिला और राज्य स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता तथा राष्ट्रीय नाट्य स्कूल के सहयोग से एक नाटक आयोजित किया गया ।

वर्ष 1985-86 के दौरान राज्य संग्रहालय, शिमला के लिये 60 कलाकृतियां अर्जित की गई तथा चार प्रकार के रंगीन पोस्टकार्ड तथा एक टांकरी प्रारम्भिक पुस्तिका का प्रकाशन हुआ । वार्षिक कला प्रदर्शनी तथा फोटोग्राफी व चित्रकला प्रदर्शनियों का आयोजन भी किया गया । वर्ष 1985–86 के दौरान हुए पुरातात्विक सर्वेक्षण में तहसील पांवटा साहिब के 60 महत्वपूर्ण मन्दिर तथा नाहन के 83 मन्दिर पुरातात्विक मानचित्र पर लाए गए । विभिन्न मन्दिरों के छायाचित्रों व सलाइडज का अनुरक्षण किया गया तथा शिमला में स्वर्गीय डा. वाई. एस. परमार की प्रतिमा की भी स्थापना की गई । 3,000 से अधिक फाइलें तथा पुराने रिकार्ड प्राप्त किए तथा राज्य अभिलेखागार में आम जनता के लिए रखा गया हि० कला सांस्कृति तथा भाषा अकादमी में गुलेरी जयन्ती, यशपाल समारोह, पहाड़ी गांधी बाबा कांशी राम तथा लाल चन्द प्रार्थी स्मृति समारोहों के अतिरिक्त विभिन्न राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित की । हिमाचली लेखकों की पुस्तकों पर अकादमी पुरस्कार घोषित किए गए ।

वर्ष 1986–87 के लिए योजना :–

धर्मशाला में कला वीथी को पूरा करने के अतिरिक्त, राज्य व जिला स्तरीय लोकनृत्य प्रतियोगिता, उर्दू दिवस, नाटक उत्सव विभिन्न प्रदर्शनी, मन्दिर तथा पुराने स्मारकों का पुरातात्विक, सर्वेक्षण, राज्य अभिलेखागार के लिए पुराने अभिलेखों को अर्जित करना, देव तथा युद्ध गाथाओं के प्रकाशन की योजनाएं चालू रखने का कार्यक्रम है ।

7.16 पर्वतारोहण

पर्वतारोहण तथा सम्बद्ध क्रीड़ा विभाग, मनाली देश व विदेश के नवयुवकों व नवयुवतियों को पर्वतारोहण, स्कीइंग, उच्चतुंगीय पदयात्रा, जल क्रीड़ा, चट्टानोरोहण तथा बर्फ की चट्टानों के अभाव पर संक्षिप्त पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण देता है । वर्ष 1985-86 में 7 प्राथमिक तथा विशेष पाठ्यक्रम, 5 अग्रिम पाठ्यक्रम, 12 चट्टानों पर चढ़ने के पाठ्यक्रम, 6 स्कीइंग पाठ्यक्रम, 1 एम. ओ. आई. पाठ्यक्रम, 8 जल क्रीड़ा पाठ्यक्रम, 4 स्कीइंग पाठ्यक्रम, हिमाचली छात्रों को छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत लाया गया ।

इन विभिन्न कार्यों के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 में 206 लड़के व लड़कियों को प्राथमिक पाठ्यक्रम, 37 युवाओं को अग्रिम पाठ्यक्रम, 473 पर्वतारोहियों को पर्वतारोहण के लिए, 17 छात्रों को चट्टानों पर चढ़ने के पाठ्यक्रमों, 171 छात्रों की स्कीइंग पाठ्यक्रमों, 151 युवाओं को जल क्रीड़ा पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण देने का कार्य किया । इन कार्यों के अतिरिक्त हिमाचल के 100 युवाओं का मनाली, धर्मशाला, डलहौजी तथा नारकण्डा में छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिए स्कीइंग पाठ्यक्रमों का आयोजन किया । 4 व्यक्तियों को अनुदेशों के तरीकों में प्रशिक्षण दिया ।

फरवरी 1985 में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शीतकालीन उत्सव मनाया गया जिसमें लगभग 350 युवाओं ने भाग लिया । सोलंग नाला में लगाई गई स्की लिफ्ट स्की प्रशिक्षार्थियों को स्की पाठ्यक्रम हेतु काम में लाया जाता है ।

विभाग विभिन्न क्लबों से आए विभिन्न अभियान दलों तथा पर्वतारोहियों को पर्वतारोहणी उपकरण किराए पर देता है जिससे सरकार को 1.50 लाख रुपए की आय होती है ।

जनजातीय उप-योजना के अन्तर्गत विभाग ने दो बचाव केन्द्र कोखसर तथा मढ़ी में खोले हैं । ये बचाव केन्द्र सर्दियों में जनजातीय लोगों को रोहतांग दर्रा पार करने में सहायता करते हैं । वर्ष 1985-86 में इन बचाव केन्द्रों नें 2,075 जनजातीय लोगों को रोहतांग दर्रा पार करने में सहायता की । जनजातीय क्षेत्रों के 63 युवाओं को पर्वतारोहण तथा बचाव पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण भी दिया ।

इस वर्ष वाचनालय भवन के निर्माण का कार्य भी पूरा किया जाएगा । होस्टल के दूसरे ब्लाक का कार्य प्रगति पर है । पौंग डैम में जल क्रीड़ा कम्पलैक्स के निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है ।

वर्ष 1986–87 के लिए योजना :–वर्ष 1986-87 में चालू कार्यक्रमों को भी अधिक गति से चलाया जाएगा तथा 315 व्यक्तियों को प्राथमिक अग्रिम एम.ओ.आई. चट्टानों पर चढ़ने के पाठ्यक्रमों, 490 व्यक्तियों को पर्वतारोहण, 250 व्यक्तियों को जल क्रीड़ाओं तथा 200 व्यक्तियों को स्कीइंग पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जाएगा । वर्ष 1986-87 में नारकण्डा, डलहौजी तथा अन्य केन्द्रों में एक्ट न. 4 के अन्तर्गत बचाव कार्यों के लिए नए पर्वतारोहण होस्टल बनाने का प्रावधान है ।

7.17 विज्ञान और औद्योगिकी

हिमाचल प्रदेश में विज्ञान और औद्योगिकी विभाग वर्ष 1983 में स्थापित किया गया। राज्य में विज्ञान और औद्योगिकी परिषद् तथा परिवेश मुख्यमन्त्री की अध्यक्षता में निम्नलिखित उद्धेश्यों से स्थापित किया गया :—

(1) विज्ञान का प्रचार, तथा विज्ञान व औद्योगिकी के प्रयत्नों द्वारा लोगों में वैज्ञानिक स्वभाव की उत्पति।

(2) विज्ञान तथा औद्योगिकी पर आधारित तथा विज्ञान एवं औद्योगिकी से सम्बन्धित कुछ क्षेत्रों में तकनीकी स्थापना का कार्यक्रम जिसमें तकनीकी स्थानान्तरण का पहलू दूसरी योजनाओं जैसा कि एकीकृत ग्राम विकास परियोजना रोज़गार उत्पत्ति कार्यक्रम, औद्योगिक विकास इत्यादि से सम्बद्धता भी शामिल है।

(3) इंजिनियरिंग द्वारा रूपरेखा तथा सलाह की योग्यता।

(4) राज्य स्तर पर प्राकृतिक स्रोतों पर आधारित बहुमुखी आंकड़ों का निर्माण।

(5) विज्ञान तथा औद्योगिकी शिक्षा विकास कार्यक्रम का आरम्भ।

(6) देशी तकनीकी का उपयोग एवं विज्ञान तथा औद्योगिक उद्यमता।

(7) विज्ञान तथा औद्योगिकी पर कार्यशालाएं/सैमिनार।

(8) विज्ञान तथा औद्योगिकी सूचना का आधार।

(9) राज्य की विकास मान्यताओं के अतिरिक्त विज्ञान तथा औद्योगिकी योजनाएं, समन्वित विज्ञान तथा औद्योगिकी कार्यक्रम इत्यादि।

विभिन्न अनुभवी वैज्ञानिकों तथा औद्योगिकों तथा योजनाकारों की अध्यक्षता में 6 श्रमिक दलों (i) भूमि तथा जल प्रबन्ध, (ii) ग्रामीण औद्योगिकी स्थानान्तरण, (iii) विद्युत, (iv) स्वास्थ्य, (v) शिक्षा तथा श्रम शक्ति विकास, तथा (vi) औद्योगिक विकास की इन क्षेत्रों में विज्ञान तथा औद्योगिकी कार्यकलापों की सिफारिशों के लिए स्थापना की।

प्रदेश में विज्ञान तथा औद्योगिकों को लोकप्रिय बनाने के लिए वर्ष 1984 में राष्ट्रीय उत्पादता परिषद् के साथ राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया जो विज्ञान तथा औद्योगिकी विभाग के प्रस्तावित पक्ष के रूप में कार्य करता है। वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 (अक्तूबर 1985 तक) में लोगों की धुंआरहित चुल्हों तथा बायोगैस के निर्माण तथा उपयोग में प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न विकास खण्डों में 113 शिवरों का आयोजन किया। इसी अवधि में 35,726 धुंआरहित चुल्हे तथा 4,194 बायोगैस प्लांट का निर्माण किया गया। एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के लिए चार खण्ड चुने गए तथा प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई।

विज्ञान तथा औद्योगिक अनुसंधान परियोजना के लिए सहायता :— 1984-85 तथा 1985-86 में (अक्तूबर, 1985 तक) विभिन्न अनुसंधान योजनाओं/शोध कार्यों में विज्ञान तथा औद्योगिकी अनुसंधान योजनाओं को चलाने के लिए 74,000 रुपए रखे गए हैं।

अनुसंधान तथा विकास कक्ष की स्थापना :—सौर उर्जा, बायोगैस, धुंआरहित चुल्हों, सस्ती सफाई तथा सस्ते आवास के अनुसन्धान तथा विकास के लिए राजकीय बहुशिल्प, सुन्दरनगर के सामुदायिक विकास कक्ष में अनुसंधान तथा विकास कक्ष की स्थापना की गई है। प्रचलित वर्ष में ऐसे एक और अनुसंधान तथा विकास परियोजना राजकीय बहुशिल्प, हमीरपुर में चलाने का प्रस्ताव है।

सौर उर्जा :—सौर उर्जा के क्षेत्र में पानी गर्म करने तथा कमरा गर्म करने इत्यादि के लिए सरकारी संस्थानों में सौर उर्जा के विकास के लिए 10 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं का कार्य विज्ञान तथा औद्योगिकी कार्यों में प्रसिद्धि प्राप्त करना है।

वनों के भार की कम करने तथा खाना बनाने के लिए सौर उर्जा का प्रयोग करने के लिए इस वर्ष स्पिति घाटी में सौर कुकर मुफ्त देने का कार्य प्रगति पर है। किन्नौर जिले की हंगरंग घाटी में एक गांव को बिजली सेकने तथा खाना बनाने के लिए चुना गया है ताकि बिजली के आर्थिक प्रयोग व उपयोगिता की समीक्षा करने हेतु इस के ईंधन व परिवहन की लागत की तुलना जलाने की लकड़ी से की जा सके।

चिकित्सा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुसंधान परियोजनाएं :—यह विभाग स्वास्थ्य विभाग के साथ ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सांस, रक्त बहाव तथा अन्य अंगों के प्रभाव को निर्धारित तथा विश्लेषण करने के लिए परियोजनाएं चलाता है।

फोटोवैलटिक इकाईयां:—विज्ञानतथा औद्योगिकी विभाग ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के साथ प्रयोग के तौर पर रोहतांग पास के रास्ते में मुराही तथा स्पिति घाटी में विद्युत के उद्देश्य से फोटोवैलटिक इकाईयां खोली हैं। इससे स्थानीय लोगों पर प्रभाव पड़ता है तथा विज्ञान तथा औद्योगिकी के लिए जाग्रण होता हैं।

विज्ञान की प्रसिद्धि तथा लोगों में जागृति पैदा करना :—इस योजना के अन्तर्गत शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिलों विज्ञान प्रश्नोतरी, प्रस्ताव संगोष्ठी, परिसंवाद इत्यादि आयोजित करने का प्रस्ताव है। विज्ञान पर चार्ट तथा मैगजीन को प्रदान करने का भी प्रस्ताव है। इस योजना के अन्तर्गत ट्रांजिस्टर, रेडियो, वी. सी. आर, रंगीन परिवीक्षक प्रदान किए जायेंगे तथा 6 लाख रुपये की राशि से छोटे कम्प्यूटर लगाए जायेंगे।

चाय अनुसंधान :—विज्ञान तथा औद्योगिकी विभाग सी.एस.आई.आर. कम्पलैक्स पालमपुर की सहायता से वर्तमान चाय बागानों को पुनर्जीवित करना तथा चाय की पैदावार बढ़ाने के लिए चाय बागानों के मालिकों का प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है। इस योजना के अन्तर्गत 3,000 चाय बागानों के मालिकों को लाभ होने की सम्भावना है।

वर्ष 1986-87 के लिए योजना :—वर्ष 1986-87 में 12 लाख रुपए की राशि विज्ञान तथा औद्योगिकी पर तथा 5 लाख रुपए परिवेश तथा परिस्थितिकी पर व्यय करने का प्रस्ताव है।

7.18 जनजाति तथा अनुसूचित जातियों का विकास

पांचवीं योजना की पूर्व संध्या पर जन-जातीय स्थिति के गहन विश्लेषण से यह तथ्य सामने आया कि यह वर्ग प्रायः सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा ही चला आ रहा हैं। अतः सुनियोजित प्रयत्न के तौर पर जन-जातीय क्षेत्रों के तीव्रतर सामाजिक एवं आर्थिक विकासार्थ वर्ष 1974-75 से उप-योजना पद्धति अपनाई गई। उप-योजना पद्धति के अन्तर्गत 50 प्रतिशत या इससे अधिक अनुसूचित जन-जाति जनसंख्या के विकास खण्डों का चिन्हांकित करना, राज्य, केन्द्रीय योजनाओं एवं वित्तीय संस्थानों से साधनों का आरक्षित करना और इस आरक्षित राशि का विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा सम्पूर्ण करना और उचित प्रशासनिक एवं कार्मिक नीतियों का अपनाना शामिल है।

प्रदेश में किन्नौर एवं लाहौल-स्पिति जिले समस्त रूप में एवं चम्बा जिला की केवल पांगी और भरमौर तहसीलें ही जन-जातीय क्षेत्र घोषित किए गए हैं।

छठी योजनावधि में संशोधित क्षेत्र विकास पद्धति का सूत्रपात किया गया जिसके अन्तर्गत चम्बा तथा भटियाट नामक दो कोष्ठ जनजातीय उप-योजना पद्धति के अन्तर्गत चिन्हांकित किए गए। छठी योजनावधि में ही सामान्य विकास के बजाय परिवार/व्यक्तिगत लाभ पर बल दिया गया। 7वीं योजना के लिए अब तक अपनाए मूल आदर्श ही सही सिद्ध होंगे।

1985-86 सातवी योजना का प्रथम वर्ष था। जन-जातीय उप-योजना के लिए राज्य योजना से प्रवाह जो छठी योजनावधि में 8.6 प्रतिशत रहा, बढ़ा कर 7वीं योजना के लिए 9 प्रतिशत कर दिया गया। प्रारम्भ से ही यह प्रवाह ऊपर रहा है। 177.60 करोड रुपए के सकल योजना आकार में जन-जातीय उप-योजना के लिए वर्ष 1985-86 में 15.85 करोड़ रुपए आरक्षित किए गए और 1.93 करोड़ रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई। जन-जातीय कोष्ठों के लिए 0.12 करोड़ रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई। आर्थिक सेवाओं के क्षेत्र को उच्चतम प्राथमिकता दी गई।

समन्वित जन-जातीय विकास परियोजना कार्यालय समस्त परियोजना क्षेत्रों जैसे, किन्नौर, लाहौल-स्पिति, पांगी तथा भरमौर में स्थापित किए गए हैं। परियोजना सलाहकार समितियां भी गठित की गई है जिनका काम नियोजन, कार्यान्वयन एवं संचालन है। राज्य स्तर पर उच्चाधिकार प्राप्त समन्वय एवं पुनर्विलोकन समिति एवं इसकी स्थायी उप-समिति तथा जन-जातीय सलाहकार परिषद् भी उप-योजना के कार्यन्वयन का अवलोकन करती है। तीन परियोजना क्षेत्रों का मूल्यांकन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय/हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय द्वारा निष्पक्ष माध्यमों द्वारा करवाया गया है तथा शेष दो जो कि किन्नौर तथा लाहौल हैं का मूल्यांकन कृषि विश्वविद्यालय को सौंपा गया है।

अनुसूचित जातीय विकास

1981 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 10.54 लाख है। जनजातीय उप-योजना के विपरीत जो कि क्षेत्राधारित है अनुसूचित जाति जनसंख्या बिखरी हुई होने के कारण व्यक्ति/परिवार/बस्ती आधारित स्कीमें/कार्यक्रम अपनाए गए हैं ताकि इन जातियों की प्राप्त सम्पदा में वृद्धि की जाए जिससे इनकी उत्पादकता में वृद्धि हो और उन द्वारा अपनाए गए धन्धों से अधिकतर आय प्राप्त हो और इन धन्धों को वर्तमान की अपेक्षा कम घृणात्मक बनाया जाए और इन जातियों में शिक्षा का प्रसार किया जाए ताकि वे और उनके बच्चे समस्तरी उर्वाधर गतिशीलता प्राप्त कर सकें। साथ ही उनके रहन-सहन और वातावरण में सुधार लाना निहित है।

छठी योजना में प्रथम बार विशेष घटक योजना के लिए राज्य योजना के दौरान अखिल भारतीय 9.53 प्रतिशत ध्येय के मुकाबले इस प्रदेश में वास्तविक उपलब्धी 9.94 प्रतिशत रही। ये प्रयास भारत सरकार गृह मंन्त्रालय (अब कल्याणकारी विभाग) द्वारा दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता से सम्पूर्ण किए गए। जो राशि छठी योजनावधि में अनुमोदित 5.55 करोड़ रुपए थी की बजाय वास्तविकतयः 6.34 करोड़ रुपए रही। सातवीं योजनावधि के लिए विशेष घटक योजना के लिए योजना प्रवाह बिना 'विभाजीय और अविभाजीय' भागों के 11 प्रतिशत अंकित किया गया है। विशेष केन्द्रीय सहायता की मात्रा सातवीं योजना के लिए 8.76 करोड़ रुपए अनुमोदित की गई है।

विशेष घटक योजना के जिला स्तर पर सामायिक संचालन हेतु जिला स्तरीय संचालन एवं पुर्नाविलोकन समितियां गठित की गई हैं जिसके अध्यक्ष जिलाधीश है। राज्य स्तर पर उच्चाधिकार प्राप्त समन्वय एवं पुर्नाविलोकन समिति का गठन किया गया है जो विशेष घटक योजना एवं जन-जातीय उप-योजना के कार्यान्वियन की समीक्षा करती है। इस समिति की एक स्थायी उप-समिति एक संसद सदस्य की अध्यक्षता में गठित है जो मौके पर जा कर योजनाओं का और कार्यक्रमों का निरीक्षण करती है और मुख्य समिति को अपने अनुभवों से अवगत कराती है।

निष्पक्ष जांच हेतु मूल्यांकन अध्ययन हिमाचल विश्वविद्यालय शिमला एवं हिमाचल कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर द्वारा करवाए गए हैं। इन अध्ययनों के निष्कर्ष उपलब्ध हैं और इन से मार्गदर्शन लेते हुए त्रुटियों को दूर किया जाएगा।

नए 20-सूत्रीय कार्यक्रम के सूत्र 7 का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के तथा उनको गरीबी की रेखा पार करने में सहायता प्रदान करना है। इस दिशा में भागीरथ प्रयत्न किए जा रहे हैं और वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :—

काल	अनुसूचित जाति परिवारों को लाभांवित करने का लक्ष्य		प्राप्ति	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1985—90 (7वीं योजना)	1,09,833*	18,419	-	-
1984-85 (आधार वर्ष)	33,780	3,720	34,606	5,218
1985-86	24,000	2,631	16,204 (31-12-85 तक)	2,507

*इसमें बार बार दी गई सुविधाएं/सुविधा प्राप्त परिवार सम्मिलित हैं।

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Aministration
17-B,SriAurbindo Marg,NewDelhi-110016
DOC. No.....3095
Date....18/6/86

8. विविध

8.1 आबकारी एवं कराधान

सरकार की आबकारी एवं कराधान नीति आर्थिक सुदृढ़ता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि यह सरकारी कोष में राजस्व का एक मुख्य स्रोत है। वर्ष 1985-86 में सरकार की आबकारी नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित रही :—

(i) बार और क्लब (एल-3, एल-4, एल-4ए व एल-5) लाईसैंसों की वर्ष 1985-86 में बीयर के अनुमान शुल्क दरें पिछले वर्ष जैसी रही है। वर्ष 1985-86 में एल-3, एल-4, तथा एल-5 लाइसैंसों की निर्धारित दरें निम्न प्रकार से हैं:—

(क) 10,000 तक की जन संख्या के स्थानों में	12,000 रु०
(ख) 10,000 से 15,000 तक की जनसंख्या के स्थानों में	15,000 रु०
(ग) 15,000 से अधिक जनसंख्या के स्थानों में	22,000 रु०

वर्ष 1985-86 में एल-4 ए लाइसैंसों की निर्धारित शुल्क की निम्न दरें रही:—

(क) 10,000 तक की जनसंख्या के स्थानों में	8,000 रु०
(ख) 10,000 स 15,000 तक की जनसंख्या के स्थानों में	10,000 रु०
(ग) 15,000 से अधिक जनसंख्या के स्थानों में	15,000 रु०

बार व क्लब एल-3, एल-4, एल-4ए तथा एल-5 लाइसैंस सरकार द्वारा प्रमाणित अपने अपने क्षेत्र से स्थानीय सप्लाई लेंगे जिस पर अनुमान शुल्क देय नहीं होगा।

(ii) भारत में बनी शराब व बीयर पर बिक्री कर गत वर्ष की भान्ति इनके उत्पादन स्थान पर ही लागू रहा।

(iii) इस वर्ष देशी शराब की 50 व 60 डिग्री प्रूफ रखने की आज्ञा दी गई।

(iv) कुछ इलाकों में घर की खपत तथा विशेष अवसरों पर उपयोग के लिए देसी शराब के लाइसैंस को रियायती दरों पर देना जारी रहा।

(v) वर्ष 1985-86 में भारत में बनी शराब, विदेशी शराब व बीयर पर निम्न आबकारी शुल्क रखे गए हैं :—

1. देसी शराब :—	
(क) 50 डिग्री प्रूफ	रुपए 10.00 प्रति प्रूफ लिटर
(ख) 60 डिग्री प्रूफ	रुपए 12.00 प्रति प्रूफ लिटर
2. भारत में बनी विदेशी शराब 25 डिग्री अंड प्रूफ	रुपए 22.00 प्रति प्रूफ लिटर
3. बीयर 5 प्रतिशत तक अलकोहल मात्रा	रुपए 1.00 प्रति बोतल 650 मि. लि.
4. सीडार	रुपए 0.75 प्रति बोतल 650 मि. लि.
5. (क) स्वीट व वाईन :—	
(i) 20 प्रतिशत तक शराब मात्रा	रुपए 3.00 प्रति बल्क लिटर
(ii) 20 प्रतिशत से अधिक परन्तु 30 प्रतिशत से कम प्रूफ स्पिरिट	रुपए 4.00 प्रति बल्क लिटर
(ख) भारत में बनी रम जब सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों व आई.टी.बी.पी. को सी. एस. डी. या अन्य स्त्रोतों द्वारा जो सरकार द्वारा मान्य हो :	
(i) गैर अग्रिम क्षेत्रों में	रुपए 16.00 प्रति प्रूफ लिटर
(ii) अग्रिम क्षेत्रों में	रुपए 9.00 प्रति प्रूफ लिटर
(ग) रैक्टीफाइड स्पिरिट (जब दवाईयां बनाने के अलावा प्रयोग हों)	रुपए 10.00 प्रति प्रूफ लिटर
(घ) भांग पर ड्यूटी	रुपए 20 प्रति 10 किलो ग्राम या कम
(ङ) अफीम पर ड्यूटी	रुपए 730.00 प्रति किलोग्राम

6. एल-1 फार्म में (विदेशी शराब के थोक व्यापार) लाइसैन्स देने का निर्धारित शुल्क 35,000 रुपए रहा।

7. वर्ष 1985-86 में भारत में बनी विदेशी शराब व बीयर पर निर्धारित शुल्क निम्न दरों से लगाया गया था :

(क) भारत में बनी विदेशी शराब	रुपए 1.50 प्रति प्रूफ लिटर
(ख) बीयर :	
(i) 5 प्रतिशत शराब की मात्रा तक	रुपए 0.30 प्रति बल्क लिटर
(ii) 5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक शराब की मात्रा	रुपए 0.50 प्रति बल्क लिटर
(ग) रेक्टीफाइड स्पिरिट	रुपए 0.03 प्रति प्रूफ लिटर
(घ) देसी शराब	रुपए 0.03 प्रति प्रूफ लिटर

8. पिछले वर्ष की तरह शुष्क दिनों की संख्या 16 रही ।

9. वर्ष 1985-86 में निम्नलिखित शराब की दुकानें नीलाम की गई :—

(i) देसी शराब की परचून दुकानें	411
(ii) विदेशी शराब की परचून दुकानें	215
(iii) देसी तरीके से बनाई गई देसी शराब की दुकानें	13
(iv) बीयर बार (एल-10)	19
योग	658

10. वर्ष 1985-86 में 20 लाख प्रूफ लिटर देसी शराब का कोटा नीलाम किया गया ।

11. जन-जातीय क्षेत्रों में फलों से बनाई जाने वाली देसी शराब रखने की सीमा पिछले वर्ष की तरह ही रखी गई है ।

वर्ष 1985-86 में कराधान नीति के अन्तर्गत विभाग में निम्न-लिखित उपलब्धियां की गई है :—

1. हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1968 :— इस अधिनियम के अधीन जो कि राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। वर्ष 1984-85 में सामान्य बिक्री कर के रूप में 2,124.29 लाख रुपए कर के रूप में आय हुई है। वर्ष 1985-86 में 2,877.00 लाख रुपए सामान्य बिक्री कर रखने का प्रस्ताव है ।

2. केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम :— केन्द्रीय बिक्री कर अधि-नियम जो कि राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाता है । इस अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 में 176.51 लाख रुपए की तुलना में वर्ष 1985-86 में 168.55 लाख रुपए आय होने की सम्भावना है ।

3. हिमाचल प्रदेश मोटर स्पिरिट (बिक्री कर कराधान) अधि-नियम 1968 :— इस अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 के 122.58 लाख रुपए की तुलना में वर्ष 1985-86 में 126.45 लाख रुपए की आय होने की सम्भावना है ।

4. हिमाचल प्रदेश यात्री एवं सामान कराधान अधिनियम, 1955 :— वर्ष 1984-85 में कुल आय 733.08 लाख रुपए की हुई जबकि वर्ष 1985-86 में 839.00 लाख रुपए की आय होने की सम्भावना है । इसके अतिरिक्त सरकार ने मिनी बसों पर भी कर लगाए हैं । मिनी बसों जिनकी बैठने की क्षमता 25 सीटों से अधिक न हो 10,000 रुपए यात्री कर तथा 2,000 रुपए सरचार्ज के रूप में मुश्त निश्चित की है ।

5. हिमाचल प्रदेश मनोरंजन कर अधिनियम, 1968 :— यह अधिनियम सारे प्रदेश में लागू है तथा कर की दर प्रवेश फीस की 100 प्रतिशत है । इसके अतिरिक्त सरकार ने वीडियों पर एक मुश्त देय कर जनसंख्या के आधार पर देय निश्चित की है । इस अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 की 70.33 लाख रुपए की तुलना में वर्ष 1985-86 में 80.00 लाख रुपए आय होने की सम्भावना है ।

6. हिमाचल प्रदेश मनोरंजन कर (चलचित्र प्रदर्शन) अधिनियम 1968 :— यह अधिनियम सारे प्रदेश में लागू है तथा प्रदेश के सारे चलचित्र गृहों का वर्गीकरण शहरों की महता जनसंख्या और आकार के आधार पर ए.बी.सी.डी. वर्गों में किया जाता है ।

7. हिमाचल प्रदेश कराधान (मार्ग पर ढोए गए विशेष सामान पर) अधिनियम, 1976 :— इस अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 में 124.00 लाख रुपए की आय हुई जबकि वर्ष 1985-86 में 265.00 लाख रुपए की आय होने की सम्भावना थी ।

8. हिमाचल प्रदेश विलास (होटल तथा वास स्थान पर) अधि-नियम :— इस अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 के 11.83 लाख रुपए की आय की तुलना में वर्ष 1985-86 में 16.00 लाख रुपए की आय होने की सम्भावना थी ।

8.2 खाद्य एवं आपूर्ति

खाद्यान्नों के अतिरिक्त विभाग नियन्त्रिक वस्तुओं जैसी लेवी चीनी, नियन्त्रित कपड़ा, खाने का तेल, दालें, सीमेंट, नमक, कोयला, मिट्टी का तेल तथा अन्य पैट्रोलियम पदार्थ और चाय के वितरण का प्रबन्ध करता है ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना :— प्रदेश में सार्व-जनिक वितरण प्रणाली को अधिक कारगर बनाने हेतु, सरकार ने "हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम की स्थापना की हैं" । निगम का मुख्य कार्य थोक में उत्पादन क्षेत्र के आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करना तथा जनता में, उचित मूल्य की दुकानों के जाल द्वारा वितरित करना है । दिसम्बर, 1985 तक प्रदेश में 2,840 उचित मूल्य की दुकानें कार्यरत थी इनमें से 2,302 सहकारी संस्थानों, 445 निजी व्यक्तियों, 34 पंचायतों तथा 59 खाद्य एवं आपूर्ति निगम द्वारा चलाई जा रही थी ।

भण्डारण तथा परीक्षण :—विभाग ने प्रदेश में सरकारी खाद्यान्नों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के भण्डारण के लिए 34 गोदाम बनाए हैं जिनकी भण्डारण शक्ति 11,550 टन है। इसके अतिरिक्त 31 दिसम्बर, 1985 तक विभाग ने निजी व्यक्तियों से 145 गोदाम किराये पर लिए, जिनकी भण्डारण क्षमता 6,456 टन है। विभाग ने 3,600 टन की भण्डारण क्षमता के गोदाम भारतीय खाद्य निगम तथा हिमाचल प्रदेश खाद्य एवं आपूर्ति निगम को किराये पर दे रखे हैं। 25 गोदाम निर्माणाधीन थे।

खाद्यान्नों पर सहाय अनुदान :—वर्ष 1985-86 में सरकार ने दूर दराज, दुर्गम तथा पिछड़े क्षेत्रों में (जो अनुदान प्राप्त क्षेत्रों के नाम से जाने जाते हैं) अनुदान दर पर गेहूं पहुंचाने का कार्य जारी रखा। प्रदेश सरकार भारतीय खाद्य निगम गोदाम से 190 रुपए प्रति क्विन्टल की दर से अनुदान प्राप्त क्षेत्रों में तथा 205 रुपए प्रति क्विन्टल की दर से अन्य क्षेत्रों को बेच रही है। गेहूं का आटा प्रदेश के अनुदान क्षेत्रों में 220 रुपए प्रति क्विन्टल तथा अन्य क्षेत्रों में 230 रुपए प्रति क्विन्टल की दर से बेचा जा रहा है। इसी प्रकार लाहौल-स्पिति जिले को चावल सहाय अनुदान के रूप में मुख्यालय तक पहुंचाने के लिए दस रुपए प्रति क्विन्टल से अधिक परिवहन व्यय स्वयं दे रही थी। दूसरे जिलों में कीमत के अनुसार दरें निर्धारित होती है। वर्ष 1985 में नवम्बर तक 23,245 टन गेहूं, 14,937 टन गेहूं का आटा तथा 36,272 टन चावल प्रदेश में वितरित किया गया। जनजातीय क्षेत्रों में गेहूं 150 रुपए प्रति क्विन्टल के स्थिर भाव से दी जा रही है।

लैवी चीनी पर सहाय अनुदान :—भारत सरकार लैवी चीनी 1,918 टन प्रति मास दे रही है। सितम्बर, 1985 से यह प्रति मास प्रति व्यक्ति 425 ग्राम की मात्रा से शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में दी जा रही थी। लैवी चीनी सरकार द्वारा निर्धारित 4.40 रुपए प्रति किलो की दर से दी गई। अब 12/85 से इसकी दर 4.40 रुपए से बढ़ाकर 4.80 रुपये निर्धारित की है। विक्रय मूल्य एवं सरकार को पड़ने वाले मूल्य में जो अन्तर है वह भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम के द्वारा भुगतान करती है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं को 5.75 रुपये की दर से 5 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड प्रति मास आयात चीनी भी दी जा रही है।

रेपसीड तथा पाम तेल :—रेपसीड तेल 15 नवम्बर, 85 तक 12.40 रुपए प्रति किलोग्राम और 15-11-1985 के बाद 13.65 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाता रहा जो कि उतरे हुए माल की औसत लागत थी। वर्ष 1985 में भारत सरकार ने राज्य को 9,680 टन रेपसीड तथा पाम तेल आवन्टित किया।

नियन्त्रित कपड़ा :—नियन्त्रित कपड़े की प्राप्ति का कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम को सौंपा गया है। अप्रैल से नवम्बर 1985 तक खाद्य एवं आपूर्ति निगम ने 15 लाख 30 हजार मीटर नियन्त्रित कपड़ा बेचा। वर्ष 1985 में लगभग 17 लाख मीटर नियन्त्रित कपड़ा उचित मूल्य की दूकानों द्वारा वितरण किया गया।

आयोडाइज्ड नमक :—आयोडाइज्ड नमक का वार्षिक कोटा 26,400 टन रखा गया है जो प्रदेश में नामांकित व्यापारियों को त्रैमासिक किश्तों में मिलता रहा। दुर्गम तथा दूरस्थ स्थानों में नमक की ढुलाई के लिए सरकार ने 2.00 लाख रुपए का अनुदान दिया है ताकि लोगों को उचित मूल्य पर नमक दिलाया जा सके।

सीमेंट :—1985 के दौरान 88,800 टन सीमेन्ट में से 40,800 टन सीमेंट आर.सी./ओ.आर.सी. (विभागों और स्वायत निकायों) को तथा 48,000 टन सीमेंट खुले बाजार बिक्री वर्ग के अन्तगत आवन्टित किया गया।

कोयला/कोक कोयला :—कोयला एक अनियन्त्रित वस्तु है। वर्ष 1985 में स्पोन्सरशिप प्रोग्राम के अन्तर्गत भारत सरकार ने 15 रेक सोफ्ट कोक, 7 रेक स्टीम कोल, 180 बैगन हार्ड कोल और 12 रेक सलेक कोयले को थी, राज्य को आवन्टन किया इनमें से 299 बैगन सोफ्ट कोक, 422 बैगन स्टीम कोल की प्राप्त हुई। आम लोगों के प्रयोग में आने वाली आवश्यक वस्तुओं के खुले बाजार में विक्रय व वितरण में जमाखोरी, मुनाफाखोरी तथा अन्य दुराचारी रोकने के लिए सरकार निम्नलिखित आदेशों की कठोरता से लागू कर रही है।

1. हिमाचल प्रदेश व्यापार (लाइसैन्स तथा नियन्त्रण) आदेश, 1981.
2. हिमाचल प्रदेश जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी (निवारण) आदेश, 1977
3. हिमाचल प्रदेश वस्तु विपणन मूल्य तथा प्रदर्शन आदेश।

वर्ष 1985 नवम्बर तक अधिक से अधिक 31,686 छापे मारे/निरीक्षण किए तथा 15 केस पंजीकृत किए और 12 आदमियों को हिरासत में लिया गया 152 आदमियों को विभाग की ओर से सजा दी व 31,395 रुपए प्रतिभूति जब्त की। इसके अतिरिक्त माप एवं तोल विभाग द्वारा 4,507 निरीक्षण/छापे मारे, 415 आदमियों को सजा दी व 54,325 रु. जुर्माने के तौर वसूल किए।

छात्रों को विशेष सुविधायें :—बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जनता को दिए जाने वाले मूल्य से 35 रुपये प्रति क्विन्टल कम दर पर खाद्यान्न जैसे गेहूं का आटा तथा चावल दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को लवी चीनी उचित दर पर दी जाती है। हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम पुस्तकें तथा लेखन सामग्री भी छात्रों को सस्ते मूल्य पर दे रही है।

वर्ष 1986-87 के लिए योजना :—वर्ष 1986-87 के दौरान निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित का प्रस्ताव है :—

1. मूल्य स्थायीकरण योजना
2. प्राप्ति तथा आपूर्ति (गोदाम)
3. हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम में निवेश
4. परिवहन पर अनुदान।

8.3 **लोक सम्पर्क**

लोक सम्पर्क विभाग के प्रमुख कार्य में से एक ओर जहां लोगों को सूचना प्रदान करने तथा शिक्षित करने का कार्य है वहीं दूसरी ओर यह सरकार की नीतियों को जनता की प्रतिक्रिया के लिए प्रचारित करता है। इस उद्देश्य के लिए 32 सिनेमा इकाइयों ने प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 2,046 सिनेमा प्रदर्शन दिए। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण मेलों, उत्सवों, आयोजनों तथा विशिष्ट व्यक्तियों के प्रदेश के आगमन पर अप्रैल से नवम्बर, 1985 तक 713 जन-सम्बोधन सेवाएं प्रदान की गई। नाट्य इकाइयों, संगीत दलों व प्रदर्शनी इकाई ने भी प्रदर्शनों के आयोजनों में सहायता प्रदान की। बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम तथा समाज के कमजोर वर्गों को दी जा रही सुविधाओं से सम्बन्धित विशेष प्रचार साहित्य व 15 फोल्डर/पोस्टर भी प्रकाशित किए गए।

"हिमप्रस्थ" का मासिक प्रकाशन नियमित रूप से होता रहा जिस का प्रसार 1,050 प्रतियां प्रति मास है। समाचार साप्ताहिक "गिरि राज" का प्रकाशन जिसमें प्रदेश में विकास गतिविधियों के समाचार होते हैं, नियमित रूप से प्रकाशित होता रहा तथा इसका साप्ताहिक प्रसार 10,419 प्रतियां है। इसे सभी शिक्षण संस्थानों, सभी ग्राम पंचायतों तथा अधिकांश सरकारी कार्यालयों के अतिरिक्त सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और सामान्य जनता को उपलब्ध कराया जाता है। इस के अतिरिक्त राज्य द्वारा प्राप्त विकास उपलब्धियों के उचित प्रचार हेतु सभी विभागों के विज्ञापन भी प्रसारित करता रहा। प्रैस कान्फ्रैंस तथा प्रैस ब्रीफिंग के अतिरिक्त जालन्धर के भाषाई प्रैस तथा चण्डीगढ़ स्थित समाचार पत्रों के साथ निकट सम्पर्क रखा। दिल्ली स्थित प्रैस सम्पर्क कार्यालय हिमाचल प्रदेश से सम्बन्धित समाचारों को राष्ट्रीय स्तर पर स्थान दिलाने में काफी सहायक हुआ है।

वर्ष 1986-87 के लिए योजना :—विभाग द्वारा और नयी न्यूज रीलें तथा विकासात्मक फिल्में तैयार करने का प्रस्ताव है। महत्वपूर्ण समारोहों तथा उत्सवों का क्षेत्र विस्तार सुनिश्चित बनाने के लिए निदेशालय में एक इलैक्ट्रोनिक समाचार संकलन इकाई स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। जनजातीय क्षेत्रों में सघन प्रचार हेतु वहां पर और अधिक कर्मचारी उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, चण्डीगढ़ में भी एक प्रैस सम्पर्क कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है ताकि वहां से प्रकाशित होते वाले समाचार पत्रों से निकट सम्पर्क स्थापित किया जा सके।

8 4 **नगरीय स्थानीय निकाय**

इस समय प्रदेश में नगर निगम, शिमला सहित 48 नगरीय स्थानीय निकाय कार्यरत है। ये नगरीय स्थानीय निकाय नागरिकों को नागरिक सुख और आवश्यक नगरीय सुविधायें सुलभ करा रही हैं। इन नगरीय स्थानीय निकायों को सार्वजनिक लाभ के अनेक कार्य जैसे सड़कों और गलियों का निर्माण/मुरम्मत, प्रकाश का प्रबन्ध, दुकानों/स्टालों का निर्माण, वर्षाश्रयालय, खच्चरायल, सब्जी/मांस मण्डी, मुत्रालय, शौचालय, शमशान घाट, टाउन हाल, विश्रामगृह/सराय का निर्माण, पौध रोपण, स्वच्छता और नगरों की सौन्दर्य आदि का प्रबन्ध करना इत्यादि की आवश्यकता बहुत बढ़ रही है। चुंकि इन नगरीय स्थानीय निकायों के आय के साधन बहुत ही सीमित हैं अतः सरकार उक्त कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रति वर्ष अनुदान सहायता प्रदान करती है। वर्ष 1985-86 में नगरीय स्थानीय निकायों को 1,51,80,000 रु. (45,00,000 रु. योजना के अन्तर्गत तथा 1,06,80,000 रु. गैर योजना के अन्तरित) की अनुदान दिए जाने का बजट में प्रावधान है। यह राशि नगरीय क्षेत्र के रख-रखाव और स्वच्छ बनाए रखने के लिए आवंटित की जानी है।

अप्रैल 1982 में चुंगी कर समाप्त कर देने के कारण जिन, नगरीय स्थानीय निकायों की आय समाप्त हो गई है उन्हें सरकार अनुदान सहायता प्रदान कर रही है। जिससे इस नगरीय स्थानीय निकायों का कार्यक्रम सुचारु रूप से चलाया जा सके। वर्ष 1985-86 के बजट में इस उद्देश्य के लिए 1,88,90,000 रु. (गैर-योजना) का प्रावधान है। इन स्थानीय निकायों की कार्य कुशलता को सुधारने तथा अच्छी नागरिक सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से एक स्थानीय निकाय निदेशालय खोला गया है।

केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय भाग से 50 लाख रु. के अनुदान शिमला, नाहन तथा चम्बा नगरों में शुष्क शौचालयों को पानी के बहाव (हैण्ड फलश) में परिवर्तित करने हेतु बजट वर्ष 1985-86 में प्रावधान है। 50 प्रतिशत भाग अर्थात् 50 लाख ऋण राज्य सरकार ने लाभ-भोगियों को ऋण दिये जाने का प्रावधान किया है जो लाभ-भोगियों से सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा किश्तों में वसूल किया जाना है।

विभाग ने अन्य विभागों के संसाधनों की एकत्रित करके अधिसूचित क्षेत्र समिति, मनाली तथा परवाणु को आकर्षक तथा रमणीक बनाने का कार्य भी आरम्भ किया है।

1986-87 के लिए योजना :—वर्ष 1986-87 में सरकार नगरीय स्थानीय निकायों की नगरीय सुविधाएं देने हेतु आर्थिक सहायता अनुदान राशी के रूप में देगी। स्थानीय निकायों की आय बढ़ाने को दृष्टि से दुकानें/व्यापारिक संस्थान भी बनाए जाएंगे। शिमला, नाहन तथा चम्बा अन्य और नगरों में शुष्क शौचालयों का पानी के बहाव में परिवर्तित करने की योजना को भी कार्यान्वित किया जाएगा।

8.5 **विवरणिका**

जिला विवरणिका एक प्रामाणिक और विस्तृत अभिलेख है जिसमें जिले का सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा विकास सम्बन्धी पूर्ण व्यौरा होता है। यह पुस्तक विद्यार्थियों, इतिहासकारों, वैज्ञानिकों, मानव शास्त्रीय अनुसंधान शास्त्रों तथा पयटकों को विश्वस्त और प्रमाणित सूचना प्रदान करती है और ऐसे प्रशासकों तथा अन्य अधिकारियों का जो विकास कार्यक्रमों में व्यस्त है, का मार्ग दर्शन करती है। इसके अतिरिक्त जिला विवरणिकाएं प्रदेश के अनूठे और पुरातन संस्कृति को लिखित रूप में सुरक्षित रखती है। जिला विवरणिकाएं भारत सरकार द्वारा विकसित पद्धति के अनुसार 19 अध्यायों में तैयार की जाती है।

राजस्व विभाग के अर्न्तगत विवरणिका ईकाई ने प्रदेश के 12 जिलों में से अभी तक पांच जिलों चम्बा, सिरमौर, किन्नौर, लाहौल-स्पिति और बिलासपुर की विवरणिकाएँ प्रकाशित कर ली हैं। शिमला जिला विवरणिका इस समय मुद्रित हो रही है और शीघ्र ही एक पुस्तिका के रूप में उपलब्ध होने वाली है। मण्डी, कुल्लू, कांगड़ा की जिला विवरणिकाएं भारत सरकार द्वारा अनुमोदित तैयार हैं।

वर्ष 1986-87 के लिए योजना :--

वर्ष 1986-87 में कुल्लू जिला विवरणिका को मुद्रण हेतु तैयार करना है।

8.6 सांख्यिकी

योजनाबद्ध विकास के इस युग में विस्तृत तथा विश्वसनीय आंकड़ों का विशेष महत्व है। सांख्यिकी पद्धति जो विश्लेषण और नीति निर्धारण के लिए प्रयोग सिद्ध आंकड़े प्रस्तुत करती है, की आवश्यकता अब बहुमुखी आकार प्राप्त कर चुकी है। आंकड़ों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अर्थ एवं संख्या विभाग अपने जिला संख्या कार्यालयों की सहायता से (i) सभी आर्थिक वर्गों के आंकड़ों का संग्रहण, संकलन, संवीक्षा और प्रकशान, (ii) अनेक प्रकार के मूल्यांकन अध्ययन और अन्य सर्वेक्षण जिनमें राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यक्रम भी सम्मिलित है, करते रहना, (iii) योजना प्रगति प्रतिवेदन तैयार करना, (iv) सामुदायिक विकास योजना के अर्न्तगत विभिन्न प्रकार की सामयिक विवरणिकाओं को संकलित करना, (v) भाव एकत्र करना है (vi) हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की वार्षिक गणना करना, राज्य आय और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने के अतिरिक्त सरकार को नीति निर्धारण के लिए आंकड़े देने तथा विभिन्न आयोगों तथा समितियों को सामग्री देना इत्यादि कार्यों में लगा रहा।

वर्ष 1985-86 में दिसम्बर, 1985 तक निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गए :--

1. हिमाचल प्रदेश के बजट का आर्थिक वर्गीकरण, 1984-85
2. हिमाचल प्रदेश इकौनौमी इन फिगरज--1985
3. खण्ड-स्तरीय सूचकांक--1983 किन्नौर जिला
4. हिमाचल प्रदेश की आर्थिक समीक्षा--1985
5. बजट संक्षेप में--1985-86
6. ए डवैलपमैंट प्रोफाईल ओफ हिमाचल प्रदेश
7. जिला सांख्यिकीय सारांश--1982--चम्बा, मण्डी, सोलन तथा शिमला
8. जिला सांख्यिकीय सारांश--1983--लाहौल-स्पिति, ऊना, हमीरपुर तथा बिलासपुर
9. जिला सांख्यिकीय सारांश--1984--लाहौल-स्पिति तथा ऊना
10. ए रिपोर्ट ऑन एग्रीकलचरल इन्डीसीज ऑफ हिमाचल प्रदेश 1965-66 से 1982-83
11. त्रैमासिक भाव पत्रिकाएं--सितम्बर, 1984
12. ए रिपोर्ट ऑन सोशिओ इकोनोमिक सर्वे आफ लद्दाखी मौहल्ला शिमला जिला
13. ए कनकरैंट इवैल्युएशन स्टडी आफ स्पैशल कम्पोनैन्ट प्लान (पशु पालन क्षेत्र)--स्पलाई आफ मिलच एंड पैक एनीमलज इन हमीरपुर डिस्ट्रीक्ट
14. ए सोशिओं-इकोनोमिक सर्वे ऑफ ट्रांस गिरी ट्रैक इन सिरमौर।
15. रूरल एनरजी डिमांड सर्वे ऑफ ठियोग ब्लाक
16. शिमला जिले के खण्ड स्तरीय मुख्य आंकड़े
17. इन इवैल्युएशन स्टडी ऑफ पांगी, स्पिति तथा भरमौर
18. ए बैंच मार्क सर्वे आफ डैचर्ट डवैलपमैंट प्रोजैक्ट पूह।

निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशन के लिए मुद्रणालय में हैं तथा वर्ष 1985-86 में प्रकाशित होने की सम्भावान है :

1. हिमाचल प्रदेश की आर्थिक समीक्षा--1986
2. बजट संक्षेप में--1986-87
3. हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की गणना--31 मार्च 1983।
4. प्रतिवेदन संख्या 12--रिपोर्ट ऑन पार्टीसिपेशन इन प्राईमरी एजुकेशन एण्ड ड्राप आउज फॉर चिलडरन ऑफ 5--14 वर्ष इन हिमाचल प्रदेश।
5. त्रैमासिक भाव पत्रिकाएं--दिसम्बर, 1984, माच, 1985 जून 1985, सितम्बर, 1985।
6. स्टैटिसटिकल आउटलाईन--1985
7. डिस्ट्रीकट लैवल इननौमिक इनडीकेटरज
8. जिला सांख्यिकी सारांश--1984--कांगड़ा
9. एपल मार्किटिंग सर्वे इन शिमला डिस्ट्रीकट
10. स्टैटिसटिकल एबस्ट्रैक्ट आफ ट्राइवल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश।
11. ए सोशियो एकोनोमिक प्रोफाइल ऑफ गद्दीज इन कांगड़ा
12. खण्ड स्तरीय सूचकांक--1984--किन्नौर।

प्रचलित वर्ष में राज्य आय के वर्ष 1984-85 के लिए तुरन्त अनुमान तथा वर्ष 1983-84 के संशोधित अनुमान इस विभाग द्वारा शीघ्र ही घोषित करने की सम्भावना है। इन अनुमानों से राज्य आय, वार्षिक वृद्धि दर, प्रति व्यक्ति आय प्रचलित एवं स्थिर भावों पर आंकड़े उपलब्ध होते हैं।

यह निदेशालय हिमाचल प्रदेश के बजट, नगरीय स्थानीय निकायों के बजट तथा वाणिज्यिक निकायों के लेखों को आर्थिक दृष्टि से महत्व-पूर्ण वर्गों में वर्गीकृत करके पूंजी निर्माण उपयोग व्यय एवं इनके द्वारा राज्य आय में अंशदान को निकाला जाता है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अन्तर्गत 40वें दौर का कार्य पूरा किया गया। यह दौर नॉन डायरैक्ट्री विनिर्माण संस्थाओं तथा ओन एकाऊंट उद्यमियों की अर्थ व्यवस्था के बारे में था। 41वां दौर जो सभी व्यापारिक संस्थाओं तथा ओन एकाऊंट व्यापारिक उद्यमियों की अर्थ व्यवस्था से सम्बन्धित है। 32वें दौर के परिणामों पर आधारित दो सर्वेक्षण प्रतिवेदन एक जो हिमाचल प्रदेश की रोजगार तथा बेरोजगार स्थिति आधारित है तथा दूसरी हिमाचल प्रदेश में अपंग व्यक्तियों पर है तथा जो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 36वें दौर के परिणामों पर आधारित है तैयार करके राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन सर्वेक्षण भारत सरकार को स्वीकृति के लिए भेजी है।

सामुदायिक विकास आंकड़ों सम्बन्धी मासिक रिपोर्ट तैयार करके सम्बन्धित विभागों को भेजी गई। भावों को एकत्रित करने तथा प्रचार का कार्य जारी रहा तथा मार्च, 1985, जून, 1985 व सितम्बर, 1985 तिमाहियों की त्रैमासिक भाव पत्रिकाएं बनाई गई तथा मुद्रणालय को मुद्रण के लिए भेजी गई। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की गणना 31 मार्च, 1985 की सूचना संकलित की जा रही है तथा 31 मार्च, 1984 की रिपोर्ट पूर्ण होने के अन्तिम चरण पर है।

19वीं इनसर्विस बेसिक स्टेटिटिस्कल ट्रेनिंग कोर्स के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को तीन महीने का प्रशिक्षण दिया गया। इन प्रशिक्षणार्थियों द्वारा "गैस कन्ज्यूमरज (डोमैस्टिक) एबाऊट दि एवेलेबिलिटी ऑफ गैस रिफिल नामक सर्वेक्षण किया गया। एपल मार्किटिंग सर्वे इन शिमला डिस्ट्रिक्ट नामक रिपोर्ट जो कि अक्तूबर–नवम्बर, 1984 में सर्वे हुआ था, तैयार की गई तथा मुद्रणालय को मुद्रण के लिए भेजी गई है।

प्रचलित वर्ष में जनजातीय अनुसंधान संस्थान योजना के अर्न्तगत दिसम्बर, 1985 तक जनजातीय क्षेत्रों में शोध करने हेतु एक छात्रवृत्ति दी गई। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय तथा अन्य स्वतन्त्र एजैन्सियों को निम्न विषयों पर अध्ययन दिए गए :—

1. एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना, लाहौल तथा किन्नौर का मूल्यांकन अध्ययन।
2. ए स्ट्डी ऑन वुड कार्विंग इन भरमौर।
3. ए स्ट्डी ऑन दी एग्रोनोमिक कन्स्ट्रेट आफ कैश क्रोप प्रोडक्शन (आदर दैन फ्रूट्स) इन लाहौल वैली।
4. ए स्ट्डी ऑन सुपीरियर स्ट्रेन्स ऑफ प्रोडक्शन प्रौबलम्ज आफ ड्राई फ्रूट्स तथा नट्स इन किन्नौर।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित अध्ययन इस विभाग द्वारा किए जा रहे हैं जो कि अन्तिम स्तर पर अथवा विधायन में है :—

1. ए स्ट्डी ऑन न्यूक्लियस बजट स्कीम इन ट्राइबल एरिया ऑफ चम्बा।
2. लाहौल-स्पिति जिले में वयस्क अनपढ़ों के सार्वभौमिक प्रारम्भिक 6—14 वर्षों के समूह में, लड़कियों के लिए शिक्षा के प्रसार का एक प्रतिदर्श सर्वेक्षण।
3. ए स्ट्डी ऑन सोशियो इकोनौमिक सर्वे ऑफ किन्नौर।
4. ए स्ट्डी ऑन सोशियो इकोनौमिक सर्वे ऑफ भरमौर एरिया।
5. किन्नौर जिले की जनजातीय आबादी में ऋण ग्रस्तता।

1986-87 के लिए योजना :—विशेषताओं को त्यागे बिना योजना निर्माताओं तथा प्रशासकों के लिए आंकड़े उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश का सांख्यिकीय संगठन धीरे-धीरे खण्ड स्तर तक विस्तार का प्रस्ताव है।

8.7 हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान

प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण–पाठ्यक्रमों के आयोजन द्वारा यह संस्थान, राजपत्रित एवं अराजपत्रित, दोनों प्रकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित करता है। वर्ष 1985-86 के अर्न्तगत, नवम्बर, 1985 के अन्त तक संस्थान द्वारा 53 ऐसे पाठ्यक्रम चलाए गये जिनमें 1,385 राजपत्रित/अराजपत्रित कर्मचारियों ने भाग लिया। आगामी वर्ष 1986-87 में 75 ऐसे पाठ्यक्रमों के आयोजन का प्रस्ताव है जिसमें 1,700/ के लगभग अधिकारियों/कर्मचारियों के भाग लेने की सम्भावना है।

1984-85 वर्ष के अन्तर्गत, अराजपत्रित कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दस जिला प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई। यह प्रशिक्षण केन्द्र जिला मुख्यालयों में खोले गये। 1985 वर्ष में नवम्बर मास के अन्त तक इन केन्द्रों में 37 पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें इन जिलों में कार्यरत 829 अराजपत्रित कर्मचारियों को कार्यालय प्रणाली एवं वित्तीय प्रशासन पाठ्यक्रम के अर्न्तगत केन्द्रीय कर्मचारी सेवा नियमों (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियमों तथा एकीकृत ग्रामीण-विकास कार्यक्रमों के सम्बन्ध में भी प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 1986-87 में इस प्रकार के 210 पाठ्यक्रमों के आयोजित करने का प्रावधान है। जिनमें लगभग 3,500 कर्मचारियों के भाग लेने की सम्भावना है।

यह संस्थान अपने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने के साथ-साथ अनुसूचित जातियों/जनजातियों के प्रत्याशियों को, देश तथा प्रदेश में, विभिन्न भर्ती–अभिकरणों द्वारा आयोजित निम्नलिखित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में बैठने से पूर्व तैयारी में भी सहायता प्रदान करता है :—

1. केन्द्रीय-सिविल-सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा
2. केन्द्रीय-सिविल-सेवा (मुख्य) परीक्षा

3. हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक एवं समवर्गी सेवाएं-परीक्षा
4. बैंक-परिवीक्षा-अधिकारी-परीक्षा
5. सहायक स्तरीय परीक्षा
6. रेलवे और राष्ट्रीय-कृत बैंक सेवाएं (लिपिक कैडर)—परीक्षा
7. प्रि. मैडिकल परीक्षा।

वर्ष 1985-86 में नवम्बर 1985 तक संस्थान द्वारा ऐसे 5 पाठ्यक्रम आयोजित किए गये, जिसमें 93 प्रत्याशियों को परीक्षा-पूर्व तैयारी में सहायता प्रदान की गई। इनमें से 2 परीक्षाओं के परिणाम घोषित हो चुके हैं और इनमें बैठे 47 प्रत्याशियों में से 14 को सफलता प्राप्त हो चुकी है। आगामी वर्ष 1986-87 में ऐसे 7 पाठ्यक्रमों को आयोजित किये जाने का प्रस्ताव है। जिनमें लगभग 280 प्रत्याशियों को परीक्षा-पूर्व तैयारी में सहायता दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1972 से विभागीय परीक्षा प्रणाली को लागू किया है। हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियमों (1976), जिनमें समय-समय पर संशोधन किये गये हैं, के अनुसार भारतीय प्रशा० सेवाएं/हि. प्र. प्रशा. सेवाएं/तहसीलदार/नायब तहसीलदार/भारतीय वन सवाएं/ हि. प्र. वन सेवाएं, तथा सभी अन्य राजपत्रित सरकारी अधिकारियों को अपनी राजपत्रित सेवा अवधि में एक बार विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। इस के अतिरिक्त इसी संस्थान द्वारा हि. प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग के आबकारी एवं कराधान निरीक्षक एवं हि. प्र. राज्य बिजली बोर्ड की पर्यवेक्षी-लेखा-सेवा भाग एक और दो की परीक्षा भी आयोजित की जाती है।

1985-86 में बोर्ड ने परीक्षा का आयोजन किया जिन में 126 भारतीय प्रशासनिक सेवा/हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा, 407 तहसीलदार/नायब तहसीलदार, 468 भारतीय वन सेवा/हिमाचल प्रदेश वन सेवा तथा सभी अन्य हि. प्र. सरकार के राजपत्रित अधिकारी, 35 आबकारी एवं कराधान निरीक्षक एवं हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के 288 मण्डलीय लेखाकारों, सहायकों, मुख्य-लिपिकों, उच्च श्रेणी लिपिकों ने परीक्षा दी। हि. प्र. विद्युत-बोर्ड के पर्यवेक्षी-लेखा-सेवा के भाग एक एवं भाग-2 के लिए इसके कर्मचारियों की परीक्षा जनवरी 1986 में आयोजित की जाएगी। जिसमें 350 प्रत्याशियों के परीक्षा में बैठने की सम्भावना है।

8.8 सार्वजनिक उपक्रम तथा बैंक

राज्य में 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। राज्य संस्थागत वित्त एवं लोक उद्यम कक्ष वित्तीय संस्था के साथ पात एजेन्सी के कार्यों का पालन करता है और सभी सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों का समय-समय पर परिवीक्षण भी करता है। इन उपक्रमों के लक्ष्य और उपलब्धियों की नियत अंतर अवधि समीक्षा, इन उपक्रमों के कार्यों में महत्वपूर्ण सुधार लाती है। यह उपक्रम "हिमाचल प्रदेश राज्य सार्वजनिक उपक्रम 1986" नामक एक पुस्तक इस वर्ष भी निकाली जा रही है। जिसमें इन उपक्रमों के पिछले कार्य-कलापों को संक्षेप में दिखाया जायेगा।

हिमाचल प्रदेश में बैंकों का विस्तार उत्तरोत्तर होता जा रहा है। राज्य में 30-9-1985 तक 457 वाणिज्यिक बैंक, 90 हिमाचल ग्रामीण बैंक तथा 145 सहकारी एवं भूमि विकास बैंकों की शाखाएं थीं। अब दूर-दराज क्षेत्रों के लोग भी अपनी बचत, जो वैसे अनुत्पादक थी को जमा करा के तथा विकास कार्यों के लिए ऋण लेकर इस सुविधा से लाभ उठा सकते हैं। एक वाणिज्यिक बैंक प्रदेश में औसतन 7,826 की जनसंख्या को पूरा करता है जबकि इस की तुलना में राष्ट्र की औसत 15,500 है। राज्य में कुल मिला कर बैंकों की जमा राशि 576.51 करोड़ रुपये, ऋण राशि 261.16 करोड़ रु. तथा ऋण जमा राशि का अनुपात (क्रेडिट-डिपाजिट रेशो) 45.30 प्रतिशत थी।

भारतीय स्टेट बैंक के प्रयोजन से एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसका नाम "पर्वतीय ग्रामीण बैंक चम्बा" है 2-11-1985 से कार्य करना शुरू कर दिया है। 3.75 लाख रु. के राशि के 15 प्रतिशत शेयर राज्य सरकार ने अदा किये हैं। इससे जिले में ग्रामीण बैंक की शाखाओं का विस्तार होगा। जिसका लाभ दूरवर्ती और जनजातीय क्षेत्रों को पहुंचेगा।

ECONOMIC REVIEW

OF

HIMACHAL PRADESH

1986

(Economic Conditions and Development Activities)

CONTENTS

	Pages
Preface	47
PART I—REVIEW OF PROGRESS DURING 1985-86	
1. General Economic Situation	51
2. Agriculture Programmes	
2.1 Agriculture	53
2.2 Horticulture	55
2.3 Minor and Medium Irrigation and Flood Control	56
2.4 Soil Conservation	57
2.5 Animal Husbandry	57
2.6 Forests	59
2.7 Fisheries	60
2.8 Consolidation of Holdings	61
2.9 Land Reforms	61
3. Co-operation and Rural Integrated Development	
3.1 Co-operation	62
3.2 Rural Development	62
3.3 Panchayats	63
4. Multipurpose Projects and Power	
4.1 Multipurpose Projects and Power	64
5. Industries and Mineral Development	
5.1 Industries and Mineral Development	65
6. Transport and Communications	
6.1 Roads and Buildings	67
6.2 Road Transport	68
6.3 Tourism	68
7. Social Services	
7.1 Education	70
7.2 Technical Education	70
7.3 Youth Services and Sports	71
7.4 Health and Family Welfare	72
7.5 Ayurveda	73
7.6 Homoeopathy	74

	Page
7.7 Medical College	74
7.8 Housing	74
7.9 Drinking Water Supply	75
7.10 Welfare of Backward Classes	75
7.11 Social and Women's Welfare	76
7.12 Nutrition Programme	77
7.13 Employment and Labour Welfare	77
7.14 Town and Country Planning	78
7.15 Languages and Culture	79
7.16 Mountaineering	79
7.17 Science and Technology	79
7.18 Tribal and Scheduled Castes Development	81
8. Miscellaneous	
8.1 Excise and Taxation	82
8.2 Food and Supplies	83
8.3 Plan Publicity	84
8.4 Urban Local Bodies	84
8.5 Gazetteers	85
8.6 Statistics	85
8.7 Institute of Public Administration	87
8.8 Public Enterprises and Banks	87
PART II—STATISTICAL TABLES	89

PREFACE

The Economic Review is one of the budget documents which covers almost the entire gamut of economic activities of Government through its departments. An attempt has been made to present all aspects of economic situation as it evolved during the year 1985-86. Being the threshold year of the Seventh Plan it has an added importance to serve as a bench mark. The review is given in Part-I, both in Hindi and English. The second part relates to statistical tables on salient features of the economy.

I am greatful to all the departments and public undertakings for their timely coordination in making available the material included in the review. The burden of collection and updating of huge and voluminous data and its presentation in concise and inter-related pattern was borne by the Directorate of Economics and Statistics, Himachal Pradesh. I highly appreciate and commend the hard work done.

S. M. KANWAR
I.A.S.

*Financial Commissioner-*cum*-Secretary*
(Finance and Planning),
Government of Himachal Pradesh

PART I

REVIEW OF PROGRESS DURING 1985-86

1. GENERAL ECONOMIC SITUATION

1.1 Net National Product

India's National Income during 1984-85 at constant (1970-71) prices registered a growth of 3.5 per cent as it increased from Rs. 55,100 crore in 1983-84 to Rs. 57,014 crore in 1984-85. With this, the average annual growth in real national income during the Sixth Plan Works out to 5.3 per cent. At current prices, the national income in 1984-85 worked out to Rs. 1,73,207 crore as compared with Rs. 1,57,830 crore in 1983-84 recording a rise of 9.7 percent during the year.

The overall growth of 3.5 per cent during 1984-85 has been achieved despite a shortfall in agriculture production during 1984-85. The production of foodgrains recorded a fall of about 4 per cent and was of the order of 146.2 million tonnes during 1984-85 as compared with the record production of 152.4 million tonnes in 1983-84. The production of Kapas and oil seeds on the other hand touched a record level of 4.3 million tonnes and 13.1 million tonnes respectively in 1984-85. Mining sector registered a significant growth of 9.1 per cent during the year due to increased production of crude oil and coal. The 'manufacturing' and 'electricity, gas and water supply' sectors, also registered a higher growth rates as compared to the previous year.

The per capita income in real terms is estimated at Rs. 772 for 1984-85 as against Rs. 761 in 1983-84. At current prices the per capita income moved from Rs. 2,180 in 1983-84 to Rs. 2,344 in 1984-85.

1.2 Net State Domestic Product

The total State Domestic Product (at 1970-71 prices) of the Pradesh declined from Rs. 318.08 crore in 1983-84 to Rs. 302.29 crore in 1894-85 thereby recording a decline of 5.0 per cent. The negative growth in the economy of the Pradesh in 1984-85 is attributable to the set back in the performance of agriculture sector caused by drought condition. The production of foodgrains fell by about 6.5 per cent and was 10.07 lakh tonnes as compared to 10.77 lakh tonnes during 1983-84. The production of fruits also fell by 29 per cent. As a result the overall decline in the State Domestic Product from agriculture sector which contributes 48 per cent to the total SDP was 9.3 per cent. Despite a decline of 5 per cent in the State Domestic Product during 1984-85 and 5.1 per cent during 1982-83, the average annual growth in State Domestic Product during the Sixth Plan was 3.7 per cent. At current prices, the State Domestic Product increased from Rs. 1,010.04 crore in 1983-84 to Rs. 1,061.74 crore in 1984-85 registering a rise of 5.1 per cent. The per capita income of the Pradesh at current prices was recorded at Rs. 2,316 against Rs. 2,344 for the country as a whole.

The economy during the current year i.e. 1985-86 is poised to show a significant rise of 7-8 per cent due to better performance of various sectors of economy.

1.3 Price Situation

The year 1985 was remarkable for the effective containment of inflation to 4.9 per cent as the wholesale price index number moved from 340.1 in January, 1985 to 356.6 in January, 1986. This rate during the corresponding period of previous year was 5.4 per cent. The steps taken by the Government to arrest the price rise include the following :—

(i) Strengthening of public distribution system including procurement of buffer stocks of cereals;

(ii) Augmentation of domestic supplies of items such as edible oils and sugar etc;

(iii) Remunerative prices to farmers to encourage higher production;

(iv) Enforcement of fiscal descipline; and

(v) Economy in government expenditure and mopping up to excess liquidity in the system.

The behaviour of index numbers of wholesale prices during the years 1983 to 1986 has been tabulated below :

Index Number of Wholesale Prices—All India

Base : 1970-71=100

Month	1983	1984	1985	1986
January . .	290.6	322.3	340.1	356.6
February . .	292.7	323.2	339.2	
March . .	295.3	322.9	342.5	
April . .	300.3	323.6	347.8	
May . .	307.4	327.4	350.6	
June . .	309.3	334.5	355.9	
July . .	312.9	342.3	361.6	
August . .	317.7	345.9	362.9	
September .	319.1	342.2	357.8	
October . .	318.9	342.6	359.2	
November .	319.3	340.6	356.9	
December .	318.7	338.0	356.8	
Average .	308.5	334.0	352.6	

NOTE :—The indices from April, 1985 onwards are provisional.

SOURCE :—Ministry of Industry, Government of India.

According to the consumer price index number for industrial workers in Himachal Pradesh (Base : 1965 = 100) the index rose from 425 in December, 1984 to 457 in December, 1985 recording an increase of 7.5 per cent.

In Himachal Pradesh also a very close watch is being kept on the movement of essential commodities. The Directorate of Economics and Statistics collects retail prices on fortnightly basis in respect of 13 essential commodities for district headquarters. For tehsil/sub-tehsil headquarters these prices are collected by the Directorate of Food and Supplies. The District Statistical Officer prepare a monthly review of prices in respect of his district. On the basis of these reviews a monthly review for the state as a whole is prepared by the Directorate of Economics and Statistics and is submitted to the government for follow up action.

1.4 Employment Situation

At the end of June, 1985, total employment in the Pradesh was 2,63,234 (Public Sector : 2,44,443, Private sector : 18,791) as against 2,49,911 at the corresponding period of the last year. Of the total employment in the public sector, the State Government establishments accounted for 71.7 per cent, Central Government establishments 6.9 per cent, Quasi government (Central) 5.5 per cent, Quasi government (State) 14.7 per cent and Local Bodies 1.2 per cent.

During the period from 1st January, 1985 to 30th November, 1985 in all 68,685 applicants were registered and 6,449 placements were made. The number of vacancies notified by the various employers was 10,147. The consolidated live register of all employment exchanges in the Pradesh stood at 3.13 lakh as on 30th November, 1985.

The State Government has fixed the minimum rates of wages in respect of 12 scheduled employments. During the year 1985-86, the Government has also added the employment of paper and paper products to the schedule of Minimum Wages Act, 1948. The minimum wage rates of unskilled workers in all the scheduled employments except tea plantation employment schedule have been revised to Rs. 12 per day from Rs. 10 per day. Moreover, various labour welfare measures like Employees State Insurance Scheme, Employees Provident Fund Act, 1952, Integrated Subsidised Housing Scheme for Industrial Workers and Economically Weaker Section of Community, Worker's Education Scheme etc. are also implemented.

1.5 Development Outlays

The size of the State's Seventh Five Year Plan has been fixed at Rs. 1,050 crore by the Planning Commission. It has been agreed to be financed by the State by way of contribution of Rs. 186.98 crore from its own resources and Rs. 863.02 crore from central assistance. In the 7th Plan highest priority has been accorded to the economic services which account for 77.2 per cent of the total plan outlay. Social services account for 20.2 per cent and general services 2.6 per cent. The economic services comprise of some of the important sectors of development such as power, roads and buildings, forestry and medium and minor irrigation etc. The social services included education, health and water supply etc.

The outlay for the year 1985-86 as approved by the Planning Commission was Rs. 177.00 crore. Against this approved outlay, the revised otulay is expected to be Rs. 177.60 crore. For the year 1986-87, an outlay of Rs. 205 crore including Rs. 30.67 crore earmarked for Minimum Needs Programme and Rs. 7.03 crore for backward areas has been approved by the Planning Commission. This marks an increase of 15.8 per cent over 1985-86 outlay.

1.6 New 20-Point Programme

Under the new 20 point programme, Himachal Pradesh has made remarkable achievements and has topped all the States according to the assessment made by the Planning Commission on the basis of the performance during the first nine months of the year 1985-86. Briefly the achievements upto January, 1986 are as below.

Physical Targets and Achievements under selected Items for 1985-86 and Proposed Targets for 1986-87

Point No.	Item	Unit	Target 1985-86	Achievement upto Jan. 1986	Target Proposed for 1986-87
1	2	3	4	5	6
3.	(a) Families assisted under IRDP.				
	(i) Old Cases .	No.	23,000	10,583	20,000
	(ii) New Cases .	No.	8,000	13,333	10,000
	(b) Employment generation under NREP	Lakh Mandays	13.00	10.44	11.00
	(c) Employment generated under RLEGP	Do.	11.83	12.02	10.00
7.	(a) S.C. families assisted . .	No.	24,000	19,779	24,000
	(b) S.T. Families assisted . .	No.	2,631	2,916	2,631
8.	Problem villages to be covered with drinking water . .	No.	250	333	280
10.	Slum population covered	No.	5,000	4,364	5,000
11.	(a) Villages electrified	No.	425	451	460
	(b) Pump sets energised	No.	60	104	60
12.	(a) Trees planted .	Crore	5.50	4.82	6.50
	(b) Biogas plants set up	No.	2,500	2,462	3,000
13.	Sterilisations to be done	No.	38,000	21,977	*38,000 (P)
14.	(a) PHC's to be opened	No.	15	12	16
	(b) Sub-Centres to be opened . .	No.	—	—	70
15.	ICDS blocks to be operationalised . .	No.	3	3	5
18.	Small Scale units to be permanently registered	No.	400	1,081	450

P—Provisional.

*To be conveyed by the Govt. of India.

2. AGRICULTURAL PROGRAMME

2.1 AGRICULTURE

Being the largest single industry and main occupation of the people of Himachal Pradesh, the importance of agriculture in the economy of the State can hardly be over emphasised. It provided direct employment to about 72.4% of the working population and contributes to about 45% of the net State Domestic Product. Out of the total geographical area of 55.7 lakh hectares, an area of 6.01 lakh hectares is under cultivation which is cultivated mostly by the small and marginal farmers. The Department of Agriculture is providing improved technology to the farmers of the State besides arranging adequate and timely supply of agricultural inputs like improved seeds, fertilizers, plant protection material and improved agricultural implements etc. The new 20-Point Economic Programme of the Hon'ble Prime Minister has given a new turn to the strategy of agricultural production. Under this programme, greater emphasis are being laid on the technology of dry farming, development of oil seeds and pulses, installation of bio-gas plants as an alternate source of energy in the State.

Under the New 20-Point programme the following achievements have been made :—

Point-1 : Increasing Irrigation Potential Development and Dissemination of Technology and Inputs for Dryland Farming—

In Himachal Pradesh where 80 per cent of the area is rainfed, the spread of rainfall is not uniform. In order to stabilize the production of crops under such conditions, the department of Agriculture is disseminating suitable dry-land farming technology among the farmers for the adoption of these technology. These technologies include conserving moisture in the field by proper preparation and mulching after harvest of kharif crops and introduction of crop varieties suited to dryland farming by optimum use of seed and fertilizers, line sowing weed control, use of improved agricultural implements, contingency crop planning, water harvesting and its re-cycling etc. Training Camps were organised at grass root level to educate the farmers about these practices.

In order to disseminate the dry land farming technology, 54 micro-water sheds were selected for intensive development during 1985-86. Through these micro watersheds an area of 6.56 thousand hectares is expected to be covered during 1985-86, besides covering an area of 70,132 hectares outside these micro watersheds, distribution of 6,329 improved agricultural implements, and 250 seed-cum-fertilizer drills. The remaining 8,671 improved agricultural implements will be distributed during the last quarter of the year. Besides this, 337 water harvesting and storage structure have been completed.

Point-2 : Making Special Efforts to Increase the Productivity of Pulses and Oil seeds—

During 1985-86, it has been envisaged to cover an area of 85,250 hectares under pulses and 32,500 hectares under oil seed crops in the State so as to produce 25 thousand tonnes of pulses and 7.00 thousand tonnes of oil seeds. In order to achieve the production targets during the year, about 582.05 tonnes seeds of pulses and 132.40 tonnes of oil seeds were distributed to the farmers. 28.02 thousand minikits of seeds of pulses and oil seeds were distributed to the farmers in order to popularise improved varieties of pulses and oil seeds.

Point-7 : Development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes—

For the economic development of scheduled caste and scheduled tribe farmers, under special component plan schemes, agriculture inputs and implements at subsidised rates were distributed, besides rendering effective technical know-how to this class of farmers.

Point-12 : Bio-Gas Development—

Upto December, 1985, 2,293 bio-gas plants have been installed against the target of installation of 2,500 during 1985-86. This target is expected to be achieved in full by the close of the year. It is proposed to install 3,000 bio-gas plants during 1986-87.

The programme-wise achievements made during 1985-86 and targets proposed for 1986-87 are enumerated below :—

A. Foodgrains

In order to make the State self sufficient in foodgrains, it is proposed to produce 13.20 lakh tonnes of foodgrains during 1986-87 against an estimated production of 12.97 lakh tonnes during 1985-86. Details of the steps taken to achieve the production targets are given below :—

(i) *High Yielding Varieties Programme*—The department of Agriculture has continued its endeavour to bring more area under high yielding varieties of major cereals. Achievements made in this regard are tabulated below :—

Crop	Unit	Achievements 1984-85	Achievements 1985-86 (likely)	Targets for 1986-87
Maize	'000 Hect.	88.00	89.75	89.00
Paddy	,,	90.00	90.25	90.50
Wheat	,,	310.00	315.00	320.00

(ii) *Fertilizers*—The chemical fertilizers play an important role in increasing the agricultural production particularly when used with high yielding varieties which are responsive to the recommended doses of fertilizers. There has been a significant increase in the

consumption of fertilizers as would be clear from the table given below :—

Consumption of fertilizers in terms of nutrients

Item	Unit	Consumption 1984-85	1985-86 (Target)	Upto Dec., 1985 (Achievements)	Targets for 1986-87
N	'000M.T.	16.33	17.20	13.01	17.50
P . . .	,,	3.20	2.80	2.51	3.00
K	,,	2.22	2.00	1.65	2.50
Total N+P+K .		21.75	22.00	17.17	23.00

Alongwith the use of fertilizers, emphasis is also being laid on the preparation of local manurial resources. It is proposed to produce 37 lakh tonnes of rural compost and 42.00 thousand tonnes of urban compost during the year 1986-87.

(iii) *Plant Protection*—It is proposed to cover an area of about 4.05 lakh hectares of cropped area under various plant protection measures during 1986-87 against an estimated achievement of about 3.98 lakh hectares during 1985-86.

(iv) *Soil Testing*—It is proposed to collect and analyse 62,000 soil samples during 1986-87 against the likely achievement of 60,000 in 1985-86.

(v) *Multiple Cropping*—It is proposed to cover an area of about 44 thousand hectares under multiple cropping during 1986-87 against an estimated achievement of about 42 thousand hectares during 1985-86.

B. Commercial Crops

(i) *Potato*—Potato is one of the most important cash crops of the Pradesh on which the economy of the farmers especially of districts Shimla, Lahaul-Spiti and Pooh sub-division of Kinnaur district depends. In order to ensure remunerative prices to the growers and quality seed to the buyers, the 'Himachal Pradesh Seed Potato Control Order' was enforced in the State to ensure quality, grading, purity of seed and accurate weight, etc. The farmers were also rendered timely technical know-how besides supply of foundation and certified seed. In December, 1985 the Government of H.P. announced support price @ Rs. 100 and Rs. 75 for certified and truthfully labeled seed potato, respectively at the notified collection centres. The Seed Certification Agency certified 95.71 thousand qtls. of seed potato during Kharif 1985. Upto November, 1985, 32.37 thousand tonnes as seed potato and 9.66 thousand tonnes as table potato have been exported to the consuming states. It is proposed to produce 1.25 lakh tonnes of potato during 1986-87.

(ii) *Vegetables*—Agro-climatic conditions in the Pradesh are very much conductive for the production of off season vegetables. Technical guidance and necessary inputs are being supplied to the farmers for growing these vegetables. It is proposed to produce 3.00 lakh tonnes of vegetable during the year 1986-87 against the likely achievement of about 2.80 lakh tonnes during 1985-86.

(iii) *Ginger*—It is proposed to produce 20.50 thousand tonnes of green ginger during the year 1986-87 against the likely achievement of about 20.00 thousand tonnes during 1985-86. Ginger is predominantly grown in Sirmaur, Solan and Shimla districts

C. Agricultural Marketing

With a view to ensuring remunerative prices to the growers for their products, regulation of markets under the Himachal Pradesh Agricultural Produce Market Act, 1969 (Act of 1970) remained in operation. Efforts are being made to cover the entire Pradesh under the purview of the Act.

D. Other Programmes

During the year 1985-86, the service schemes like agriculture Information, Agriculture Statistics, Seed Testing and Certification, Farmers Training Centre and Agriculture Engineering Section continued rendering useful services to the farmers of the Pradesh.

E. Centrally Sponsored Schemes

(i) *Control of Weed like Phalaris Minor and Wild Oat in Wheat*—The object of the scheme is to control weeds like phalaris minor, and wild oats in wheat crops and 25 percent subsidy is given to all categories of farmers except scheduled caste and scheduled tribe farmers for whom the subsidy is 50 percent.

(ii) *Timely Reporting Scheme (TRS) for Estimation of Area and Production*—Under this scheme, advance enumeration and crop cutting experiments are done in 20 per cent of the selected villages.

(iii) *Improvement of Crop Statistics*—The scheme aims at improving the crop statistics so as to ensure quality of data. Under this scheme, physical verification of the crop area enumerated in the sample villages and comparison with those figures which were recorded by the Patwaries in the basic village records are done. The supervision is done by the staff of National Sample Survey Organisation (NSSO) and the office of the State Agricultural Statistical Officer in sub-samples of TRS Sample villages.

(iv) *National Oil-Seeds Development Project*—The scheme aims at educating the farmers through demonstration for adopting improved package of practices for cultivation of oil seeds and plant protection measures to save the crops from pests and diseases. Under this scheme, 4,996 minikits of Kharif oilseeds and 4,400 minikits of rabi oilseed crops were distributed to the farmers.

(v) *Development of Pulses*—Under this scheme, during kharif 9,226 minikits of pulses seed and 9,400 minikits of rabi pulses were distributed to the farmers.

(vi) *Project of Massive Assistance to Small and Marginal Farmers for increasing Agricultural Production*—The object of this scheme is to accelerate the agricultural production of the small and marginal farmers through effective dissemination of technical know-how to them. Under this scheme, 28,022 minikits of the oil seeds and pulses were distributed

F. Soil Conservation

To check the soil erosion which is due to the slopy fields and excessive rains, various soil conservation measures are being adopted on agricultural lands by the department of Agriculture. For such measures on agricultural land 50 percent subsidy and 50 percent loan is provided to the farmers. It is proposed to treat an area of 875 hectares under soil and water conservation (State Sector) during 1986-87 against the likely achievement of 865 hectare during 1985-86. In addition to State sector, it is proposed to treat an area of 1,174 hectares under soil conservation measures during 1986-87 under central sector.

G. Agricultural Finance

In Himachal Pradesh there are various agencies which provide credit to the farmers of the State to cater to their diversified needs emanating from the agricultural sector. H.P. Cooperative Bank provides short-term, medium-term cash credit for the marketing of cash crops etc. to the farmers of the State. It also participates in I.R.D.P. and other economic programmes. During the year 1984-85, short-term and medium-term loans advances amounted to Rs. 41.06 lakh and 113.38 lakh respectively.

National Bank for Agricultural and Rural Development (NABARD) is also providing required finance for seasonal agricultural operations and investment credit for agricultural and allied activities. Besides above, it will provide long term loans to the State Government. During the year 1984-85, the disbursement under schemetic lending by NABARD in H.P. touched to Rs. 400 lakh. During 1985-86, Bank envisages a disbursement of refinance of the order of Rs. 440 lakh.

The Himachal Pradesh State Cooperative Land Development Bank is financing the agriculturists of the Pradesh for the development of agriculture. The purpose for which the loan is sanctioned by the bank include installation of tube-wells, reclamation of land, construction of godowns, purchase of land, purchase of tractors and allied equipment besides other diversified purposes like the development of agriculture, fisciculture, sericulture diary development etc.

Plan for 1986-87—Most of the plan programmes taken up for implementation during 1985-86 will be continued during the year 1986-87. Besides, targets proposed for the year 1986-87 have been discussed in the above schemes.

2.2 HORTICULTURE

Horticulture is an important sector of rural economy in Himachal Pradesh. It contributes towards the achievement of major national objectives of increasing food productivity and employment opportunities by helping in the utilisation of available land stock, agro climatic and vegetative resources and also in maintaining the ecological balance. With the concerted efforts made by the State government and the people, Himachal Pradesh has earned an eminent place in the horticultural map of the country.

A brief description of the salient achievements made during 1985-86 in the field of horticulture is as under :—

1. *Area Under Fruits*—During the year 1985-86, it was envisaged to bring 7,000 hectares of area under new plantations. Out of of this an area of 5,770 hectares has already been covered upto the end of December, 1985 and the remaining target is expected to be achieved during the winter season of 1985-86. As against a target of 17.50 lakh fruit plants, it is expected that over 25 lakh fruit plants will be distributed during 1985-86.
2. *Fruit Production*—Due to long spell of drought during fruit set/fruit development stages, the production of all kinds of fruits was estimated to be about 51% less than the expected normal production during 1985-86. The total production of all kinds of fruits is estimated to be 2.30 lakh tonnes during 1985-86.
3. *Improvement of Wild Fruit Trees into Superior Varieties*—Under this scheme against the target of top working of 10.00 lakh wild fruit trees during 1985-86, 0.01 lakh trees have been top worked upto December, 1985. The target is likely to be achieved in full as the major top working operations are conducted during the spring season.
4. *Plant Protection*—Upto the end of December, 1985, an area of 42,000 hectares has already been covered under plant protection measures and it is expected that in all 78,000 hectares of area will be brought under plant protection measures during 1985-86. Due to concerted efforts made in the field of plant protection, the apple scab disease has been kept under control for the second consecutive year. Against the target of 80,000 hectares an area of 16,000 hectares has been covered upto December, 1985 for the control of apple scab. The target is expected to be achieved by the end of 1985-86.
5. *Diversification of Horticulture Industry*—Special efforts are being made to promote other special horticultural crops like olive, figs, pistachionut, sardamelon, saffron, hops, mushroom and flowers etc. An outstanding achievement in this direction is the inauguration of a Rs. 2.44 crore Indo-Italian project for the development of olives and other temperate fruit crops in Kullu, Mandi and Chamba districts. So far as hops cultivation in Lahaul area is concerned, 7 hectares of additional area has been brought under hops cultivation and its production during 1985 was 26.00 tonnes (green). Under the integrated development programme for mushroom cultivation, 992 tonnes of pasteurized compost and 3,371 bottles of spawn have been distributed amongst the growers and 88 tonnes of mushroom were produced upto December, 1985.

6. *Marketing and Processing of Fruits*—Under HPMC, 6 packing and 4 grading houses, 5 cold storages in up-hill areas, one processing plant, one transit warehouse and two saw mills have been established and two ropeways are being set up in Rohru and Thanedhar areas of Shimla district. All the infrastructures created under this project have a capacity to handle 59,000 tonnes of fruit for packing, grading, storage and processing. Apart from this, the corporation has one fruit processing plant at Jarol, one cold storage each at Bombay and Delhi, transit warehouses at Parwanoo and Kiratpur Sahib, shops at Azadpur Subji Mandi (Delhi), Mushroom complex at Solan, shopping complex at Subzi Mandi Shimla and World Trade Centre at Bombay. The Corporation has also constructed one grading house at Reckong Peo in Kinnaur district and one such grading house and a ropeway are being set up at Bharmaur. During the year 1985-86 HPMC handled 10.81 lakh boxes and stored 11,000 boxes and 10,222 qtls. apple in bags in cold storages in up-hill areas. A all time high record has been achieved by processing 8,301 tonnes of fruit during 1985-86 as compared to 1,222 tonnes during 1984-85. The corporation sold 1.11 lakh CFB cartons during 1985-86 as compared to only 0.15 lakh during 1984-85. The rental income from cold stores is expected to be over Rs. 50 lakh by March, 1986 as against Rs. 43 lakh in the previous year. Till October, 1985, the sale of processed products was Rs. 95 lakh and it is expected to be Rs. 200 lakh by the end of the year 1985-86.

   To acquaint the formers with the techniques of scientific packing and grading of fruits, 1.68 lakh boxes of fruits were graded and packed by way of demonstration upto December, 1985 by the Horticulture department. Upto December, 1985, 205 tonnes of fruits have been processed in the fruit canning units being run by the Horticulture department. It includes 30 tonnes of fruits which have been processed under community canning services.

7. *Horticulture Development for the Weaker Sections of the Society*—Under 20-Point programme, the government has adopted a policy to develop horticulture as a programme of masses with a view to benefit the weaker sections of society such as small, marginal scheduled caste and scheduled tribe farmers and farmers of backward areas. Special subsidy schemes have been started and Rs. 34.13 lakh have been earmarked for the year 1985-86.

8. *Relief due to Natural Calamities*—For providing relief to the drought hit orchardists. 13.12 lakh fruit trees were supplied on 75 per cent subsidy to the affected growers for enabling them to replant their dried up plants.

   An amount of Rs. 36.47 lakh has been spent for providing assistance.

Plan for 1986-87—In addition to existing schemes, special emphasis will be given to further improve research and education schemes, plant protection schemes, fruit plan nutrition programmes, dry and rainfed horticultural schemes, horticulture extension/development programmes, horticultural farms and nurseries programmes during 1986-87. To supplement the research and education in horticulture, the existing Horticulture complex at Solan has been converted into a full-fledged Horticultural University since 1985-86. During the year 1986-87, five centrally sponsored schemes viz., (i) control of apple scab, (ii) improved technology for quality apple production, (iii) assistance to small and marginal farmers for increasing horticultural production, (iv) co-ordinated research project on pre-harvest forecast of apple yield and (v) crop estimation survey are proposed to be implemented.

2.3 MINOR AND MEDIUM IRRIGATION AND FLOOD CONTROL

In Himachal Pradesh a sizeable part of the cultivated land is unirrigated. In order to increase the production potential of crops, creation of adequate irrigational facilities is essential. Out of the total geographical area of 55.7 lakh hectares, total net area sown in the State is 5.72 lakh hectares. Out of it an area of about 1.40 lakh hectares is irrigated.

Minor Irrigation—During 1985-86, an amount of Rs. 565.0 lakh was provided for minor irrigation works for bringing an additional area of 1,320 hectares under assured irrigation. Besides, there was a target to provide field channels to an area of 1,000 hectares.

Medium Irrigation—During the year 1985-86, an amount of Rs. 164.0 lakh was provided for major/medium irrigation. The construction work of medium irrigation project in Balh valley with 2,410 hectares culturable command area is in advance stage. An area of 200 hectares is proposed to be brought under medium irrigation schemes during 1985-86.

Major Irrigation Project—Shah Nahar is the first major irrigation project and it will provide irrigation facilities to 15,287 hectares of land. The detailed project report is under preparation.

Hill Area Land and Water Development Project—The implementation of USAID has been initiated to assist hill area land and water development projects in the Pradesh with a cost of Rs. 86.9 crore. This project will create irrigation potential of 24,700 hectares and command area development of 38,700 hectares. As many as 25 irrigation, 33 agriculture and 3 RDD schemes have been approved during 1985-86 for implementation with a provision of Rs. 495.94 lakh Rs. 57.71 lakh and Rs. 1.25 lakh, respectively.

Command Area Development—Command area development programme has been introduced to increase utilisation of irrigation potential. This programme is limited to C.C.A. covered under major/medium irrigation projects only. A command area development project for medium irrigation project Giri in Sirmaur district with a provision of Rs. 4.40 crore has already been approved by the Government of India. A provision of Rs. 29 lakh has been made for 1985-86 under this scheme.

Flood Control—During 1985-86, a sum of Rs. 73 lakh was provided for the construction of embankment and protection of land.

2.4 SOIL CONSERVATION

Soil conservation measures are necessary in the context of river valley projects with a view to (i) prolonging the life of storage reservoirs of irrigation/electricity generating projects (ii) effective functioning of minor irrigation tanks and (iii) moderating floods. The following important conservation schemes are being implemented in this Pradesh both under State and Central sectors.

State Sector

1. *Protective Afforestation, Soil Conservation and Demonstration*—It is proposed to treat an area of 640 hectares of new lands under this scheme besides maintenance and construction of buildings and various other works in non-tribal areas. In addition, during the year, it is proposed to treat 200 hectares of new land in tribal areas under this scheme.

2. *Soil Conservation Training*—This scheme aims at imparting training to the personnel engaged in soil conservation. During the year 1984-85, 18 Deputy Rangers and 37 Forest Guards were imparted training and a lecture hall was constructed.

Central Sector

Under central sector three schemes are being implemented for soil conservation purposes viz. (i) soil and water conservation in the catchment of river valley projects of rivers Sutlej and Beas (ii) integrated soil water and tree conservation in Himalayan Region (operation soil watch) (iii) integrated water shed management in the catchment of flood prone rivers of Indo-Gangetic Basin (Pabbar and Tons) including Giri Bata. Under these schemes, 6,951 hectares of land has been brought under afforestation works. 11 water harvesting structures were constructed, 123 spurs/retaining walls were made and 6,06,800 seedlings were raised upto December, 1985.

2.5 ANIMAL HUSBANDRY

In Himachal Pradesh where agriculture is the main stay of the people, development of animal husbandry is an essential feature as livestock plays an important role in the rural economy. The development programme includes (i) animal health and disease control, (ii) cattle development, (iii) sheep breeding and development of wool, (iv) poultry development, (v) feed and fodder development, (vi) dairy development and milk supply schemes and (vii) veterinary education. The achievements likely to be made in these spheres during 1984-85 are given in the following paragraphs :—

1. *Animal Health and Disease Control*—There are at present 197 veterinary hospitals, 393 dispensaries and 95 outlying dispensaries functioning in the State. Through these institutions veterinary aid is being provided and prophylactic measures against various contagious diseases are undertaken. In addition, 14 mobile dispensaries are also operating in the Pradesh which provide immediate veterinary aid besides control of outbreak of epidemics. As many as 6 clinical laboratories, including 4 at the district level, are in operation for providing quicker diagnosis of various animal diseases. One Epidemiological unit is also functioning at the State headquarter for detection and control of foot and mouth disease of the animals.

For the effective control of rinderpest which is a highly contagious animal disease, four check posts at Pandoga and Mandli in Una, Swarghat in Bilaspur and Milwan in Kangra district continued functioning in the State during 1985-86. Through these check posts 35 thousand incoming and outgoing animals are proposed to be vaccinated during 1985-86. Achievements likely to be made during 1985-86 under veterinary aid programme in various institutions are as given below :—

Sl. No.	Item	Likely achievement during 1985-86 ('000)
1	2	3
1.	Cases treated for contagious diseases (Indoor and outdoor)	23.50
2.	Cases treated for non-contagious diseases (Indoor and outdoor) . . .	990.00
3.	Cases supplied with medicine but not brought to hospitals/dispensaries . .	40.00
4.	Vaccinations performed . . .	30.00
5.	Castration performed	75.00
6.	Cases treated on tour :	
	(i) Contagious	25.50
	(ii) Non Contagious . . .	400.00
7.	Castrations performed on tour . .	90.00
8.	Vaccinations performed on tour . .	570.00

2. *Cattle Development*—Jersey having been found the most suitable of all the breeds for cross-breeding purposes, great emphasis is, therefore, being laid on cross-breeding of hill cows with Jersey. At some places, however, Holstein Friesein breed has also been introduced. With a view to improving the existing breed of buffaloes and further augmenting breeding facilities artificial insemination in buffaloes is being done at Majra, Kotgarh and Una Key village blocks and some hospitals in Sirmaur, Kangra, Una, Mandi, Bilaspur

and Hamirpur districts. Besides, natural services for cows and buffaloes were also available in 88 bull centres/hospitals and under Key Village Scheme and Intensive Cattle Development Project. For the effective implementation of the cattle development programme, the following schemes are in operation in the Pradesh :—

(i) *Key Village Scheme*—Under this scheme artificial insemination facilities are provided through 7 Key Village Blocks and 52 Key Village units attached with them. The scheme is in operation in Shimla, Solan, Sirmaur, Hamirpur and Una districts.

(ii) *Hill Cattle Development Programme*—The programme in opedation in Shimla, Solan, Una, Hamirpur, Kangra, Kullu and Chamba districts and 37 centres/sub-centres are functioning under the scheme. At these centres/sub-centres Jersey/Holstein Friesien and Red Sindhi Jersey semen is being utilised for artificial insemination purposes.

(iii) *Intensive Cattle Development Project*—This scheme is in operation in Shimla and Solan districts with 22 intensive cattle development units (16 units in Shimla and 6 units in Solan) with semen bank at Ghanahatti.

(iv) *Breeding Facilities Through Hospitals/Dispensaries and Bull Centres*—With a view to further boosting the work of cross-breeding in the State, artificial insemination facilities are being provided through 309 hospitals and dispensaries. Besides, natural service is being done through 32 cow-bulls and 43 buffaloe-bull centres in the far flung areas where semen supply is not otherwise possible.

(v) *Artificial Insemination Centres*—In areas where hospitals and dispensaries facilities are not easily available, breeding facilities are being provided through 51 artifical insemination centres in the Pradesh.

For subsidising the cost of rearing of cross breed female calves, the Government has launched a calf rearing subsidy scheme. Under this scheme subsidy in the shape of concentrates is being given to the small and marginal farmers.

The achievements likely to be made under this programme during 1985-86 are as given below :—

Sl. No.	Item	Likely achievement during 1985-86	
		Cows	Buffaloes
1	2	3	4
1.	Artificial insemination .	1,36,000	14,500
2.	Natural services . .	2,500	6,000
3.	Progeny born by artificial insemination . . .	47,000	4,300
4.	Progeny born by natural services . . .	1,200	3,000

In order to meet the demand for pure and cross-bred bulls in the Pradesh, 5 cattle breeding farms are functioning at Kamand (Mandi) Bhangrotu (Mandi), Kothipura (Bilaspur), Palampur (Kangra) and Bagthan (Sirmaur). The herd strength of animals at these farms and other centres as on 30th September, 1985 was 571. These farms also help in studying the management problem of exotic animals. One semen bank with deep frozen laboratory and two liquid nitrogen plants at Bhangrotu is supplying frozen pedigree bulls semen to various hospitals, dispensaries and artificial insemination centres in Kullu, Mandi and Bilaspur districts and Government farms. Another semen bank with frozen semen laboratory and two liquid nitrogen plants at Palampur is also supplying frozen semen to various artificial insemination centres in the Pradesh. One liquid nitrogen plant is also functioning at Jeori (Shimla). As a result of the implementation of these programmes, the milk production in the Pradesh is likely to be 425 thousand tonnes during 1985-86.

3. *Sheep Breeding and Development of Wool*—Sheep breeding which forms a major source of wool, mutton, hides and manure is an important subsidiary source of income to the people of the Pradesh. With a view to improving sheep and wool, Government sheep breeding farms at Jeori (Shimla), Chamba, Nagwain (Mandi), Tal (Hamirpur), Karchham (Kinnaur) and sheep & wool centre at Choori (Chamba) are supplying improved sheep to the farmers of the State. The flock strength in these farms as on 30th September, 1985 was 2,290. During 1985-86 about 500 improved sheep are likely to be distributed among the farmers. In view of increasing demand for pure hoggets and the established popularity of the Soviet Merino and American Rambouillets in the Pradesh, the State has switched over to the pure breeding at the existing Government farms. Four Sheep extension centres are in the process of establishment in Kangra, Mandi, Kullu and Shimla districts.

Under the special livestock development Project for sheep development, sheep at subsidised rates are being supplied and loans for this purpose are also given to the small and marginal farmers and agricultural labourers in Sirmaur district. Besides, under intensive development project which is in operation in Bharmaur tehsil of Chamba district, improved sheep are being distributed and dipping and drenching facilities to the breeders are provided and pastures improved. The programme of mass drenching of sheep, and training programme for progressive sheep breeders are also organised. During 1985-86, the production of wool is likely to be of the order of 13 lakh kilogram.

4. *Poultry Development*—With a view to providing improved type of poultry birds and hatching eggs, the department has set up 14 poultry farms/centres in

the Pradesh. Achievements likely to be made during 1985-86 are as under :

Sl. No.	Item	Likely achievements during 1985-86
1	2	3
1.	Average number of layers maintained at Government farms . . .	3,900
2.	Eggs production	7,75,000
3.	Chicks production	1,80,000
4.	Eggs used for hatching . . .	2,40,000
5.	Sale of eggs for table	5,00,000
6.	Sale of eggs for hatching . . .	2,000
7.	Sale of birds for breeding . .	98,000
8.	Sale of birds for table	60,000

Under special livestock (poultry) production, 175 poultry units are proposed to be established during 1985-86 with the financial assistance of the Government of India for the benefit of the small and marginal farmers in Shimla, Bilaspur and Una districts. Besides, the intensive poultry development project is also in operation in Una district.

5. *Feed and Fodder Development*—The maintenance and production of highly pedigreed animals depends on the availability of nutritious fodder and improved pastures. In view of the vast potential which exists for the development/improvement of grass lands and pastures in the Pradesh, the Government is vigorously concentrating on activities directed towards improving feeding resources of the State. The seeds of Phalarus, Tuberosa and Rye grasses which have been found most suitable to conditions prevalent in Himachal Pradesh are being tried for further propagation. These are now being multiplied for further distribution to Government farms and breeders in the Pradesh.

6. *Dairy Development and Milk Supply Scheme*—With a view to providing remunerative rates to the milk producers and wholesome milk at reasonable rates to the consumers, four milk supply schemes are functioning at Kangra, Chamba, Kullu and Nathpa Jhakhri as departmental schemes. The milk production in the Pradesh during the year 1984-85 was 404.13 thousand tonnes.

7. *Veterinary Education*—Under this programme the department has sponsored 89 candidates for Pharmacists course at Chamba and Sunder Nagar. Besides this, the breeders are also being trained in dairying, poultry, sheep and other animal husbandry practices regularly.

8. *Special Component Plan for Scheduled Castes*—Under this schemes the members of the scheduled castes community are supplied improved livestock and other facilities such as animal feed for 6 months, improvement of cattle sheds and poultry pens and insurance etc. are also provided on 50 per cent subsidy. 2,480 beneficiaries are likely to be covered during 1985-86.

9. *Tribal Sub-Plan*—Keeping in view the geographical conditions tribal areas of Kinnaur, Lahaul and Spiti, Pangi and Bharmaur of district Chamba, special programme of assistance have been in operation.

Plan for 1986-87—The schemes which are already under implementation are proposed to be continued during 1986-87. The net work of veterinary institutions will be increased by opening of 25 veterinary dispensaries and upgrading of 10 veterinary dispensaries into hospitals.

2.6. FORESTS

Forests in Himachal Pradesh cover an area of 21,324 square kilometre and form about 38.3% of the total geographical area of the State. The well wooded area is even much less. These forests resources bear a rich potential for industries like newsprint, rayon grade pulp, art paper, hard board and textiles accessories etc. In addition, large number of aromatic and medicinal plants can be utilised for the pharmaceutical and ayurvedic medicines. Besides, forests are also essential to conserve soil and to regulate the flow of water in the rivers so as to ensure the longevity of multipurpose hydro electric projects.

Forests exploitation has been fully nationalised in the Pradesh and entrusted to the H. P. State Forest Corporation. Himachal Pradesh being the largest producer of coniferous timber in India which is in short supply, long term investment is constantly being increased for the development of these species in the Pradesh.

During the year all the schemes of previous year continued. Among important schemes of forest development, mention may be made of the following :—

1. *Forest Plantation*

(i) *Productive Forestry*—It is proposed to raise plantation of fast growing species over an area of 3,169 hactares and the raising of extensive plantation of industrially important timber species in compact blocks over an area of 3,163 hactares.

(ii) *Pasture Improvement*—This scheme aims at improving the quality and quantity of fodder by the introduction of better fodder species both exotic and indigenous and popularising the rotational grazing practices. During the year, it is expected to treat an area of 1,043 hactares.

(iii) *Social Forestry Schemes*

(a) *National Social Forestry (Umbrella) Project*—This World Bank assisted Social Forestry Project with an outlay of Rs. 57 crore has been launched during the year 1985-86. This is a Five Years Project coinciding with the Sevenh Five Year Plan. During the current year, an outlay of Rs. 5 crore has been provided. The scheme aims

at raising fuel, fodder and small timber species to meet the basic requirement of people. The afforestation will be done both in the private wastelands and in the government degraded forests/wastelands. 16,450 hactares will be afforested during the year under this project which includes raising of 1 crore plants through public distribution.

(b) *Centrally Sponsored Rural Fuelwood Social Forestry Scheme*—This scheme aims at raising of fuelwood, plantation on Government wastelands, village common lands and along the road side etc. on 50:50 sharing basis subject to maximum of Rs. 1,000 as central share. This scheme has been taken up in 5 districts viz., Kangra, Hamirpur, Mandi, Solan and Shimla. An area of 3,970 hactares will be planted under this scheme.

(c) *Centrally Sponsored Small and Marginal Farmers Scheme*—This scheme aims at raising plants and distributing the same to small and marginal farmers on 50:50 sharing basis between the Centre and the State. Under this scheme, a target of raising 34.50 lakh plants through small and marginal farmers has been fixed.

(d) *Regeneration of Chilgoza Pines*—Centrally *sponsored Scheme*—Chilgoza forests which are valued for edible seeds are found in dry zones of Kinnaur district and to a limited extent in Pangi in an area of about 2,060 hactares. The local inhabitants of these areas have the right of collection of these seeds which is a source of substantial income to them. This scheme is continued during this year and will also continue during the year 1986-87 also.

2. *Dhauladhar Farm Forestry Project*—This is a continued Project of the Sixth Five Year Plan being executed in Binwa Catchment of Dhauladhar Range with collaboration of the Federal Republic of Germany. This is an integrated Project of afforestation, animal husbandry, wood saving devices etc. It is proposed to increase forest area by 10% under this Project. The Project is in the 2nd phase of implementation stage. The first phase was orientation stage and the 2nd implementation stage.

3. *Wild Life and Nature Conservation*—Himachal Pradesh is known for a variety of games, both animals and birds. The scheme aims at improving the game sanctuaries and shooting blocks so as to afford protection to the species facing extinction.

4. *Forest Statistical and Evaluation Cell*—Statistical and evaluation cell which was established to compile reliable data continued to function duding the year.

5. *Forest Protection*—Forests are exposed to dangers of fires, illicit felling and encroachments. It is, therefore, necessary that check posts at suitable places are established, fire fighting equipments are introduced and telephones are installed. This year also the scheme continues to function.

Among other programmes, the department took up the construction of roads, buildings including labour huts, education to the public about the direct and indirect benefits of forests and necessity of their proper management and conservation.

2.7. FISHERIES

For the development of fisheries there are two big reservoirs namely Govindsagar and Pong Dam with a gross area of over 40,000 hectares and the length of rivers and streams in the State is 3,000 km approximately. Besides, 150 hectares of rural impoundment is also available.

In order to ensure coordinated development of various aspects of fisheries in the Pradesh, nine plan schemes have been included in the Seventh Five Year Plan 1985—90. The physical achievements made during the year were as under :—

Sl. No.	Item	Unit	Target fixed for 1985-86	Achievements	
				Till Nov, 1985	Expected upto 3/86
1	2	3	4	5	6
1.	Production of Mirror Carp fry	Million	7.00	6.79	6.79
2.	Production of Trout seed	Lakh	8.00	0.56	8.00
3.	Fishermen registered	No.	9,000	8,941	9,000
4.	Fish production	Tonne	3,400	2,066	3,400

The exploitation and marketing of fish from the reservoirs has been completely co-operativised. Nine primary fishermen co-operative societies for Gobindsagar reservoir and nine such cooperative societies for Pong Dam reservoir have been organised which are also undertaking the marketing of fish caught from these reservoirs. The fishermen members of these societies pay a licence fee of Rs. 50 per annum per gill-net for fishing. These societies, in addition, pay a fee at the rate of 15 per cent of their gross sale proceeds to the Government annually.

Plan for 1986-87—In order to meet the fish seed requirement of reservoirs and other impounded water, 1 core of fish fry are proposed to be produced/purchased besides the pdoduction of 8 lakh of trout ova from the existing farms during 1986-87. Expansion of the existing nursery areas of the farms will be continued. Management of the carps and trout farms

is proposed to be strengthened. Work on the establishment of one 10 hectare fish seed farm under National Fish Seed Programme will be continued. A Fish Farmers Development Agency has already been established at Una under a centrally sponsored scheme. Under this agency a 5 hectare fish seed farm will be established. To encourage fish culture in the farmer's fields, based on running water culture, an agency on the pattern of existing Fish Farmer's Development Agency is proposed to be established. The agency would provide subsidy to the fish farmers for the construction of ponds and purchase of inputs like fish seed and feed. Work on construction of Mahaseer farm at Mandi will be continued. A project is proposed to be taken up to study the economics of cage culture in prevailing conditions of the Pradesh. Personal Accident Insurance policy as sponsored by the Government of India will also remain in operation. In addition to imparting training to 50 fish farmers in fish culture, two in-service candidates and two stipendary candidates would also be sponsored for training at Barrackpore and Agra. Under Scheduled Castes Component Plan 290 fishermen/fish farmers are proposed to be benefited. Under tribal sub-plan, survey of fisheries potential in tribal areas would be continued. It is also proposed to produce 1.2 lakh trout ova from trout farm at Sangla in Kinnaur district.

2.8. CONSOLIDATION OF HOLDINGS

The programme of consolidation has been included under the new 20-point programme to step up the consolidation operations.

As per an old survey report total feasible area for Consolidation in the State was 49 lakh acre. Out of which an area measuring nearly 14 lakh acre stood consolidated upto 31-3-1985. The work of consolidation is going on in the districts of Kangra, Una, Hamirpur, Bilaspur, Solan and Mandi with a target of 80,750 acre for consolidation during the year 1985-86 was fixed, out of which 59,978 acre had been achieved upto 31-1-1986. The proposed target for the year 1986-87 is 84,500 acre. 26 new posts of various categories have also been created during the year 1985-86.

2.9. LAND REFORMS

In Himachal Pradesh 20,455 landless and 70,029 other eligible persons were identified upto 30-4-1981. Out of these, 20,363 landless and 67,392 other eligible persons have been allotted land so far. A new cut off date for the identification of landless persons and houseless persons was fixed by the government as 31-3-1983. Upto this date 1,836 landless persons and 1,098 houseless persons were identified. Out of these 220 landless persons and 135 houseless persons have been allotted land upto December, 1985. For this purpose no targets can be fixed since suitable allotable land is not available in some of the districts. The position about the availability of land otherwise is that where suitable land is available, the eligible persons are not available and where eligible persons are available, the land for allotment is not available.

All the 86,952 occupancy tenants have already become owners of the land held by them. There were 4,22,145 non-occupancy tenants out of which 3,81,072 such tenants have been conferred proprietory rights upto September, 1985. The remaining 41,073 tenants are mostly those who hold the tenancy land under the protected categories of land owners such as minors, widows, army personnel and disabled persons etc. The process of conferment of proprietory rights is continuing.

All the kissan in the Pradesh are proposed to be provided Kissan Pass Books in a phased programme. Against the target of 2,13,750 Kissan Pass Books, as many as 49,917 Kissan Pass Books have been completed and distributed to the farmers upto September, 1985 during the year 1985-86. These pass books have a legal sanction since these have been framed under the law and have uptodate information in respect of rights and liabilities of the farmers in respect of their holdings.

3. CO-OPERATION AND RURAL INTEGRATED DEVELOPMENT

3.1. CO-OPERATION

The Cooperatives have an important role to play in the rural uplift by providing credit facilities to weaker section. Keeping this aim in view during the year 1984-85 the number of all types of Cooperative Societies had increased from 3,407 to 3,453 with the registration of industrial, weavers and other non-agricultural societies. The number of primary agri. credit societies which stood at 2,109 as on 30-6-84 had gone upto 2,113 at the end of 30-6-1985. The level of cooperative development in the State in terms of some major indicators of development is reflected in the following table :—

Sr. No.	Item	Unit	1983-84	1984-85
1	2	3	4	5
1.	Societies of all types .	No.	3,407	3,453
2.	Membership . .	Lakh	8.06	8.32
3.	Share capital . .	Rs. lakh	2,034.10	2,169.76
4.	Deposit . . .	do.	8,050.99	9,325.59
5.	Total short term, medium term loans advanced (Agriculture & Non-Agriculture credits) . .	do.	1,449.05	1,740.35
6.	Long term loans advanced	do.	92.38	109.95
7.	Value of agricultural produce marketed . .	do.	502.17	795.71
8.	Retail distribution of consumer articles .	do.	3,259.71	3,939.27
9.	Retail distribution of agricultural inputs .	do.	642.06	696.09
10.	Coverage of rural population	Per cent	85.00	87.00

A brief account of the important programmes of the cooperatives is given below :—

1. *Co-operative Credit*—Long term finances are being provided by the Himachal Pradesh Central Land Development Bank Ltd. and the Primary Land Development Bank Ltd. Dharamsala. These banks advance long term loans to the farmers for various agricultural purposes.

2. *Marketing*—There is a 4 tier system of cooperative for marketing surplus of cash crops like seed potato, tea, ginger, apples etc.

3. *Distribution of Consumer Goods*—Primary co-operative societies are the appropriate agencies for the distribution of essential commodities of mass consumption particularly in the remote areas of the Pradesh.

4. *Supply of Inputs*—The cooperative societies are also engaged in the important task of supplying agricultural inputs viz; fertilisers, improved seed etc. to the farmers.

Plan for 1986-87—The schemes which were in operation during 1985-86 are expected to be continued and would be implemented more vigorously to fulfil the objectives set for the cooperatives.

3.2. RURAL DEVELOPMENT

The following schemes are being implemented in H.P. :—

1. *Community Development*—The integrated development of the rural people with the initiative and the participation of the village community is the underlying object of this programme. During the financial year 1985-86 an allocation of Rs. 67.50 lakh was provided against which an amount of Rs. 47.45 lakh had been spent upto the end of October 1985. The following programme of works were undertaken during 1985-86 :—

Education—Construction/repair of primary school buildings etc.

Social Education—Organisation of cultural programmes, rural sports and meets etc.

Communication—Construction of kacha roads, bridle paths, etc.

Composite Programmes—Promotion and strengthening of Mahila Mandals and Yuvak Mandals, training of associate women workers, incentive award to Mahila Mandals, organisation of Sammelans for non-officials etc.

Housing—The housing needs of staff in the field and office buildings etc.

In addition to the above, schemes of smokeless chullahs and construction of rural latrines are being implemented. By the end of November, 1985, approximately 8,013 chullahs have been constructed and 338 persons were trained in the Pradesh. Similarly, during 1985-86, 300 rural latrines were also constructed.

2. *Water Supply Scheme*—During 1985-86, a sum of Rs. 20.00 lakh was allocated to provide potable drinking water to 120 hamlets covering 6,000 souls.

3. *Applied Nutrition Programme*—During the year 1985-86 Rs. 9.00 lakh was provided for the implementation of this programme.

4. *Centrally Sponsored Programme*

(a) *Integrated Rural Development Programme*—The Integrated Rural Development programme is being implemented in Himachal Pradesh as a centrally sponsored programme on 50:50 sharing basis. The main objectives of this programme are to assist families living below the poverty line and to create substantial

additional opportunities of employment for them. During 1985-86, a sum of Rs. 155.50 lakh was provided to cover 31,000 families out of which 23,000 were old families who had been given first doze of assistance during 1980-81 and 1981-82 and now they were provided with full assistance admissible under IRDP. Upto January 1986, 10,583 old families and 13,333 new families had been covered under this programme.

In addition, the training of rural youths for self-employment (TRYSEM) is also a part of this programme. Upto November 1985, 1,649 youths were trained under TRYSEM.

(b) *Desert Development Project in Spiti and Pooh Blocks*—This programme is being implemented in the Spiti Sub-Division of Lahaul and Spiti District since 1979-80 and in the Pooh Sub-Division of Kinnaur district since 1982 as a central programme on 50·50 sharing basis. Now from 1985-86 this programme has become a 100% centrally sponsored scheme.

(c) *National Rural Employment Programme*—Under this programme rural youths are provided employment during lean season to create community durable assets. During the year 1985-86, 10.44 lakh mandays were generated upto Jan., 1986. Upto Sept., 1985, 541.70 M.T. of foodgrains have been utilised and 249 assets were created.

(d) *Rural Landless Employment Guarantee Programme*—Under this programme rural landless are provided employment opportunities with a view to provide employment guarantee to at least one member of every landless labour upto 100 days in a year and side by side creating durable assets. Upto 31st March, 1985, 38 schemes of water harvesting, 112.60 Kms. of roads have been constructed 550.03 hectares of land was brought under plantation and nurseries in 9.60 hectares were raised. As a result 18.16 lakh mandays were generated in the year 1984-85.

During the year, upto Jan., 1986, 12.02 lakh mandays have been generated, 269.24 M. T. of foodgrains have been utilised, and upto September, 1985, 21.17 Kms. of roads and cross drainage of 5.20 Kms. have been constructed. In addition, nurseries in 7.80 hectares of land were raised, 757.95 hectares was brought under plantation and 27 water harvesting schemes have also been completed upto September, 1985.

5. *Social Inputs in Area Development*—This programme aims at providing social inputs to the IRDP families besides the economic inputs, which are being provided in three blocks of Mandi district with the help of UNICEF. The objectives of this programme are to improve nutritional status of mother and children and literacy among women.

6. *Two Rooms Tenaments for Houseless Persons*—Eighty three two-room tenaments for the rural houseless persons in the Pradesh are being constructed by the department. According to initial survey by the Revenue department, 1,224 houseless persons were identified in the State to whom houses are to be provided under this programme.

7. *Development of Women and Children in Rural Areas (DWCRA)*—It is another scheme being implemented with the assistance of UNICEF since 1983-84. Five blocks, namely Baijnath, Nagrota-Bagwan, Pragpur, Nagrota-Surian and Nurpur have already been covered. Activities such as shawl making, bamboo work, weaving, spinning and ban-making are undertaken under this programme.

Plan for 1986-87—All development programmes as discussed above are envisaged to be implemented during 1986-87.

3.3. PANCHAYATS

The panchayats, although, are not directly connected with the economic activities of the people yet the indirect effect of participation of these democratic institutions upon the economy of the people is of a very great importance. According to the observations of the Planning Commission, the Panchayati Raj institutions have provided a new dimension to rural development and introduced a structural change of considerable importance in the direct administration. In this country which is weded to the concept of democratic way of life, strengthening of these grass root level democratic institutions is essential. Maximum utilization of human and material resources in rural areas can fructify only if there is fuller and active involvement of Panchayati Raj institutions in the process of both formulation and implementation of the Plans.

The Panchayati Raj system in Himachal Pradesh has been given a new deal in the shape of an unified H.P. Panchayati Raj Act, 1968 which came into effect w.e.f. 15-11-1970 and provides for the establishment of three tier Panchayati Raj system i.e., Gram Panchayats at the village level. Panchayat Samitis at Block level and Zila Parishads at the District level. Today, there are 2,597 Gram Panchayats. 69 Panchayat Samitis and 12 Zila Parishads in the Pradesh. The elections of Gram Panchayats have just been completed and elections to Panchayat Samitis and Zila Parishads are likely to be held in the near future.

During 1985-86, the following schemes have been implemented by the department :—

1. Matching incentive grant to Panchayati Raj bodies to step up tax efforts,
2. Loans for the creation of remunerative assets such as orchards, shops, stalls, and residential accommodation for rental purposes,
3. Grant-in-aid for the construction/repairs of Panchayat Ghars,
4. Assistance to Panchayat libraries,
5. Panchayat Prize Competition scheme,
6. Construction of Samiti/Zila Parishad buildings, and
7. Construction of building of Panchayati Raj Training Institute Mashobra and Baijnath.

Plan for 1986-87 :—The schemes implemented during 1985-86 are envisaged to be implemented during 1986-87 also.

4. MULTIPURPOSE PROJECTS AND POWER

4.1. MULTIPURPOSE PROJECTS AND POWER

The State Electricity Board is engaged in the execution and investigation of various hydro-electric projects found to be economically exploitable. Simultaneously, the work on expansion of transmission net work throughout the Pradesh has been taken up to achieve accelerated growth of rural electrification and industrialisation.

In Himachal Pradesh the hydro-electric potential from its five river basins is estimated to be 12,700 M.W. according to preliminary hydrological, topographical and geological investigations. Out of this 3,291.77 M.W. potential has already been harnessed in the Pradesh, but an installed capacity of only 132.77 M.W. is under the control of the Board.

At present the following three projects are under execution :—

Name of the Project	Installed capacity (M.W.)	Likely year of completion
1. Sanjay Vidyut Pariyojna .	120	1987-88
2. Andhra Hydel Project . .	16.95	1986-87
3. Rongtong Hydel Project .	2	1986-87

In addition, preliminary work on three new projects namely, Baner (6 M.W.), Gaj (10.5 M.W.) and Thirot (3 M.W.) was also taken up.

Some of the important achievements made during 1985-86 were as under :—

Item	Unit	Target	Ach. (upto 1/86)	Anticipated ach. upto 2/86 & 3/86
1. Generation . .	M.U.	540	533.22 (Tentative)	40
2. Villages electrified .	No.	425	451	Already Succeeded
3. Pump sets energised	No.	70	104	
4. Harijan houses electrified . . .	No.	2,500	2,545	

In addition to the above, following achievements were scheduled to be achieved in respect of transmission and distribution schemes during the year 1985-86 :—

1. The construction of 220/33 K.V., 25 MVA sub-station at Jessore has already been commissioned and 220/132 K.V., 50 MVA sub-station at Jessore is scheduled to be commissioned very shortly.
2. Augmentation of 132/33 K.V., 15 MVA existing sub-station at Girinagar to 32.5 MVA sub-station.
3. Construction of 66 KV line from Barotiwala to Nalagarh with sub-station at Nalagarh.
4. Construction of 66 KV line from Bhakra to Mehatpur (Rakkar) with sub-station at Rakkar which has been commissioned on 29-1-1986.

Moreover, the work is also in progress on the following 220/132 KV transmission lines :—

1. Bhaba to Panchkula (ISTL).
2. Khodri to Majri.
3. Jassore to Bathri (Dalhousie).
4. Solan to Shimla.

Rural Electrification—During the year 1985-86, 451 villages were electrified upto Jan. 1986, bringing the total to 15,065 villages (89.05 per cent) in the Pradesh.

Plan for 1986-87—The following targets have been proposed for the year 1986-87 :—

Item	Unit	Targets for 1986-87
1. Villages to be electrified .	No.	550
2. Pump sets to be energised	No.	70

The following new schemes have been proposed to be implemented in respect of transmission and distribution :—

1. 132 KV line from Dehra to Hamirpur.
2. 132 KV line from Hamirpur to Kangra with sub-station at Dehra.
3. 132 KV line from Giri to Paonta with 132/33/11 KV sub-station at Paonta.
4. 40/36/4/MVA 220 /132/11 KV transformer at Dehra S/yard for Dehra—Shimla line.
5. 66/11 sub-station at Shoghi and Garkhal (Kasauli).
6. Augmentation of Barotiwala sub-station.

5. INDUSTRIES AND MINERAL DEVELOPMENT

5.1. INDUSTRIES AND MINERAL DEVELOPMENT

Industrial activity in Himachal Pradesh is of recent origin. The peaceful climate and political harmony and stability in the State have gone a long way to attract entrepreneurs both from outside and within the State to set up their industrial projects in the Pradesh. At present there are about 70 medium and large scale units functioning in the Pradesh which provide employment to about 10,200 persons and have an investment of Rs. 200 crore. In small scale sector the number of units functioning is about 14,754 and providing employment to 57,369 persons approximately.

During the year 1985-86, the following activities were carried out by the Industries Department :—

1. *Industrial Project Approval and Review authority*—The main functions of this authority is to help the entrepreneures implementing their projects by co-ordinating the activities of different institutions/agencies involved. The approval of the IPARA is obligatory in case of medium and large scale industries. During the period from Ist April to 30th November, 1985, 52 projects have been approved by the IPARA.

2. *District Industries Centres*—For the promotion of cottage and small scale industries, District Industries Centres have been established in all the districts of the Pradesh. Some of the important achievements of these centres made during the period from 1st April to 31st October, 1985 are as given below :—

1. No. of artisans identified	2,056
2. No. of entrepreneurs identified . .	1,660
3. No. of SSI units provisionally registered .	1,120
4. No. of SSI units registered on permanent basis	787
5. No. of units came into existance :	
(*i*) SIDO	450
(*ii*) Non-SIDO	289
(*iii*) Artisans	207
6. Employment opportunities generated :	
(*i*) SIDO	1,670
(*ii*) Non-SIDO	780
(*iii*) Artisans	1,330

3. *Development of Industrial Areas*—In order to provide the infrastructural facilities to the enterpreneures, the industrial areas have been established at Parwanoo, Barotiwala, Baddi, Paonta, Mehatpur, Shamshi, Nagrota-Bagwan, Bilaspur, Reckong Peo, Sansarpur Terance and Electronic complex at Solan. More industrial areas are being developed at Chamba, Hamirpur, Mandi, Amb, Shogi, Raja-ka-Bagh and Keylong.

4. *Arts and Exhibitions*—With a view to exposing and promoting the sale of products being manufactured by various industrial units in the State, the Pradesh has been participating in various fairs and festivals and exhibitions organised at national and inter-national level. During the year 1985-86 the Industries Department has participated in the International Trade fair at New Delhi, Congress Centenary exhibition fair Madras and Congress Centenary exhibition fair Bombay. The Department has also participated in the State level fairs viz, Minjor fair at Chamba, Dussehra at Kullu, and Lavi fair at Rampur Bushahar.

5. *Entrepreneurial Development Programme*—The department of Industries has been holding entrepreneurial development courses inclusive of institutional, in-plant training and out surveys of one and half months duration. In addition, short term quick exponsure courses of a fortnight duration have been designed to provide package information to the capable entrepreneurs and to acquaint them with the necessary requirements and procedures required for setting up of industrial units. During the period from 1st April, 1985 to January, 1986, 5 such courses were conducted and 107 persons were imparted training in these courses.

6. *Development of Sericultural Industry*—Sericulture is one of the important cottage industries of the Pradesh which provides subsidiary employment to farmers to supplement their income by rearing silk worms and selling the cocoons produced by these farmers. During the period from 1st April to 30th November, 1985, 95,000 Mulberry plant and 1,480 ozs silk seeds were distributed. 52,677 kgs. of cocoons were produced having value of Rs. 13.17 lakh.

7. *Grant of Incentives/concessions to Industrial Units*—During the period from 1st April to 30th November, 1985 an amount of Rs. 4.16 crore was disbursed as Central subsidy, Rs. 2.90 lakh as State subsidy and an amount of Rs. 8.65 lakh was granted as interest free loan to the entrepreneurs.

8. *Investment in Government Undertakings*—During the year 1985-86, investment proposed for different Corporations and Boards under the administrative control of Industries Department was as below :—

(Rs. in lakhs)

Name of the Corporation	Budget provision for 1985-86	Disbursement upto 31-12-85
1. H.P. Mineral and Industrial Development Corp. Ltd. .	60.00	68.00
2. H.P. Financial Corp. Ltd. .	40.00	40.00
3. Nahan Foundry Ltd. . .	15.00	25.00
4. H.P. State Small Industries and Export Corp. Ltd. . .	4.00	1.00
5 H.P. Handicrafts and Handloom Corp. . . .	7.00	7.00

85-M/S545H.P.Govt.—6

9. *Development of Tea Industry*—Tea is grown in Kangra and Mandi districts of Himachal Pradesh at an altitude of 1,000 to 1,500 metres above the Sea level. At present there are 1,385 tea estates covering an area of 3,212 hectares in the Pradesh. During the period from April to December, 1985 the subsidy granted for the development of tea was as follows :—

1. Expenditure under special component Plan for Scheduled Castes—Rs. 2.05 lakh.
2. Interest subsidy—Rs. 1.30 lakh.

10. *Mineral Development*—During the year 1985-86, the following activities were carried out by the Geological wing :—

A. Limestone

(i) *Baroh-Shind (Chamba)*—Detailed limestone investigations of Baroh-Shind in Chamba District were continued and 69 Diamond core samples and 330 D.T.H. samples were collected for chemical analysis. Two drilling machines have been deployed to prove the limestone deposit in Baroh-Shind-Tikroo area of District Chamba.

(ii) *Arki (Solan)*—Detailed limestone investigations in Arki of Solan District were continued. An area of 0.355 Sq. Kms. has been mapped and 73 channel samples were collected for chemical analysis.

(iii) *Sog-Kangar-Phajo (Solan)*—Detailed investigation of Limestone in Sog-Kangar-Phajo of Tehsil Arki in District Solan was continued and an area of 0.11 Sq. Kms. was mapped.

(iv) *Alsindi (Mandi)*—Detailed limestone investigations of Jhankhunu Nagaltha of Alsindi in Mandi District were continued and an area of 0.11 Sq. Kms. was mapped. 217 D.T.H. samples, 30 diamond core samples, 10 trench samples and 100 Mtrs. trench were collected for chemical analysis.

(v) *Ropa Banaish Kiran (Mandi)*—Detailed limestone investigations in Seel Mulak Madan Block of Kiran-Bhojpur belt in Sundernagar were continued. An area of 0.11 Sq. Kms. was mapped and 89 chip samples were collected for chemical analysis.

(vi) *Kamroo Tilordhar Shilla (Sirmour)*—The working of limestone quarryies of Sirmaur District was studied in depth and a number of measures have been devised for improving working conditions in the lease areas. A socio-economic survey was also conducted in Kamroo area of District Sirmaur which has shown that exploitation of limestone has improved the economic conditions of the villagers and a number of employment opportunities generated.

B. Gypsum

Lahaul and Spiti—Detailed investigation of Gypsum in Lahaul & Spiti district was taken up. Systematic mapping covering an area of 10 Sq. Kms. was mapped.

C. Hot Water springs

Tattapani (Mandi)—Geothermal investigation and detailed mapping of Tattapani hot water springs in Mandi District were carried out.

6 TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

6.1. ROADS AND BUILDINGS

Economic and social development of Himachal Pradesh depends mostly on efficient system of communications. Roads are the only life-line of the people of this State as there are practically no railways and water ways to cater the need of traffic. In the development plans of the Pradesh, a very high priority has been given to the construction of road programmes. At the end of March, 1985, the motorable road length stood at 14,663 kms. giving the road density of 26.33 kms. per 100 Sq. kms. of area and it is likely to be 26.92 kms. per 100 Sq. kms. of area by the end of March, 1986 with a road length of 14,990 kms.

I. Roads

For the year 1985-86, an outlay of Rs. 25 crore under head "Roads and Bridges" was approved. The targets fixed for 1985-86 are likely to be achieved in full by the end of the current financial year. The targets fixed for 1985-86 and achievements made upto December, 1985 are shown as under :—

Sr. No.	Item	Unit	Targets for 1985-86	Achievements upto 31-12-85
1.	Motorable (Single lane) .	Kms.	260	272
2,	Cross drainage . .	Kms.	260	180
3.	Metalling and Tarring .	Kms.	125	122
4.	Bridges . . .	Nos.	30	10
5.	Jeepable . . .	Kms.	30	20

(i) *National Highways*—For the year 1985-86, a sum of Rs. 450.00 lakh has been allocated by the Government of India, Ministry of Transport for the construction and improvement of National Highways falling in Himachal Pradesh and another Rs. 102.83 lakh were released for their repairs and maintenance.

(ii) *Roads of Inter-State and Economic Importance*—The work of Lalghat-Paonta-Rajban-Rohru-Sungri-Narkanda road under the programme of Inter-State and economic importance remained in progress. The Government of India, Ministry of Transport, allocated a sum of Rs. 25.00 lakh for the year 1985-86.

(iii) *Strategic Roads*—The Government of India, Ministry of Transport, allocated a sum of Rs. 190.00 lakh for the construction of Mukerian-Talwara-Nurpur road under the strategic roads programme for the year 1985-86.

(iv) *Road-side Plntation*—For giving an attractive environmental view, the Government have been stressing for road-side plantation. There was a target for the plantation of 51,000 trees during the year 1985-86 and the target is going to be exceeded.

(v) *Construction of Mule Roads*—To extend transporation facility to the interior areas of Himachal Pradesh, construction of mule roads on motorable alignment has been undertaken so that on the availability of funds, these can be developed to motorable standard.

(vi) *Construction of Nangal-Talwara Rail Line*—Himachal Pradesh Government has agreed to pay the cost of acquisition of land, earth work and subsidy for timber sleepers. The land upto Mehatpur has been acquired and placed at the disposal of Northern Railways. Acquisition proceedings of land beyond Mehatpur are under process. A sum of Rs. 100.00 lakh has been allotted for the year 1985-86.

(vii) *Rural Landless Employment Guarantee Programme*—The Government of India have approved a Project of Rs. 350.00 lakh under rural landless employment guarantee programme under 20 Point Programme for construction of link roads under Minimum Needs Programme. Out of it an amount of Rs. 100.84 lakh has been provided for the year 1985-86. Against the target of 6.06 lakh mandays, 6.27 lakh mandays have been generated by constructing a road length of 40 Kms. by the department.

II. Buildings

The Himachal Pradesh Government has approved an outlay of Rs. 300.00 lakh for building construction programmes during the year 1985-86. Against the target of construction of 28 buildings during 1985-86, 19 buildings have been constructed upto December, 1985.

III. Housing (PWD)

An outlay of Rs. 100.00 lakh for constructing residential buildings has been earmarked for the year 1985-86. 13 residential buildings have been completed upto December, 1985 against the target of construction of 95 buildings during 1985-86 under this scheme.

Plan for 1986-87

Roads and Bridges—The following construction programmes have been proposed for the year 1986-87 :—

Roads and Bridges

1.	Motorable roads (single lane)	300 kms
2.	Jeepable roads	25 "
3.	Cross drainage	250 "
4.	Metalling & tarring	200 "
5.	Bridges	30 nos
6.	Villages to be connected with roads . . .	100 "
7.	Cableways	35 kms

Buildings (PWD)

The construction of 150 Nos. of Non-residential buildings have been proposed for the year 1986-87.

Housing (PWD)

The construction of 110 residential buildings have been proposed for the year 1986-87.

6.2. ROAD TRANSPORT

The Himachal Road Transport Corporation is playing an active role in the economic and social development of Himachal Pradesh. In the absence of other mechanised transport infrastructure such as railways, air and water ways which is quite meagre the Himachal Road Transport Corporation was established to provide, co-ordinated, organised, adequate, effecient and effective transport service. The Corporation is operating its bus services throughout the Pradesh and also on joint routes with neighbouring States/Union Territories to provide passenger transport facilities.

At present about 82 percent of the passenger transport is nationalised on which 1,200 buses on 1,050 routes including 239 interstate routes are being operated. These buses cover a distance of 2 lakh kilometres and carry about 1.60 lakh passengers daily. These bus services include 37 night services and 28 video fitted deluxe and semi deluxe buses.

There are 20 operating units and sub units functioning in the Pradesh. For repairs and maintenance there are two divisional workshops at Tara Devi and Mandi. A denominational Ticket Cell at Tara Devi and a body reconditioning unit at Parwanoo have also been established. To control the activities of these units, three divisional offices are also functioning. Mudrika bus services are being providel in 22 Assembly constituencies and this facility is proposed to be extended to other constituencies in phases. Facility of booking and delivery of parcels at 30 stations has been started for the benefit of the public. The facility of concessional or free travel has been given to Central/State Government employees, students etc. Free travelling facilities with in the Pradesh has been given to freedom fighters, handicapped and blind persons, MPs, MLAs and their attendents and press correspondents.

The achievements made during 1985-86 have been summarised as under :—

1. *Operating Units/Sub-units and Workshops*—One operating unit has been opened at Dehra and a sub-unit at Rampur was upgraded to a full fledged unit during 1985-86. Besides, a modern workshop is under construction at Jassure where buses will be repaired with modern techniques, retreading of tyres, printing of tickets and fabrication of bus bodies will be done and officers and other personnel of the Corporation will be imparted training.

2. *Fleet Strength*—There were 1,238 buses at the end of the year 1984-85. During the year under report 203 new buses are likely to be purchased subject to the availability funds.

3. *Route Coverage*—During the year under report, 85 bus services are likely to be introduced on 30 additional routes to provide more transport facilities to the people. At the end of 1984-85, 1,190 bus services were operating on 950 routes.

4. *Kilometrage Covered*—For 1985-86, a target of 781 lakh Kilometres has been fixed in respect of coverage to be done by the HRTC buses which is about 44 lakh kilometres more than the last year. It is estimated that about 615 lakh passengers will be carried during the year under report as compared to 585 lakh passengers carried during 1984-85. Due to proper repairs and maintenance of buses, the incidence of breakdown per 10,000 kms. has come down from 0.66 to 0.64 as against all India figure of 1.10. Similarly, the incidence of accident per one lakh kms. is also expected to be reduced to 0.25 during 1985-86 as compared to 0.30 during 1984-85. The all India figure on this account is 0.82 of State road transport undertakings.

Financial Results—During 1984-85, the Corporation had earned a revenue of Rs. 2,774.18 lakh and incurred an expenditure of Rs. 3,298.31 lakh resulting in a loss of Rs. 524.13 lakh. During 1985-86, the Corporation is expected to earn a revenue of Rs. 3,175 lakh against an expenditure of Rs. 3,475 lakh. The anticipated loss of about Rs. 571 lakh is mainly attributable to constant hike on automobile inputs including high speed diesel, lubricants, tyres and tubes, sundry stores and payment of additional dearness allowance to the staff etc.

Plan for 1986-87—During 1986-87 the Corporation proposes to purchase new buses and modern equipment for repair of buses. The Corporation also envisages to construct modern bus stands, booking offices and parking sheds at places where these are not available. Besides, administrative and residential buildings will also be constructed. In addition to provide better organised bus services in the tribal and backward areas, old buses are proposed to be replaced, from tribal areas/routes.

6.3. TOURISM

Himachal Pradesh has immense potential for tourism. Apart from facilities that can be offered by way of lodging and boarding, the Pradesh abounds in countless spots of tourist attraction viz; picnic spots, religious places, lakes, natural springs, skiing, trekking and camping areas etc.

During the year 1985-86, a prestigious club house constructed at a cost of Rs. 68 lakh at Manali was inaugurated and thrown open to the public. Cafeteria at Upper Dharamshala was also completed and will be commissioned into service during the ensuing tourist season. The construction work of cafeteria at Nurpur and toilets at Kangra is in the advance stage of completion, while construction work of toilets at Naina Devi ji and Sankat Mochan (Shimla) and cafeteria at Rampur Bushahr and Baijnath was started during 1985-86. Schemes for the development of Renuka lake and construction of cafeteria-cum-tourist information

centre at Fossil park at Suketi in Sirmour district have been approved and the construction work is likely to be started soon. Plan and estimates for the development of Subhash Bowly as a picnic spot at Dalhousie has been sent to the government for approval.

In view of the high percentage of occupancy in Hotel Holiday Home at Shimla, it was felt necessary to expand the reception area, dinning room and kitchen etc. Some additional facilities like lift, billiard room, shops and bank facilities, etc. are also proposed to be provided to the visitors. An amount of Rs. 5 lakh is likely to be spent during 1985-86 for this purpose by the H. P. Tourism Development Corporation.

To meet the growing demand of additional accommodation at Dharamsala, 5 log huts at an estimated cost of Rs. 5 lakh are proposed to be constructed by the Tourism Development Corporation. The construction work of a tourist inn at Bharmour remained in progress during 1985-86. The construction work of a tourist inn at Lahanti was entrusted to the Public Works Department during the year under report. Necessary steps for acquiring land for tourist accommodation at Keylong and Rewalsar were also initiated. Trekking equipment viz., tents, ski equipment, sleeping bags and rusk socks, etc. worth about Rs. 2 lakh was purchased for tribal areas.

The Bhartiya Vikas Samiti has agreed in principle for the construction of Yatrikas (Dharamshalas) for middle class tourists in Naina Devi, Deot Sidh (Hamirpur) and Sankat Mochan (Shimla). Land at these places has been selected and the negotiations for the transfer of land to the Samiti are being done with the concerned committees of the temples.

Staff quarters at an estimated cost of Rs. 5 lakh are proposed to be constructed at the tourist complexes where housing facilities are not available at present to the staff working there. With a view to attract a large number of visitors, a sustained publicity campaign was carried out with regard to places of tourist interest and facilities available for tourists in the State by giving advertisements in the leading news papers and magazines. Six folders were brought out for distribution among tourists through various Tourists Information Centres located within and out side the State. The department also participated in the exhibitions in Madras and Bombay during 1985-86. The work of preparation of high class tourist literature was also initiated during the year under review.

Plan and estimates for the construction/improvement of helipads in Bharmour, Rohru and Bankufar were got prepared from the P.W.D. by the Civil Aviation Wing of the department. The work with regard to the selection of sites for the construction of helipads at district headquarters was also taken up with the district authorities and Public Works Department. The construction work of aerodrome at Jubbar Hatti remained in progress during the year under report.

A foodcraft Institute was set up in 1984 at Kufri and construction work of its building has been entrusted to the Public Works Department. The first batch of 38 students completed their one year's training course in house keeping and hotel reception. The training of the second batch of 44 trainees was started in this institute during 1985-86. In addition with a view to make available trained personnel to the hotel industry in the State, stipends to 21 candidates of H. P. who underwent training in Foodcraft Institutes in Bombay, Delhi and Chandigarh were given.

During the year 1985-86, transport wing of the H.P. Tourism Development Corporation organised package tours. The Corporation has 45 deluxe, air conditioned coaches and cars and its fleet operates not only within the Pradesh but also outside the State to places like Chandigarh and Delhi to provide comfortable means of conveyance to the tourists.

Plan for 1986-87—During the year 1986-87 construction work of Foodcraft Institute at Kufri will be accelerated and development of Renuka lake and construction work of Cafeteria-cum-Tourist Information Centre in Fossil Park at Suketi would be completed. The Construction Work of extension of Hotel Holiday Home at Shimla is proposed to be completed by the H.P. Tourism Development Corporation. Works relating to the development of picnic spots viz., Glen in Shimla, Ajeet Singh Samark and Subhash Bowly at Dalhousie are proposed to be completed during 1986-87. Subsidy will be given to private entrepreneurs for the preparation of feasibility reports for the construction of hotels and cafeterias. A subsidy @ of Rs. 5,000 will be given to each person trained in hotel management and catering for the purchase of furniture and crockery etc. and furnishing the Kiosks to be given to them by the Department. Publicity would be carried out through advertisements and by bringing out attractive tourist literature and participation in the exhibitions. Stipends will be given to the candidates undergoing training at Foodcraft Institute Kufri. Civil amenities like bath rooms and toilets etc. are proposed to be provided at the religious places in the State. In the tribal areas, construction of tourist accommodation at Bharmour, and tourist inn at Lalanti will be completed. The construction work of tourist accommodation at Reckong Peo, Keylong and Hadsar in Chamba is proposed to be started. The existing fleet of deluxe and air conditioned coaches and cars is proposed to be further strengthened by the H.P. Tourism Development Corporation.

7- SOCIAL SERVICES

7.1. EDUCATION

A brief description of the achievements in the field of education during the year 1985-86 is given below :—

1. Primary and Middle Education

(i) *Primary Schools*—During the year 1985-86, 110 primary schools are proposed to be opened out of which 31 have already been opened upto the end of December, 1985. With the opening of all the proposed schools, the total number of primary schools will be 6,838 under government control. For the improvement of educational administration three educational blocks are proposed to be created during 1985-86.

(ii) *Middle Schools*—During the year 1985-86, 63 middle schools are likely to be opened, out of which 21 have already been opened upto December, 1985. With the opening of all these middle schools total strength will reach 1,760 by the end of 1985-86.

(iii) *Integrated Education of Handicapped Children*—Under this programme, three centres of integrated education of handicapped children (deaf, mentally retarded and orthopaedically handicapped) continued functioning in Shimla.

2. *Secondary Education*—During the year 1985-86, 32 high schools are proposed to be opened out of which 29 have already been opened. With the opening of all these proposed schools the total number of secondary units will be 789 in the State.

With a view to introduce 10+2 system of education in a phased manner from the year 1986-87, a branch headed by a Joint Director of Education was created this year to ensure proper implementation of 10+2 system of education from 1986-87.

3. *University and Higher Education*—For the development of H.P. University grant-in-aid amounting to Rs. 10.00 lakhs has been provided during 1985-86. Under this programme, one college was opened at Sarkaghat besides evening classes at Chamba.

4. *Adult Education*—Under this programme 1,700 Adult Education Centres have been sanctioned in the State. Upto December, 1985 during the year 1985-86, 40,736 adults are on the rolls of these centres.

5. *Training Programme*—Under this programme, the orientation courses-cum-seminars on education in human values were held at Shimla from 7th August to 10th August, 1985 and 7th October, 1985 to 12th October, 1985 in which 200 J.B.T. teachers and 114 BPEO's participated. During the year four teachers were sent to Hyderabad for english refresher courses. 24 teachers for urdu training at Solan, 15 teachers for Telgu and Tamil Training at Mysore and 16 teachers to Regional Training Centre, Chandigarh were also deputed. B.Ed training classes at H.P. University, Shimla, SCERT Solan, and College of Education at Dharamsala were started in which 160 students are undergoing training. At present JBT training for regular course of two years duration and condensed course for one year are going on in six institutions of the State.

6. *Scholarships*—An amount of Rs. 145.83 lakh has been earmarked for grant of scholarships/stipends during the year 1985-86 under plan and non-plan scheme.

7. *Level of Enrolment*—During the year 1985-86, following level of enrolment is expected to be achieved in Primary, Middle and Secondary Education :—

Students	Percentage of enrolment		
	Primary (age group 6—11 years)	Middle (age group 11—13 years)	Secondary (age group 14—17 years)
1	2	3	4
Boys	107	89	48
Girls	87	59	23
TOTAL	97	75	35

Plan for 1986-87—During 1986-87, main programmes proposed to be implemented include opening of 150 primary schools, 60 middle schools, 5 high schools, 2 colleges and starting of evening classes in one college. In addition to it, 10+2 system is also proposed to be introduced in the State. It is also proposed to create 69 Educational Blocks coinciding with development blocks.

7.2. TECHNICAL EDUCATION

There are 4 Polytechnics, one Junior Technical School, 14 Industrial Training Institutes, 4 Rural Industrial Training Institutes, 13 Girls Industrial Training Institutes and one Industrial School for Boys, in the Pradesh. Besides this, one I.T.I. for physically handi capped persons is also functioning. The Polytechnics conduct 3 years courses in Civil, Mechanical, Electrical, Automobile, Architecture. Engg., Electronics, and Communications. The Junior Technical School Kangra imparts training to students in various trades viz., Carpentery, Machining, Turning, Fitting, Welding, Smithy, Foundary and Pattern making etc. in addition to their normal studies. A Certificate/Diploma equivalent to matric is awarded by the State Board of Technical Education (Haryana) to those candidates of Junior

Technical School, Kangra who successfully complete 2 year's courses. In I.T.Is. training in engineering and non-engineering trades (Oe/two year's course) is carried out and certificates are awarded by the N.C.V.T. Similarly R.I.T.Is. and G.I.T.Is. are also imparting training in engineering and non-engineering trade (One/two years course) and are provisionally affiliated with the National Council of Vocational Training DGET.

The sanctioned in-take capacity of the different Institutes for the academic year 1985-86 was as under :—

1. Govt. Polytechnic, Sundernagar—95 Students
2. Govt. Polytechnic, Hamirpur—65 Students
3. Govt. Polytechnic, Rohroo—15 Students
4. Govt. Polytechnic, Kandaghat (Women)—15 Students
5. Govt. Junior Technical School, Kangra—60 Students

   (N.B. 10 per cent and 20 per cent over and above the sanction strength can be done by the Principals of Polytechnics and Junior Technical School respectively to compensate the drop-out.)

6. In all I.T.Is. (14)—1,947 Students
7. In all (4) R.I.T.Is. and Industrial School for Boys Kullu—230 Students

   (The figure shown above including 12½% addition over and above the sanctioned intake to compensate the drop out.)

8. In all G.I.T.Is—448 Students

   (25% Student have been admitted to compensate for drop-out.)

Plan for 1986-87—The schemes implemented during 1985-86 will be continued during 1986-87. In addition, plan is being acquired for the proposed Regional Engineering College at Hamirpur. Scheme for increase in intake capacity of J.T.S. Kangra would be considered. Improved technology will be introduced at Govt. Polytechnic, Sundernagar. I.T.Is. & R.I.T.Is. already in existence will be upgraded and new trades will be introduced. Additional seats for tribal students of Pangi and Bharmour will be provided at I.T.I. Chamba.

7.3. YOUTH SERVICES & SPORTS

The Department of Youth Services & Sports was created in July, 1982 in Himachal Pradesh for achieving the main objectives of providing opportunities to the non-student youths for self expression, self development and cultural attainment, preparation and training for work & family life, which would further enable the youth to assume social and civil responsibilities to develop in them a spirit of comeradeship and patriotism, and a cultural outlook and to facilitate their participation in planning and implementation of the programmes of community and national development. To achieve the aforesaid objectives the Youth Services & Sports department has implemented the following schemes during 1985-86 :—

1. *Grant-in-aid to H.P. State Youth Board*—The State Youth Board provides financial assistance to Yuvak Mahila Mandals for organising of various cultural programmes. 120 such clubs are covered in a year. An amount of Rs. 3.50 lakh has been proposed to be given to the H.P. State Youth Board during the year 1985-86.

2. *Non-Student Youth Festivals*—With a view to give more opportunities to youths for competition in cultural events these festivals are organised at Block, District and State levels. During the year 1985-86, an amount of Rs. 1.20 lakh has been kept for the purpose. Rs. 1.08 lakh have been spent upto November, 1985 and the balance amount of Rs. 0.12 lakh is likely to be incurred during the period December, 1985 to March, 1986.

3. *Traditional Dresses*—To procure traditional dresses for each district an amount of Rs. 0.50 lakh has been kept for the purpose during the year 1985-86 and is likely to be utilised fully before March, 1986.

4. *Inter-State Youth Exchange Programme*—Under this scheme non-students youths in the age group of 15 to 35 years are sent to show them places of industrial, historical and developmental importance. During the year 1985-86, Rs. 1.00 lakh are being spent under this scheme.

5. *Work Camps*—During the year 1985-86, Rs. 1.00 lakh have been provided for organisation of work camps in which youths are involved in preparation of playgrounds, afforestation programmes, repairs of rural roads and sanitation, etc.

6. *Youth Leadership Training Camps*—Experts from H.P.K.V.V. are involved in these camps to deliver lectures in the latest know-how in agriculture and horticulture who give them ideas of leadership and the government programmes. During the year 1985-86, Rs. 1.00 lakh have been sanctioned for the purpose. Out of which Rs. 0.77 lakh have been spent upto November, 1985.

7. *Construction of Youth Centre-cum-Sports & Cultural Complex at Shimla*—The construction work of the Complex is being taken in a phased manner. During the year 1985-86, a sum of Rs. 40.00 lakh has been earmarked for the purpose and the expenditure is likely to be incurred before 31-3-1986.

8. *Training of Urban Youth towards Self-Employment (TRUSEM)*—This programme has been started on the pattern of Trysem. During the year under report an amount of Rs. 1.00 lakh has been earmarked for the purpose and the expenditure is likely to be incurred till March, 1986.

9. *Construction of District Youth Centres*—During the year 1985-86, Rs. 3.02 lakh have been kept for construction of youth centre and are likely to be spent before 31-3-1986.

10. *Publicity*—During the year 1985-86, a sum of Rs. 0.75 lakh has been kept for wide publicity for the various Youth activities being undertaken by the Department.

11. *Purchase of Camping Equipment*—During the year 1985-86, an amount of Rs. 1.00 lakh has been kept to purchase the camping equipment.

12. *Grant-in-aid to Himachal Pradesh Sports Council*—The H.P. Sports Council has been doing a Yeoman's service in giving fillip to sports activities in the Pradesh through its many useful programmes. Sports Council gives grants to the various sport association in H.P. For implementing such programmes an amount of Rs. 7.50 lakh has been kept during the year 1985-86.

13. *Organisation of Coaching Camps*—During the year 1985-86 a sum of Rs. 1.00 lakh has been kept for organising coaching Camps.

14. *Stipend to Trainees at NIS, Patiala*—During the year 1985-86, a sum of Rs. 1.00 lakh has been kept for giving stipend to 10 Trainees from H.P. @ Rs. 100 P.M. per trainee.

15. *Sports Scholarships to Non-students*—During the year 1985-86, Rs. 0.20 lakh have been kept for scholarships for the first time. About 22 non-student youths are likely to be given scholarships under this scheme @ Rs. 75 per month.

16. *Run Run Run for Health and Fun*—During the year 1985-86 Rs. 0.20 lakh have been kept for launching the campaign in order to arouse health conciousness and sports awareness amongst students and non-students.

17. *Refresher Courses for Inservice personnel*—A sum of Rs. 0.20lakh have been kept for the purpose and this sum is likely to be spent during the year 1985-86 in order to afford opportunities to inservice personnel to know latest trends in the profession of sports.

18. *Incentives to attend mobile Coaching Camps*—Rs. 0.20 lakh are kept for providing incentives to attend mobile coaching camps during the year 1985-86. The scheme is proving very useful in rural area.

19. *Opening of Rural Sports Centres*—During the year 1985-86, Rs. 0.60 lakh are being spent for maintaining these Centres.

20. *Construction of District Stadia & Utility Stadia*—During the year under report, Rs. 9.85 lakh and Rs. 7.15 lakh have been kept for construction of District Stadia & Utility Stadia, respectively.

21. *Miscellaneous Schemes*—For smaller schemes viz construction of Playgrounds, purchase of sports Equipment, National Service Scheme, International Youth Year etc. a sum of Rs. 19.03 lakh has been kept for the year 1985-86.

Plan for 1986-87—All the Schemes of the previous year are planned to be continued during the year 1986-87. Some new schemes are also proposed to be started in the next year. In order to ensure smooth functioning of the Department one new sections in the Directorate is also proposed to be created. Already existing infra-structure will be further augmented/strengthened.

7.4. HEALTH AND FAMILY WELFARE

Services such as improvement of environmental sanitation, control of communicable diseases, health education, family welfare, maternal and child health services are being provided through a net work of 40 Civil Hospitals, 11 Community Health Centres, 17 Rural Hospitals (up-graded PHCs), 87 Primary Health Centres, 30 Subsidiary Health Centres, 214 Dispensaries and 1,299 Sub-Centres. A brief description of various health and family welfare activities in the State is summarised in the following paragraphs :—

1. *Rural Health Scheme*—Under this scheme, 4,420 Health Guides are providing primary health care to the people in the State. They are also significantly contributing to the Malaria surveillance, family welfare, immunisation, births and deaths registration activities.

2. *National Malaria Eradication Programme*—This programme is being implemented in all the districts, except Kinnaur and Lahaul & Spiti. At present, 4,116 fever treatment depots, 6,068 drug distribution centres and 93 Malaria Clinics are functioning in the State. During 1985 (upto October, 1985) 6,39,703 blood slides were collected, 5,62,238 examined and 32,368 were found positive.

3. *National Leprosy Control Programme*—The leprosy control programme is being implemented in the State through a net work of 6 leprosy hospitals, 76 periphery clinics and 15 survey-cum-education treatment centres having indoor facilities for 187 patients. In addition to these institutions one urban clinic attached to Indira Gandhi Medical College, Shimla having 20 bedded temporary hospitalization ward and one reconstructive unit are also functioning. Two voluntary organisation institutions located at Sabathu and Palampur are also significantly contributing in controlling the disease. During 1985-86, (upto Nov. 1985). 184 cases were detected against a target of 1,060 cases and 159 cases were deleted against the target of 300.

4. *S.T.D. Control Programme*—There are 72 S.T.D. institutions for the diagnosis and treatment of S.T.D. cases in the State. Most of these are located in tribal and rural areas. As a result of continuous work under the programme the secopositivity rate which was 37.4 per cent in 1952 has been reduced to 1.07 per cent

upto November, 1985. During 1985, 64,304 blood STS cases were tested upto November, 1985 out of which 690 were found positive.

5. *National T.B. Control Programme*—This programme is being carried out through 2 T.B. Hospitals, 11 District T.B. Clinics, 6 T.B. sub-clinics and one T.B. survey-cum-domiciliary treatment centre having provision of 713 beds. During the year 1985-86, 9,058 cases were detected up to November, 1985 against the target of 14,000 cases.

6. *B.C.G. Programme*—B.C.G. vaccination is quite an effective method of immunisation against T.B. Under the programme against a target of 1,00,000 during 1985-86 achievement upto November, 1985 was 65,395.

7. *National Programme for Control of Blindness*—Under the programme two mobile units have been allotted to the State and stationed at Dharamsala and Bilaspur. Against the target of 8,000 for 1985-86, 3,368 cataract operations were performed upto November, 1985.

8. *Family Welfare Programme*—The family welfare programme which is aimed at motivating the people to accept small family norm is being implemented on voluntary basis. The target under the programme during 1985-86 an achievement upto December, 1985 were as follows :—

Item	Target	Achievement
1. Sterilisation	38,000	15,485
2. I.U.D. insertions	21,000	16,315
3. C.C. users	23,000	29,626
4. O.P. users	9,000	4,074

9. *Maternal and Child Health Services*—The programme which is aimed at improving the health of expectant mothers and children is an important component of family welfare programme. The targets for the year 1985-86 and achievements upto November, 1985 were as follows. Immunisation of expectant mothers with TT 36,580 (37 percent), DPT (children) 57,556 (58 percent), DT 81,462 (81 percent), Polio 42,718 (43 percent), Typhoid 40,375 (40 percent) and BCG 65,395 (65 percent). Performance under Prophylaxis against nutritional anaemia was 1,64,037 mothers (164 percent) and 1,32,694 children (133 percent) of the target.

10. *School Health Programme*—This programme is being implemented through all the allopathic institutions. Under this programme school children are medically examined and those found defective are given medical treatment and immunisation of children with DT, Typhoid and TT is also undertaken. During the year 1985 (upto August), 75,555 students were examined and out of them 32,463 students were found defective.

11. *Medicine*—There is budget provision of Rs. 2.59 crore for the purchase of medicine excluding Medical College and Ayurvedic Deptt. during the year 1985-86.

Plan for the year 1986-87—Besides continuing various National Health and other programmes, strengthening of services in the hospitals, primary health centres and dispensaries in the State will be given a fill-up. Moreover. one community health centre, 16 primary health centres and 70 sub-centres are proposed to be opened.

7.5. AYURVEDA

During 1985, 5 hospitals, 430 dispensaries and 6 ten bedded Ayurvedic wards attached to District Civil Hospitals, with a total number of 456 beds for indoor patients and emergency cases were functioning in Himachal Pradesh.

Two pharmacies at Majra in Sirmaur District and Jogindernagar in Mandi District are manufacturing Ayurvedic Medicines. For the purpose of Research in Indigenous Systems of Medicine an Institute of Research in Indian System of Medicine is functioning at Jogindernagar. To streamline the functioning of Research & Pharmacy wing of the department a post of Director Ayurveda (Technical) has been created and a Director has been posted. For Ayurvedic Education an Ayurvedic College at Paprola in District Kangra with an annual intake capacity of 20 candidates in B.A.M.S. course is also functioning. At present 266 students are on the rolls of this college. A Book bank for the students of Scheduled Castes has been set-up in the college and books worth Rs. 60 thousand have been purchased for it. During the year a proper indoor hospital has started functioning in the College.

In addition to this, it is also proposed to introduce Panchkarma treatment at the Regional Ayurvedic Hospital, Shimla and Govt. Ayurvedic College, Paprola. This type of treatment is not available in this part of country and the staff for providing this treatment is going to be trained for the purpose.

The treatment facility based on the Tibetan System of medicines is also being provided at Manali under Bhot Chikitsa Padhati. A Board is also functioning for the registration of Practitioners in Ayurvedic and Unani Systems of Medicine.

The department of Ayurveda is also associated with national health programmes like national malaria eradication programme, national family welfare programme etc Several sub-centres of the Health department are located in Ayurvedic dispensaries which are providing maternity and child health care services to the needy public. The Ayurvedic Chikitsa Adhikaries and other staff posted at Govt. Ayurvedic dispensaries take active part in the activities of the family welfare programme. They are engaged in motivation of eligible couples organising family welfare camps and after care of the operated cases.

7.6. HOMOEOPATHY

The Government of Himachal Pradesh set-up the first Council of Homoeopathy system of Medicine in the year 1981 to regulate the practice of system of Homoeopathy in the State in a proper manner according to the provisions of H.P. Homoeopathy Practitioners Act 1979 (Act No. 3 of 1980).

7.7. MEDICAL COLLEGE

The Medical College had intake capacity of 65 students during the year 1985-86. The college is affiliated to the Himachal Pradesh University. Two major medical institutions at the State headquarters namely Indira Gandhi Hospital and Kamla Nehru Hospital are associated with it for teaching and training purposes. With the establishment of this college, specialised services in Medicine, Surgery, OBG, Skin and VD, Dentistry, ENT Radiology, Orthopaedic and Ophthalmology, etc. are available to the general public in the Pradesh. A brief description of the achievements made during the year upto 31-12-1985 are given hereunder:—

1. *Students*—During the year under report, 65 students qualified the MBBS examination and 324 students are on the rolls of the college. In addition to above, 65 students are undergoing internship training while another 53 students are doing house job training.

2. *Post-Graduate Degree and Diploma Courses*—The Post-graduate degree courses have been approved in 14 faculties and diploma courses in 8 faculties with intake capacity of 20 degree students and 18 diploma candidates. The number of students qualified in degree and diploma is 14 only. 16 candidates are doing post graduate degree and 12 candidates are doing diploma courses during the year under report.

3. *Other Training*—The college is imparting training to Nurses, Radiographers, Ophthalmic Assistants and Lab. Technicians to cater to the needs of hospitals and dispensaries in the Pradesh. 15 Radiographers, 43 Ophthalmic Assistants and 29 Lab. Technicians are under training at present.

4. *Specialised Services*—Indira Gandhi Medical College is one of the few medical colleges in India to have Fibre Optic Endoscopy equipment. The closed heart surgery is being carried out and Leproscopic media has also been adopted to popularise family planning programme.

5. *Emergency Services*—Round the clock service is provided to the patients in the casuality and cardiac care unit. The laboratory and blood bank services are also available round the clock.

6. *WHO/Commonwealth Training Programme*—The officers of this institution are deputed for training under WHO/ Commonwealth programmes in different specialities. Such trainings go a long way in the improvement of teaching and patients care.

7. *Camps*—Under the centrally sponsored scheme "National Programme for the control of blindness," the Medical College has organised eye relief camps at Sundernagar and Karsog (District Mandi), Gondpur (District Una), and Nalagarh (District Solan) in which 14,914 patients were examined, 676 Intra-Ocular operations and 225 other operations were performed. Apart from above, the Preventive and Social Medicines Department organised various major and mini camps in the far flung areas of the Pradesh, in which 7,523 patients and 2,133 school children were examined.

8. *Post Partum Programme*—The Medical College is also participating in the centrally sponsored post partum programme. During the year 1985-86, 955 major and 2,933 minor OBG operations, 151 major and 1,128 minor operations and 671 tubectomy operations were performed.

9. *Construction programme*—The construction work of various buildings of the Medical College and its associated hospitals is under progress. The Cobalt Unit will be made available to the public during 1986-87.

Plan for 1986-87—The following work programme is envisaged for implementation during 1986-87 :—

1. 65 Students are proposed to be admitted to the Ist year of MBBS course. The Post-Graduate training and diploma courses in various specialities will also continue.
2. The Centrally sponsored scheme, 'National Programme for the control of blindness' will continue.
3. In addition to the major building works already taken up, the construction programme includes the following works :—
   (a) Construction of post partum ward (10 bedded),
   (b) Construction of new special and children wards,
   (c) Construction of administrative block/ OPD.
   (d) Other immediate works to fulfil the short comings of accommodation in respect of certain departments.

7.8. HOUSING

Himachal Pradesh Housing Board was constituted in 1972 with a view to construct houses, develop residential plots and to execute various housing schemes in the Pradesh. The performance of the Board during 1985-86 in the implementation of various housing schemes has been as under :—

1. *Social Housing Scheme*—Himachal Pradesh Housing Board has set up social housing colonies at Shimla, Solan, Parwanoo, Nahan, Una, Hamirpur, Bilaspur, Mandi, Palampur and Dharamshala, where 1,401 houses have been constructed and 931 plots developed upto the end of 1984-85. It is expected to complete 226 dwelling units by the end of 1985-86.

2. *Self Financing Scheme*—H. P. Housing Board has been constructing houses/flats under self financing schemes at Shimla and Parwanoo. 330 such units have been completed upto 1984-85 and there is a target of completion of 120 units during 1985-86.

3. *Rental Housing Schemes*—H. P. Housing Board has been executing two schemes for the construction of houses of various categories of government employees under rental housing schemes. Under Police rental housing scheme, 228 units were completed upto 1984-85 at Shimla, Solan, Parwanoo, Nahan, Una, Bilaspur, Mandi, Kullu, Hamirpur, Palampur Dharamshala, Sakoh (Dharamshala) and Chamba. The target for 1985-86 under this scheme is the completion of 45 units. Under the government rental housing scheme the places covered are Shimla, Solan, Nahan, Una, Mandi, Hamirpur and Dharamshala and 308 units have been completed at these places upto 1984-85. The target for the year 1985-86 is 16 units.

4. *Experimental Housing Scheme*—The Board is constructing 48 LIG flats at Parwanoo under experimental housing scheme of National Building Organisation of Government of India. Upto the end of 1984-85, 24 dwelling units have been completed and the remaining 24 have been completed during 1985-86.

5. *Deposit Works*—H. P. Housing Board is executing various deposit works of other organisations. Hotel Holiday Home at Shimla, Hotel Shivalik at Parwanoo, Bachat Bhawan at Hamirpur and Shimla are the significant works completed by the Board as deposit works. Construction work of Bachat Bhawan at Una and various other works of H. P. Institute of Public Administration and Central Potato Research Institute remained under progress during 1985-86.

6. *Development of Industrial Plots at Parwanoo*—H. P. Housing Board has developed 234 industrial plots at Parwanoo and these have been allotted to various industrialists by the Industries department for setting up industries.

7. *Commercial Schemes*—H. P. Housing Board is also taking up the construction work of commercial schemes like workshop-cum-shopping complex at Bhatta-Kuffar, regulated market at Dhalli in Shimla district and combined office complex at Mandi during the year 1985-86.

Keeping in view the demand of the public during the survey conducted by the Board, action is being taken to extend the existing colonies at Shimla (Sanjauli), Solan, Nahan, Una, Hamirpur, Bilaspur, Mandi and Dharmshala. In addition, new colonies are proposed to be set up at Sundernagar and Kangra.

7.9. DRINKING WATER SUPPLY

Out of 16,916 villages of the Pradesh, 12,743 villages having a population of 26.23 lakhs (1971 census) were provided with safe drinking water supply facilities upto March, 1985. Out of these, 8,319 were problem villages and 4,424 easy villages. During the year 1985-86, a sum of Rs. 770.57 lakh was provided under State sector and European Economic Community Programme. A grant of Rs. 629 lakhs was also provided under A.R.P. by the government of India. A provision of Rs. 75 lakh was made for water supply scheme 'Deothsidh group of villages' which is being financed bv the Royal Dutch Government. Water Supply facilities were provided to 405 villages upto January, 1986.

Urban Water Supply Scheme—During the year 1985-86, an expenditure of Rs. 95 lakh is estimated to be incurred on various urban water supply schemes.

Sewerage—During the year 1985-86, a sum of Rs. 40 lakh was provided for 16 sewerage schemes which are under execution.

7.10. WELFARE OF BACKWARD CLASSES

The Welfare Department is looking after the welfare of weaker sections and backward classes of the society including scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes, women and children. For the amelioration of economic conditions and social uplift of these categories of people, the developmental works are being taken under the following heads:—

1. Welfare of backward classes;
2. Social Welfare;
3. Special nutrition programme, and
4. I.C.D.S. projects :

Welfare of Backward Classes—The students belonging to scheduled castes/tribes and other backward classes are awarded pre-matric scholarships and technical scholarships for promoting their general and tehnical education. Under pre-matric scholarships, the students are given scholarships @ Rs 8, Rs. 12 and Rs. 15 per student per month for primary, middle and high/higher secondary classes, respectively. Besides, students of scheduled castes/tribes are also given aid for the purchase of books and slates, etc @ Rs. 30. Rs. 50 and Rs. 80 per annum per student in primary middle and high/higher secondary classes, respectively. The trainees in I.T.Is and other cluster centres are provided with technical stipends @ Rs. 100 per month per trainee. The trainee who have qualified in various trades from ITIs and who have obtained training in other industrial centres are provided assistance upto Rs. 300 for the purchase of tools and equipment.

With a view to improving the living conditions of the scheduled castes/tribes, the government provides housing subsidy upto Rs. 5,000 per family in areas subject to heavy snow fall and upto Rs. 4,000 per family in other areas for construction of houses. Half of these amounts are allowed for repairing of houses. In addition, the government is also encouraging inter-caste marriages to remove the evil of untouchability by giving awards. To encourage such marriages, the amount of award has been raised from Rs. 3,000 to Rs. 5,000 per couple.

For the Welfare of the scheduled castes and the scheduled tribes in the Pradesh, a scheduled castes and schedule tribes Development Corporation has been set up. The Corporation undertakes loaning programmes in collaboration with banks.

Plan for 1986-87—All the programmes implemented during 1985-86 are proposed to be continued during 1986-87. In addition, the following two new schemes are proposed to be implemented during 1986-87 :—

1. Compensation to scheduled caste families which are victims of atrocities,
2. Proficiency in typing shorthand—under this scheme the department proposes to post 10 ex-trainees in typing and shorthand of scheduled caste and scheduled tribe in its various field offices. They will be paid stipend @ Rs. 200 per month for a period of one year or till they get suitable appointments. During 1986-87, an amount of Rs. 0.50 lakh has been proposed to be spent for training 25 candidates.

7.11. SOCIAL AND WOMEN'S WELFARE

Social welfare programme aims at the welfare of the weaker sections of society like destitutes, infirms, physically and mentally handicapped persons, etc. To protect them from social injustice and all forms of exploitations, the government is running various institutions such as Bal and Balika Ashrams, Destitute Homes, State Homes, etc. During 1985-86, progress made under the programme is discussed below :—

1. *Old Age Pension*—The government has been providing old age pension to 49,249 persons in the Pradesh @ Rs. 50 per month. The pension is paid to the destitutes above 60 years of age and having none to support them. There is no such age limit in the case of handicapped. The pension is remitted quarterly through money orders at government expenses.

2. *Widow Pension*—On the pattern of old age pension, the government has also been giving pension to the widows. Under this scheme 14,265 widows have been covered. There is no age limit in the case of widows.

3. *Working Women Hostels*—With a view to providing residential accommodation to the Working Women in the towns, the Government of India have sanctioned 11 working women hostels to be constructed by the voluntary organisations and the local bodies with the help of grant-in-aid @ 75 per cent. The remaining 25 per cent is provided by the State Government on behalf of the voluntary organisations and local bodies. One more hostel is proposed to be constructed during 1986-87.

4. *State Home*—For destitute women and way-ward girls, as many as 5 State Homes at Chamba, Kangra, Mandi, Shimla and Kalpa are being run by the government. The inmates of these homes are providing free boarding and lodging, training in craft, tailoring and embroidery to enable them to earn their livelihood when they leave these homes. For rehabilitation of such women, financial assistance upto Rs. 1,000 per women is also provided. Diversification of training to these inmates is being introduced to make their rehabilitation smooth. In suitable cases, marriage grant upto Rs. 2,500 is also provided.

5. *Bal—Balika Ashrams*—For destitute children and orphans, etc. the government has started Bal/Balika Ashrams at Kalpa, Sarahan, Suni, Mashobra, Tutikandi (Shimla), Sundernagar, Kullu, Sujanpur, Brahmaur and Pragpur. In these ashrams, the inmates are provided free boarding and lodging and education upto matric standard.

6. *Children Home/Special School*—One observation home-cum-children home has been established at Sundernagar under the provisions of Himachal Pradesh Children Act, 1979 for destitute and neglected children. These children are provided free boarding and lodging facilities. Besides, a special school has been set up at Haroli in Una district wherein delinquent boys upto the age of 16 years and delinquent girls upto the age of 18 years are admitted. This school has been set up so that delinquent children may not mix with the hardened criminals in jails. At present, there is only one children court functioning at Una but more such courts are proposed to be set up during 1986-87.

7. *I.C.D.S. Projects*—Upto the year 1983-84, 12 I.C.D.S. projects were set up in the Pradesh. Three more such projects have been established during 1985-86. These projects provide integrated services of nutrition and health care to children and expectant and nursing mothers.

Besides the above programmes, 23 departmental community centres remained functioning in the Pradesh during 1985-86. A number of other schemes are being implemented through various voluntary organisation on grant-in-aid basis.

Plan for 1986-87—In addition to all the programmes implemented during 1985-86, the following 2 new programmes are proposed to be implemented during 1986-87 :—

1. *Foster Care Services*—With a view to provide proper physical, mental and emotional care for growth and normal family setting to destitute, orphan and unattached children a foster care services scheme is proposed to be started during 1986-87. Under this scheme, children upto the age of 16 years will be placed with normal families who are willing to bring them up as their own children.

2. *Training-cum-Production Centre for Handicapped*—One training-cum-production centre for imparting training to the handicapped persons in caning of chairs, candle making and tailoring, etc. is proposed to be set up during 1986-87.

7.12. NUTRITION PROGRAMME

The Special nutrition programme being implemented by the Social and Women's Welfare Department aims at providing supplementary nutritious diet to the children below 6 years and expectant and nursing mothers belonging to the poor sections of the society. During the year 1985-86, a sum of Rs. 133.75 lakh has been provided under this scheme and 1,693 feeding centres are functioning throughout the Pradesh which will benefit 67,055 children and 12,965 expectant and nursing mothers. The per unit cost of nutritious diet has been revised from 25 paise per child per day to 50 paise and from 50 paise per monther per day to 80 paise with effect from 1-10-1985.

In addition, the Rural Development Department is also implementing the scheme of applied nutrition programme. This programme is basically an educational programme aiming at a change in the food habits of the rural folk. The programme mainly comprises of the setting up of poultry units, raising of kitchen gardens, providing nutritious food to the children of weaker sections and expectant mothers.

7.13. EMPLOYMENT AND LABOUR WELFARE

The department of Labour and Employment keeps account of the existing working force on the one hand and likely additions in it on the other. The demand and supply of available manpower is regulated through employment agencies, vocational guidance and a system of employment market informaton. The other important function of the department is the labour welfare, which is ensured through the effective implementation of various labour welfare laws. A brief resume of the working of the department is as under :—

I. Manpower and Employment Schemes

The manpower and employment schemes (i) assist employment seekers in finding suitable jobs according to qualification and experience (ii) assist surplus/retrenched employees in finding alternative jobs (iii) assist employers, by referring to them suitable workers (iv) collects information regarding employment opportunities, training facilities, etc. (v) guides young persons and employment seekers in reorienting their training programme etc. according to the market needs.

In the Pradesh the employment assistance/information service is rendered through the intrastructure of employment exchanges/centres established at various administrative units and important institutions.

Employment Situation—The employment situation in general at the end of October, 1985 as compared to the corresponding period of the last year reveals that the number of applicants on the live register increased by 28.8 per cent while the submission from various employment exchanges against various posts decreased by 15.95 per cent. The increase in the live register is mainly due to the starting of new procedure of renewal. The decrease in the number of submission was due to non-conducting of interviews by the H.P. Public Service Commission. Registrations and vacancies notified did not show much change while the placements have increased by 19.21 per cent.

During the period from 1st, January to 30th November, 1985, in all 68,685 applicants were registered and 6,449 placements done. The number of vacancies notified by the various employers was 10,147. The consolidated live register of all Employment Exchanges stood at 3,12,916 as on 30th November, 1985.

During this period, 543 vacancies reserved for ex-servicemen were notified and 531 persons were provided employment. In addition to it, 2 dependents were also placed against un-reserved vacancies. In all 16,588 ex-servicemen were on the live register of the Ex-servicemen cell on 30-11-1985. There were 2,286 physically handicapped persons registered in the 'Physically Handicapped Cell' as on 30-11-1985, 422 physically Handicapped persons were registered, 38 placements were made while another 13 were got admitted for training in the V.R.T.C. at Sundernagar during the period from 1st January to 30th November, 1985. Besides, Employment market information continued to be collected and disseminated to the users. Similarly vocational employment guidance was also provided through vocational guidance and Employment counselling services.

II. Labour Welfare Schemes

The labour Organisation ensures proper implementation of various labour Acts and Rules for the Welfare of Labour in the Pradesh. Besides, Labour Department inculcates a sense of involvement, belongingness and partnership through a workers participation scheme in management with a view to achieving the goal of optimum production and productivity. There were a number of Labour Welfare schemes in operation in the Pradesh during the year under report and some of them are mentioned below.

1. *Employees State Insurance Scheme*—The Employees State Insurance Act, 1948 protects the employees against the hazards of sickness, maternity, disablement and death due to employment injury. The Act is applicable to all non-seasonal factories run with power, employing 20 or more persons excluding mines and railway running sheds. It covers all emp loyees whose remuneration does not exceed Rs. 1,600 a month. The scheme is mainly financed by contribu tion from employees and employers and 1/8 of expenditure is borne by the State government.

The scheme is in operation in Solan, Parwanoo and Mehatpur. At present abve 7,100 employees stand covered under this scheme and steps are being taken to extend the scheme to more industries and places.

2. *Employees Provident Fund Act,* 1952—This scheme provides for compulsory provident funds contributed from the employees in the factories and other establishments. The Act is applicable to factories and other establishments of specific industries which have completed 3 years of their existence and employ 50 or more persons, or 5 years of their existence and employ persons between 20 to 49. At present about 38,458 employees have been covered under the Act in Himachal Pradesh.

3. *Integrated Subsidised Housing Scheme for Industrial Workers and Economically Weaker Sections of Community*—The scheme earned this name with the integration of subsidised housing scheme for industrial workers introduced in 1952 and housing programme for economically weaker sections of society under the low income groups housing scheme introduced in 1962. Under this scheme, government of India gives financial assistance to the State Government which in turn provides the financial assistance to other approved agencies.

4. *Workers' Education Scheme*—This centrally sponsored scheme aims at developing in the workers a rational understanding of circumstances in which they are placed and train them to bear strains of pressure and policy to which they are subjected. They are also trained as to how they should conduct themselves through their unions for the maximum good of the working class and community as a whole. For this purpose camps were held at Parwanoo, Mehatpur, Solan, Hamirpur and also in the remote areas of Pradesh like Kinnaur and Chirgaon in tehsil Rohroo during the period under report.

5. *Factory Employment*—Factory Act, 1948 applies to the establishments employing 20 or more workers and not using power and those employing 10 or more persons and using power. The object of the scheme is to protect the interest of the workers in respect of their health, safety, welfare, working hours etc.

6. *Implementation of Minimum Wages Act,* 1948—The Himachal Pradesh Government has fixed the minimum rates of wages in respect of 12 scheduled employments. The minimum rates of unskilled workers in all the 12 scheduled employments have been fixed at Rs. 10.00 per day except in tea plantations in which case the rates are Rs. 8.40 per day. An increase of 25 percent and 12½ percent over and above the minimum rates of wages is allowed to the persons in the tribal and backward areas respectively working in (i) agriculture, (ii) construction or maintainance of roads/buildings, (iii) stone breaking or stone crushing and (iv) forestry and timber operations scheduled employments. Besides, 20 percent increase over minimum rates of wages is also allowed to the workers working inside tunnels. These revised rates are applicable w.e.f. 16-8-1984 though the notification was issued in May, 1985. During 1985-86, the government has also added the employment of 'Paper and Paper products' to the schedule of Minimum Wages Act, 1948. For ensuring payment of minimum wages to the agricultural labour, all the Tehsildars and District Employment Officers in H.P. have been declared as 'Inspectors' under the Minimum Wages Act, 1948 besides functioneries of the Labour Organisation. The department also ensures that factory workers are paid wages fixed by the government regularly and no unauthorised deductions are made by the employers. The department also ensures that proper medical aid is provided to the workers and in case of an accident, reasonable compensation is paid to the worker, etc. As many as 12 vigilance Committees at district level and 37 at sub-divisional level stand constituted for identification and recommending rehabilitation of bonded Labourers. Besides, screening committees at state and district levels have also been constituted for recommending schemes for the rehabilitation of bonded labourers.

III. Employment in Public and Private Sectors

At the end of June, 1985, total employment in the Pradesh was 2,63,234 (Public sector : 2,44,443, Private sector. 18,791) as against 2,49,911 (Public-sector: 2,33,358, Private sector: 16,553) at the corresponding period of the last year. Of the total employment in the public sector, the State Government establishments account for 71.67 percent, Central Government establishmests 6.86 percent, Quasi Government (Central) 5.58 percent Quasi Government (State) 14.68 percent and local Bodies 1.22 percent.

Plan for 1986-87—During the year 1986-87 a scheme to constitute Labour welfare fund under the Labour Welfare Act for financing various labour welfare scheme is proposed to be finalised. Besides setting of 2 Labour Zonal offices, the strengthening of machinery for effective enforcement of labour laws is also proposed to be made. On the employment side, the department envisages a number of measures such as strengthening of machinery at sub-office Employment Exchanges, setting of an Vocational Guidance Unit etc. to extend/improve the facilities of employment assistance to the unemployed job seekers.

7.14. TOWN AND COUNTRY PLANNING

During the year 1985-86, extension of the Town and Country Planning Act to following towns was approved by the Government, Parwanoo, Barotiwala, Nalagarh, Paonta Sahib, Nahan, Sarahan, Dharamshala, Palampur, Mehatpur, Una, Chamba and Dalhousie.

The work for preparation of Development Plans is in progress in respect of following towns : Kullu, Manali, Mandi, Hamirpur, Barotiwala, Nalagarh, Parwanoo and Reckong Peo.

Preparation of Sectoral Plans in respect of Shimla, Mandi and Hamirpur is under progress, beside revising Interim Development Plan Shimla as a comprehensive Development Plan.

During this year, a target to cover 5,000 slum dwellers has been fixed and the work is under progress in Shimla, Theog, Kotkhai, Jubbal, Kangra, Bhunter, Upper Sultanpur Kullu, Bilaspur, Sujanpur and Dehra Gopipur.

A project report of Rs. 122 crore for Urban Development in Shimla, Mandi, Kullu, Manali and Dharamshala town, (assistance from the World Bank) has been prepared.

7.15. LANGUAGES AND CULTURE

The Department of Languages and Culture is engaged in the activities of preservation of cultural heritage and promotion of languages and culture.

During the year 1985-86, Hindi, Pahari, Sanskrit and Urdu Divas were celebrated as usual. Besides, celebrating Kali Dass Jayanti at district level, All India English writers and Poetic seminar was also organised. For the spread of Hindi as official language, an official Language Committee was constituted. More than 4,361 pages relating to folk songs, folk tales, idioms and proverbs were collected. During 1985-86, 'Prashashnic Shabad Sangrah', 'Kavay Dhara Bhag IV', 'Lokokati Sangrah', Parmar Samarika and Kullu Dussehra. Samarika and book on freedom fighters of Himachal Pradesh containing bio-data of 1,964 freedom fighters with photographs were published. In addition, bimonthly Hindi magazine 'Vipasha and quarterly urdu magazine 'Fikr-o-Fan' were also published.

Besides photographic, painting and miniature painting exhibitions, on the spot painting exhibition for children and students were also organised for the development of art. Cultural troups of Himachal Pradesh participated in festival of India fairs, trade fairs, at Delhi, Ayodhya and Nothern Region Cultural Centre Patiala. The cultural troups of the Pradesh got first prize in 'Phool Walon Ki Sair'. Besides, first Drama Utsav, a District and State level folk dance competion and a drama workshop with the co-operation of National School of Drama were also organised.

During the year 1985-86, 60 art objects were acquired for the State Museum, Shimla and four types of coloured post cards and a Tankri Primer were published. Annual art exhibition and photographic and painting exhibition were also organised.

Sixty important temples of the tehsil Paonta Sahib and 83 temples of Nahan were covered during the Archaeological Survey during the year 1985-86. Slides and photographs of different temples were preserved and a bronze statue of Late Dr. Y.S. Parmar was errected at Shimla. More than 3,000 files and old documents were acquired and made open to public by placing them in the State Archives.

Guleri Jayanti, Yashpal Samaroh, Pahari Gandhi Bawa Kanshi Ram and Lal Chand Prarthi memory samaroh and book exhibitions were organised in different state level and District level melas by the Himachal Acedemy of Arts, Culture and Languages. Prizes on the books of Himachal writers were also announced by the academy.

Plan for 1986-87—Besides completing Art Gallery at Dharamsala, District and State level folk dance competitions, urdu divas, natak utsav, different exhibitions, archaeological survey of temples and old monuments acquisition of old documents for State Archives, publication of books on Dev Gatha and Yudh Gatha programmes will continue.

7.16. MOUNTAINEERING

The Department of Mountaineering & Allied Sports imparts training in Mountaineering, Skiing, High Altitude Trekking, Water Sports, Rock Climbing, Snow and Ice Condensed Course to the youth of the country and those from abroad. During the year 1985-86, 7 Basic & Special Basic Courses, 5 Advance Courses, 12 High Altitude Trekking Parties, 6 Skiing Courses, 1 M.O.I. Course, 8 Water Sports Courses, 4 Skiing Courses for 100 Himachal Students under the Scholarships Scheme have been conducted.

Under these various activities 206 boys and girls in Basic Courses, 37 youths in Advance Courses, 473 Trekkers in Trekking Parties, 17 students in Rock Climbing Courses, 171 students in Skiing Courses, 151 Youths in Water Sports Courses were trained during the year 1985-86. Inspite of these activities 100 youths of Himachal were got trained in Skiing Courses conducted at Manali, Dharamsala, Dalhousie and Narkanda under the Scholarship Scheme. 4 persons in Methods of Instruction course were trained.

A Winter Carnival was organised on international level during the month of February, 1985 in which 350 youths participated. Ski lift which was installed at Solang Nullah is regularly being used for the ski trainees during the ski courses.

The Department is also giving its mountaineering equipment on hire to the various expeditions, trekkers coming from various clubs and organisations which fetched Rs. 1.50 lakh as revenue to the Government.

Under Tribal Sub Plan, the Department has opened two mountain rescue posts i.e. one at Khoksar and other at Murhi. These posts are helping the tribal people while crossing the Rohtang pass during winter. During 1985-86 these posts helped 2,075 tribal people in crossing the Rohtang Pass. 63 youths of tribal areas were also trained in mountaineering and rescue courses.

During the year, the construction work of Auditorium (acoustic material) will be got completed. The second Block of Hostel is also under progress. The work of construction of Water Sports Complex at Pong Dam is also in progress.

Plan for 1986-87—The existing activities will be carried out in 1986-87 also with greater emphasis on training 315 persons in Basic, Advance, M.O.I., Rock climbing courses, 490 persons in high altitude trekking, 250 persons in water sports and 200 persons in skiing courses. A sectoral plan is proposed for construction of new trekking hostel at Narkanda, Dalhousie and other centres, implementation of the Scheme "Act No. 4" for rescue purposes during the year 1986-87.

7.17. SCIENCE AND TECHNOLOGY

The Science and Technology department was set up in Himachal Pradesh during the year 1983. The State Council on Science and Technology and Environment

has been constituted under the Chairmanship of hon'ble Chief Minister with the following objectives :—

(i) Popularisation of science and creation of scientific temper among the people through science and technology efforts.

(ii) Programme on location of specific technology through support to science and technology projects by voluntary science and technology field grounds and co-ordinated science and technology programmes in a few areas. This should cover aspects of transfer of technology through linkages with other schemes like integrated rural development programme, employment generation programmes, district industrial centres etc.

(iii) Engineering design and consultancy capability.

(iv) Creation of multiple data based on natural resources at the State level.

(v) Innovation on science and technology educational programme.

(vi) Indigenous technology utilisation and science and technology entrepreneurship.

(vii) Workshops/Seminars on science and technology.

(viii) Science and technology information base.

(ix) Additional science and technology schemes, co-ordinated science and technology programmes etc. of priority for the development of the State.

Six working groups on (i) land and water management (ii) rural technology transfer, (iii) power, (iv) health, (v) education and manpower development and (vi) industrial development have been constituted under the chairmanship of various experienced scientists and technologists and planners for formulating recommendations pertaining to science and technology activities in these fields.

To popularise science and technology in the Pradesh, a state level conference was organised in 1984 in collaboration with the National Productivity Council which served as as introductory phase of the Science and Technology department. In order to train the people in the use of smokeless chulhas and biogas plants and their construction 113 camps were organised in various development blocks during 1984-85 and 1985-86 (upto October, 1985). During the same period 35,726 smokeless chulhas and 4,194 biogas plants were constructed. Four blocks have been selected for undertaking the programme of integrated rural energy programme and preliminary project reports have been prepared.

Assistance to the Science and Technology Research Projects—During the year 1984-85 and 1985-86 (upto October, 1985) a sum of Rs. 74,000 was sanctioned as an assistance to various research schemes/scholars for undertaking science and technology research schemes.

Setting up of Research and Development Cell—Research and development cells have been established in the community development cell of the Government Polytechnic Sundernagar to undertake research and development work in the fields of solar energy, biogas, smokeless chulhas, cheap sanitation and cheap housing. Another research and development project is proposed to be started during the current year at Government Polytechnic Hamirpur.

Solar Energy—In the field of solar energy, 10 projects have been established in the public institutions to harness solar energy for water heating, room heating etc. These projects are creating an impact for popularising the activities of science and technology.

With a view to lessen the burden on the forests and to use solar energy for cooking, the work of distribution of solar cooker free of cost in the spiti valley remained under progress during the year. A village in Hungrang valley of Kinnaur district has been selected to provide electricity free of cost for heating and cooking purposes on an experimental basis to assess the economic use and viability if electricity is provided free of cost as compared to the cost of fuel and its transportation cost from the forests.

Research Projects Under Medical and Health Programmes—The department in collaboration with the health department has taken up a project to assess and analyse the effects on the respiratory, circulatory and other vital organs of the people living in high altitudes.

Photovoltaic Unit—The science and Technology department in collaboration with the H.P. State Electricity Board has installed on experimental basis Photovoltaic units for lighting purposes in Spiti Valley as well as at Murrhi on way to Rohtang pass. This has made an impact on the local population and has created awareness for science and technology.

Popularisation of Science and Creating Awareness amongst the People—It is proposed to organise science quizs, essays, seminars, symposium etc. through the education department in all the districts of the Pradesh under this scheme. Charts and magazines on science are also proposed to be supplied. Transistors, Radios, VCRs., Colour Monitors will be supplied and mini computors will be installed with amount of Rs. 6 lakh under this scheme.

Tea Research—The science and Technology department in collaboration with the C.S.I.R. Complex Palampur proposes to rejunvate the existing tea gardens and training the owners of tea gardens in scientific management in order to increase the production of tea under this scheme. 3,000 tea garden owners are likely to be benefitted under this scheme.

Plan for 1986-87—During 1986-87, a sum of Rs. 12 lakh is proposed to be spent on science and technology and Rs. 5 lakh on ecology and environment.

7.18. TRIBAL AND SCHEDULED CASTES DEVELOPMENT

An indepth review of the tribal situation on the eve of the Fifth Plan revealed that the scheduled Tribes, by and large, continued to remain socially and economically backward. Hence, the concept of Tribal Sub-plan was evolved for accelerated Socio-economic development of tribal areas beginning from 1974-75. The Tribal Sub-Plan strategy comprised identification of development blocks with 50% or above scheduled tribe population; earmarking funds for the Tribal Sub-Plan from the Central and State Plan sectoral outlays and financial institutions and supplementation thereof from the Central pool of Special Central Assistance; and creation of appropriate administrative structures in tribal areas and adoption of appropriate personnel policies.

The tribal areas in the State are the districts of Kinnaur and Lahaul-Spiti, in their entirety and Pangi and Bharmaur tehsils of the Chamba district.

In the 6th plan Modified Area Development Approach (MADA) was devised to cover the dispersed scheduled tribe population under Sub-Plan treatment and 2 pockets of tribal concentration, viz. Chamba and Bhatiyat were identified. In the 6th plan, emphasis also shifted from welfare to family and beneficiary oriented development schemes within the general programmes. For the 7th plan the basic premises continue to hold good.

1985-86 marked the beginning of the 7th plan. The State plan flow to the Tribal Sub-Plan had been 8.6% for the 6th plan and that target for the 7th plan is 9%. Ever since it has been above the par. In the overall State plan size of Rs. 177.60 crore, the State plan flow to the Tribal Sub-Plan was Rs. 15.85 crore and Special Central Assistance supplementation was Rs. 1.93 crore. The Special Central Assistance received for the tribal pockets was Rs. 0.12 crore. Highest priority was accorded to the Economic Services Sector.

I.T.D.P. offices are established in each of the five ITDPs viz. Kinnaur, Lahaul, Spiti, Pangi and Bharmaur. Project Advisory committees are constituted for each ITDP for formulation, monitoring and implementation of the Sub-Plan. At the State level, the High-Powered coordination and Review Committee for SCs/STs alongwith its standing sub-committee and the Tribes Advisory Council also takes note of it. Evaluation studies of 3 ITDPs have been got done from the Himachal Pradesh University/Himachal Pradesh Krishi Vishva Vidyalaya and that of the two remaining, i.e. Kinnaur and Lahaul, are entrusted to the Himachal Pradesh Krishi Vishva Vidyalaya.

Scheduled Castes Development

According to the 1981 census there are 10.54 lakh scheduled castes in the Pradesh. Unlike the Tribal Sub-Plan which is area based, scheduled caste population being highly scattered, individual/family/habitat oriented schemes/programmes have been devised for the scheduled castes to improve resource availability to them in order to improve productivity and return from existing professions and make these less disagreeable and spread of education so that they could attain both vertical as well as horizontal mobility in implementation and general improvement in their living environmental and other socio-economic development.

During the 6th Plan, against the all-India target of 9.53% State Plan investment under the Special component plan for scheduled castes, the actual achievement has been of the order of 9.94%. There efforts have been supplemented by the Ministry of Home Affairs (now welfare) by way of Special Central Assistance and against the approved Special Central Assistance of Rs. 5.55 crores the actual release was Rs. 6.34 crores during the Sixth Plan period. For the Seventh plan period State plan earmarking has been reckoned at 11% of the overall State Plan size irrespective of its "divisible" and "indivisible" components. Special Central Assistance supplementation for the Seventh Plan period has been approved at Rs. 8.76 crore.

The District Level Implementation and Review Committees are constituted in each district with the Deputy Commissioner as its chairman to periodically review and monitor the implementation of the Special Component Plan at the district level. At the State level, a High Powered coordination and Review Committee is constituted to oversee the implementation of the Special Component Plan as also the Tribal Sub-Plan. A Sub-committee to the main committee already stands constituted under the chairmanship of a Member of Parliament. This sub-committee undertakes field visits and spot-inspections to verify the work being done and provides useful feedback to the main committee.

In order to have an objective assessment, evaluation studies have been got conducted from the Himachal Pradesh University, Shimla and the Himachal Pradesh Krishi Vishva Vidyalaya, Palampur. The results of their studies are now available and would be utilised for taking corrective measures, wherever needed.

Point 7 under the New 20 Point Programme relates to accelerated development of scheduled castes and scheduled tribes and to assist them to cross the poverty line. In this context vigorous efforts are being made and the position is as below :—

Period	Families targeted to be assisted		Achievements	
	SC	ST	SC	ST
1985—90 (7th Plan)	1,09,833*	18,419	—	—
1984—85(Base year)	33,780	3,720	34,606	5,218
1985—86 . .	24,000	2,631	16,204 (upto 31-12-1985)	2,507

*Includes mulitiple counting of benefits/beneficiaries.

8. MISCELLANEOUS

8.1. EXCISE AND TAXATION

The excise and taxation policy of the Government plays an important role towards the attainment of economic viability as it contributes a major source of revenue to the state exchequer. During the year 1985-86, the following were the salient features of the excise policy in the State.

(i) The rates of assessed fee on beer in respect of bars and clubs (L—3, L—4, L—4A and L—5) licenses during 1985-86 were the same as were in the previous year. The rates of fixed fee of L—3, L—4 and L—5 licenses for 1985-86 was as under —

(a) Places having population upto 10,000	Rs. 12,000
(b) Places having population above 10,000 and upto 15,000	Rs. 15,000
(c) Places having population above 15,000	Rs. 22,000

In 1985-86, a new license in the form of L—4—A has been introduced with the following fees.

(a) Places having populatien upto 10,000	Rs. 8,000
(b) Places having populatien above 10,000 and upto 15,000	Rs. 10,000
(c) Places having population above 15,000	Rs. 15 000

L—3, L—4, L—4 A and L—5, licenses were required to take their supplies from L—2 licensees of respective locality duly approved by the government for which they will not be required to pay any assessed fee.

(ii) The sales tax on Indian made foreign spirit and beer remained chargeable at the source like the previous year.

(iii) The strength of Country liquor during the year 1985-86 was allowed at 50 and 60 degrees proof.

(iv) The lincenses for country fermented liquor for home consumption and for use on special occassions has been allowed to be issued on concessional rates in certain areas.

(v) The rate of duty on Indian made foreign spirit, country liquor and beer for the year 1985-86 were as under :

1. *Country liquor* :

(*i*) With 50 degrees proof strength	Rs. 10.00 per Pls
(*ii*) With 60 degree proof strength	Rs. 12.00 per Pls.
2. Indian made foreign spirit with the strength of 25 degrees under proof	Rs. 22.00 per Pls.
3. Beer upto 5% alcoholic contents	Rs. 1.00 per bottle of 650 mls
4. Cidar	Rs. 0.75 per bottle of 650 mls.
5. (a) Sweets and wine :	
(*i*) Containing proof spirit upto 20%	Rs. 3.00 per Bls.
(*ii*) Containing proof spirit above 20% but not exceeding 30%	Rs. 4.00 per Bls.
(*b*) Indian made rum when issued to troops, exservicemen and I.T.B.P. through CSD, other sources approved by the government	
(*i*) For non-forward areas	Rs. 16.00 per Pls.
(*ii*) For forward areas	Rs. 9.00 per Pls.
(*c*) Rectified spirit (when issued for the purposes other than for use in the manufacture of medicinal and toilet preparations)	Rs. 10.00 per Pls.
(*d*) Duty on Bhang	Rs. 20.00 per 10 Kg. or less
(*e*) Duty on Opium	Rs. 730.00 per Kg.

6. The fixed fee for the issue of licenses in Form L—I (wholesale of foreign liquor) remained fixed at Rs. 35,000

7. Export fee on Indian made foreign spirit and beer was as under during 1985-86

(*a*) Indian made foreign spirit	Rs. 1.50 per Bls.
(*b*) Beer :	
(*i*) With alcoholic contents upto 5%.	Re. 0.30 per Bls.
(*ii*) With alcoholic contents above 5% and upto 8%	Re. 0.50 per Pls.
(*c*) Rectified spirit	Re. 0.03 per proof litre.
(*d*) Country liquor	Re. 0.03 per Pls.

8. The number of dry days remained 16 like the previous year.

9. The number of lipuor shops auctioned for the yea, 1985-86 was as under:

(*i*) Retail shops of country liquor	411
(*ii*) Retail shops of foreign liquor	215
(*iii*) Country fermented liquor shops	13
(*iv*) Beer bars (L—10)	19
TOTAL	658

10. The quota of country liquor auctioned during the year 1985-86 was 20 lakh proof litres.

11. The possession limit for country liquor being manufactured from fruits in tribal areas remained the same.

The department made the following achievements under the taxation policy during the year 1985-86 :—

1. *The Himachal Pradesh General Sales Tax Act,* 1968—Under this Act, which is being administered by the State Government, an amount of Rs. 2,124.29

lakh was realised on account of general sales tax during the year 1984-85. It is expected that during 1985-86 an amount of Rs. 2,877.00 lakh may be realised under general sales tax.

2. *Central Sales Tax Act*—The Central Sales Tax Act is a Central act and is administered by the State government. Against an income of Rs. 176.51 lakh during 1984-85, Rs. 168.55 lakh are expected to be collected during 1985-86 under this Act.

3. *Himachal Pradesh Motor Spirit (Taxation of Sales) Act*, 1968—An income of Rs. 126.45 lakh is expected during the year 1985-86 against an income of Rs. 122.58 lakh during 1984-85 under this Act.

4. *H. P. Passengers and Goods Tax Act*, 1955—An income of Rs. 839.00 lakh is anticipated during the year 1985-86 as against Rs. 733.08 lakh in 1984-85. Besides, the government has levied tax on mini buses. Mini buses having seating capacity of not more than 25 passengers shall have to pay a lump-sum passenger tax of Rs. 10,000 and a surcharge of Rs. 2,000 per annum in lieu of the passenger tax and surcharge chargeable on fare.

5. *H. P. Entertainment Duty Act*, 1968—This Act is in force throughout the Pradesh and the rate is 100 percent of the admission fee. Besides, the government has levied the lump-sum tax on video exhibition on population basis. The income during the year 1984-85 was Rs. 70.33 lakh which is expected to rise to Rs. 80.00 lakh during 1985-86 under this Act.

6. *H. P. Entertainment Tax (Cinematograph shows) Act*, 1968—This Act is in force throughout the State and categories of the Cinema houses according to the population and importance of the places of location into A, B, C and D categories.

7. *H. P. Taxation (on Certain Goods Carried By Road) Act*, 1976—Under this Act an income of Rs. 265.00 lakh was expected during 1985-86 as against Rs. 124.00 lakhs during 1984-85.

8. *H. P. Tax (on Luxuries in Hotels and Lodging Houses)*—Under this Act an income of Rs. 16.00 lakh was expected during 1985-86 as against Rs. 11.83 lakh during the year 1984-85.

8.2. FOOD AND SUPPLIES

Besides foodgrains, the controlled commodities such as levy sugar, controlled cloth., edible oils, pulses, cement, salt, coal/coke, kerosene oil and other petroleum products and tea etc. are also being supplied to the people.

Strengthening of public Distribution System—To strengthen the existing public distribution system in the Pradesh, the State Govt. has established the H. P. Civil Supplies Corporation in the Pradesh. The main function of the Corporation is wholesale procurement of essential commodities from the source and distribute them among the masses through a network of 2,840 fair price shops upto December, 1985 in the Pradesh; of these 2,302 were run by the Cooperatives, 445 by individuals, 34 by Panchayats and 59 by the Civil Supplies Corporation.

Storage and Preservation—The Department has so far constructed 34 godowns with a storage capacity of 11,550 tonnes for the storage of Govt. foodgrains and other essential commodities. In addition 145 godowns with a storage capacity of 6,456 tonnes were hired from the private parties upto December, 1985. The Department has also rented out 3,600 tonnes capacity godowns to the F.C.I. and H. P. State Civil Supplies Corporation. In addition to it, 25 godowns were under construction.

Subsidy being Given to Remote/Inaccessible Areas—During the financial year, 1985-86, under P.D.S. the Government continued supplying wheat to the public in far flung inaccessible and backward areas of the Pradesh (known as subsidized areas) at subsidized retail sale rate of Rs. 190 per quintal i.e. the rate at which the wheat is supplied by Food Corporation of India. Similarly, in the rest of the Pradesh (Non-subsidized areas) the wheat is also sold at reduced (subsidized) uniform retail rate of Rs. 205 per quintal. In addition, the Govt. is supplying wheat atta at subsidized rate of Rs. 220 per quintal and Rs. 230 per quintal in subsidized and non-subsidized areas, respecttively. In tribal areas wheat is being supplied at the fixed price of Rs. 150 per qtl.

The rice is being made available in Lahaul & Spiti district at concessional rate and the Govt. is allowing subsidy on the entire transportation cost beyond Rs. 10 per quintal F.O.R. headquarters (principal distribution centres). In other districts, rice is made available on landed cost. Upto November, wheat, 23,245 tonnes, Wheat atta, 14,937 tonnes and rice 36,272 tonnes were distributed through fair price shops.

Subsidy on Levy Sugar—The Govt. of India alloted 1,918 tonnes of levy sugar to this Pradesh for each month but it varies due to increased/decreased quota allotted by Govt. of India. The levy sugar is being distributed to the consumers 425 grams per head per month in both the rural and urban areas. The levy sugar was being issued to the consumers @ Rs. 4.40 per kg (upto 11/85) at the notified rate of Govt. of India. But w.e.f. 12/85 the Govt. of India have revised the notified rate of levy sugar from Rs. 4.40 per kg to Rs. 4.80 per kg. The difference between the actual sale rate and the landed cost is reimbursed by the Govt. of India through Food Corporation of India.

In addition to levy sugar, the consumers are also supplied imported sugar @ Rs. 5.75 per kg at the scale of 5 kg. per ration card.

Rape-Seed Oil and Palm Oil—Repeseed and palm oil was being supplied to the consumers @ Rs. 12.40 upto 15th November. 1985 and @ Rs. 13.65 after 16-11-1985 per kg. which was the landed cost. During the year. 1985, the Govt. of India has allotted 9,680 tonnes of rapeseed and palm oil to the Pradesh.

Controlled Cloth—The procurement work of controlled cloth has been entrusted to the H. P. State Civil Supplies Corporation. The controlled cloth sold

by the Civil Supplies Corporation during the period from April to Nov.; 85 was 15,30,000 metres. Upto November, 1985, about 17 lakh metre controlled cloth was distributed through fair price shops.

Iodized Salt—The annual fixed quota of 26,400 tonnes of I/Salt to the State was continued to be procured in quarterly instalments by the nominated dealers of the State. In order to ensure regular availability of salt at reasonable rates, the Govt. has sanctioned Rs. 2 lakh as subsidy on the transportation of salt to the remote and inaccessible areas.

Cement—Out of 88,800 tonnes cement allotted to the Pradesh during, 1985, 40,800 tonnes cement was allotted to R.C./O.R.C. (Departments and Autonomous Bodies) and 48,000 tonnes to free sale category.

Coal/Coke—Coal/Coke is de-controlled item under the sponsorship programme, the Govt. of India allotted 15 rakes of soft coke, 7 rakes of steam coal, 180 wagons of hard coke and 12 rakes of slack coal to the State during the calender year, 1985. Out of these 299 wagons of steam coal, 422 wagons of soft coke had been received upto 12/85.

In order to check hoarding, profiteering and other malpractices in the sale and distribution of essential commodities of mass consumption, the State Govt. is vigorously enforcing following orders/besides other orders issued by the Govt. of India.

(1) The H. P. State Articles (Licensing and control) Order, 1981.

(2) The H. P. Hoarding and Profiteering (Prevention) Order, 1977.

(3) The H. P. Commodities Price Marking and Display Order, 1977.

During the calender year, 1985 as many as 31,686 raids/checkings were carried out and 15 cases were registered and 12 persons were arrested. Besides this 152 persons were punished under departmental action and Rs. 31,395 has been forfieted to the Govt. In addition to it 4,507 checking/raids were made by W & M wing. As a result of which 415 prosecutions were made and Rs. 54,325 was realised as composition fee.

Special Facilities to the Students—Under the 20 point economic programme the State Govt. has been supplying foodgrains viz., wheat atta and rice to the students residing in the various educational hostels at concessional rates i.e. less by Rs. 35 per quintal against the issue rates, fixed by the Government for general public under the public distribution system. In addition the students living in the hostels are given levy sugar at the normal scale. The H. P. State Civil Supplies Corporation is also supplying exercise books and stationery articles to the students at cheaper rates.

Plan for 1986-87—The following schemes are proposed to be implemented/continued during the year, 1986-87 :—

1. Price stabilisation scheme.
2. Procurement and supply (godowns).
3. Investment in H. P. State Civil Supplies Corporations.
4. Transportation subsidy.

8.3. PLAN PUBLICITY

Informing and educating masses on the one hand and keeping the Government informed about public reaction to its policies and programmes on the other is one of the important duties of the Public Relations Department. For this purpose 32 Cinema units of the department gave 2,046 cinema shows in the urban and rural areas of the Pradesh. Besides, 713 public address services were rendered during important fairs/festivals/functions and visits of the V.I.Ps. from April to November, 1985. The drama units sangeet parties and the exhibition unit also assisted in organising shows. Fifteen folders/posters and special publicity literature on 20 point economic programme and about facilities being given to the weaker sections of the society were also broughtout. The monthly publication 'HIM-PRASTHA' continued to appear regularly with a circulation of about 1,050 copies per month. A news weekly 'Giriraj depicting news on development activities in the Pradesh also continued to be published regularly with a weekly circulation of 10,419 copies. It is supplied to all educational institutions, all village panchayats and most of the Government offices, besides public sector undertakings and general public. Moreover, advertisements on behalf of all the Departments with a view to give due publicity to the development achievements made by the State, were also released. Press conferences and Press briefings were arranged, besides maintaining close liaison with the varnacular Press at Jullandhar and news paper at Chandigarh. The Press Liaison Office, Delhi ensured coverage of the news items pertaining to Himachal at national level.

Plan for 1986-87—More development films and news reels are proposed to be produced by the Department. An electronic news gathering unit to ensure coverage of important functions and festivals is proposed to be set up in the Directorate. In order to provide intensive publicity in the tribal areas of the Pradesh, more staff is proposed to be provided there. Besides, there is proposal to set up a Press Liaison office at Chandigarh for ensuring closer liaison with the news papers emanating from there.

8.4. URBAN LOCAL BODIES

At present there are 48 Urban local Bodies in the Pradesh including Municipal Corporation, Shimla. These Urban Local Bodies are providing all civic amenities and basic urban facilities to the people. Because of ever increasing multifarious activities of public utility services viz., construction/repair of roads and streets, lighting, construction of shops/stalls, rain shelters, vegetable/meat markets, urinals, latrines, construction of crematoriums, mule sheds, town halls, rest houses/sarais, tree plantations, cleanliness, improvement and beautification of towns etc., and due to the limited sources of income of these Urban Local Bodies, the Government has been sanctioning grant-in-aids to them every year to carry out these activities.

During the year 1985-86 a sum of Rs. 1,51,80,000 (Rs. 45,00,000 under Plan Schemes and Rs. 1,06,80,000 under Non-Plan Schemes) has been provided in the Budget which is being sanctioned as grant-in-aid to these Urban Local Bodies for the maintenance and up-keep of urban areas.

Due to the abolition of octroi from April, 1982, the Government have been giving grant-in-aid to these Urban Local Bodies which have been deprived of this major source of income for sustaining their normal activities and to ensure normal functioning of there Local Bodies. During the year 1985-86, the Government has provided a sum of Rs. 1,88,90,000 (under Non-Plan) and is being sanctioned to these Urban Local Bodies as grant-in-aid. Directorate of Local Bodies has been set up for bringing improvement in the working of these Local Bodies & ensure providing of better civic facilities.

During the year 1985-86, there is a provision of Rs. 50 lakh out of Central Share to be sanctioned to the Urban Local Bodies as grant-in-aid for the conversion of dry latrines into hand flush in Shimla, Nahan and Chamba Towns and 50% share i.e. Rs. 50 lakh is provided by the State Government as loan to the beneficiaries through the concerned Municipality which will be recovered from the beneficiaries in instalments.

The beautification and face lifting work of Notified Area Committee, Manali and Parwanoo by pooling the resources of other departments was also undertaken.

Plan for 1986-87—During the year 1986-87 the Government will continue to provide funds to Urban Local Bodies for undertaking scheme of civic amenities. Number of shopping/commercial complex will be constructed for raising income of Urban Local Bodies. The scheme of conversion of dry latrines into hand flush in Shimla, Nahan and Chamba and other towns will be implemented.

8.5. GAZETTEERS

A district gazetteer is an authentic and comprehensive document containing cultural, economic, social, political and developmental aspects. It provides authoritative and meticulous information to students, historians, scientists, anthropologists, research scholars and tourists besides being a guide to the administrators and officers engaged in developmental activities. Besides this the gazetteers also aim at preserving the unique and ancient culture of Himachal Pradesh. The Gazetteers are being prepared under a set pattern of nineteen chapters evolved by the Government of India.

The Gazetteer Unit of the Revenue Department of the Pradesh has so far published five district gazetters namely; Chamba, Sirmaur, Kinnaur, Lahul-Spiti and Bilaspur. Shimla draft gazetteer is at present in the Press at the final stage and is likely to be available very soon. The district gazetteers of Mandi, Kullu and Kangra stand approved by the Central Gazetteers Unit, Government of India.

Plan for 1986-87—During the year 1986-87, Kullu draft gazetteer is proposed to be made up-to-date for printing.

8.6. STATISTICS

In an era of planned development, the need for comprehensive and dependable statistics is obvious. The demands on statistical system which has to provide empirical data for analysis and policy making have, therefore, increased manifold. To cope with the increasing demands for statistics the Directorate of Economics and Statistics with the assistance of District Statistical Offices continued to be engaged in the (i) collection, compilation, scrutiny and publication of statistical data relating to all sectors of economy, (ii) conduct of a number of evaluation studies and other surveys including the coverage under the National Sample Survey programmes, (iii) preparation of various progress reports, (iv) compilation of periodical returns under the Community Development Programme; (v) price collection, (vi) annual census of H.P. Employees etc. Besides, computation of State and per capita income was also continued in addition to supplying data to the government for policy formulations and to cater to the needs of various commissions and committees.

During the year 1985-86 the following publications were brought out upto December, 1985 :—

1. An Economic Classification of H.P. Budget—1984-85.
2. H.P. Economy in Figures—1985.
3. Blockwise Indicators of Kinnaur District—1983.
4. Economic Review of H.P.—1985.
5. Budget-in-Brief—1985-86.
6. A development Profile of H.P.
7. District Statistical Abstract—1982 in respect of Chamba, Mandi, Solan and Shimla districts.
8. District Statistical Abstract—1983 in respect of Lahaul-Spiti, Una, Hamipur and Bilaspur districts.
9. District Statistical Abstract—1984 in respect of Lahaul-Spiti and Una districts.
10. A report on Agricultural Indices of H.P. 1965-66 to 1982-83.
11. Quarterly Bulletin of Prices for the quarters ending September, 1984.
12. Report on Socio-economic Survey of Ladakhi Mohalla in Shimla Town.
13. A concurrent Evaluation Study of Special Component Plan (Animal Husbandry Sector) Supply of Milch and Pack Animals in Hamirpur District.

14. Socio-economic Survey of Trans Giri Tract in Sirmour district.
15. Rural Energy Demand Survey of Theog Block.
16. Block-wise Statistics of Important items in Shimla District.
17. An Evaluation study of Pangi, Spiti and Bharmour.
18. A benchmark Survey of Desert Development Project Pooh.

The following publications are in the press for printing and are expected to be brought out during 1985-86.

1. Economic Review of H. P. 1986.
2. Budget in Brief—1986-87.
3. Census of H. P. Employees as on 31st March, 1983.
4. Report No. 12—Report on Participation in Primary Education and Drop-cuts for children of 5—14 years in H. P.
5. Quarterly Bulletin of Prices for the Quarter ending December, 1984, March, 1985, June, 1985, September, 1985.
6. Statistical Outline—1985.
7. District Level Economic Indicators.
8. District Statistical Abstract of Kangra District—1984.
9. Apple Marketing Survey in Shimla District.
10. Statistical Abstract of Tribal Areas of H. P.
11. A socio-economic Profile of Gaddis in Kangra Distric.
12. Block-wise Indicators of Kinnaur District—1984.

The quick estimates of State income for the year 1984-85 and revised estimates for the year 1983-84 are expected to be released shortly by this department. These estimates provide information on total state domestic product, annual growth in real state domestic product i.e. economic growth and per capita income both at current and constant prices etc.

This Directorate also classifies the H. P. Government budget, budget of urban local bodies and accounts of governmentt commercial undertakings into meaningful and significant economic categories so as to give the extent of capital formation consumption expenditure and contribution to the generation of State income etc. by them.

Under the National Sample Survey programme, the field work of 40th NSS round relating to non-directory manufacturing establishments and own account enterprises in the unorganised sector of the economy was completed. The work of 41st round which is devoted to all trading establishments and own account trading enterprises in the unorganised sector of the economy was initiated. Two survey reports relating to employment and unemployment situation in H. P. based on the results of 32nd round and another relating to disabled persons in H. P. based on the results of 36th round of NSS were finalised and sent for approval to the National Sample Survey Organisation, Government of India.

Monthly reports on community development were prepared and sent to various quarters. The work relating to collection and dissemination of prices was continued, and Quarterly Bulletin of Prices for March, 1985, June, 1985 and September, 1985 quarters were prepared and sent to the press for printing. Information with regard to Census of H. P. Employees as on 31st March, 1985 is under compilation while the report as on 31-3-1984 is at final stage.

The 19th In-Service Basic statistical Training Course of three months duration was organised for statistical personnel of various departments. A survey of 'Gas consumers (Domestic)-About the Availability of Gas Refill was conducted by these trainees. The report on 'Apple Marketing Survey in Shimla District', which was conducted during October-November, 1984, was prepared and sent to the press for printing.

During the year under review, under the scheme of Tribal Research Institute, one scholarship was awarded for doing research in the tribal areas of the Pradesh upto December, 1985. The following studies have been given to HPU, HPKVV and other independent agencies.

1. Evaluation studies in respect of I.T.D.Ps Lahaul and Kinnaur.
2. A study on wood carving in Bharmour area.
3. A study on agronomic constraints of cash crop production (other than fruits) in Lahaul Valley.
4. A study on superior strains of production problems of dry fruits and nuts in Kinnaur district.

In addition to the above, the following studies are being conducted by this department and under finanlisation/processing.

1. A survey on nucleus budget schemes in tribal areas of Chamba district.
2. A sample survey on spread of universal and elementary education for the age group 6—14 years with special emphasis on girls-removal of adult illiteracy in Lahaul-Spiti district.
3. A study on socio-economic survey of Kinnaur district.
4. A study on socio-economic survey of Bhar-area.
5. Indebtedness among tribal population in Kinnaur.

Plan for 1986-87—With a view to make the data available to the planners and administrators without sacrificing the quality, a gradual expansion in the statistical Organisation of the Pradesh upto block level is envisaged.

8.7. INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION

The Institute trains both gazetted and non-gazetted Officers by organising various training courses for the civil servants of the State. During the year 1985-86, upto the end of November, 1985, the Institute organised 53 such courses in which 1,385 gazetted/non-gazetted personnel participated. During the next year 1986-87, 75 such courses are proposed in which about 1,700 officers/officials are likely to participate.

During the year 1984-85, 10 District training centres for imparting training to the non-gazetted officials were set up. Up to the end of November, 1985, 37 training courses were organised at these centres in which 829 non-gazetted officials posted in these districts were imparted training in office procedure and financial administration, CCS (CCA) Rules and IRDP etc. During 1986-87, 210 courses are proposed to be conducted in which 3,500 officials are likely to participate.

The Institute, in addition to organising training programme for its civil servants, is also giving Pre-examination coaching to Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates and other backward classes and also to other categories for preparing them to appear in the following competitive examination being conducted by various recruiting agencies of the Pradesh and country :—

1. Central Civil Services (Preliminary) Examination.
2. Central Civil Services (Main) Examination.
3. HAS and Allied Services Examination.
4. Bank Probationery Officers Examination.
5. Assistant Grade Examination.
6. Railway and Nationalised Banking Services (Clerical Cadre), Examination.
7. Pre-Medical Test.

During the year 1985-86, upto November, 1985, the Institute organised 5 such courses in which 93 candidates received the pre-examination coaching. Out of these results of 2 courses have been declared and 14 out of 47 candidates have been declared successful. During the next year 1986-87, 7 such courses are proposed to be conducted in which about 280 candidates will be given coaching.

The Government of H. P. has introduced a system of departmental examination since 1972. According to the H. P. Departmental examinations Rules, 1976 as amended from time to time IAS/HPAS/Tehsildars/Naib Tehsildars/Indian Forest Services, H. P. Forest Services and all other gazetted officers of H. P. Government are required to pass the Departmental examinations once in their career of gazetttd service. Apart from the above, the Departmental examinations of the Excise and Taxation Inspectors of the Excise and Taxation department of H. P. and that of H. P. State Electricity Board Supervisory Accounts Service Part I and II examinations are also conducted by the Institute. During the year 1985-86, the Board conducted the examinations in which 126 IAS/HPAS, 407 Tehsildars/Naib-Tehsildars/468 IFS/HPFS and all other gazetted Officers of H. P. Government, 35 Excise and Taxation Inspectors and 288 Divisional Accountants, Assistants, Head Clerks, UDCs, etc. of HPSEB appeared. The Departmental examinations for the supervisory accounts service Part I&II for the officials of HPSEB will be conducted in the month of January, 1986 in which about 350 candidates are likely to appear.

8.8. PUBLIC ENTERPRISES AND BANKS

There are 21 Public Sector Enterprises in the State. The State Institutional Finance and Public Enterprises Organisation performs the functions of a nodal agency with the financial institutions and also monitors the work of all the public sector undertakings periodically. Periodic review of targets and achievements of these enterprises has led to a noticeable improvement in their working. This organisation is bringing out a publication entitled "Himachal Pradesh Government Public Sector Undertakings—1986" this year, too, which would give an overview of the past performance of these undertakings.

Banks are gradually expanding their net work in the State. There were 457 branches of commercial banks, 90 branches of Himachal Gramin Bank and 145 branches of Cooperative and Land Development banks as on 30-9-1985 in the State. The population in far-flung areas has thus been able to take advantage of this facility by depositing its otherwise unproductive saving and also procuring loans for development purposes. On an average, a commercial bank caters to a population of about 7,826 in the State as against the national average of 15,500. The overall deposits of all the banks in the State is of the order of Rs. 576.51 crore against the advances of Rs. 261.16 crore, thus giving a happy credit-deposit percentage of 45.30.

Another Regional Rural Bank namely, Parvatiya Gramin Bank, Chamba, has started functioning w.e.f. 2-11-1985 under the sponsorship of the State Bank of India. The State Government has paid its 15% share of the order of Rs. 3.75 lakh towards share capital in this Bank. This will lead to further branch expansion of rural banks in the district, thus extending this facility to the remote and tribal areas.

PART II
STATISTICAL TABLES

CONTENTS

		Page
1.	Salient Features of Population Census in Himachal Pradesh	94
2.	District-wise Area, Population, Density and Number of Households	94
3.	Distribution of Population by Workers and Non-Workers	95
4.	Distribution of Main Workers by Cultivators, Agricultural Labourers, Household Industry and other Workers	95
5.	Handicapped Population of Himachal Pradesh	96
6.	Production of Principal Crops	96
7.	Index Numbers of Area under Principal Crops	97
8.	Index Numbers of Agricultural Production of Principal Crops	98
9.	Livestock, Poultry and Agricultural Implements	99
10.	Himachal Pradesh Government Employees	99
11.	Outturn and Value of Major and Minor Forest Produce	100
12.	Area under Forests	100
13.	Co-operation	101
14.	Generation and Consumption of Electricity	102
15.	Area under Fruits	102
16.	Production of Fruits	103
17.	Employment Exchange Statistics	103
18.	Education	104
19.	Medical and Public Health	104
20.	Roads	105
21.	Nationalised Road Transport	105
22.	Consumer Price Index Numbers in Himachal Pradesh	106
23.	Index Numbers of Wholesale Prices in India	106
24.	Plan Outlays	107
25.	Incidence of Crimes	111

Units of measurements and symbols used in the brochure

Metric Unit	Equivalent to old unit
One kilometre	0.62137 mile
One hectare	2.47105 acres
One litre	0.22102 gallon
One quintal	2.6792 maunds
One metric ton or tonne	0.98420 ton
One cubic metre	35.37319 cubic ft.

Symbols used—

.. Not available.

—Nil or negligible

P. Provisional

TABLE—1

Salient Features of Population Census in Himachal Pradesh

Year	Total Population (in lakh)	Decennial growth rate	Sex ratio (females per thousand males)	Density per sq. kilometre	Literacy percentage	Urban population percentage
1	2	3	4	5	6	7
1951	23.86	5.42	912	43	..	4.1
1961	28.12	17.87	938	51	21.27	6.3
1971	34.60	23.04	958	62	31.96	7.0
1981	42.81	23.71	973	77	42.48	7.6

Source : —(*i*) General Population Tables-IIA, Census of India, 1971.

(*ii*) Census of India, 1981, Series 7, Paper-I of 1982, Primary Census Abstract of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(*iii*) Census of India, 1971, Paper-I of 1979, Report of Expert Committee on Population Projections, R.G.I.

TABLE—2

District-wise Area, Population, Density and Number of Households—1981 Census

District	Area (Sq. kilometres)	Population	Density per sq. kilometre	Number of households
1	2	3	4	5
Bilaspur	1,167 (2.10)	2,47,368 (5.78)	212	42,886
Chamba	6,528 (11.72)	3,11,147 (7.27)	48	59,383
Hamirpur	1,118 (2.01)	3,17,751 (7.42)	284	58,151
Kangra	5,739 (10.31)	9,90,758 (23.14)	173	1,77,622
Kinnaur	6,401 (11.50)	59,547 (1.39)	9	12,457
Kullu	5,503 (9.88)	2,38,734 (5.58)	43	46,495
Lahaul-Spiti	13,835 (24.85)	32,100 (0.75)	2	6,446
Mandi	3,950 (7.09)	6,44,827 (15.06)	163	1,16,487
Shimla	5,131 (9.22)	5,10,932 (11.94)	100	95,609
Sirmaur	2,825 (5.07)	3,06,952 (7.17)	109	53,603
Solan	1,936 (3.48)	3,03,280 (7.08)	157	55,761
Una	1,540 (2.77)	3,17,422 (7.42)	206	58,394
Himachal Pradesh .	55,673 (100.00)	42,80,818 (100.00)	77	7,83,794

NOTE :—Figures in brackets indicate percentage to total.

Source :—(*i*) Census of India,1981 Series, 7, H.P. Part-II-B, Primary Census Abstract,

(*ii*) Census of India, 1981, Final Population Totals, H.P,

TABLE—3

Distribution of Population by Workers and Non-Workers—1981 Census

District	Total population	Total main workers	Marginal workers	Non-workers	Percentage of main workers to total population
1	2	3	4	5	6
Bilaspur	2,47,368	78,662	24,374	1,44,332	31.80
Chamba	3,11,147	1,09,269	42,319	1,59,559	35.12
Hamirpur	3,17,751	78,542	39,409	1,99,800	24.72
Kangra	9,90,758	2,64,240	76,024	6,50,494	26.67
Kinnaur	58,547	32,552	1,545	25,450	55.60
Kullu	2,38,734	1,07,645	17,196	1,13,893	45.09
Lahaul-Spiti	32,100	18,967	2,487	10,646	59.09
Mandi	6,44,827	2,41,340	56,819	3,46,668	37.43
Shimla	5,10,932	2,37,102	26,527	2,47,303	46.41
Sirmaur	3,06,952	1,23,454	18,801	1,64,697	40.22
Solan	3,03,280	1,04,688	23,092	1,75,500	34.52
Una	3,17,422	74,564	14,381	2,28,477	23.49
Himachal Pradesh	42,80,818	14,71,025	3,42,974	24,66,819	34.36

Source :—Census of India, Series-I, India, Part-II B (*i*) Primary Census Abstract, General Population.

TABLE—4

Distribution of Main Workers by Cultivators, Agricultural Labourers, Household Industry and Other Workers—1981 Census.

District	Cultivators	Agricultural labourers	Household industry	Other workers
1	2	3	4	5
Bilaspur	58,867	1,106	1,944	16,745
Chamba	75,039	691	1,196	32,343
Hamirpur	54,246	1,661	2,495	20,140
Kangra	1,49,232	13,611	7,243	94,154
Kinnaur	20,174	1,727	766	9,885
Kullu	86,703	1,869	961	18,112
Lahaul-Spiti	9,558	450	44	8,915
Mandi	1,85,543	2,107	4,265	49,425
Shimla	1,58,120	7,017	1,752	70,213
Sirmaur	90,236	2,628	2,177	28,413
Solan	68,559	2,486	1,985	31,658
Una	45,252	4,719	2,178	22,415
Himachal Pradesh	10,01,5 2	40,072	27,006	4,02,418

Source :—Census of India, 1981 Series-I, India, Part-II B (*i*)—Primary Census Abstract, General Population,

TABLE—5

Handicapped Population of Himachal Pradesh—1981 Census

District	Totally blind	Totally crippled	Dumb	Total
1	2	3	4	5
Bilaspur	179	194	202	575
Chamba	268	229	354	851
Hamirpur	209	203	253	665
Kangra	519	510	671	1,700
Kinnaur	189	24	277	490
Kullu	234	117	412	763
Lahaul-Spiti	32	16	26	74
Mandi	685	549	665	1,899
Shimla	645	300	553	1,498
Sirmaur	432	180	288	900
Solan	240	206	219	665
Una	292	167	175	634
Himachal Pradesh	3,924	2,695	4,095	10,714

Source :—Census of India-1981, Series 7, Himachal Pradesh Part VII tables on House and Disabled Population.

TABLE—6

Production of Principal Crops

(In '000 tonnes)

Crops	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4	5	6
FOOD GRAINS					
A. Cereals					
1. Rice	103.99	93.39	75.33	113.83	117.23
2. Maize	517.97	447.05	401.60	593.95	571.61
3. Ragi	9.03	5.91	5.96	7.13	5.67
4. Small millets	12.64	12.10	7.14	12.33	8.76
5. Wheat	442.62	446.88	443.36	303.40	269.45
6. Barley	52.37	41.05	45.97	33.20	27.15
Total Cereals	1,138.62	1,046.38	979.96	1,063.84	999.87
B. Pulses					
7. Gram	5.09	3.08	1.55	0.69	0.38
8. Other pulses	13.72	13.75	8.19	12.85	7.01
Total Pulses	18.81	16.83	9.74	13.5	7.39
Total Foodgrains	1,157.43	1,063.21	989.70	1,077.38	1,007.26

Source :—Directorate of Land Records, Himachal Pradesh.

TABLE—7

Index Number of Area under Principal Crops

(Base : Triennium ending 1969-70=100)

Commodity	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
1	2	3	4	5	6
1. FOOD CROPS					
A. Cereals					
(1) Kharif					
Rice	93.00	94.30	92.24	91.49	95.67
Maize	112.22	114.05	110.85	114.99	118.98
Ragi	91.85	82.01	67.79	59.24	56.37
Millets and others	74.53	69.77	75.49	117.16	68.58
Total Kharif	103.81	104.34	101.73	103.76	106.76
(2) Rabi					
Wheat	108.30	109.27	113.90	117.09	117.20
Barley	79.51	81.97	80.39	84.54	77.61
Total Rabi	104.79	105.94	109.81	113.12	112.37
Total cereals	104.28	105.10	105.61	108.25	109.45
B. Pulses					
Gram	108.44	88.73	55.86	21.69	22.81
Mash	89.39	87.90	84.35	86.17	84.71
Other pulses	113.46	87.12	119.98	87.20	90.95
Total Pulses	101.82	87.91	86.45	67.93	68.72
Total Food Crops	104.09	103.79	104.14	105.15	106.33
2. NON-FOOD CROPS					
A. Oil Seeds					
Groundnut	55.64	50.39	60.18	56.79	34.81
Sesamum	81.88	101.85	82.78	101.33	105.72
Rape and mustard	91.32	118.52	109.45	118.86	115.86
Linseed	88.41	78.01	83.26	79.12	72.23
Total Oil Seeds	83.31	93.66	87.36	94.60	90.92
B. Miscellaneous					
Potato	85.67	97.27	83.94	73.36	76.38
Sugarcane	77.28	75.84	70.26	80.76	89.70
Ginger	151.62	123.02	111.93	114.27	103.90
Tea	80.25	78.81	75.06	58.10	77.25
Total Miscellaneous	87.55	89.70	82.29	74.61	80.09
Total non-food crops	85.65	91.48	84.57	83.59	84.95
Total Crops	103.02	103.07	103.00	103.90	105.08

Source :—Directorate of Economics and Statistics, Himachal Pradesh.

TABLE—8

Index Number of Agricultural Production of Principal Crops

(Base : Triennium ending 1969-70=100)

Commodity	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
1	2	3	4	5	6
1. FOOD CROPS					
A. Cereals					
(i) Kharif					
Rice	73.21	94.77	85.10	68.65	103.73
Maize	108.27	124.98	107.87	96.90	143.31
Ragi	72.44	87.19	57.02	57.49	68.80
Millets and others	99.81	80.94	77.54	50.58	79.00
Total Kharif	97.86	114.80	99.91	87.16	129.39
(ii) Rabi cereals					
Wheat	98.62	159.76	161.30	160.03	109.51
Barely	60.77	96.56	75.68	84.77	61.22
Total Rabi-cereals	92.95	150.28	148.46	148.74	102.27
Total Cereals	97.38	127.83	117.74	109.78	119.43
B. Pulses					
Gram	109.93	58.65	35.55	17.90	7.96
Mash	94.62	108.96	69.44	55.10	86.93
Other Pulses	107.53	76.64	127.06	56.33	90.81
Total Pulses	102.71	85.13	74.89	44.29	64.31
Total Food Crops	96.30	126.22	116.12	107.31	117.35
2. NON-FOOD CROPS					
A. Oil-seeds					
Groundnut	44.14	52.87	34.09	7.46	36.79
Sesamum	81.42	107.82	92.05	60.88	96.28
Rape and mustard	69.28	87.36	100.00	73.99	51.54
Linseed	81.16	84.04	26.59	56.13	49.66
Total Oil Seeds	72.58	87.55	65.46	53.73	63.15
B. Miscellaneous					
Potato	81.31	88.68	76.71	40.18	70.83
Sugarcane	161.58	92.94	94.34	63.18	100.95
Ginger	222.49	176.14	49.89	43.96	58.36
Tea	98.81	54.62	58.90	36.35	87.02
Total miscellaneous	97.39	92.29	72.46	42.30	72.73
Total non-food crops	92.32	92.91	71.03	44.63	70.77
Total Crops	95.98	123.51	112.46	102.21	113.56

Source :—Directorate of Economics and Statistics, Himachal Pradesh.

TABLE—9

Livestock, Poultry and Agricultural Implements

(In thousands)

Category	1972	1977	1982
1	2	3	4
A. Livestock :			
1. Cattle	2,097	2,106	2,173
2. Buffaloes	544	560	616
3. Sheep	1,039	1,055	1,090
4. Goats	906	1,035	1,060
5. Horses and ponies	16	15	17
6. Mules and donkeys	12	14	19
7. Pigs	3	5	8
8. Other livestock	6	5	6
Total Livestock	4,623	4,795	4,989
B. Poultry	189	330	456
C. Agricultural implements :			
1. Ploughs	502	518	624
2. Carts	3	3	3
3. Cane crushers	3	4	3
4. Ghanies	1	1	..

Source :—Directorate of Land Records, Himachal Pradesh

TABLE—10

Himachal Pradesh Government Employees

Date of Census	Regular	Contingent paid	Work charged	Daily paid workers
1	2	3	4	5
1st, March				
1978	76,283	3,485	3,958	77,717
1979	77,691	4,041	5,163	1,32,738
1980	80,518	3,739	5,604	1,15,638
1981	84,733	3,860	5,877	1,33,773
1982	87,269	3,664	5,345	93,087
1983	89,588	3,768	5,616	70,962
1984	91,391	3,873	5,097	84,508

Source :—Directorate of Economics and Statistics, Himachal Pradesh.

TABLE—11

Outturn and Value of Major and Minor Forest Produce

Year	Major produce (Quantity in '000 cu. metres)		Minor produce (Value in '000 Rs.)		
	Timber	Fuel*	Gums and Rosin	Fodder and grazing	Other produce
1	2	3	4	5	6
1977-78	483.6	178.1	14,830	955	4,912
1978-79	564.0	162.0	12,226	1,126	5,371
1979-80	463.7	158.5	22,938	1,326	3,031
1980-81	560.0	133.8	21,636	863	3,946
1981-82	672.0	188.0	16,132	902	2,896
1982-83	487.3	139.4	15,902	1,095	3,103
1983-84	592.0	68.0	18,510	747	3,122

*Includes firewood and charcoal.

Source :—Forest Department, Himachal Pradesh.

TABLE—12

Area under Forests

(Sq. kilometres)

Year	Reserved forests	Protected forests	Un-classed forests	Other forests	Forests not under the control of Forest Department	Total
1	2	3	4	5	6	7
1977-78	1,826	17,701	743	673	904	21,847
1978-79	1,823	17,631	718	640	904	21,716
1979-80	1,825	17,128	731	602	904	21,190
1980-81	1,825	17,129	731	580	904	21,169
1981-82	1,825	17,129	731	553	904	21,142
1982-83	1,825	17,172	910	511	904	21,322
1983-84	1,825	17,175	910	513	901	21,324

Source :—Forest Department, Himachal Pradesh.

TABLE—13

Co-operation

Item	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4	5	6
I. Societies (No.)					
Agricultural	2,166	2,152	2,108	2,109	2,113
Non-agricultural	1,128	1,151	1,167	1,222	1,267
Urban banks	10	9	10	10	8
State and Central banks	4	4	4	4	4
Other secondary societies	60	60	64	62	61
TOTAL	3,368	3,376	3,353	3,407	3,453
II. Membership ('000)					
Agricultural societies	597.0	625.0	652.0	673.0	692.0
Non-agricultural societies	88.7	97.6	110.5	99.0	106.0
Urban banks	4.0	4.6	4.0	4.0	3.0
State and Central banks	18.0	12.5	14.5	16.0	17.0
Other secondary societies	13.3	13.5	13.2	14.0	14.0
TOTAL	721.0	753.2	794.2	806.0	832.0
III. Working capital (in lakh Rs.)					
Agricultural societies	3,152.12	3,534.28	4,027.92	4,600.96	5,156.49
Non-agricultural societies	958.83	1,067.16	1,239.54	1,230.82	1,397.69
Urban banks	103.03	123.86	167.40	211.43	264.50
State and Central banks	4,913.70	5,641.80	6,419.77	8,338.23	9,757.90
Other secondary societies	1,515.27	1,531.13	1,555.82	1,625.06	1,879.03
TOTAL	10,642.95	11,898.23	13,410.45	16,006.50	18,455.61
IV. Loans advanced (in lakh Rs.)					
Agricultural societies	782.25	851.10	1,049.78	1,191.51	1,282.39
Non-agricultural societies	89.45	97.81	98.10	116.01	160.82
Urban banks	71.46	93.13	99.04	114.19	296.07
Primary land mortgage banks and state and central banks	1,142.16	2,171.68	2,273.01	2,324.05	9,200.61
V. Loans outstanding (Rs. in lakh)					
Agricultural societies	..	..	1,874.61	2,117.28	2,355.05
Non-agricultural societies	..	..	126.57	146.29	182.03
Urban banks	..	..	37.30	102.36	126.24
Primary land mortgage banks and state and central banks	..	..	1,041.51	3,739.90	4,385.90

Source :—Co-operative Department, Himachal Pradesh.

TABLE—14

Generation and Consumption of Electricity

(In million kwh)

Item	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4	5	6
1. Electricity generated	245.1	431.7	540.5	586.7	488.8
2. Electricity purchased from B.M.B. etc.	265.4	258.3	300.7	404.8	383.3
3. Electricity consumed :					
(*a*) domestic consumption	62.4	70.5	80.5	92.5	100.9
(*b*) commercial light, public water works and sewage pumping	32.6	35.0	40.5	45.5	43.4
(*c*) industrial Power	107.5	130.5	156.5	207.0	265.6
(*d*) street lighting	2.0	2.0	1.9	2.2	2.2
(*e*) irrigation and agriculture	5.8	6.5	9.2	12.0	17.7
(*f*) others	54.4	41.5	35.9	35.8	40.2
Total consumption	264.7	286.0	324.5	395.0	470.0
4. Electricity sold outside the state	147.1	273.6	363.2	409.0	217.3
5. Rural electrification :					
(*a*) Electrified villages	10,050	11,217	12,794	13,664	14,614
(*b*) Percentage of villages electrified to total no. of villages	59.4	66.3	75.6	80.8	86.4

Source :—State Electricity Board, Himachal Pradesh.

TABLE—15

Area under Fruits

(Hectares)

Year	Apples	Other temperate fruits	Nuts & dry fruits	Citrus	Other sub-tropical fruits	Total
1	2	3	4	5	6	7
1978-79	40,655	15,235	5,401	11,062	7,990	80,343
1979-80	41,947	16,373	6,020	12,465	9,127	85,932
1980-81	43,356	17,464	6,892	14,471	10,284	92,467
1981-82	45,360	19,386	7,671	16,822	10,845	1,00,084
1982-83	47,354	21,245	8,487	19,719	11,871	1,08,676
1983-84	48,292	22,184	9,009	21,926	12,640	1,14,051
1984-85	49,840	23,649	9,804	23,802	13,485	1,20,580

Source:—Horticulture Department, Himachal Pradesh.

TABLE—16

Production of Fruits

('000 tonnes)

Year	Apples	Other temperate fruits	Nuts & dry fruits	Citrus	Other sub-tropical fruits	Total
1	2	3	4	5	6	7
1977-78	131.62	10.30	2.83	4.20	1.60	150.55
1978-79	121.90	6.18	0.70	4.18	4.27	137.23
1979-80	135.47	11.71	0.77	5.13	6.98	160.06
1980-81	118.01	9.27	1.78	4.40	6.37	139.83
1981-82	306.80	17.67	1.58	9.34	6.55	341.94
1982-83	139.09	15.69	1.08	9.61	12.38	177.85
1983-84	257.91	21.86	2.21	12.08	10.22	304.28
1984-85	170.63	26.41	2.22	3.95	12.71	215.92

Source :—Horticulture Department, Himachal Pradesh.

TABLE—17

Employment Exchange Statistics

Year	Number of candidates registered	Number of placements	Number of vacancies notified	Number on live register
1	2	3	4	5
1979	66,565	6,610	9,833	1,19,624
1980	79,811	6,080	11,217	1,41,920
1981	72,536	7,875	12,093	1,59,985
1982	65,208	8,415	11,384	1,68,713
1983	83,063	6,893	11,626	1,86,161
1984	79,724	6,005	10,798	2,58,004
1985 (Upto October, 1985)	63,004	5,814	9,320	3,08,713

Source :—Directorate of Employment and Training, Himachal Pradesh.

TABLE—18

Education

Item	1979-80 (P)	1980-81 (P)	1981-82 (P)	1982-83 (P)	1983-84 (P)
1	2	3	4	5	6
Primary/Junior basic education :					
1. Institutions	4,503	6,093	6,229	6,441	6,597
2. Students (Stage I—V) 6—11 years	5,12,400	5,43,300	5,65,700	5,95,600	6,12,100
3. Teachers	8,646	14,724	15,060	15,308	15,797
Middle/Senior basic education :					
1. Institutions	1,005	1,032	1,047	1,047	1,048
2. Students (Stage VI—VIII) 11—14 years	1,76,100	2,00,300	2,18,500	2,34,906	2,46,300
3. Teachers	8,378	5,315	5,499	5,535	5,687
High/Higher secondary education :					
1. Institutions	632	665	690	730	769
2. Students (Stage IX—XI) 14—17 years	62,600	63,100	73,800	88,400	1,00,900
3. Teachers	10,885	8,595	9,091	9,124	9,619
Colleges of general education :					
1. Institutions	27	27	27	27	27
2. Students	14,500	16,600	18,600	20,900	24,100
3. Teachers	643	692	736	755	769

Source :—Education Department, Himachal Pradesh

TABLE—19

Medical and Public Health

Item	Unit	1980	1981	1982	1983	1984
1	2	3	4	5	6	7
1. Allopathic institutions						
(*a*) Hospitals	No.	53†	53†	55	55	57
(*b*) Primary Health Centres	„	77	77	77	101	114
(*c*) Dispensaries	„	196*	199*	236*	235*	235*
TOTAL	„	326	329	368	391	406
Beds available	„	5,176	5,210	5,312	5,536	5,695
2. Ayurvedic institutions						
(*a*) Hospitals	„	5	5	8	10	11
(*b*) Dispensaries**	„	404	404	427	427	427
(*c*) Ayurvedic Pharmacies	„	2	2	2	2	2
(*d*) Research Institutions	„	1	1	1	1	1
TOTAL	„	412	412	438	440	441
Beds available	„	412	412	403	438	438

Source :— Health and Family Welfare Department, Himachal Pradesh.
2. Directorate of Ayurveda Himachal Pradesh.

†Includes 5 Cantonment Boards, 3 Mission, 3 Voluntary organisations, 4 Projects and 1 Police.

*Includes 1, E.S., 1 Police 1 Railway, 2 Cantt. Boards & 6 others.

**Includes three Unani dispensaries.

TABLE—20

Roads

(In kilometre)

Type of road	as on 31st March 1981	1982	1983	1984	1985
1	2	3	4	5	6
1. Motorable double lane	1,994	1,994	1,994	1,994	1,994
2. Motorable single lane	10,611	11,129	11,606	12,031	12,669
3. Jeepable	633	713	696	647	709
4. Less than jeepable	4,195	4,499	4,439	4,438	4,641
TOTAL	17,433	18,335	18,735	19,110	20,013

Note—Figures includes National Highways also.

Source :—Public Works Department, Himachal Pradesh.

TABLE—21

Nationalised Road Transport

Year	Number of motor vehicles				No. of routes under operation	Distance covered; ('000 kilometres)
	Buses	Trucks	Others	Total		
1	2	3	4	5	6	7
1979-80	815	36	38	889	627	51,903
1980-81	839	31	42	912	662	56,027
1981-82	940	20	37	997	743	62,281
1982-83	1,020	20	41	1,081	794	64,947
1983-84	1,141	15	41	1,197	890	69,924
1984-85	1,238	11	48	1,297	950	74,432

Source:—Himachal Road Transport Corporation, Shimla.

TABLE—22

Consumer Price Index Numbers in Himachal Pradesh

Year/Month	For Industrial Workers Base : 1965=100 General Index	For Industrial Workers Base : 1965=100 Food Index	For Urban non-manual Employees Base 1960=100-Shimla Centre
1	2	3	4
1979	241	245	287
1980	254	257	298
1981	287	293	332
1982	324	334	376
1983	348	355	409
1984	382	386	438
1985—	414	420	475
January	427	430	496
February	425	426	493
March	429	428	493
April	432	431	498
May	434	432	505
June	435	432	518
July	441	439	522
August	447	447	525
September	447	448	522
October	451	450	521
November	455	453	523
December	457	448	513

Sources:—1. Labour Bureau, Govt. of India.
2. Central Statistical Organisation, Govt. of India.

TABLE—23

Index Numbers of Wholesale Prices in India

(Base 1970-71=100)

Group	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
1	2	3	4	5	6
All Commodities	217.6	257.3	281.3	288.6	316.0
Primary articles	206.5	237.5	264.4	273.9	304.0
Food articles	186.6	207.9	235.1	249.6	283.1
Non-food articles	194.6	217.7	240.5	244.6	281.6
Minerals	779.9	1,110.2	1,168.6	1,105.6	994.0
Fuel, power, light and lubricants	283.1	354.3	427.5	458.7	494.8
Manufactured products	215.8	257.3	270.6	272.1	295.8
Food products	214.8	308.7	298.9	260.0	298.9
Beverages, tobacco and tobacco products	186.6	210.7	217.4	218.7	246.2
Textiles	203.2	212.7	223.9	232.8	249.6
Paper and paper products	237.4	262.2	282.2	299.7	325.8
Leather and leather products	345.0	380.1	368.0	361.3	385.9
Rubber and rubber products	214.9	248.8	284.1	306.1	316.6
Chemical and chemical products	198.7	241.3	260.2	269.2	281.6
Non-metallic mineral products	249.5	278.7	311.7	273.7	404.1
Basic metal alloys and metal products	251.9	272.1	317.1	354.6	381.0
Machinery and transport equipment	215.9	239.4	265.1	277.9	289.6
Miscellaneous products	209.8	232.8	239.5	243.2	256.9

Source :—Ministry of Industries, Govt. of India.

TABLE—24

Plan Outlays

(Rs. in lakhs)

Sector/Head of Development	1986-87 Approved outlays
1	2
A. Economic Services	
I. Agriculture and Allied Services	
1. Crop Husbandry	
(*a*) Agriculture	377.00
(*b*) Horticulture	290.00
(*c*) Dry Land Farming	33.00
Total—(a+b+c)	700.00
2. Soil Conservation	
(*a*) Agriculture	105.00
(*b*) Forests	115.00
Total—(a+b)	220.00
3. Animal Husbandry	120.00
4. Dairy Development	75.00
5. Fisheries	55.00
6. Forests and Wild Life including Plantation	1,800.00
7. Agriculture, Research and Education	
(*a*) Agriculture	47.00
(*b*) Horticulture	59.00
(*c*) Animal Husbandry	11.00
(*d*) Forests	16.00
(e) Fisheries	2.00
Total—(a to e)	135.00
8. Investment in Agriculture Financial Institution	13.00
9. Other Agricultural Programmes	
(*a*) Agricultural Marketing and Quality Control	32.00
(*b*) Loans to cultivators Other than Horticulture	5.00
Total—(a+b)	37.00
10. Cooperation	150.00
Total—I—Agriculture and Allied Services	3,305.00
II. Rural Development	
1. Special Programme for Rural Development	
(*a*) Integrated Rural Development (IRD)	163.00
(*b*) Integrated Rural Energy Programme (IREP)	40.00
Total—(a+b)	203.00
2. Rural Employment	
(*a*) National Rural Employment Programme (NREP)	138.00
Total—(1+2)	341.00

TABLE—24—*contd.*

1	2
3. Land Reforms	
(*a*) Cadastral Survey and Records of Rights	132.00
(*b*) Supporting Services to the new Allottees of Land	1.00
(*c*) Consolidation of Holdings	80.00
(*d*) Strengthening of Primary and Supervisory Land Records Agency	30.00
(*e*) Revenue Housing	15.00
(*f*) Forest Settlement	16.00
Total—(a to f)	274.00
4. Community Development	80.00
5. Panchayat	40.00
Total—II—Rural Development	735.00
III. Special Area Programme	
(Desert Development Programme)	..
IV. Irrigation and Flood Control	
1. Major and Medium Irrigation	165.00
2. Minor Irrigation	
(*i*) I & PH (PWD)	840.00
(*ii*) Rural Development	10.00
Total—(i+ii)	850.00
3. Command Area Development	36.00
4. Flood Control	70.00
Total—IV—Irrigation and Flood Control	1,121.00
V. Energy	
1. Power	6,083.00
2. Bio-gas Development	70.00
3. Non-Conventional Source of Energy (Development of New renewable source of Energy)	7.00
Total—V—Energy	6,160.00
VI. Industry and Minerals	
1. Village & Small Industries	195.00
2. Industries (other than VSI)	350.00
3. Mining	20.00
Total—VI—Industries	565.00

TABLE—24—*contd.*

1	2
VII. Transport	
1. Civil Aviation (Helipads and Helicopter organisation)	59.00
2. Roads and Bridges	2,534.00
3. Road Transport	393.00
4. Inland and Water Transport	5.00
5. Other Transport Services	
(*i*) Ropeways/Cable ways	100.00
(*ii*) Tele-communication	1.00
(*iii*) Inter-Model Transport Study	5.00
Total—(i to iii)	106.00
Total—VII—Transport	3,097.00
VIII. Science & Technology and Environment	
1. Scientific Research (including S & T)	12.00
2. Ecology & Environment	5.00
3. Water and Air Pollution Prevention	5.00
Total—VIII—Science and Technology and Environment	22.00
IX. General Economic Services	
1. Sectt. Economic Services	12.00
2. Tourism	140.00
3. Survey & Statistics (Economic Advice & Statistics)	6.00
4. Civil Supplies	57.00
5. Other General Services	
(*a*) Weights and Measures	4.00
(*b*) Institutional Finance & Public Enterprise Cell	6.00
(*c*) District Planning	100.00
Total—(a to c)	110.00
Total—IX—General Economic Services	325.00
Total—A—Economic Services	15,330.00
B. Social Services	
X. General Education	
1. General & University Education	987.00
2. Technical Education	122.00
3. Art & Culture	116.00
4. Sports and Youth Services	100.00
5. Others	
(*i*) Mountaineering and Allied Sports	20.00
(*ii*) Gazetteer	4.00
Total—(i & ii)	24.00
Total—X—General Education	1,349.00

TABLE—241—*contd.*

1	2
XI. Health	
1. Allopathy	410.00
2. Ayurveda & Other ISM's	60.00
3. Medical Education	105.00
Total—XI—Health	575.00
XII. Water Supply, Housing and Urban Development & Sanitation	
1. Water Supply	
(*a*) Sewerage	50.00
(*b*) Urban Water Supply	110.00
(*c*) Rural Water Supply	
(*i*) I & PH (PWD)	1,500.00
(*ii*) Rural Development	10.00
Total—(i and ii)	1,510.00
(*d*) Rural Sanitation	10.00
(*e*) Low Cost Sanitation	20.00
Total—(a to e)	1,700.00
2. Housing	
(*a*) Pooled Government Housing	153.00
(*b*) Housing Department	115.00
(*c*) Loans to Government Employees	150.00
(*d*) Rural Housing	6.00
(e) Police Housing	190.00
Total—Housing (a to e)	614.00
3. Urban Development	
(a) Town and Country Planning	50.00
(*b*) Environmental Improvement of Slums.	15.00
(*c*) Grant-in-aid to Local Bodies	45.00
(*d*) Urban Development Authority	45.00
Total—(a to d)	155.00
Total—XII—Water Supply, Housing and Urban Development & Sanitation.	2,469.00
XIII. Information and Publicity	25.00
XIV. Welfare of SC/ST/OBC's.	104.00
XV. Labour & Labour Welfare	9.00
XVI. Social Welfare & Nutrition	
(*i*) Social Welfare	35.00
(*ii*) Nutrition	
(*a*) SNP including ICDS	83.00
Total—XVI—Social Welfare & Nutrition.	118.00
Total—(B) Social Services	4,649.00

National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurbindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. ...D-3096...
Date ...18-12-86...

TABLE—24—*concld.*

1	2
XVII.—C—General Services	
1. Stationery & Printing	90.00
2. Public Works (Pooled non-residential Govt. Buildings)	365.00
3. Others	
(*a*) HIPA	12.00
(*b*) Nucleus Budget for Tribal Areas	35.00
(*c*) Tribal Development Machinery	2.00
(*d*) Equity of Ex-Service men Corporation including PEX—SEM	17.00
Total—(a to d)	66.00
Total—(c)—General Services	521.00
GRAND TOTAL (ALL SECTORS)	20,500.00

Source :—Planning Department Himachal Pradesh.

TABLE—25

Incidence of Crimes

District	1981	1982	1983	1984	1985
1	2	3	4	5	6
Bilaspur	480	468	571	538	556
Chamba	609	549	456	475	461
Hamirpur	301	299	328	333	334
Kangra	1,892	1,939	1,865	1,785	1,899
Kinnaur	194	227	267	258	134
Kullu	587	611	615	714	673
Lahaul-Spiti	72	82	69	51	83
Mandi	1,177	1,273	1,278	1,334	1,396
Shimla	987	1,111	1,231	1,653	1,698
Sirmaur	698	706	742	732	774
Solan	651	731	782	683	631
Una	412	423	490	529	458
Railway and Traffic	10	16	19	11	11
Himachal Pradesh	8,070	8,435	8,713	9,096	9,152

Source :—Police Department, Himachal Pradesh.

85-M/S545H.P.Govt.—3,000—4-3-86—GIPS

NIEPA DC
D03096